

**“उत्तर आर्थिक उदारवाद के बाद भारत
में खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की
प्रतिक्रिया : उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का
अध्ययन”**

**BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY**



**प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996**

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के राजनीति विज्ञान विभाग में
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी-एच0डी0) उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

शोध-प्रबन्ध

शोधकर्ता

अभय सिंह

शोध निर्देशक

डॉ० सार्तिक बाघ

प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ

**बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
विद्या विहार, रायबरेली रोड,
लखनऊ-226025 (उ०प्र०)**

2017



बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ - 226025
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University
(A Central University)
Vidya Vihar, Raebareli Road, Lucknow-226025

Letter No. : 573/DPS/BBAU/17
Date : 17/02/2017

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि शोध शीर्षक "उत्तर आर्थिक उदारवाद के बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की प्रतिक्रिया : उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का अध्ययन" विषय पर श्री अमय सिंह द्वारा प्रस्तुत एक मौलिक शोध कार्य है, इससे पहले यह इस और किसी अन्य विश्वविद्यालय में डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि के लिए इसके किसी भाग या पूर्ण रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रस्तुत यह शोध-प्रबन्ध डॉक्टर आफ फिलॉसफी (पी-एच0डी0) के नियमन-1999 तथा 2008/2010/2013 में हुए संशोधनों की सभी जरूरी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। डॉक्टर आफ फिलॉसफी (पी-एच0डी0) की उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध-प्रबन्ध विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए पूर्णतः उपयुक्त है और इसे परीक्षार्थ हेतु अग्रसारित करता हूँ।

दि0.....17/02/2017

विभागाध्यक्ष

डॉ0 रिपुसूदन सिंह

प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर

विश्वविद्यालय, लखनऊ

विभागाध्यक्ष / Head

राजनीति विज्ञान विभाग / Deptt. of Political Science
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
Bhimrao Ambedkar University, Lucknow

शोध निर्देशक

डॉ0 सार्तिक बाघ

प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर

विश्वविद्यालय, लखनऊ

Prof. Sartik Bagh

Research Supervisor

DPS/SAS/BBAU

घोषणा-पत्र

मैं, अभय सिंह यह घोषणा करता हूँ कि मैंने "उत्तर आर्थिक उदारवाद के बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की प्रतिक्रिया : उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का अध्ययन" विषय पर शोध कार्य डॉ० सार्तिक बाघ, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। पी-एच०डी० की उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध-प्रबन्ध, मेरा मौलिक कार्य है। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार सुधार कर लिया गया है।

दि० 17/04/2017

शोधार्थी

अभय सिंह

अभय सिंह

राजनीति विज्ञान विभाग

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

लखनऊ - 226025

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध "उत्तर आर्थिक उदारवाद के बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की प्रतिक्रिया : उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का अध्ययन" विषय पर मेरे शोध करने का उद्देश्य बस्ती जनपद में दो ब्लाक-ग्रामीण क्षेत्र से दुबौलिया ब्लाक व शहरी क्षेत्र से बस्ती सदर ब्लाक में खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की प्रतिक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन करना है। मेरे इस शोध कार्य में आदरणीय गुरुजनों, परिजनों, एवं परमपूज्य स्वर्गीय बाबा जी तथा श्रद्धेय पिता जी एवं अन्य विद्वतजनों व बस्ती जनपद के नागरिकों एवं अभीष्ट मित्रों का साझा योगदान व सहयोग प्राप्त होता रहा। मैं इन सबके प्रति कृतघ्नता व्यक्त कर ऋण मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन आभार प्रस्तुत करने की परम्परा को त्यागकर मैं इस चली आ रही परम्परा का अनादर भी नहीं कर सकता।

शोधार्थी इस शोध कार्य व विषय चयन के लिए प्रेरित व निर्देशित करने वाले परम श्रद्धेय गुरु प्रो० सार्तिक बाघ जी का सदैव ऋणी रहेगा, जिनके कुशल निर्देशन में मेरी यह शोध यात्रा बिना किसी व्यवधान के अनवरत चलती रही। आपके विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन व स्नेहपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप ही मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सका हूँ। आपकी अति व्यस्तताओं के बावजूद भी हर कठिन परिस्थितियों में मुझे आपने सही रास्ता दिखाया। शोधार्थी आपका सदैव ऋणी रहेगा।

आदरणीय विभागाध्यक्ष प्रो० रिपुसूदन सिंह, डॉ० शशिकान्त पाण्डेय, डॉ० सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉ० प्रीती चौधरी, डॉ० सुधीर सूथर, प्रो० नरेन्द्र कुमार, (राजनीति विज्ञान विभाग), प्रो० कामेश्वर चौधरी, प्रो० विक्टर बाबू, डॉ० वीरेन्द्रनाथ दुबे, डॉ० बृजेश कुमार (समाजशास्त्र विभाग), आदि का समय-समय पर प्रेरणापूर्ण मार्गदर्शन व अपेक्षित सहयोग तथा बहुमूल्य परामर्श मिला। जिसके लिए आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने परमपूज्य बाबा स्वर्गीय श्री देव नारायण सिंह जी एवं पूज्यनीय पिता जी श्री प्रेम प्रकाश सिंह एवम माता जी श्रीमती कलावती सिंह, बड़े पिता जी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह एवम बड़ी माता जी श्रीमती इन्द्रावती सिंह, चाचा जी श्री रवि प्रकाश सिंह एवम चाची जी श्रीमती बीना सिंह, का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा, को सहृदय नमन करता हूँ। अपने अग्रज भाईयों में श्री श्री प्रकाश सिंह, एसो० प्रो० भूगोल विभाग इलाहाबाद डिग्री कालेज व भाभी जी श्री मती सरोज सिंह, एसो० प्रो० हिन्दी विभाग सी० एम० पी० डिग्री कालेज इलाहाबाद का सहृदय से आभार व्यक्त करने के साथ-साथ मैं उन सभी-परिवारजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बिना किसी शर्त के मेरा तन, मन, धन से सहयोग किया और मेरा विश्वास और आत्मबल को नहीं डिगने दिया।

विशेष तौर पर अपने अग्रज भाई श्री संजय सिंह तथा उनकी जीवन संगिनी श्री मती लता सिंह जिन्होंने अपने सभी दुःख दर्द भूलकर अनेक जिम्मेदारियों के बावजूद प्रत्येक स्तर पर मेरा उत्साह बनाये रखा तथा इस शोध कार्य को पूरा करने में मेरे धैर्य को अनवरत बनाये रखा। इन सभी के प्रति भी सहृदय हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

इलाहाबाद में एडवोकेट हाईकोर्ट के पद पर कार्यरत अभीष्ट मित्र नीरज शुक्ला एवं गोरखपुर में मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत अरुण चतुर्वेदी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। जिन्होंने मेरे इस शोध कार्य के दौरान विषम परिस्थितियों में मदद के साथ-साथ उपयुक्त सुझाव और उत्साहवर्धन किया। इलाहाबाद से डॉ० राजेश यादव, अरुण सिंह, एच० पी० सिंह, विजय सिंह, विजय शंकर सिंह, गोण्डा से अरविंद सिंह, आशुतोष सिंह व बस्ती के अभीष्ट मित्रों में अशोक गुप्ता, दुर्गा प्रसाद सिंह, सुशील सिंह, डॉ० राकेश सिंह, डॉ० ज्ञानेश सिंह, आशुतोष सिंह आदि सभी अग्रज और अनुज मित्रों का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं विशेष रूप से बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मानवाधिकार विभाग के डॉ० विकास कुमार उपाध्याय जी के प्रति श्रद्धाभाव अर्पित करता हूँ। जिन्होंने मेरी हर परिस्थिति में शोध कार्य हेतु सहयोग और उचित मार्गदर्शन किया। तत्पश्चात् डॉ० सन्तशरण एवं श्री गंगेश बाबू के प्रति सहृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मेरे शोध कार्य में अपना महत्वपूर्ण समय और सहयोग दिया।

डॉ० प्रदीप कुमार, डॉ० प्रयाग दत्त पाण्डेय, डॉ० उपेन्द्र नाथ, श्री विजय भाष्कर, श्री दीपेन्द्र पाठक, श्री मुकेश भारती, श्री रवीन्द्र दोहरे (मानवाधिकार विभाग), डॉ० विनीत कुमार, श्री अवधेश कुमार सोनी, श्री अमित बेनीवाल, श्री राहुल मौर्या, (अर्थशास्त्र विभाग), श्री सुधीर कुमार (बायोटेक विज्ञान), श्री चन्द्र शेखर साहिल एवं संतोष कुमार, (इतिहास विभाग) का भी मैं सदैव सहृदय से आभारी रहूँगा।

डॉ० अनिल कुमार, डॉ० जितेन्द्र सिंह, डॉ० सांत्वना पाण्डेय, डॉ० आनन्द सिंह, डॉ० रामबचन कुमार, डॉ० शैफाली सिंह, डॉ० उपेन्द्र कुमार, श्रीमती रंजना उपाध्याय, श्री राजीव प्रजापति, श्री राजीव सागर, श्री अजय कुमार, वीर कुमार राय, इन्दु, मेंहदी, आदित्य, दिनेश, रोहित एवं अन्य सभी राजनीति विज्ञान विभाग के समस्त शोधार्थी मित्रों, जिन्होंने समय-समय पर अपना बहुमूल्य समय और सुझाव दिया। मैं इन सभी का सहृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही कार्यालय में कार्यरत् ब्रजेश तिवारी, आशीष पाण्डेय, विशाल सिंह और दिग्विजय यादव के प्रति भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ।

शोध हेतु डाटा एवं तथ्य संकलित करने हेतु बस्ती जनपद के ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक तथा शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक, आई०आई०पी०ए० एवं त्रिमूर्ति पुस्तकालय नई दिल्ली, गोविन्द वल्लभ पंत, सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, झूंसी इलाहाबाद, गिरि इंस्टीट्यूट पुस्तकालय लखनऊ, एवं बी०बी०ए०यू० केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति मैं सहृदय आभार प्रकट करता हूँ। जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु सहयोग प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी आभारी हूँ, जिसके द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति जूनियर व सीनियर रिसर्च फेलोशिप के कारण आर्थिक मदद प्राप्त हुई, जिससे मेरा शोध कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सका।

शोधार्थी के इस शोध कार्य को पूर्ण कराने में जय हनुमान फोटोस्टेट (श्री रामनाथ जी) का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। इसके साथ श्रवण कुमार का भी पूर्ण सहयोग रहा। जिन्होंने दिन-रात एक कर इस पांडुलिपि को टाइप करके मूर्त रूप प्रदान किया। मैं इनका सदैव सहृदय से आभारी रहूँगा। मैं उन सभी का आभारी हूँ जिनके लेखों और साहित्य का मैंने अपना शोध कार्य पूर्ण करने लिए उपयोग किया है।

अंततः सभी विद्वतजनों, गुरुजनों व मित्रों एवं सगे सम्बन्धियों के प्रति मैं पुनः श्रद्धाभाव प्रकट करता हूँ। जिनके असीम सहयोग एवं आशीर्वाद से मैं इस शोध कार्य को पूर्ण कर पाया। पांडुलिपि में मौजूद त्रुटियों के लिए मैं गुरुजनों एवं विद्वतजनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उन सभी सहयोग करने वालों का क्षमा प्रार्थी हूँ, जिनका नाम भूलवश मैं यहाँ अंकित नहीं कर सका हूँ।

— अभय सिंह

विषय-सूची

| क्र०सं० | विवरण | पृष्ठ सं० |
|---------|---|-----------|
| 1. | अध्याय – प्रथम प्रस्तावना | 1-31 |
| 1.0 | परिचय | 1 |
| 1.1 | भारत में खाद्य सुरक्षा : एक अवलोकन | 3 |
| 1.2 | ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | 13 |
| 1.3 | समस्या की गम्भीरता | 20 |
| 1.4 | साहित्य की पुनर्समीक्षा | 22 |
| 1.5 | शोध प्रश्न | 27 |
| 1.6 | अध्ययन का उद्देश्य | 27 |
| 1.7 | अध्ययन की उपकल्पना | 28 |
| 1.8 | शोध विधि, परिवर्त्यों, उपकरणों आदि का उल्लेख | 28 |
| 1.9 | अध्ययन क्षेत्र | 29 |
| 2. | अध्याय –द्वितीय | |
| 2.0 | खाद्य सुरक्षा : एक आलोचनात्मक समीक्षा (प्रथम भाग) | 32-60 |
| 2.1 | खाद्य सुरक्षा के संवैधानिक प्रावधान व चलाई गयी योजनाएँ | 33-38 |
| | (1) गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम | 35 |
| | (2) अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के लिए अनाज आपूर्ति कार्यक्रम | 35 |
| | (3) कल्याणकारी संस्थाओं के लिए प्रावधान | 35 |
| | (4) आपात आहार कार्यक्रम | 35 |
| | (5) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 35 |
| | (6) अन्त्योदय अन्य योजना | 36 |
| | (7) अन्नपूर्णा योजना | 36 |
| | (8) मिड डे मील कार्यक्रम | 36 |
| | (9) ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम | 36 |
| | (10) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून | 37 |
| | (द्वितीय भाग) | |
| 2.2 | खाद्य सुरक्षा के मुद्दे व साहित्य पर सिंहावलोकन | 38 |

| | | |
|-----|---|-------|
| | (i) खाद्य सुरक्षा और ऐतिहासिक मूल्यांकन। | 38 |
| | (ii) खाद्य सुरक्षा और जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न मांग परियोजना और प्रति व्यक्ति आय। | 39 |
| | (iii) खाद्य सुरक्षा और गरीबी की मापक क्षमता। | 40 |
| | (iv) खाद्य सुरक्षा और भुखमरी तथा अकाल के प्रश्न। | 41 |
| | (v) खाद्य सुरक्षा गरीबी और बेरोजगारो। | 43 |
| | (vi) खाद्य सुरक्षा और फसल उत्पादन के ढांचे में सम्बन्ध व संरचनात्मक समायोजन। | 43 |
| | (तृतीय भाग) | |
| 2.3 | खाद्य सुरक्षा के प्रबन्धन व मुद्दों तथा गरीब लोगों के लिए बनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विचार-विमर्श | 45 |
| | (i) विकास, कामकाज, कवरेज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभाव। | 46 |
| | (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन पहलू। | 47 |
| | (iii) खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन। | 47 |
| | (iv) गरीबी के स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों का प्रभाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली। | 48 |
| | (v) लागत लाभ का तुलनात्मक विश्लेषण व सार्वजनिक वितरण प्रणाली। | 48 |
| | (vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कल्याणकारी पहलू। | 49 |
| | (vii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वितरण की निष्पक्षता का प्रभाव। | 49 |
| | (viii) खुली बाजार व्यवस्था में लीकेज (छेद) व सार्वजनिक वितरण प्रणाली। | 50 |
| | (ix) अन्तर्राज्यीय विभिन्नता व सार्वजनिक वितरण प्रणाली। | 50 |
| | (x) खाद्य सब्सिडी सम्बन्धी मुद्दे व सार्वजनिक वितरण प्रणाली। | 51 |
| | (xi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शहरी पूर्वाग्रह। | 51 |
| | (xii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। | 52 |
| | (xiii) सार्वभौमिक बनाम लक्षित स्थानान्तरण। | 52 |
| 2.4 | उत्तर आर्थिक उदारवाद के बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या। | 53-60 |
| 3. | अध्याय-तृतीय | |
| 3.1 | खाद्य सुरक्षा और भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 61-90 |
| | 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अवधारणा और | 62 |

| | | |
|------|---|--------|
| | परिभाषा। | |
| | 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास। | 63 |
| | 3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उससे सम्बन्धित चलायी गई योजनाएं। | 68 |
| | 4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विशेषता/सुविधाएं। | 71 |
| | 5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबन्धन। | 72 |
| | 6. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संगठनात्मक आकार। | 73 |
| | 7. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कवरेज। | 74 |
| | (i) नीति निर्माण (ii) अधिप्राप्ति (iii) वितरण (iv) रिटेलिंग | |
| | 8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन। | 78 |
| 3.2 | शान्ता कुमार समिति की प्रमुख सिफारिशें | 88 |
| 4. | अध्याय— चतुर्थ | |
| 4.0 | उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून व सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 91-136 |
| 4.1 | उत्तर प्रदेश : एक परिचय | 91 |
| 4.2 | उत्तर आर्थिक उदारवाद के बाद उत्तर प्रदेश में दी जाने वाली खाद्य सुरक्षा व सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 101 |
| 4.3 | उत्तर प्रदेश में कुपोषण की स्थिति | 109 |
| 4.4 | कुपोषित बच्चों को मिलने वाली खाद्य सुरक्षा | 110 |
| 4.5 | मिड डे मील व खाद्य सुरक्षा योजना | 111 |
| 4.6 | आंगनबाड़ी केन्द्र व बाल विकास पुष्टाहार योजना | 113 |
| 4.7 | सर्वाधिक प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र | 114 |
| 4.8 | उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून व सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 116 |
| 4.9 | खाद्य सुरक्षा सर्वे फार्म के प्रमुख बिन्दु | 117 |
| 4.10 | खाद्य सुरक्षा के क्या - क्या लाभ हैं | 118 |
| 4.11 | उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन व ढांचा | 118 |
| 4.12 | सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना रिपोर्ट 2011 | 119 |
| 4.13 | उ0 प्र0 राज्य खाद्य आयोग के गठन का निर्णय | 125 |
| 4.14 | खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डों की पहचान | 127 |
| 4.15 | मुहर का प्रारूप | 128 |
| 4.16 | इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल (ई-पोस) मशीन रखेगी राशन वितरण का हिसाब | 135 |

| | | |
|------|---|---------|
| 5. | अध्याय— पंचम | |
| 5.0 | बस्ती जनपद में खाद्य सुरक्षा और सर्वजनिक वितरण प्रणाली | 137–193 |
| 5.1 | सामान्य परिचय— | 137 |
| 5.2 | भूगोल स्थिति और सीमा, जलवायु एवं नदियाँ, वर्षा तापमान आर्द्रता हवाएँ नदियाँ/सहायक नदियाँ | 137–193 |
| 5.3 | जनसांख्यिकी, बस्ती जिले में बच्चों की जनसंख्या : 2011 | 139–141 |
| 5.4 | बस्ती जिला शहरी और ग्रामीण वर्ष : 2011 | 142 |
| 5.5 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम : 2013 की उत्तर प्रदेश में पात्रता सूची | 148 |
| 5.6 | ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की पात्रता सूची | 148 |
| 5.7 | शोध प्रविधि | 149 |
| 5.8 | तथ्यों का स्रोत : प्राथमिक स्रोत व द्वितीयक स्रोत | 149–150 |
| 5.9 | प्रतिदर्श | 150 |
| 5.10 | वैयक्तिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि | 156 |
| 5.11 | निर्धनता : मुद्दे और चिंताएँ | 158 |
| 5.12 | खाद्य सुरक्षा : प्रकृति और आयाम | 164 |
| 5.13 | सरकारी योजनाएँ और विकास का स्तर | 179 |
| 5.14 | अवलोकन एवं विमर्श | 188 |
| 6. | अध्याय— षष्ठम् | |
| 6.0 | निष्कर्ष एवं सुझाव | 194–206 |
| | सन्दर्भ—सूची | I-XX |
| | परिशिष्ट | i-xxxix |
| | साक्षात्कार अनुसूची | i-v |

तालिका – सूची

| क. सं० | विवरण | पृष्ठ सं० |
|-----------|--|-----------|
| 1. | तालिका, बार ग्राफ, एक्सेल चार्ट व मानचित्र | |
| 2. | तालिका – (3.1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ व बिकास क्रम | 64–65 |
| | तालिका – (4.1) लक्षित वितरण प्रणाली में संचालित योजनाएँ | 105 |
| | तालिका – (4.2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित योजनायें : एक दृष्टि में | 107 |
| | तालिका – (4.3) खाद्य सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले | 109 |
| | तालिका – (5.1) बस्ती जिला की जनसंख्या 2011 की जनगणना में (बस्ती उ०प्र० की) साक्षरता, लिंग अनुपात और जन घनत्व | 140 |
| | तालिका – (5.2) बस्ती जनपद में धर्म के अनुसार आंकड़ा : 2011 जनगणना | 141 |
| | तालिका – (5.3) बस्ती जिले में ग्रामीण व शहरी जनगणना : 2011 | 143 |
| | तालिका – (5.4) बस्ती जनपद के ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के राशन कार्ड धारकों की सूची | 145 |
| | तालिका – (5.5) बस्ती जनपद के शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के राशन कार्ड धारकों की सूची | 145 |
| | तालिका – (5.6) बस्ती जनपद में सैम्पल लिए गए ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक का जातिगत विवरण व राशन कार्ड धारकों की सूची (2 ग्राम सभा में) | 146 |
| | | 147 |

| | |
|--|---------|
| तालिका – (5.7) बस्ती जनपद में सैम्पल लिए गए शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक का जातिगत विवरण व राशन कार्ड धारकों की सूची (2 गाँव/2 टाउन क्षेत्र) | 151 |
| तालिका – (5.8) सैम्पल लिये गये ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभा के बीपीएल, अंत्योदय व एपीएल का जातिगत विवरण | 152 |
| तालिका – (5.9) सैम्पल लिये गये शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के दोनों टाउन क्षेत्रों के बीपीएल, अंत्योदय व एपीएल का जातिगत विवरण | 154 |
| तालिका – 5.10 साक्षात्कार कुल – 400 लाभार्थी | |
| तालिका – (5.11) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची – 10 अगस्त 2016 | 155–156 |
| तालिका – (5.12) आपके घर का मुखिया कौन है ? | 156 |
| तालिका – (5.13) आपके मकान का स्वरूप क्या है ? | 158 |
| तालिका – (5.14) मकान में उपलब्ध सुविधायें – | 159 |
| तालिका – (5.15) घर में पेयजल का स्रोत क्या है ? | 160 |
| तालिका – (5.16) आपके मकान में उपलब्ध संसाधन कौन से है ? | 161 |
| तालिका – (5.17) क्या आपके घर में बिजली है ? | 162 |
| तालिका – (5.18) आपके घर में खाना पकाने के ईंधन क्या-क्या है ? | 162 |
| तालिका – (5.19) क्या आप खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में जानते हैं ? अथवा क्या आपके पास राशन कार्ड है? | 164 |
| | 166 |
| | 167 |

| | |
|---|-----|
| तालिका – (5.20) यदि हाँ तो कौन सा राशन कार्ड है ? | |
| तालिका – (5.21) क्या राशन कार्ड से मिलने वाली चीजें आपके परिवार के लिए पर्याप्त हैं ? | 169 |
| तालिका – (5.22) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपभोग किए जाने वाले खाद्य वस्तुओं पर खर्च (औसत) एक महीने में | 171 |
| तालिका – (5.23) यदि आप खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर हैं तो कृषि योग्य भूमि (जमीन) में कौन – कौन सी फसल उगाते हैं ? इसका एक औसत। | 172 |
| तालिका – (5.24) क्या आपका परिवार एक साथ खाना खाता है ? | 174 |
| तालिका – (5.25) यदि आपका परिवार एक साथ खाना नहीं खाता तो पहले कौन खाता है ? | 176 |
| तालिका – (5.26) यदि खाना कम पड़ जाता है तो क्या आपके परिवार में दुबारा खाना पकाया जाता है ? | 177 |
| तालिका – (5.27) आपके परिवार में भोजन का स्तर क्या है ? | 178 |
| तालिका – (5.28) आपके परिवार में प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुएँ – | 180 |
| तालिका – (5.29) आप या आपके परिवार को किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है ? | 182 |
| तालिका – (5.30) किसी योजना की प्राप्ति के लिए सुविधा शुल्क या घूस देना पड़ा है ? | 183 |
| तालिका – (5.31) क्या विकास योजनाओं के बँटवारे में गाँव/टाउन के प्रभुत्वशाली व्यक्ति या गुट का हस्तक्षेप रहता है? | 185 |
| तालिका – (5.32) आपके मतानुसार सरकारी विकास योजनाओं से पात्रों को कितना लाभ मिला है ? | 186 |
| तालिका – (5.33) यदि पात्र व्यक्तियों को विकास योजनाओं का | |

| | | |
|-----|--|---------|
| | लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके क्या कारण है ? | |
| | Chart-1: Actual stocks of grains (as on July 1st) with public agencies vis-a-vis Buffer stock norms | 39 |
| 3. | साक्षात्कार अनुसूचियों पर आधारित बार चार्ट | 156–187 |
| 4. | मानचित्र | |
| 4a. | उत्तर प्रदेश का मानचित्र | 92 |
| 5a. | बस्ती जनपद का मानचित्र | 138 |

शब्द—संक्षेप सूची

| | |
|--------------|--|
| पी०डी०एस० | पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम |
| टी०पी०डी०एस० | टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम |
| बी०पी०एल० | बिलो पावर्टी लाइन |
| ए०पी०एल० | एबभ पावर्टी लाइन |
| एफ०पी०एस० | फेयर प्राइस शॉप |
| एम०एस०पी० | मिनिमम सपोर्ट प्राइस |
| आई०सी०डी०एस० | इण्टीग्रेटेड चाइल्ड डेवलेपमेंट प्रोग्राम |
| एफ०सी०आई० | फूड कारपोरेशन आफ इंडिया |
| एम०डी०एम० | मिड डे मील |
| आई०आर०डी०पी० | इण्टीग्रेटेड रूरल डेवलेपमेंट प्रोग्राम |
| पी०यू०सी०एल० | पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज |
| एफ०ए०ओ० | फूड एन्ड एग्रीकल्चर अर्गनाइजेशन |
| एन०एस०एस०ओ० | नेशनल सैंपल सर्वे अर्गनाइजेशन |
| एफ०पी०एस० | फूड प्रोवाइड सिस्टम |
| बी०ए०सी०पी० | बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्राइश कमीशन |
| ए०पी०सी० | एग्रीकल्चर प्राइश कमीशन |
| जे०आर०वाई० | जवाहर रोजगार योजना |
| एन०एफ०एस०ए० | नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट |
| बी०एल०ओ० | बूथ लेवल आफिसर |
| पी०ओ०एस० | पी०डी०एस० आपरेटिंग सिस्टम |
| एस०एफ०सी० | स्टेट फूड कारपोरेशन |
| ई०पोस | इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल |

अध्याय—1

प्रस्तावना

1.0 परिचय (Introduction) :-

रोटी कपड़ा और मकान प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं में से एक है। कम कपड़े और छत के बिना व्यक्ति का जीवन जीना सम्भव है, परन्तु भोजन के बिना जीवन जीना मुमकिन नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति रोटी के लिए कठोर मेहनत करते ही हैं, साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारी प्रयास और व्यक्ति की मेहनत के बाद भी आम लोगों तक पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसका प्रमुख कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि है। पर्याप्त भोजन उपलब्ध न हो पाने के कारण समाज में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण जैसी गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं। पौष्टिक आहार के अभाव में बच्चों का कम वजन तथा गर्भवती महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब जनता को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता तब उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास बाधित होने लगता है और वे अनेक प्रकार की सामाजिक-आर्थिक बिसंगतियों के शिकार होने लगते हैं।¹

भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मानव बिना कुछ खाए ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए लोक कल्याणकारी सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने देश की सीमाओं के भीतर निवास कर रहे लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराए। इस दिशा में स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में भी प्रयास किये गए। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जानकारी के अभाव में जरूरतमन्द लोगों के लिए सरकार द्वारा चलायी गई योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ वे नहीं ले पाते हैं और किसी तरह से आभाव ग्रस्त जीवन जीने को मजबूर होते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि एक सशक्त लोकतंत्र में सूचनाओं का प्रसार सही समय और समुचित ढंग से हो, जिससे समाज में सबसे नीचे गुजर-बसर कर रहे लोगों को फायदा मिले तथा वे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर देखने को मिलती हैं। अतः ग्रामीण उपभोक्ताओं तक विभिन्न योजनाओं की जानकारी सही समय पर पहुँचे, इस दिशा में भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।²

1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था 'आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता' (सं. रा. 1975)।

अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुँच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ-साथ उन वस्तुओं से है, जिनका उत्पादन और

¹ टेकाम, डॉ० केशव एवं दहायत, तुलसीराम "अब नहीं रहेगा कोई भूखा" कुरुक्षेत्र, खाद्य सुरक्षा विशेषांक, नवम्बर 2013, पेज-7

² चन्द्र, विकास "खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण उपभोक्ता" कुरुक्षेत्र, खाद्य सुरक्षा विशेषांक, नवम्बर 2013, पेज-22

विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार, खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है।³

विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, 1995 में यह घोषणा की गई कि “वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है, जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो” (खाद्य एवं कृषि संगठन 1996, पृष्ठ 3)। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि “खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है।”⁴

1.1 भारत में खाद्य सुरक्षा : एक अवलोकन :-

खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है, तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है।

(i) खाद्य सुरक्षा क्या है?

जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि साँस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र दो जून की रोटी पाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं :

- खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है।
- पहुँच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे।
- सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो।

किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है, जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य-पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा भी नहीं हो।⁵

³ यू.एन. 1975, रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस 1975, रोम यूनाइटेड नेशंस, न्यूयार्क।

⁴ एफ.ए.ओ. 1996, वर्ल्ड फूड समिट 1995, फूड एण्ड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन, रोम।

⁵ देव, एस. महेंद्र, कानन, के.पी. और रामचंद्र, नीरा संपादन 2003, 'टुआर्डस ए फूड सिक्वोर इंडिया: इश्यूज एंड पॉलिसीज, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नयी दिल्ली।

(iii) खाद्य सुरक्षा क्यों ?

समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से उपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं।

(iii) किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है ?

किसी प्रकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊँची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्रों में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था, वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में तीस लाख लोग मारे गए थे।

भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर व उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड जैसे स्थान हैं, जहाँ अकाल जैसी दशाएँ अनेक वर्षों से बनी हुई हैं और ऐसी भी सूचना मिलती है कि वहाँ भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।⁶

(iv) खाद्य-असुरक्षित कौन हैं ?

यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं:— भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा-मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं, जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम-बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं।

⁶ सेन, ए.के., 1983, पॉवर्टी एंड फैमिस : एन ऐसे ऑन इनटार्इटलमेंट एंड डेप्रिवेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों इनमें से निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं व बच्चे प्रभावित होते हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर-क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है।⁷

भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्रा नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रवृत्ति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है, जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है।⁸

(v) स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है :-

वर्ष 1947 से ही खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना सभी राज्य सरकारों के साथ देश का राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस लक्ष्य की चर्चा यह कहकर की थी कि सभी इन्तजार कर सकते हैं, लेकिन खेती नहीं। खाद्य सुरक्षा अब आर्थिक और

⁷ शर्मा, रेखा और मीनाक्षी, जे.वी., 2004, 'माइक्रोन्यूट्रियेंट डिफिसिएन्सीज इन रुरल डाइट्स, टुवार्ड्स हंगर फ्री इंडिया: फ्रॉम विजन टू एक्शन, प्रोसीडिंग्स ऑफ कंसलटेशन ऑन 'टुवार्ड्स हंगर फ्री इंडिया : काउंट डाउन फ्रॉम 2007' नयी दिल्ली।

⁸ सागर, विद्या, 2004, फूड सिक्युरिटी इन इंडिया, पेपर प्रजेंटेटेड इन ए.डी.आर.एफ.-आई.एफ.आर.आई. फाइनल मीटिंग ऑन फूड सिक्युरिटी इन इंडिया, सितंबर 10-11, नयी दिल्ली।

सामाजिक रूप से संतुलित आहार प्राप्त कर सकने पेयजल की उपलब्धता, पर्यावरणीय सुरक्षा व प्रारम्भिक स्वास्थ्य चर्चा के रूप में परिभाषित की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नीति-निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नयी रणनीति अपनाई, जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई, 1968 में 'गेहूँ, क्रांति' शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूँ की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल, अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि-दर दर्ज की गई, जहा अनाजों का उत्पादन 1964-65 के 72.3 लाख टन की तुलना में बढ़कर 1995-96 में 3.03 करोड़ टन पर पहुँच गया, जो अब तक का सर्वाधिक उँचा रिकार्ड था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादन का स्तर पिछड़ता रहा। दूसरी तरफ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

दुर्भाग्य की बात यह है कि अनेक सरकारी योजनाओं के बावजूद हमारे देश में व्यापक रूप से कुपोषण फैला है। बच्चे व गर्भवती महिलाएं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमने उद्योगों और आर्थिक विकास दर के मामले में चाहे जितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन भूख मिटाने और कुपोषण के मामले में हमारी ख्याति अच्छी नहीं है। संसद द्वारा पारित कानूनों के जरिये हमें शिक्षा, सूचना और रोजगार क्षेत्रों में अधिकार मिले हुए हैं। इस समय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 लागू हो जाने पर प्रत्येक नागरिक को भोजन पाने का अधिकार मिल जायेगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए।

सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं, जो इन मुद्दों का समाधान जुटाती हैं। राजीव गांधी पेयजल मिशन, समग्र सफाई कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व आंगनवाणी केन्द्रों द्वारा संचालित योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि जो भी खाया जाय, वह शरीर को शक्ति दे। अनेक रोजगार योजनाओं में मनरेगा आदि के द्वारा गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी के साथ जरूरी न्यूनतम क्रय शक्ति उपलब्ध कराने का भी एक सशक्त माध्यम है। हमारी लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है और उनकी जीविका का प्रमुख साधन फसलें उगाना, पशुपालन, मछली पालन, कृषि वानिकी व खेती आधारित उद्योग ही है। इसलिए हमारे देश की खेती खाद्यान्न उत्पादन का साध्य नहीं बल्कि अधिकांश जनसंख्या के लिए जीविका का साधन भी है। यही कारण है कि हमें अपने ही उपजाए अनाज के आधार पर खाद्य सुरक्षा विकसित करने की जरूरत है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए अनाज आयात करने के वही कुप्रभाव होंगे जो बेरोजगारी आयात करने से हो सकते हैं और इसके कारण कृषि संबंधी हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।⁹

⁹ रावत, डॉ० गजेन्द्र कुमार, "खाद्य सुरक्षा संरक्षण के प्रयास", कुरुक्षेत्र, खाद्य सुरक्षा विशेषांक, नवम्बर, 2013, पेज (28-29)

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत देश में अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1939-42 के दौरान की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अर्थशास्त्री सर ग्रेगरी ने अनाज की कमी से निपटने के लिए यह योजना बनाई थी। बहुतायत में अनाज पैदा करने वाले जैसे— पंजाब, हरियाणा, उ०प्र० आदि से अनाज की कमी वाले राज्यों तक राशन पहुंचाने और उसके वितरण की उचित व्यवस्था की जाए। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत में “डिफेंस इंडिया रूल” नामक कानून के तहत लागू किया था।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ० कमल नयन काबरा के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आजादी के बाद आवश्यकतानुसार कई बार फेरबदल किया गया। अनाज व्यापारियों की लाबिंग के चलते इस प्रणाली को समाप्त करने अथवा देश में जरूरतमंद न होने की भी कई बार बयार (हवा) चली, लेकिन अन्ततः अनाज की मांग और उसकी स्थानीय पैदावार के फासले (गैप) को पाटने के लिए सरकार को अनाज का न सिर्फ आयात करना पड़ा अपितु उसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसी न किसी रूप में जिंदा भी रखना पड़ा। उनके अनुसार रासायनिक खाद, संकर बीजों तथा कीटनाशकों के उपयोग के कारण अनाज महंगा पड़ता था। इसलिए गरीबों को अनाज रियायती दाम पर देने तथा अनाज की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए **वैंकटापैया समिति** ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा इसे संस्थागत स्वरूप देने की सिफारिश भी की थी। उनकी सिफारिशों के अनुसार ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज अपने वर्तमान में विद्यमान है।¹⁰

भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में लगभग 51 मिलियन टन था, जो 1970-71 में हरित क्रान्ति के बाद बढ़कर लगभग 108.4 मिलियन टन तथा वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग 257 मिलियन टन हो गया। गेहूँ का उत्पादन 1950-51 में लगभग 65 मिलियन टन था जो 2011-12 बढ़कर लगभग 93.9 मिलियन टन हो गया। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता 1950-51 में लगभग 394.99 ग्राम प्रतिदिन थी, जो बढ़कर 2011 में लगभग 462.9 ग्राम प्रतिदिन हो गई।

प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई को बफर स्टॉक नियमों के तहत चावल और गेहूँ का स्टॉक लगभग 31.9 मिलियन टन होना चाहिए। एक जुलाई 2012 को गेहूँ व चावल का स्टॉक लगभग 80.5 मिलियन टन था। एक अप्रैल, 2013 तक सेन्ट्रल पूल स्टॉक लगभग 59.7 मिलियन टन हो गया था। बफर स्टॉक के उच्च स्तर के कारण जहां खाद्यान्नों के रख रखाव में व्यय अधिक होता है। वहीं अनाज के बर्बाद होने की जोखिम भी अधिक होता है। फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया इस समय भण्डारण क्षमता की समस्या से जूझ रहा है, जहां लगभग 45 मिलियन टन भण्डारण की क्षमता उपलब्ध है और स्टॉक में लगभग 80 मिलियन टन अनाज उपलब्ध है।¹¹

¹⁰ कुरुक्षेत्र, खाद्य सुरक्षा विशेषांक, नवम्बर-2013, पेज (8-9)

¹¹ कुरुक्षेत्र, खाद्य सुरक्षा विशेषांक, नवम्बर-2013, पेज (8-9)

1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिकने वाले अनाज और चीनी के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी और उस मद में दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती के कारण धीरे-धीरे लोगों की दिलचस्पी इसमें घटती जा रही है। जबकि अनाज पर सब्सिडी यानि सरकारी खर्च पिछले 10 साल से लगाता बढ़ता जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण के बाद यह बढ़कर 1991-92 में 2850 करोण रूपये कर दी गई थी।

वर्ष 1994-95 के दौरान देश के 1700 ऐसे अत्यन्त पिछड़े ब्लाकों को चुना गया था, जो दूदराज और दुर्गम इलाकों में स्थित थे। इन ब्लाकों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गयी थी। जिसके अन्तर्गत आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए निर्धारित अनाज के दाम के मुकाबले आधे से भी कम दाम पर अनाज मुहैया कराया जा रहा है, इसकी संख्या 10 करोण से भी ज्यादा है।


जून 1997 में गरीबों के लिए इस योजना को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) नाम दिया गया। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बहुत ही रियायती दरों पर अनाज के वितरण की व्यवस्था की गई थी। इसका लक्ष्य साढ़े छह करोण अत्यन्त गरीब परिवारों के प्रति माह 25 किलो अनाज प्रति परिवार उपलब्ध कराना था। इसके अन्तर्गत अंत्योदय परिवार भी शामिल था। गरीबी रेखा से नीचे निर्धारित परिवारों के लिए अनाज की खरीद और उसके रखरखाव की लागत के औसत पर आधारित मूल्य से आधा तय किया गया था। भारतीय खाद्य निगम अनाज का दाम तय करता है। लगभग 10 साल पहले राशन की दुकानों से ही अनाज खरीद कर खाने वाले मध्यवर्गीय लोगों के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज पर सब्सिडी देनी बन्द कर दी थी। जिसके फलस्वरूप राशन की दुकानों पर अनाज की खपत बहुत घट गई है। 1991-92 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1 करोड़ तीन लाख टन गेहूँ में से 88.3 लाख टन गेहूँ और कुल आवंटित 1.14 करोड़ टन चावल में से करीब 1 करोड़ टन चावल की खपत हुई थी। यह मात्रा कुल आवंटित गेहूँ की 86 प्रतिशत व चावल की 90 प्रतिशत थी।

आर्थिक गतिविधियों के खगोलीकरण और उदारीकरण के इस युग में बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था का बोलबाला है और सामाजिक कल्याण एवं समता स्थापित करने वाले कार्यक्रमों पर खर्च होने वाली राशि को लेकर भी अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को निर्विवाद बनायें रखना और भी आवश्यक है। इस व्यवस्था की उपयोगिता का आकलन देश की निरन्तर बढ़ रही जनसंख्या के सन्दर्भ में भी किया जाना आवश्यक है। भारत की वर्तमान सालाना जनसंख्या वृद्धि दर घटने के बावजूद बढ़ रही है।

21वीं सदी हेतु खाद्य सुरक्षा चक्र मॉडल

खाद्य सुरक्षा सूत्र:-

खाद्य उपलब्धता हेतु टिकाऊ उत्पादन एवं टिकाऊ उपभोग की आवश्यकता



भारत की 121 करोड़ की आबादी से बढ़कर 2025 में 146 करोड़ चीन को पछाड़कर नं0 1 पर हो जायेगी। इनमें से आधी आबादी तो अकेले ही बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा द्वारा ही बढ़ाए जाने के आसार हैं। जनसंख्या में इस रफ्तार से हुई बढोत्तरी (1.78 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर) के कारण सभी के पेट भरने के लिए भारत में काफी अधिक अनाज की आवश्यकता होगी। अनाज की बढ़ती मांग जरूरत के कारण देश में नए सिरे से सतत् समगतिशील दूसरी हरित क्रान्ति लाने की आवश्यकता है।

बहुत सारे गतिरोधों और अन्तर्विरोधों के बावजूद आज भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत जैसे विराट आबादी (121 करोड़) वाले देश में जो संख्या वर्ष 2025 में 146 करोड़ होगी। गरीबी, भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं व अशिक्षा से लड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। आज के वंचित व गरीब तबके को कल का मध्य वर्ग बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून से संरक्षित कर लाठी का सहारा देना ही होगा। देश में वर्ष 2010-11 से अब तक खाद्यान्न उत्पादन 241.56 मिलियन टन हुआ जो कभी 1950-51 में मात्र 50 मिलियन टन ही था। अर्थात् 5 गुनी वृद्धि से खाद्यान्न वितरण में काफी मदद मिलेगी। जिस हेतु नए खाद्य सुरक्षा मॉडल को अपनाना होगा तभी इस खाद्य वितरण समस्या का निदान सम्भव होगा।¹²

¹² सिन्हा, श्रुति, "सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रासंगिकता" प्रतियोगिता दर्पण, मार्च 2012, पेज 1485-86

उत्तर प्रदेश की 63 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती पर ही निर्भर है। बढ़ती आबादी के मद्दे नजर कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत से अधिक बनाए रखना जरूरी है। कृषि उत्पादकता की दौड़ में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से मिल रही चुनौती को भी ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली जरूरत खेती योग्यभूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने की है। प्रदेश में 242.01 लाख हेक्टेयर भूमि में से मात्र 168.25 लाख हेक्टेयर ही उपजाऊ और 70 प्रतिशत क्षेत्रफल ही सिंचित है। दूसरी वही चुनौती कृषि जोत का आकार लगातार घटने से उनका अलाभकारी होते जाना भी है। किसानों के औसत जोत का आकार 0.86 हेक्टेयर है। छोटी जोत को लाभकारी बनाने को सिंचाई व जल-प्रबंधन, मृदा, स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज-प्रबंधन, विपणन, मशीनीकरण व शोध और कृषि विविधीकरण पर विशेष बल देना होगा।

विश्व में लोगों के लिए पर्याप्त भोजन है। पिछले 50 वर्षों में वैश्विक उत्पादन वृद्धि की तुलना में जनसंख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि काफी तेजी से हुई है। सभी देशों को अपनी जरूरत का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है और वह इतना है कि अगर वे अनाज उत्पन्न नहीं कर पाते तो दूसरे देश से आयात कर सकते हैं। फिर भी बहुतायत कई गरीब देशों और गरीब लोगों में लाखों व सैकड़ों लोग इसमें हिस्सा नहीं हैं। वे भी खाद्य सुरक्षा की कमी से ग्रस्त हैं। इसका मुख्य कारण उनकी क्रय क्षमता की कमी है।¹³

दुनिया के कुल अनाज उत्पादन का यदि एक समान रूप से वितरण किया जाए तो भी अनाज कि किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की ही उपलब्धता होगी। यह न्यूनतम आवश्यकता दो बार की रोज है। हालांकि वितरण असमान होने से 13-18 मिलियन लोग हर वर्ष भूख से मरते हैं। खाद्यान्न मोर्चे पर यह गिरावट कई देशों के लिए विशिष्ट है। कई तीसरी दुनिया के सरकारों के प्रयासों के बावजूद आर्थिक वृद्धि कमजोर पड़ गई है तथा गरीबों व भूखे लोगों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण आय के असमान वितरण की तेजी से उभरी विकृति ही है।¹⁴

वर्ष 2000 में बड़े पैमाने पर दुनिया भर में 6 अरब लोगों में से एक अनुमान के अनुसार 1.2 अरब लोगों की दो तिहाई संख्या अभी भी भूख, गरीबी और कुपोषण से पीड़ित है। इन परिवारों में भारत, पाकिस्तान व बंगलादेश आदि शामिल हैं, जो दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहते हैं।¹⁵

भूखमरी, सूखा, आपदा और कलह की इन पहलुओं से निपटने के लिए खाद्य सहायता और इसी तरह के अन्य जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन भूख से निपटने के लिए तत्काल राहत देना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। जबकि भूख की जड़ें एक-एक करके संरचनात्मक कारक गरीबी से जुड़ी हैं। गरीबी बढ़ने

¹³ "पावर्टी एण्ड हंगर"— इश्यूज एण्ड आप्शन्स फॉर फूड सिक्योरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज", वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डी0सी0, यू0 एस0 ए0।

¹⁴ राव, वी0 एम0 (1997) : "हाऊ सिक्योर इज फूड सिक्योरिटी", ई0पी0डब्लू0, नवम्बर-8, पेज (1100-1101)

¹⁵ ब्रम्हा, एच0 एस0 (2000) : "फूड सिक्योरिटी इन इण्डिया—द इमरजिंग चैलेंजेज इन द कान्टेक्सट आफ इकोनामिक लिवरलाइजेशन", पेपर प्रजेण्टेड एट द सेमिनार अर्गनाइज्ड बाई, सी0ई0एस0एस0 एण्ड आई0एच0डी0, पेज-18

का मुख्य कारण खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। इसका मुख्य कारण है लोगों के लिए अनाज क्रय क्षमता का न होना। अतः भूख पर काबू पाने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक व पूरक कदम उठाया जाना भी जरूरी है।¹⁶

सामान्यतः भारत के मामले में जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को भोजन की पर्याप्त मात्रा दिया जाना सम्भव नहीं है। जहां पर भूख और कुपोषण से काफी लोग पीड़ित हैं, तथा देश के हर क्षेत्र में इससे लोग मर रहे हैं। वहां पर 1950 के दशक के बाद प्रति वर्ष औसत खपत में कमी हो रही है। भारत सरकार के सांख्यिकीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार (योजना आयोग की एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट) भारतीयों का लगभग 36 प्रतिशत अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। गणितीय रूप से 32 करोड़ भारतीय जनसंख्या या तो दिन में एक बार या दो दिन में एक बार ही भोजन कर पाते हैं। यानि कि भोजन की पर्याप्त पहुंच ही नहीं है। जितना कि सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। फिर भी ज्यां द्रेज व अमर्त्य सेन के अनुसार सरकारों के हस्तक्षेप व बड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से इस दिशा में काफी सफलता भी मिली है। जबकि स्वतंत्र भारत में अकाल व भुखमरी की समस्या अभी भी बड़े पैमाने पर व्याप्त है।¹⁷

गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा में मजबूती से सुधार के लिए यह काफी हद तक खाद्यान्न से सम्बंधित नीति नियन्त्राओं द्वारा लागू किए गए सब्सिडी व्यवस्था, मूल्यों, रोजगार कार्यक्रमों व लागू किए गए योजनाओं में भी सुधार आवश्यक है।¹⁸

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को परिभाषित करती है। अपने जीवन के लिये हर किसी को निर्धारित पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि भोजन की जरूरत नियत समय पर पूरी हो। इसका एक पक्ष यह भी है कि आने वाले समय की अनिश्चितता को देखते हुये हमारे भण्डारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज सुरक्षित हों, जिसे जरूरत पड़ने पर तत्काल जरूरतमंद लोगों तक सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाये। हाल के अनुभवों ने सिखाया है कि राज्य के अनाज गोदाम इसलिये भरे हुए नहीं होना चाहिए कि लोग उसे खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक सुरक्षा के नजरिये से अनाज आपूर्ति की सुनियोजित व्यवस्था होना चाहिए। यदि समाज की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी तो लोग अन्य रचनात्मक प्रक्रियाओं में वे अपनी भूमिका निभा पायेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार का दायित्व है कि बेहतर उत्पादन का वातावरण बनाये और खाद्यान्न के बाजार मूल्यों को समुदाय के हितों के अनुरूप बनाये रखे। इस स्थिति को हासिल करने के लिये उत्पादन व्यवस्था को बाजार के बजाये समाज के प्रति जवाबदेय बनाने की जरूरत है। इसके बिना भुखमरी से मुक्ति और खाद्य सुरक्षा की स्थिति को पा पाना संभव नहीं है।

भारत में मौजूदा सभी सुरक्षा तंत्र के कल्याणकारी कार्यक्रमों में गरीबों के कवरेज के लिए सब्सिडी युक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही प्रमुख माध्यम है। इस शोध प्रबन्ध में खाद्य सुरक्षा की एक-एक करके तुलनात्मक समीक्षा की गई है तथा इसके लिए

¹⁶ राव, वी0 एम0 (1997) : "हाऊ सिक्योर इज फूड सिक्योरिटी", ई0पी0डब्लू0, नवम्बर-8, पेज (1107)

¹⁷ प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट-2000

¹⁸ द्रेज ज्यां, एण्ड सेन, अमर्त्य (1989) : "हंगर एण्ड पब्लिक एक्सन" आक्फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसके प्रबंधन से सम्बन्धित सभी मुद्दों, विफलताओं तथा सुधारों की गुजांइश का अध्ययन साहित्य की समीक्षा के आधार पर किया गया है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहां अधिकांश आबादी (65–70 प्रतिशत) गाँवों में निवास करती है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है तथा अधिकांश लोग गरीब हैं। देश में किसान को अन्नदाता की संज्ञा दी जाती है जबकि उनमें से अधिकांश लोग भुखमरी (कारण—अकाल सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, कर्ज, चक्रवात भूकम्प और भूस्खलन आदि) के कारण पेट भर भोजन पाने के लिए परेशान हैं। स्वतंत्रता के 70 वर्ष बीतने के बाद आज भी देश के हर राज्य में भूख से होने वाली मौतें चिन्ता का प्रमुख कारण बनी हुई हैं।

भारत के भण्डार गृहों में भरे अनाज के बम्पर स्टॉक के कारण देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी यह टिप्पणी करनी पड़ रही है कि सरकार गरीबों में अनाज के वितरण को सुनिश्चित करे। उसे गोदामों में भीगने, सड़ने व नष्ट होने से बचाया जाए। अनाज गोदामों के अभाव और भण्डार गृहों के कुप्रबन्धन के चलते व अनाज सड़ने के बावजूद सरकार उसे भूखे व गरीब लोगों में बांटने को पूरी तरह तैयार नहीं दिखती है।¹⁹

गांधी जी ने 1946 में नोआखाली में कहा था कि “भूखे के लिए रोटी ही भगवान है और स्वतंत्र भारत का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि हर व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकता की रोटी अर्जित कर सके।”²⁰

देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया था “सभी इन्तजार कर सकते हैं लेकिन खेती नहीं।” इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नेहरू जी ने देश में खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता को आवश्यक मानते हुए कहा था कि —“जैसे ही हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तभी हमारे लिए अपनी प्रगति और विकास करना संभव होगा। खाद्य सुरक्षा को प्राप्त किये बिना विकास की कल्पना को साकार करना संभव नहीं है।” इस महत्वपूर्ण तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए देश में **अधिक अन्न उपजाओ, भूमि सुधार कार्यक्रम, चकबन्दी कार्यक्रम व हरित क्रान्ति** जैसे क्रान्तिकारी कदम उठाए गए। इनकी वजह से देश में कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई तथा खाद्य पदार्थों के संदर्भ में देश आत्मनिर्भरता के मार्ग पर प्रशस्त हुआ।

देश में वर्ष 1967–68 में **डॉ० नॉरमन ई० बोरलांग व डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन** के प्रयासों से विशेषकर मोटे अनाज, गेहूँ व धान के मामले में देश आत्मनिर्भर बना। अनाज उत्पादन वर्ष 1950–51 में मात्र 55 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2010–11 में खाद्यान्न उत्पादन 241.56 मिलियन टन (करीब 5 गुना) हुआ।²¹

¹⁹ “अनाज वितरण का आदेश उसकी बरबादी रोकने के लिए,” मंदर, हर्ष, मई, 16, 2011, राष्ट्रीय सहारा, पेज 8.

²⁰ लिमये, मधू: “मनु, गांधी एण्ड अम्बेडकर एण्ड अदर एस्से”, न्यू दिल्ली, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, (1995).

²¹ “खाद्य सुरक्षा : चुनौतियाँ और समाधान”, प्रो० मोदी, के०एम० द्वारा, कुरुक्षेत्र, मार्च, 2012, (विशेषांक), नई दिल्ली, पेज –13, पैरा 0–1

स्वतंत्रता के बाद से आज तक सभी के लिए खाद्य सुरक्षा अब एक राष्ट्रीय उद्देश्य बन चुका है। जहां पहले खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य पेट भर रोटी के संदर्भ में समझा जाता था, किन्तु आज खाद्य सुरक्षा से आशय भौतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों तक पहुँच के अलावा संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के रखरखाव तक जा पहुँचा है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन अनाज की आवश्यकता 440 ग्राम है जबकि उपलब्धता इससे कहीं कम है, जो कि चिन्ता का विषय है।

खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य निम्नलिखित कसौटियों के पूरा होने से है—

1. प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने तथा उसका शारीरिक विकास होने के लिए आवश्यक खाद्यान्न अन्न एवं दालों की निर्बाध उपलब्धता हो।
2. प्रत्येक व्यक्ति के पास इतने आर्थिक संसाधन हो कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्न क्रय कर सकें।
3. खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला इस प्रकार की हो कि देश के सभी भागों में खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति होती रहे तथा खाद्यान्न की कीमतों में उच्चावचन कम से कम हो।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा का अर्थ भौतिक खाद्य सुरक्षा से लगाया जाता है अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को (2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र व 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र) कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने लायक खाद्यान्न विद्यमान हो।²²

एक अन्य अवधारणा के अनुसार – खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य प्रयुक्त किये जाने वाले खाद्यान्न में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा से है। विगत कुछ वर्षों से आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त वांछित खाद्यान्न को बाजार से क्रय करने लायक क्रयशक्ति की उपलब्धता को भी खाद्य सुरक्षा के रूप में व्यक्त किया जाने लगा है।²³

भारत में उपर्युक्त कसौटियों के आधार पर खाद्य सुरक्षा कम से कम समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों, तकनीकी रूप से जिन्हें निर्धनता रेखा के नीचे के परिवार (बीपीएल व अनत्योदय श्रेणी) के रूप में चिह्नित किया जाता है, को खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अर्थशास्त्री सर ग्रेगरी ने अनाज की कमी से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)की शुरुआत की थी, तब से अब तक इस प्रणाली की प्रमुख समस्या वास्तविक लाभार्थियों के पहचान की अक्षमता है। जिसके चलते सब्सिडी में रिसाव की दिक्कतें आती हैं।²⁴

योजना आयोग ने अपनी 2005 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि पीडीएस के तहत खर्च किये जाने वाले प्रत्येक 4 रु० में से केवल 1 रु० ही गरीबों तक पहुंचता है।

²² "खाद्य सुरक्षा की दिशा में सार्थक प्रयास", डा० सुन्दर सिंह, श्याम, द्वारा, कुरुक्षेत्र, मार्च, 2011, (विशेषांक), नई दिल्ली, पेज 2 व 3.

²³ एन०सी०आर०टी०,कक्षा-11, "भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास", गिल, के०एस०, नई दिल्ली, (2005), पेज -165.

²⁴ "सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रासंगिकता", सिन्हा, श्रुति, प्रतियोगिता दर्पण, मार्च, 2012, आगरा, पेज-1485.

पी0डी0एस0 के तहत जारी किये जाने वाले खाद्यान्न का 57 प्रतिशत जरूरतमन्दों तक नहीं पहुंच पाता ।²⁵

हरित क्रान्ति के जनक कृषि वैज्ञानिक डा0 एम0एस0 स्वामीनाथन के अनुसार आज भी देश में करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से अन्न को तरसते हैं। इसलिए आने वाले वर्षों में आबादी और बढ़ने तथा उसके साथ-साथ गरीबी और भुखमरी में भी बढ़ोत्तरी होने की आशंका के मद्देनजर देश की करीब एक तिहाई आबादी का पेट भरने का टिकाऊ उपाय फूड स्टॉप तथा जन वितरण प्रणाली जैसे टिकाऊ समाजिक कार्यक्रम ही है। स्वामीनाथन जी ने ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक खाद्यान्न बैंक स्थापित करने पर भी जोर दिया है। यह बैंक स्थानीय स्तर पर सरकारों द्वारा अनुदान स्वरूप दी जाने वाली राशि से अनाज खरीद कर काम के बदले अनाज योजना, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, जननी सुरक्षा योजना, एकीकृत बाल विकास सेवाएं व राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजनाओं जैसे सामाजिक कार्यक्रम चला सकते हैं। लेकिन ऐसी योजनाओं को असरदार ढंग से लागू करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कुशल तंत्र होना भी आवश्यक है। इससे दूर दराज के गाँवों में बसे महात्मा गांधी के "अन्तिम व्यक्ति" को भी समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी।²⁶

सबके लिए शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य के साथ यदि खाद्य सुरक्षा को भी मौलिक अधिकारों के तहत अनु0-21 से जोड़ दिया जाए तो इससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना स्वयमेव साकार होगी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा-1948, सबके लिए स्वास्थ्य पर अल्मा आटा घोषणा (1978), सबके लिए शिक्षा पर जॉमटीन घोषणा (1990), सबके लिए आवास पर इस्तांबुल घोषणा (1996) तथा सब के लिए खाद्य पर रोम घोषणा पत्र (2002) सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों आदि सभी पर भारत ने न केवल हस्ताक्षर किए हैं वरन् उन्हें कार्य रूप देने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक योजनायें व कार्यक्रम बनाए तथा क्रियान्वित किए हैं।²⁷

वर्तमान में खाद्य सुरक्षा कानून-2013 लागू है। जिससे समाज के सभी निर्धनों, बी0पी0एल0, अंत्योदय, पात्र गृहस्थी श्रेणी, गर्भवती महिलाओं, बिधवाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों व अपंगों आदि के भोजन के लिए अन्न व जरूरी भत्ते के लिए अधिकार की मांग को कानूनी अधिकार के रूप में पारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए ही 2020 तक देश से भुखमरी खत्म करने का लक्ष्य भी प्रस्तावित किया गया है, जो कि इस दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background):-

पं0 जवाहर लाल नेहरू के समय में हमारी अर्थव्यवस्था नियंत्रित थी। पंचवर्षीय योजनाएं पूरी ताकत से चलायी जा रही थी। नवोदित स्वतंत्र भारत में गरीबी, बेराजगारी, भुखमरी व स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर स्थिति को देखते हुए वे चाहते थे कि इस

²⁵ भारत सरकार योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट - 2005.

²⁶ स्वामीनाथन, एम0एस0,(2000), "वीकनिंग वेलफेयर : दि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड इन इंडिया", लेफ्ट वर्ल्ड बुक", न्यु डेल्ही.

²⁷ "खाद्य सुरक्षा की दिशा में सार्थक प्रयास", चौहान, डा0 श्याम सुन्दर सिंह, कुरुक्षेत्र, मार्च, 2011, (विशेषांक), नई दिल्ली, पेज-30

व्यवस्था के माध्यम से भारत में औद्योगिक आधुनिकीकरण को सफलता से लाया जा सके। वर्ष 1951 में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न के आयात तथा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को ध्यान में रखते हुए योजना में कृषि, सिंचाई व बिजली परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। जिसके कारण देश ने 1967-68 में हुई हरित क्रान्ति के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की।²⁸

1. भारत में खाद्य सुरक्षा

वर्ष 1970 के दशक के अन्त में हरित क्रान्ति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले चालीस वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं: **(क)** बफर स्टॉक और **(ख)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

(क) बफर स्टॉक क्या है ?

बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफ.सी.आई. के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूँ और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को **न्यूनतम समर्थन कीमत** कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को **निर्गम कीमत** भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है ?

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पी.डी.एस. कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गावों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 46 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें **उचित दर वाली दुकानें** भी कहा जाता है, उनमें चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है।

²⁸ दोषी, एस0एल0, "आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त", नई दिल्ली (2003)

राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं : **(क)** निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, **(ख)** निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बी0पी0एल0 कार्ड और **(ग)** अन्य लोगों के लिए ए0पी0एल0 कार्ड। वर्तमान में **खाद्य सुरक्षा कानून-2013** के तहत 2 तरह के राशन कार्ड हैं – **अंत्योदय कार्ड** व **पात्र गृहस्थी कार्ड**।

भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी तीन महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया **एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)** जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गईं और **काम के बदले अनाज (एफ.एफ.डब्ल्यू)** 1977-78 में प्रारंभ किया गया। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.ए.पी.)** चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से मुख्य घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर पी.ए.पी. भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं, मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं।

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर-निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली **(आरोपी0डी0एस0)** शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुँचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धान्त को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली **(टी.पी.डी.एस.)** प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर-निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा, 2000 में दो विशेष योजनाएँ **अंत्योदय अन्न योजना** और **अन्नपूर्णा योजना** भी प्रारंभ की गयी।

(क) अंत्योदय अन्न योजना

अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम

गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा कर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवार भी दो बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई।

(ख) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14, नवंबर 2004 को पूरक श्रम रोजगार के सृजन को तीव्र करने के उद्देश्य से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण गरीबों के लिए है, जिन्हें वेतन-रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। इसे शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया और राज्यों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया जाता रहा है। जिला स्तर पर कलक्टर शीर्ष अधिकारी है और उन पर इस कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन, समन्वयन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है। वर्ष 2004-05 में इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख टन अनाज के अतिरिक्त 2,020 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं।

सहायिकी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायिकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊँची आय कायम रखते हुए, उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है।

ये योजनाएँ क्रमशः 'गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब' और 'दीन वरिष्ठ नागरिक' समूहों पर लक्षित हैं। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है।

आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएँ हो रही हैं। एफ.सी.आई. के भंडार अनाज से भरे हैं। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं।

जुलाई 2002 में एफ.सी.आई. के पास गेहूँ और चावल का भंडार 6.3 करोड़ टन था जो 2.43 करोड़ टन के न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न राहत कार्यों के कारण, 2002-03 में अनाज भंडार कम हो गया

क्योंकि इस वर्ष को वर्षा न होने के कारण सूखे का वर्ष घोषित कर दिया गया। बाद के वर्षों में अनाज भंडार में कमी आई। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊँचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में हास के अतिरिक्त उच्च रख-रखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा, चूँकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः दो फसलों—गेहूँ और चावल तक सीमित है, न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूँ उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफ.सी.आई. की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और भी बढ़ा दिया है।

चिंता का एक और प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता रही है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अखिल भारतीय स्तर पर पी.डी.एस. खाद्यान्नों की औसत उपभोग मात्रा 1 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह है। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति उपभोग का आँकड़ा 300 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह से भी कम है। इसके विपरीत केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अधिकतर दक्षिणी राज्यों में और हिमाचल प्रदेश में औसत उपभोग 3-4 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह के बीच है। फलस्वरूप, निर्धनों को अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए राशन दुकान के बजाय बाजार पर निर्भर होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में निर्धनों द्वारा गेहूँ और चावल के उपभोग का मात्रा पाँच प्रतिशत राशन की दुकानों के माध्यम से पूरा होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह प्रतिशत और भी कम है।

पी.डी.एस. डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी-कभार खोलना जैसे कदाचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पातीं, तो एफ.सी.आई. के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर-निर्धन राशन कार्ड था जिसमें चावल, गेहूँ, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान

निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज जो दो हैं, 2013 के पहले तीन प्रकार के कार्ड और कीमतों की कार्ड श्रृंखला देखते थे, पहले यह नहीं था। उससे बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब दो भिन्न कीमतों वाले टी.पी.डी.एस. की व्यवस्था के सापेक्ष निर्धनता रेखा से उपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती थी। ए.पी.एल. परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊँची हैं जितनी खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीजों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है।²⁹

(ii) सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका

भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियाँ भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियाँ निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियाँ उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह, महाराष्ट्र में एकेडमी आफ डेवलपमेंट साइंस (ए.डी.एस.) ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। ए.डी.एस. गैर-सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे-धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ए.डी.एस की कोशिश रंग ला रही है। ए.डी.एस. अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है।³⁰ इसी प्रकार तमिलनाडु में अम्मा अनाज व्यवस्था भी पूर्ण कुशलता से चलायी जा रही है।

किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है, जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुँचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि

²⁹ सक्सेना, एन.सी., 2004, रिआर्गनाइजिंग पॉलिसीज एंड डेलेवरी फॉर एलीवियेटिंग हंगर एंड मालन्यूट्रिशन, नेशनल फूड सिक्युरिटी समिट, नयी दिल्ली में प्रस्तुत पर्चा।

³⁰ सक्सेना, एन.सी., 2004, सेनेरजाइजिंग गर्वमेंट एफर्ट फॉर फूड सिक्युरिटी, स्वामीनाथन, एम.एस. और मेडरानो, पैडो, संपादन. में, टुवार्ड्स हंगर फ्री इंडिया, ईस्ट-वेस्ट बुक्स, चेन्नई।

संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है, सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है जैसे, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके दो घटक हैं: **(क)** बफर स्टॉक और **(ख)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियाँ और गैर-सरकारी संगठन भी हैं, जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

जब 1991 में बाहरी कर्ज के संकट का वर्ष आया। भारत ने विदेशों से जो कर्ज लिया था, उसका समय पर भुगतान नहीं हो सका तथा बाकी किस्तों का अम्बार सा लग गया। इस कर्ज से उबरने के लिए वर्ष 1991 में पी0वी0 नरसिंहाराव की सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए उदारीकरण की अर्थव्यवस्था को अपनाया। जिससे व्यापार नियमों में ढील देकर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू हुई। उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाने, आधुनिक तकनीक को आत्मसात करने तथा उपलब्ध क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करने हेतु लाइसेन्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों को असली जामा पहनाया गया।³¹

वर्ष 2000 के बाद नव उदारीकरण के शुरू होने के साथ ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा गौण होने लगी। गांवों में बसने वाले किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों सहित गरीब आदमी को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। बढ़ती मँहगाई और बेराजगारी के बीच जैसे-जैसे अमीरी-गरीबी का फासला बढ़ता गया वैसे-वैसे किसानों में गरीबी, भुखमरी, व आत्महत्या से मौतें और सामाजिक विषमता जैसी कुप्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं। अतः उत्तर उदारवादी दौर में आर्थिक उत्पादन की अपेक्षा खाद्य वितरण व भण्डारण की समस्या पैदा हो रही है। जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब गौण होती जा रही है। सरकार यह भूलती जा रही है कि पूंजीवाद, समाजवाद या कोई अन्य

³¹ देव, एस0 महेन्द्रा, "इन्क्ल्यूसिव ग्रोथ इन इंडिया - एग्रीकल्चर, पावर्टी एण्ड ह्यूमन डेवलपमेन्ट", नई दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, (2007).

अवधारणा साधन मात्र हैं साध्य नहीं। साध्य तो समग्र समाज के विकास में ही निहित है।³²

उत्तर आर्थिक उदारवाद के दौर में जहां भूख को समाप्त करना प्रथम अनिवार्य कदम है। अतः यह आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा को व्यापक वृद्धि से लिया जाए। खाद्य नीति का उचित उद्देश्य यह होना चाहिए कि जनता के सभी वर्गों को ऐसा संतुलित भोजन सुनिश्चित कराया जाए, जिसमें वे सभी पोषक तत्व कैलोरीज, प्रोटीन व विटामिन आदि विद्यमान हों जिनकी मानव शरीर को अपने उचित अनुरक्षण तथा स्वास्थ्य और दक्षता की दशा में विकास करने के लिए आवश्यकता होती है, न कि मात्र पर्याप्त खाद्यान्न देना ही। उन वर्गों के लिए ऐसा करना और भी आवश्यक है जो प्रायः पोषण-न्यूनताओं से प्रभावित होते हैं जैसे— बच्चे, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताएं आदि। अतः खाद्य समस्या को जनता के सभी वर्गों को पर्याप्त पोषक पदार्थ देने की दृष्टि से लिया लिया जा रहा है, न कि मात्र भूख निवारण या समापन की दृष्टि से।³³

1.3 समस्या की गम्भीरता (Statement of the Problem) :-

दुनिया की वर्तमान आबादी 7 अरब है। इसमें वर्ष 2050 तक 2 अरब और जुड़ने की सम्भावना है, अर्थात् उस समय तक 70 प्रतिशत अतिरिक्त खाद्य की जरूरत होगी। विकासशील देशों में यह खाद्य जरूरत 100 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। इस तेजी से बढ़ती आबादी के लिए भोजन की उपलब्धता गम्भीर चुनौती होगी। खाद्यान्न सुरक्षा और स्वच्छ जल की उपलब्धता के बीच गहरा नाता है क्योंकि सूखे, बाढ़ व अतिवृष्टि का प्रत्यक्ष असर भोजन की उपलब्धता पर पड़ता है। जिससे जन जीवन का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व जल दिवस 22 मार्च की थीम— “जल एवं खाद्य सुरक्षा—हम भूखें हैं क्योंकि धरती प्यासी है” घोषित की है।³⁴

भारत में मूल रूप से खाद्य समस्या लोगों को सुनिश्चित दामों पर खाद्यान्न की एक न्यूनतम सप्लाई सुनिश्चित करने से है। विशेषकर अन्तत्योदय व ए0पी0एल तथा बी0पी0एल0 श्रेणी के गरीब जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता है। उनमें से भी कुछ आर्थिक रूप से इतने गरीब होते हैं कि अपने खाने के लिए एक वक्त का भी अनाज खरीद सकें। उनके पास न ही खेती के लिए जमीन होती है और न ही अनाज खरीदने के लिए रूपया। अतः भुखमरी व कुपोषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है।

खाद्यान्न वितरण की न्यूनतम सप्लाई को सुनिश्चित न करने के गंभीर परिणाम होते हैं।—

- निर्धन वर्गों के लोगों की स्वस्थ और दक्षता क्षीण हो जाती है। भारत जैसे देशों में जहाँ गेहूँ, चावल व अन्य मोटे अनाज ही लोगों का मुख्य भोजन हैं। उसमें 2200 कैलोरी का अपर्याप्त उपभोग कुपोषण का मूलभूत कारण है। इसलिए अनाजों का पर्याप्त उपभोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

³² पटनायक, उत्सा, “दि रिपब्लिक आफ हंगर” श्री एस्से कलेक्टिव, (2007).

³³ पटनायक, उत्सा, अक्टूबर, 8,2011, “भारत में गरीबी : सरकारी और वास्तविक – पोषाहार के मानकों को भी शामिल करें,” राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप.

³⁴ “हम भूखें हैं— क्योंकि दुनिया प्यासी है”, मार्च, 22, 2012, दैनिक जागरण, विश्व जल दिवस पर विशेष आलेख.

- 21वीं सदी की उत्तर उदारवादी आर्थिक व्यवस्था में कीमतों का उपरिमुखी दबाव है। भारतीय परिस्थितियों में खाद्यान्न की कीमत में उनकी उपलब्धता में कमी के अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। खाद्यान्न की कीमत बढ़ने से जीवन लागत, मुद्रा, मजदूरी, उत्पादन लागत तथा कीमतों में वृद्धि होती है। बढ़ती हुई कीमतें विकास प्रयास को गड़बड़ा देती हैं, तथा आम आदमी को बहुत अधिक कठिनाई पहुँचाती हैं।
- खाद्यान्न की प्राप्ति में अभाव के कारण अनाज आयात अनिवार्य हो जाता है, जिससे देश के सीमित विदेशी मुद्रा संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ता है। अंततः खाद्यान्नों की कमी तथा कीमत वृद्धि, सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। इसलिए खाद्य नीति का बल लोगों को खाद्यान्न की उचित सप्लाई बनाये रखने पर रहा है। इसकी मुख्य चिन्ता भूख का निवारण या समाप्त करना रहा है।

निम्न कारणों से खाद्य सुरक्षा उत्पादन, वितरण व विनिमय तथा भण्डारण में समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं –

1. खाद्यान्न में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व सब्सिडी की पहुँच वास्तविक हकदार गरीब जनता तक सुनिश्चित नहीं है।
2. खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डार बनाए रखना ताकि अभाव के वर्षों और मौसमों में प्रचलित उपलब्ध खाद्यान्न की संपूर्ति करने के लिए इस भण्डार से खाद्यान्न लिए जा सकें।
3. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हेतु पर्याप्त संभरण (खाद्यान्न की सप्लाई) करने के लिए तथा पर्याप्त स्तर पर सुनिश्चित भण्डार बनाए रखने के लिए सरकारी एजेन्सी द्वारा खाद्यान्नों के विक्रय अधिशेष के काफी बड़े भाग का अधिग्रहण।
4. खाद्यान्नों के व्यापार पर ऐसे प्रतिबन्ध लगाना जो राज्य एजेन्सियों द्वारा खाद्यान्न की वसूली के लिए या अभाव की स्थिति में सारे देश में कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए जरूरी है।
5. सट्टे तथा जमाखोरी की रोकथाम के लिए निजी व्यापार का नियमन।
6. घरेलू उत्पादन और वसूली की संपूर्ति करने के लिए यथा आवश्यक खाद्यान्नों का आयात।³⁵

संयुक्त राष्ट्र संघ के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार – विश्व में लगभग 1 अरब लोग भूखें पेट सोने के लिए बाध्य हैं। एक डालर प्रतिदिन से कम आय वाले मनुष्यों के सामने भोजन को खरीदने की समस्या अति कठिन है। यह संख्या विकासशील देशों एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में सर्वाधिक है। विश्व में भूख और कुपोषण से पीड़ितों की एक तिहाई आबादी भारत में निवास करती है तथा 5 वर्ष से कम आयु के 5 करोड़ बच्चे भी कुपोषण के शिकार हैं। अफ्रीकी देशों में अकाल और अभाव का दानव मानवता को

³⁵ एन0सी0आर0टी0, कक्षा-11, "भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास", गिल, के0एस0, नई दिल्ली, (2005), पेज-167,68.

निगलने के लिए बेताब है। अतः खाद्य समस्या विकासशील और गरीब देशों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बनकर सामने खड़ा है।³⁶

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू0एन0डी0पी0) के तहत तैयार 2011 की मानव विकास रिपोर्ट में 187 देशों की सूची में भारत का स्थान 134वां (मध्यम मानव विकास श्रेणी) का है। भारत में विश्व के बहुआयामी निर्धनों का सर्वाधिक भाग निवासित है अर्थात् उच्च आर्थिक विकास के लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।³⁷

भूख और कुपोषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 में जारी "हंगामा रिपोर्ट" में देश के 5 वर्ष से कम आयु के 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। वैश्विक भूख सूचकांक के 81 देशों की सूची में भारत का स्थान 67वां है। अर्थात् भारत में विश्व के कुल भूखे लोगों की एक तिहाई आबादी रहती है।³⁸

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान (आई0एफ0पी0आर0आई0) द्वारा जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 81 देशों में 67वां बांग्लादेश से भी खराब भयावह स्तर पर है। यहां की कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत अल्पपोषित है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व की कुल अल्पपोषित जनसंख्या के एक चौथाई लोग अर्थात् 20 करोड़ लोग भारत में रहते हैं।³⁹

बीते नव आर्थिक उदारीकरण के बाद एक दशक में देश के एक लाख 86 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। 1991-2001 के बीच में 1 करोड़ लोगों ने खेती-किसानी छोड़ दी थी। वे जमीन बेच कर कोई दूसरा रास्ता चुन रहे हैं। क्या खेती से पलायन होने का मूल कारण उसका लाभ का सौदा न रहना रहा है?

नोबेल विजेता अमर्त्य सेन कहते हैं कि – "देश में अनाज की कोई कमी नहीं है जिसे भूखमरी का कारण समझा जाता है। दरअसल आज देश की एक बड़ी आबादी के पास पर्याप्त पैसा नहीं है जिससे वो दो वक्त की रोटी खा और अपने परिवार को खिला सकें। उनका यह भी कहना है कि अगर भारत की विकास दर बढ़ रही है और इससे गरीबी कम नहीं हो पा रही है तो ऐसी विकास दर की बढोत्तरी से देश और गरीबों को क्या लाभ मिलेगा।" उन्होंने गरीबी और भूखमरी को जोड़कर देखा। वे कहते हैं कि संकट यह नहीं है देश में अनाज का संकट है या उत्पादन अचानक न्यूनतम स्तर पर आ गया। वास्तविक संकट यह है कि लोगों के पास क्रय शक्ति का अभाव है जिसके कारण वे अनाज खरीदने में सक्षम नहीं हैं।⁴⁰

1.4 साहित्य की पुनर्समीक्षा (Review of Literature) :-

ज्या ड्रेज और अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक "हंगर एण्ड पब्लिक एक्सन" (*Hunger and Public Action*) आक्सफोर्ड क्लेरेण्डन प्रेस, (1989) में सूखा, अकाल, भूखमरी व गरीबी जैसे आम आदमी के ज्वलंत मुद्दों को अच्छी तरह से उठाया गया है। 1981 में लिखी अमर्त्य सेन की पुस्तक 'पावर्टी एण्ड फेमिन (*Poverty and Famine*)

³⁶ "खाद्य सुरक्षा विशेषांक", कुरुक्षेत्र, मार्च, (2011), नई दिल्ली.

³⁷ यू0एन0डी0पी0 की संस्था यू0एन0डी0पी0 की मानव विकास रिपोर्ट –2011.

³⁸ भूख और कुपोषण सर्वेक्षण – 2011 (हंगामा रिपोर्ट) भारत का.

³⁹ आई0एफ0पी0आर0आई0 का ग्लोबल हंगर इन्डेक्स, रिपोर्ट –2011.

⁴⁰ ड्रेज, ज्यां, अमर्त्य सेन एण्ड अतहर हुसैन' (1990) "द पोलिटिकल इकोनामी आफ हंगर" श्री वाल्यूम, आक्सफोर्ड क्लेरेण्डन प्रेस,.

जो कि मूलतः अफ्रीकी देशों में भूखमरी और अकाल पर केन्द्रित थी, उसमें भारत के बारे में काफी कम जानकारी थी। लेकिन इस नयी पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्रियों को अकाल, सूखा, भूख और गरीबी पर जमीन से जुड़कर काम करने की बात कही। इस पुस्तक में भूख क्या है? भूखा किसे कहते हैं भूख से कैसे निपटा जाय? भूखमरी से निपटने के लिए सरकारें क्या नया कर सकती हैं? आदि मुद्दों पर विस्तार से लिखा है।

भारत के सभी राज्यों उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश (बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल व पश्चिमी उत्तर प्रदेश) आदि में व्याप्त भूख की समस्या को भयंकर बताया है। यह गरीब राज्य उत्तर प्रदेश में कहां तक प्रसारित है, इसे शोध प्रबंध के माध्यम से जानने का प्रयास किया जायेगा।

ज्यां ड्रेज, अमर्त्य सेन और अतहर हुसैन की पुस्तक *“द पोलिटिकल इकोनामी आफ हंगर” (The Political Economy of Hunger) थी वाल्यूम, आक्सफोर्ड क्लेरेण्डन प्रेस, (1990)* जो कि निबन्धों का एक संग्रह है। इस पुस्तक में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में अकाल, सूखा व अतिवृष्टि से उत्पन्न भूख की समस्या को राजनैतिक और अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखा गया है। पुस्तक में भूख की परिभाषा के साथ खाद्य के उत्पादन, वितरण और विनिमय की समस्या को गम्भीरता से उठाया गया है। बंगलादेश के भयंकर अकाल और भारत के भूख व कुपोषण के मामले को अफ्रीकी देशों से भी खराब स्थिति में बताया गया है। कुछ प्रमुख निबन्ध जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हैं उनमें भी यह लिखा गया है कि अकालों से मुक्ति और खाद्यान्न के बहुत बड़े भण्डार के बावजूद देश में काफी सारे लोग भूखे रहते हैं या कुपोषित हैं। ऐसा क्यों है? क्या सरकारी नीतियां दोषी हैं? आदि प्रमुख विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। यह पुस्तक खाद्यान्न सुरक्षा पर भी एक नयी दृष्टि डालती है, जो कि शोध में सहायक होगा।

उत्सा पटनायक ने अपनी पुस्तक *“द रिपब्लिक आफ हंगर एण्ड अदर एस्से” (The Republic of Hunger and other Essays) थी एस्से क्लेक्टिव, (2007)* में उल्लेख किया है कि नव उदारवादी दौर में सरकार की आर्थिक नीतियों से तृतीय विश्व के करोड़ों लोगों के खान-पान, व रहन-सहन के स्तर में क्या उतार चढ़ाव आए। उनके एक समान हर एक निबन्ध का प्रभाव तृतीय विश्व के नव साम्राज्यवादी दौर को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिखलाता है। वे चाहती हैं कि हर एक मोड़ पर नव उदारवादी आर्थिक सुधारों से हुए मुक्त व्यापार की स्थिति से उपयोगी कृषि को लाभ पहुंचे। पुस्तक में यह भी दिखाती हैं कि कुछ प्रमुख योजनाओं के कारण पूर्व निर्णीत ग्रामीण गरीबी और विश्वव्यापी भूख से निपटने में भारत भी विकसित देशों के साथ जुड़ा। चाहे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले अनाज के वितरण के कारण रहा हो या किसानों को नकद दी जानी सब्सिडी के कारण। यह पुस्तक सवाल उठाती है कि कैसे हम देश की मौजूदा बड़ी आबादी के खान-पान के सबसे खराब स्तर में कैसे गुणात्मक बदलाव ला सकते हैं? जो पूरी दुनिया, यहाँ तक कि कम विकसित देशों की तुलना में भी सबसे घटिया स्तर पर है। लेकिन नव उदारवादी नीति निर्माता आज गलत सवाल करते हैं कि कैसे हम खाद्यान्न पर गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी घटा सकते

हैं। यह पुस्तक शोध में नव उदारवादी दौर में खाद्य सुरक्षा की महत्ता को उल्लेख करने में मदद करेगा।

देवी श्रीधर ने अपनी पुस्तक *"द बीटल अगेस्ट हंगर : च्वायस, सरकमस्टेन्स, एण्ड द वर्ल्ड बैंक (The Battle Against Hunger : Choice, Circumstance, and the World Bank) आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, (2008)* में मनुष्य की भूख के खिलाफ पैदा हुए युद्ध को वैश्विक परिदृश्य में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि विश्व में लोगों के रहन-सहन व खान-पान का स्तर बढ़ना और उन्हें मिल रहे स्वास्थ्यवर्द्धक पौष्टिक आहार का सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि आज खाद्यान्न मूल्य दुगने हुए हैं। भारत जैसे विकासशील देश में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। क्यों मूलतः भारत में ही सरकार के आर्थिक नीति निर्माता भूख के विरुद्ध लड़ने में फेल हो जाते हैं? जबकि देश आज स्वयं आर्थिक उन्नति होने का गर्व करता है जबकि आधी जनसंख्या जीने लायक पौष्टिक आहार ही नहीं पाती है। लेखक ने अपनी यह पुस्तक एक केस स्टडी भारत में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता विश्व बैंक के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। इस पुस्तक में वे कुछ प्रश्न, समस्या व मुद्दे उठाए हैं, जो सम्पूर्ण विकास में मदद करती है। मूलतः भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए यह पुस्तक आधार प्रदान करती है तथा खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित भी करती है। भूख का आधार क्या हो? भूखे की पहचान कैसे की जाए? भूख के निराकरण के लिए नीति नियंता कैसे नीतियां बनाए? आदि प्रमुख प्रश्न उठाते हैं। यह पुस्तक भूख के विरुद्ध युद्ध की विभीषिका को जानने समझने के लिए शोध में उपयोगी होगा।

अतुल कोहली ने अपनी पुस्तक *"द स्टेट एण्ड पावर्टी इन इण्डिया – द पालिटिक्स आफ रिफार्म" (The state and Poverty in India-The Politics of Reform) कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, (1987)* में उल्लेख किया है कि सरकार के महत्वपूर्ण योगदान में भारत की ग्रामीण गरीबी, गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित नीति व उत्पन्न सभी मुद्दों पर प्रमुखता से प्रकाश डाला और उनका समाधान दिया। किस प्रकार विकासशील देशों की समस्याओं को हल करके संसाधनों का बँटवारा किया जाए? इसके लिए उन्होंने भारत की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों के महत्वपूर्ण योगदान को तुलनात्मक रूप से उनके द्वारा धन के बँटवारे को लोकतंत्र व पूंजीवाद से जोड़ा। इसके लिए उन्होंने केन्द्र की विभिन्न सरकारों द्वारा जो महत्वपूर्ण कारगर नीतियां व सुधार जो किए गए, उन पर वृहद चर्चा की है। यह पुस्तक शोध में विभिन्न केन्द्रीय सरकारों के समय में भूख, उससे लड़ने के उपाय, खाद्यान्न उत्पादन व सुरक्षा के लिए चलायी गयी नीतियों को जानने समझने में सहायक होगा।

एस0 महेन्द्र देव ने अपनी पुस्तक *"इनक्लूसिव ग्रोथ इन इण्डिया—एग्रीकल्चर, पावर्टी एण्ड ह्यूमन डेवलेपमेन्ट" Inclusive Growth in India-Agriculture, Poverty and Human Development) आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, (2007)* में उल्लेख किया है कि आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है कि न्यायपूर्ण विकास हो। उनका महत्वपूर्ण फोकस हर एक वृद्धि को जोड़कर समावेशी विकास का है। चाहे वह कृषि, गरीबी, खाद्य सुरक्षा और नौकरी पेशा, सामाजिक क्षेत्र और क्षेत्रीय पार्टियां व उनके चुनाव प्रदर्शन, मुद्दे तथा समस्यायें हो। उनके विचार में पूर्व गरीब की अवधारणा और लोक केन्द्रित राजनीति ने हर एक क्षेत्र में विकास किया तथा वृद्धि और समानता के

उद्देश्यों को भी समकालीन बनाया। यह पुस्तक शोध में कृषि, गरीबी व खाद्य सुरक्षा पर आर्थिक दृष्टिकोण को समझने में सहायता प्रदान करेगा।

किरीट परिख ने अपनी पुस्तक **“हू गेट्स हाऊ मच फ्रॉम पीडीएस: हाऊ इफ़ेक्टिवली डज इट रिच द पुअर?” (Who Gets How much from P.D.S : How Effectively Does it Reach the Poor?) इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट रिसर्च, बाम्बे, (1994)** में उल्लेख किया कि नव उदारवादी दौर के शुरू होने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिल रहे अनाज और सब्सिडी से भूख और कुपोषण से लड़ने में कुछ कामयाबी मिली। लेकिन आज भी भारत की ज्यादातर जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही है। उनके स्तर में सुधार के लिए नीति नियंताओं को कुछ नवीन नीतियां सुझानी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों की पहचान कैसे हो तथा पीडीएस कैसे नव उदारवादी दौर में ज्यादातर लोगों को लाभ पहुँचा सकता है ? वे पुस्तक में गरीबी को भुखमरी से जोड़कर देखते हैं तथा खाद्य सुरक्षा को आवश्यक बताते हैं क्योंकि बगैर खाद्य सुरक्षा के उसका गरीबों में समान वितरण नहीं किया जा सकता है। यह पुस्तक शोध में अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उनमें हुए सुधारों को पहचानने में मदद करेगा।

शिखा झा ने अपनी पुस्तक **“फूड ग्रेन्स प्राइस एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज इन इण्डिया—परफारमेंस, प्रॉब्लम्स एण्ड प्रास्पेक्ट्स” (Food grains Price and Distribution Policies in India-Performance, Problems and Prospects) इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलेपमेंट रिसर्च, बाम्बे, (1994)** में उल्लेख किया कि भोजन के वर्तमान मूल्य और सरकार की वितरण नीति में काफी विरोधाभास है। देश के आधे से अधिक लोग आवश्यक कैलोरी युक्त खाद्यान्न मुहैया नहीं कर पाते हैं। हर एक व्यक्ति के पास इतने आर्थिक संसाधन ही नहीं हैं कि वे भोजन को खरीद सकें। खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला देश के सभी भागों में निर्बाध रूप से सही नहीं है। अतः देश में खाद्य सुरक्षा के हर स्तर उत्पादन, वितरण व विनिमय में आवश्यक सुधार पर जोर दिया है। यह पुस्तक शोध में अनाज के मूल्य व बंटवारे की नीति तथा खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता को स्पष्ट करने में सहायक होगा।

आर० पद्मिनी ने अपनी रिपोर्ट **“लोकल परचेज ऑफ फूड कमोडिटीज कैश फार फूड” (The Local Purchase of Food Commodities: “Cash for Food”) यूनीसेफ, (1985)** में उल्लेख किया कि स्थानीय स्तर पर लोगों के भूखे रहने की प्रमुख वजह उनके भोजन खरीदने की क्षमता का विकसित न होने को बताया गया है। कैसे खाद्य भण्डारण किया जाए ताकि अनाज को स्थानीय लोगों में पहुंच को सुलभ बनाया जा सके।

इस रिपोर्ट में (2) प्रमुख कारण बताए गए हैं, जिनसे भोजन के लिए अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है –

1. स्थानीय स्तर पर लोगों में गरीबी के कारण भोजन या अन्न की क्रय क्षमता का उन्नत न होना।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया जा रहे अनाज के मामले में उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान न हो पाना।

यह रिपोर्ट शोध में स्थानीय स्तर पर गरीब लोगों के अनाज की क्रय क्षमता को रेखांकित करने में उपयोगी होगी।

एम० एस० स्वामीनाथन ने अपनी पुस्तक **"वीकनिंग वेलफेयर : द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड इन इण्डिया" (Weakening Welfare : The Public Distribution of Food in India) लेफ्ट वर्ल्ड बुक, नई दिल्ली, (2000)** में उल्लेख किया है कि पिछले तीन दशक बताते हैं कि छोटे खेत की कृषि में भी बदलाव आया है। जिनमें पारिस्थितिकी के सिद्धान्तों अर्थशास्त्र, सामाजिक और लैंगिक समानता तथा जीविकोपार्जन पीढ़ी शामिल है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ाने में हम ठीक ढंग से सहयोग कर सकते हैं। औद्योगिक क्रान्ति का कारण प्रौद्योगिकी बनी, जिससे अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी है। यही तकनीक ही आर्थिक असमानता को हल करने और हरित क्रान्ति-2 की मांग को पूरा करने व छोटे किसान परिवारों के उत्थान में भी सहायक बनेगा।

उनकी यह पुस्तक भी शोध में छोटे, मझले स्तर के किसान भी उत्पादन कैसे बढ़ाएं तथा खाद्यान्न वितरण की सुनिश्चिता कैसे पूरी की जाए को जानने समझने में सहायक होगा।

हर्ष मंदर ने अपने लेख **"अनाज वितरण का आदेश उसकी बर्बादी रोकने के लिए"** में उल्लेख किया है कि – सरकारी गोदामों में भरे अनाज को सड़ाने के बजाए गरीब लोगों में बाँट दिया जाए। ताकि गरीबी और कुपोषण से हो रही मौतों को कुछ कम किया जा सके। अनाज भण्डारण के लिए बड़ी संख्या में देश में गोदामों की कमी है। वे केवल पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित न रहें बल्कि देश के हर जिले में स्टोरेज खोलने की सलाह देते हैं।

उत्सा पटनायक ने अपने लेख **"गरीबी : सरकारी और वास्तविक, पोषाहार के मानकों को भी शामिल करें"** में उल्लेख करती है कि भूख और कुपोषण के बड़े स्तर पर वंचना को देखते हुए लक्षित सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली की तरफ लौटना विवेक संगत है, लेकिन यह भी काफी नहीं है। रोजगारपरक योजनाओं के जरिए गरीबों की खरीद क्षमताओं को बढ़ाना भी आवश्यक है। यह भी एक व्यंग है कि आज ताजा सर्वे में बेराजगारी में बढ़ोत्तरी हो रही है।

डॉ० किरीट एस० पारिख ने अपने लेख **"अनाज भण्डारण : इतना अनाज फिर भी खड़ी है भूखों की जमात"** में उल्लेख किया है कि भारतीय खाद्य निगम के पास अधिक अनाज स्टॉक के कुशल प्रबन्धन का सबसे कारगर तरीका यही हो सकता है कि इनको जरूरतमंद गरीबों तक प्रभावी तरीके से पहुँचाया जाए। इसी से ही गरीबी व भुखमरी से निजात पाया जा सकता है। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमीकरण करने की भी बात की, ताकि वास्तविक रूप से सही लाभार्थियों को पहचाना जा सके।

प्र० आनन्द कुमार ने अपने लेख **"गरीबी : सरकारी और वास्तविक-सामाजिक परिणामों की अनदेखी करने की संस्कृति"** में उल्लेख किया है कि देश की दीर्घकालीन निर्धनता का समाधान संभव है, बशर्ते कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के जरिए हम उत्पादन व वितरण पद्धति की कमियाँ, निरक्षरता व स्वास्थ्य और कार्यक्रम

क्रियान्वयन में मौजूद भ्रष्टाचार के दलदल का लोक शक्ति के सहयोग से ही समाधान कर सकते हैं। यदि भूख से मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की गारण्टी वाले समयबद्ध विकेंद्रित कार्यक्रम नहीं चलाए गए तो पूरा तंत्र नष्ट हो सकता है।

डॉ० भरत झुनझुनवाला ने अपने लेख **“अधिक उत्पादन की समस्या”** में उल्लेख किया कि कैसे देश में खाद्यान्न की भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जाए? व कहा कि देश में जरूरत भर के अनाज का भण्डारण करके शेष को निर्यात कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने विशाल भण्डारण होने पर गेहूँ जैसे अन्न के तुरन्त निस्तारण का निम्न सुझाव दिया –

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों का कोटा बढ़ा दिया जाए।
2. नकदी फसलों का उत्पाद बढ़ाया जाए। जैसे – गन्ना, मेंथा, गुलाब व रेशम आदि।

जयाती घोष ने अपने लेख **“भारत में गरीबी : आधार और आकलन – चाहिए वास्तविक अंदाजा”** में उल्लेख किया कि गरीबी से निवारण के लिए बेहतर होगा कि सरकार आम लोगों की जरूरत की बुनियादी सुविधाएं जिनमें भोजन व स्वास्थ्य शामिल है, को विवादित संख्या से दूर ही रखा जाए। वे सुविधाएं सभी जरूरत मंदों को मुहैया कराया जाना चाहिए। सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि गरीबी के साथ भूख और कुपोषण बढ़ा है। ऐसे में सभी लोगों को पी0डी0एस0 से जोड़ना ही गरीबी और भुखमरी को खत्म करने का कारगर उपाय होगा।

उपरोक्त पुस्तकों व लेखों में पढ़े हुए खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं में व्याप्त समस्याओं एवं उससे निजात दिलाने के लिए सुझाए गए उपायों का धरातलीय स्तर पर आकलन करने का प्रयास करूँगा। इसके अतिरिक्त इन पुस्तकों में व्याप्त कमियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करेगा। शोध छात्र इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं के कुछ नए एवं मौलिक व्यवहारगत उपायों को भी बताने का प्रयास करेगा।

1.5 शोध प्रश्न (Research Questions) :-

1. देश में खाद्य असुरक्षित जनसंख्या की पहचान कैसे की जाय ?
2. खाद्यान्न उपलब्धता, भण्डारण और वितरण की देश में कैसी व्यवस्था की जाय?
3. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कैसे सफल बनाया जाय, जिससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ?
4. खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में आन्तरिक व बाहरी कमियाँ क्या हैं ?
5. ऐसी कौन सी विधि अपनायी जाय जिससे खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या में कमी आये?
6. भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या की कमियों को कैसे सुधारा जाय ?

1.6 अध्ययन का उद्देश्य (Objectives of the Study) :-

1. देश में खाद्य सुरक्षा की समस्या के कारणों का अध्ययन करना।
2. भारत में प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने लायक व शारीरिक विकास के लिए आवश्यक अन्न की उपलब्धता का अध्ययन करना।

3. खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चलाई जा रही है, उसका अध्ययन करना।
4. गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
5. भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में उत्पादन, वितरण व विनिमय प्रणाली का अध्ययन करना।

1.7 अध्ययन की उपकल्पना (Hypothesis of the Study) :-

1. जरूरतमन्दों को जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों का नहीं मिलना देश के अन्दर खाद्य सुरक्षा की समस्या को बढ़ाता है।
2. खाद्य सुरक्षा के तहत गरीबी रेखा के नीचे दिए जा रहे अनाज के मामलों में सही लाभार्थियों के पहचान की समस्या विद्यमान है।
3. सरकारी अनाज आपूर्ति श्रृंखला गरीब लोगों के शारीरिक विकास व जीने लायक कैलोरी युक्त अनाज आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा व गुणवत्ता की निर्बाध उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं करता है।

1.8 शोध विधि, परिवर्त्यों, उपकरणों आदि का उल्लेख (Research Methodology):-

वर्तमान अध्ययन अभिकल्प की दृष्टि से अत्यन्त गवेशणात्मक है। प्रस्तुत अध्ययन में बस्ती जनपद के जिला खाद्य निगम, सरकारी राशन की दुकानों, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों व कृषि सहकारी समितियों से खाद्यान्न उत्पादन, भण्डारण व वितरण की स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु ऐतिहासिक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति व तुलनात्मक पद्धति के साथ-साथ आनुभाविक पद्धति का वैज्ञानिक रूप में प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन विवरणात्मक अभिकल्प भी धारण करेगा। इस प्रकार अध्ययन में आवश्यकतानुसार गवेशणात्मक, विवरणात्मक, सर्वेक्षण व आनुभाविक विधि से सम्बन्धित परिवर्त्यों एवं उपकरणों का यथा स्थान प्रयोग कर अध्ययन पूर्ण किया गया है। अध्ययन से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन हेतु मान्य स्रोतों में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोत (Primary Source) :-

इसके अन्तर्गत एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है। जिसमें अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नों की सूची तैयार कर साक्षात्कार व सर्वेक्षण द्वारा आंकड़ों को भरा गया है। इस साक्षात्कार अनुसूची में समस्या के सभी विस्तृत पक्षों को लिया जायेगा। खाद्यान्न उत्पादन, वितरण व भण्डारण पर खाद्य निगम द्वारा संचालित सरकारी राशन की दुकानों, लाभान्वित बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 व अन्त्योदय श्रेणी समूहों व

किसान सहकारी समिति के उच्चस्थ पदाधिकारियों के साक्षात्कार को सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया है।

प्राथमिक स्रोत के लिए मुख्य रूप से व्यक्तिगत साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है। जिसमें जिले के बी०पी०एल०, अंत्योदय व ए०पी०एल० तथा पात्र गृहस्थी लोगों से खाद्य सुरक्षा की समस्याओं पर साक्षात्कार लिया गया है।

द्वितीयक स्रोत (Secondary Source) :-

इसके अन्तर्गत अध्ययन से सम्बंधित ग्रन्थों, सरकारी रिपोर्टों, पत्र-पत्रिकाओं व लेखों को शामिल किया जायेगा। जिनसे अध्ययन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी है।

द्वितीय स्रोतों के लिए भारतीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, भारत सरकार, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली कृषि की स्थिति पर रिपोर्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विभिन्न सरकारी रिपोर्ट व दस्तावेजों, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्था उ० प्र०, जिला योजना पत्रिका, पंचवर्षीय योजना रिपोर्टों आदि का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी दस्तावेजों, पत्र-पत्रिकाओं, सम्बंधित साहित्य व शोध आलेखों, सम्बंधित पुस्तकों व समाचार पत्रों के आकड़ों आदि को संकलन में प्रयोग किया गया है।

1.9 अध्ययन क्षेत्र (Universe of Study) :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए क्षेत्र निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश के पिछड़े बस्ती जनपद को लिया गया है। बस्ती जनपद उ०प्र० राज्य के पूर्वांचल का काफी पिछड़ा जिला है। बस्ती जिले का कुल क्षेत्रफल 7309 वर्ग कि०मी० है। यहाँ की कुल जनसंख्या 24,61,056 है। जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1,43,842 बी०पी०एल० श्रेणी के व अति निर्धन अन्त्योदय उपभोक्ता की संख्या 89,067 है, शेष संख्या ए०पी०एल० श्रेणी की है। जिले की कुल साक्षरता 69.96 फीसदी है तथा जनसंख्या धनत्व 916 वर्ग कि०मी० है। यहां की जनसंख्या का काफी बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है व लगभग 80 फीसदी जनसंख्या छोटे व मझले किसान के रूप में निवास करती है। लेकिन कृषि में, वर्षा काल के समय बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है, कारण शहर की दक्षिणी सीमा से घाघरा (सरयू) नदी में आने वाली बाढ़ है। जिसके कारण वर्षा ऋतु में पैदा होने वाली अधिकांश फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती है तथा खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाता है।

उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र (तराई क्षेत्र) काफी पिछड़ा और गरीब है। बस्ती जनपद भी उसका एक हिस्सा है। मानसून के समय गर्मियों में अत्यधिक वर्षा व जल भराव के कारण खरीफ व जायद की अधिकांश फसल नष्ट हो जाती है तथा रबी की फसल के समय भयंकर सूखा भी खाद्यान्न असुरक्षा की वृद्धि का कारण बनते हैं। बस्ती जनपद में 4 तहसीलें व 14 ब्लाक क्षेत्र हैं। इनमें तहसीलें क्रमशः हरैया, बस्ती, भानपुर, व

रुधौली हैं व ब्लॉक क्षेत्र क्रमशः बहादुरपुर, बनकटी, बस्ती सदर, गौर, परशरामपुर, रामनगर, रुधौली, सल्टौआ गोपालपुर, साऊँघाट, बिक्रमजोत, हरैया, कप्तानगंज, दुबौलिया व कुदरहा है।

उत्तर आर्थिक उदारवार के बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की प्रतिक्रिया : उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का एक अध्ययन। प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु शोधार्थी द्वारा शोध हेतु निर्धारित पूर्वांचल क्षेत्र के बस्ती जिले के दो ब्लॉक में 1) दुबौलिया ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्र व 2) बस्ती सदर शहरी क्षेत्र, के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का सघन दौरा कर के सभी जरूरतमन्द लोगों की बी०पी०एल०, अन्त्योदय व ए०पी०एल० सूची तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की घोषित पात्र गृहस्थी की पात्रता सूची 2016 जून, व सरकारी राशन की दुकानों व किसान सहकारी समितियों के पदाधिकारियों व पात्र लाभार्थियों के साक्षात्कार पर आधारित सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया।

उपरोक्त दोनों ब्लॉकों के प्रत्येक ब्लॉक में से, ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक में से 2 ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र के 2 टाउन (शहरी कस्बा) क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा प्राप्त बी०पी०एल०, अन्त्योदय व ए०पी०एल० श्रेणी के लाभान्वित लोगों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की घोषित पात्रता सूची 2016 में से चयनित दोनों ब्लॉक के गाँव व टाउन में से प्रत्येक के 100-100 लोगों अर्थात् 2 ग्राम सभा के 200 तथा 2 टाउन क्षेत्रों के 200 लोगों कुल 400 लोगों में से एक गाँव या टाउन के सैम्पल सर्वे में कुल 100 लोगों में से 50 बी०पी०एल०, 30 अन्त्योदय व 20 ए०पी०एल० लोगों को लिया गया। जिसमें 50 बी०पी०एल० में से सामान्य 10, पिछड़ी जाति के 20 तथा अनुसूचित जाति के 20 तथा 30 अन्त्योदय श्रेणी में से 6 सामान्य 12 पिछड़ी जाति व 12 अनुसूचित जाति व जनजाति तथा 20 ए०पी०एल० लोगों में से सामान्य के 8 पिछड़ी जाति के 6 तथा अनुसूचित जाति के 6 लोगों से शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार अनुसूची शोधार्थी द्वारा तैयार प्रश्नावली के आधार पर लिया गया। खाद्य सुरक्षा प्राप्त लाभान्वित बी०पी०एल०, अन्त्योदय व ए०पी०एल० राशन कार्ड के लाभार्थियों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की घोषित पात्रता सूची 2016 द्वारा लाभान्वित लोगों की वैयक्तिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, निर्धनता – मुद्दे एवं चिन्ताएं, खाद्य सुरक्षा प्रकृति और आयाम तथा सरकारी योजनाएं और विकास का स्तर सम्बन्धी अनेक प्रश्न लोगों से पूछे गये।


इस साक्षात्कार अनुसूची के सर्वेक्षण के दौरान प्रश्नावली से प्राप्त तथ्यों का विभिन्न तालिकाओं द्वारा संकलन कर प्रतिशत एवं वैज्ञानिक विधि द्वारा सारणीयन रूप में तैयार कर आकड़ों को स्पष्ट किया गया है।

तालिका एवं आरेख में प्रदर्शित आंकड़ों की व्याख्या उसके ठीक नीचे की गयी है। जिसमें खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में बी०पी०एल०, ए०पी०एल० व अन्त्योदय सूची के लोगों व पात्रता सूची के लाभान्वित लोगों से इसे प्राप्त करने की समस्याओं राशन कार्ड बनवाने, कोटेदार द्वारा दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता आदि व राज्यों की प्रतिक्रिया

स्वरूप अपनी नीतियों में बदलाव लाने के लिए उपायों आदि पर लिखित व मौखिक साक्षात्कार को भी अपनी व्याख्या में सम्मिलित किया गया है। लाभान्वित जरूरतमन्द लोगों के साक्षात्कार की व्याख्या, तालिका एवं आरेख सहित क्रमबद्ध तरीके से की गयी है।

शोधार्थी द्वारा शोध क्षेत्र के ग्रामीण ब्लाक, दुबौलिया ब्लाक में कुल 211 ग्राम हैं जिनमें से 2 ग्राम खुशहालगंज व बन्जरिया सूबी को लिया गया है। इसी प्रकार शहरी ब्लाक में बस्ती सदर में कुल 304 ग्राम/टाउन (कस्बे) हैं। जिनकी कुल जनसंख्या क्रमशः 2,32,448 तथा 1,12,629 है। शहरी क्षेत्र के 2 टाउन/कस्बे में से क्रमशः कटरा व आवास विकास कालोनी तथा बैरियहवा, महरीखांवा व रामेश्वरपुरी के खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित लोगों को साक्षात्कार की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

शोध छात्र भी इसी क्षेत्र से सम्बंधित है और इस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से भली भाँति परिचित है। जो शोध छात्र को इस शोध अध्ययन के लिए आवश्यक लोगों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध विकसित कर के उपरोक्त विषय वस्तु पर अध्ययन करने में सहायक होगा।



खाद्य सुरक्षा : एक आलोचनात्मक समीक्षा

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा का जन्म हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। सर्वप्रथम 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन के दौरान इस विषय पर ध्यान दिया गया।¹ विश्व बैंक के अनुसार खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है, "भौतिक एवं आर्थिक रूप से सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकतानुसार भोजन उपलब्ध कराना।² विश्व खाद्य सम्मेलन कार्य योजना (1996) में इस विषय की सर्वाधिक सटीक परिभाषा प्रस्तुत की गयी, "खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा ऐसे भौतिक एवं आर्थिक अवसर उपलब्ध रहें जिनसे पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन पाने के साधन एवं सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए उनकी भोजन सम्बंधी आवश्यकताएँ उनकी खाद्य रुचियों के अनुसार पूरी हो सकें।"³

खाद्य सुरक्षा के (3) मुख्य अंग हैं— खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनका वितरण तथा नागरिकों तक पहुंच।⁴

उपलब्धता का अर्थ है जनसंख्या के अनुपात में खाद्य पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सुलभ होना तथा जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग को उत्पाद का हिस्सा मिलना। इसके लिए जरूरी है कि उचित वितरण व्यवस्था हो। खाद्य पदार्थों की सुलभता के भौतिक एवं आर्थिक दोनों ही पहलू हैं, भौतिक सुलभता को प्रभावशाली वितरण प्रणाली से हल किया जा सकता है, किन्तु आर्थिक सुलभता के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करना होगा। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक परिवार की व्यय करने की क्षमता की सीमा में उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों का उपलब्ध होना।⁵

खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों को सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने की क्षमता से है। इसका मतलब सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो, सभी लोग खाद्य पदार्थ खरीद पाने की क्षमता रखते हों तथा खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न हो।

खाद्य पदार्थों के उत्पादन के साथ-साथ उसकी सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकारी-तंत्र के माध्यम से देखभाल की व्यवस्था की गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश की खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन करता है। विभाग का लक्ष्य देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त

¹ विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रकाशन, 5-16 नवम्बर रोम इटली।

² विश्व बैंक, गरीबी और भूख : विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा के विकल्प एवं मुद्दे 1968, वाशिंगटन डी0सी0 संयुक्त राज्य अमेरिका।

³ विश्व खाद्य सम्मेलन (कार्य योजना), 1996 विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, 13-17 नवम्बर रोम, इटली।

⁴ चतुर्वेदी, प्रदीप, "फूड एंड पंचायती राज्य", संपादित 1997 कंसेप्ट, नई दिल्ली, पृष्ठ 267-269।

⁵ मैथ्यू जार्ज, "भारत में पंचायती राज: परिप्रेक्ष्य एवं अनुभव", संस्करण 2003, नई दिल्ली, 110002।

करने के लिए विभाग के कई मिशन प्रारम्भ किए हैं, जैसे देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुनिश्चित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की सक्षम खरीद, देश में खाद्यान्न स्टॉक, भण्डार और वितरण के जरिये देश में प्रचलित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबन्धन, अनाज का सुरक्षित भण्डार, उपयुक्त नीति दस्तावेज के माध्यम से अनाज, चीनी और खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसके तहत विशेष तौर पर समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न मुहैया कराना।⁶

यह अध्याय (3) भागों में बँटा है। प्रथम में खाद्य सुरक्षा के संवैधानिक प्रावधान व चलाई गयी योजनाओं का विस्तृत विवेचन है। द्वितीय भाग में सम्पूर्णता से खाद्य सुरक्षा के मुद्दे व साहित्य पर सिंहावलोकन है। तीसरे भाग में खाद्य सुरक्षा के प्रबन्धन व मुद्दों तथा गरीब लोगों के लिए बनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विचार-विमर्श प्रस्तुत किया गया है।

(प्रथम भाग)

2.1 खाद्य सुरक्षा के संवैधानिक प्रावधान व चलाई गयी योजनाएँ :-

भारतीय संदर्भ में देखें तो खाद्य सुरक्षा की दिशा में गम्भीर कदम उठाए गए हैं। भोजन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का अघोषित मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी भी है। इस दिशा में केन्द्र सरकार ने अभी हाल में बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा के अधिकार कानून को लागू किया है। आजादी के बाद से ही देश में खाद्य सुरक्षा की दिशा में और गरीबों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कई कार्यक्रम समय-समय पर चलाए गए हैं।⁷

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी गरीबों, वंचितों सहित देश के प्रत्येक नागरिक के गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को मूल अधिकार माना।

भारतीय संविधान के प्रस्तावना में:- सम्प्रभु प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अन्तर्गत समाजवाद की कल्पना।

भारतीय संविधान के मूल अधिकार में:- अनु0-21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में:- अनु0-38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

अनु0-39 (ख) समुदायों के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।

⁶ चन्द्र, डा0 विकास, द्वारा "खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण उपभोक्ता", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, 2013 खाद्य सुरक्षा विशेषांक, पेज-20।

⁷ गौरव, कुमार, द्वारा "भारत में खाद्य सुरक्षा", कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2013, खाद्य सुरक्षा विशेषांक, पेज-15।

अनु0-46 अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि में सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी अभिरक्षा करेगा।

अनु0-47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।

अनु0-48 कृषि और पशुपालन का संगठन के तहत कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने की चर्चा की गयी है।

इसी कारण मूल अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद-21 में इसे शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद की व्याख्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 (क) के साथ की है। इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार बनाएंगे कि स्त्री-पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित हो। इसी प्रकार राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 47 में भी यह कहा गया है राज्य अपने नागरिकों के पोषाहार-स्तर, जीवन-स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल करें। भारतीय नागरिकों को भूखमरी से सुरक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 39 (क) तथा अनुच्छेद 47 के तहत राज्यों की जिम्मेदारी है। अतः राज्यों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे खाद्य उत्पादन, परिरक्षण, भण्डारण तथा वितरण का अपनी नीतियों के माध्यम से उन्नयन करें।⁸

भारत में खाद्य सुरक्षा की दिशा में बहुत से कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं। ये योजनाएं एक बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब एक महिला गर्भवती होती है तो एकीकृत बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र के जरिए उसे सहायता मिलती है। गरीब महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ योजना है, जो उसे 8 से 12 सप्ताह तक पर्याप्त पोषण की गारण्टी देती है। बच्चे के जन्म के बाद आई0सी0डी0एस0 योजना उसकी पोषण जरूरतों को पूरा करती है। बच्चे को आंगनबाड़ी केन्द्र में पोषण मिलता है। वह जब स्कूल जाता है तब उसे मिड डे मील योजना के तहत भोजन मिलता है। बच्चे के व्यस्क होने पर उसे मनेरगा या अन्य बहुत सी रोजगार योजनाओं के माध्यम से आय प्राप्ति का विकल्प है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आय प्राप्ति का विकल्प है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसे सस्ते मूल्य पर अनाजों की उपलब्धता है। अत्यन्त गरीबों के लिए ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 व अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से बहुत सस्ते मूल्य (2 रूपया प्रति किग्रा0 गेहूँ व 3 रूपया प्रति किग्रा0 चावल) पर 35 किलो ग्राम अनाज प्रति परिवार के लिए पर्याप्त होता है। वृद्धों के लिए बृद्धावस्था पेंशन व अन्नपूर्णा योजना है। गरीब परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यस्क की मृत्यु होने पर परिवार लाभ योजना के तहत आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। इस प्रकार देखें तो सरकारी योजनाओं में खाद्य

⁸ वही, पृष्ठ- (15-17)

सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास और योजनाएं अनवरत जारी है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम इस प्रकार हैं –

(1) गेहूँ आधारित पोषाहार कार्यक्रम :- यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित अनाज का इस्तेमाल राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बच्चों और उपेक्षित वर्गों से सम्बद्ध गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए किया जाता है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के लिए अनाज आपूर्ति कार्यक्रम :- यह कार्यक्रम अक्टूबर 1994 में शुरू किया गया था। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है। इसके अन्तर्गत कुछ छात्रों में से इन वर्गों के दो तिहाई संख्या वाले छात्रावासों को प्रति छात्र 15 किलोग्राम अनाज की आपूर्ति की जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के अनुरोध पर यह आवंटित किया जाता है। इसका पहली बार आवंटन 2001-02 में 19 राज्यों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सिफारिश पर किया गया था।

(3) कल्याणकारी संस्थाओं के लिए प्रावधान :- जिन भिक्षुकगृहों, नारी निकेतनों, बाल सुधार गृहों आदि को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भामिल नहीं किए गया हो, उनकी अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को वर्ष 2002-03 से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अनाज का अतिरिक्त आवंटन बी0पी0एल0 दरों पर किया जाता है, जो कुल बी0पी0एल0 आवंटन का अधिकतम 5 प्रतिशत हो सकता है।

(4) आपात आहार कार्यक्रम :- यह कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के वृद्ध, अक्षम व बेसहारा लोगों को विपत्ति के समय भोजन मुहैया कराने का एक अनाज आधारित उपाय है। यह योजना सर्वप्रथम मई 1995-96 में 45,141 लाभार्थियों को शामिल करते हुए उड़ीसा के पांच जिलों में शुरू की गई।

(5) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली :- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अनाज की न्यूनतम मात्रा आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने जून 1997 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य देश में करीब 6 करोड़ निर्धन परिवारों को लाभ पहुँचाना था। इसके लिए 72 लाख टन अनाज प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। कार्यक्रम के लिए प्रति परिवार प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज निर्धारित था, जिसे 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर 25 किलोग्राम कर दिया गया। बी0पी0एल0 व अन्त्योदय योजन के परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह दिया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को अनाज की केन्द्रीय पुल में उपलब्धता के आधार पर आवंटन किया जाता है, लाभार्थी अपने राशनकार्ड के जरिये निकटवर्ती सस्ते मूल्य की दुकानों (कोटा सिस्टम) पर से अनाज प्राप्त कर सकते हैं।

(6) अन्त्योदय अन्य योजना :- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आबादी के निर्धनतम वर्गों पर अधिक केन्द्रित और लक्षित बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत 1 करोड़ निर्धन परिवारों के लिए दिसम्बर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत कवर किए गये बी0पी0एल0 परिवारों में से सबसे निर्धन परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें अधिक सब्सिडी देते हुए 35 किलाग्राम अनाज 2 रुपये प्रति किलो दर से गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो दर से चावल आवंटित किया जाता है।

(7) अन्नपूर्णा योजना :- इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2000-01 में शुरू किया। इसके अन्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे वृद्ध पात्र हैं, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के बावजूद पेंशन नहीं मिल पाती है। इस योजना में प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाता है। वर्ष 2002-03 से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से हस्तांतरित कर दिया गया है। इस योजना हेतु राज्यों को बी0पी0एल0 दरों पर अनाज का आवंटन किया जाता है।

(8) मिड डे मील कार्यक्रम :- इस प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। स्कूलों में दाखिलों की संख्या बढ़ाने, स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने व उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक स्कूलों के छात्रों के लिए इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से की थी। इसका एक लक्ष्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना भी है। वर्ष 1997-98 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक व नवीन शिक्षा केन्द्रों के कक्षा-8 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वार्षिक आवश्यकतानुसार अनाज आवंटित करता है।

(9) ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम :- यह योजना पूर्व में 11 राज्यों में जनजातीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी, बाद में 24 नवम्बर, 2004 से यह स्कीम खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की अवधि के दौरान या ऐसे मौसम के दौरान जब अनाज के रूप में असुरक्षित सीमांत परिवार के पास राशन खरीदने के पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं तब भुखमरी से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत जरूरतमंद ग्रामीण अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकेंगे। अनाज बैंकों की स्थापना सूखाग्रस्त क्षेत्रों, गर्म एवं शीत मरुस्थली क्षेत्रों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों आदि जैसे खाद्यान्न की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। इन ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान सम्बद्ध राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा की जाती है। इन अनाज बैंकों का संचालन ग्राम सभा, राज्य सरकार द्वारा चिन्हित गैर-सरकारी संगठन व स्वयं सहायता समूह आदि करने के लिए पात्र हैं।

(10) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल-2011 को 22 दिसम्बर, 2011 को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के 0वी0 थॉमस ने लोकसभा में पेश किया था। लम्बे गतिरोध के बाद अंततः 05 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिये इसे लागू किया गया। बाद में इसे लोकसभा ने 26 अगस्त 2013 को तथा राज्यसभा ने 02 सितम्बर 2013 को पारित कर दिया जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 12 सितम्बर को दे दी है। यह कानून देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत शहरी, कुल मिलाकर 67 प्रतिशत आबादी यानी 82 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देता है। योजना के तहत कुल व्यय का अनुमान 01 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का है। इस कानून के तहत लाभार्थियों की दो श्रेणियां बनायी गयी हैं— एक प्राथमिक समूह तथा दूसरा सामान्य समूह। इसमें क्रमशः 46 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत लाभार्थी हैं। प्राथमिकता समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 05 किलोग्राम अनाज चावल, गेहूँ तथा मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जायेगा। सामान्य समूह के लाभार्थी को यह अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत कीमत पर प्राप्त होंगे। खाद्य सुरक्षा के दायरे में गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इन्हें गर्भावस्था में तथा 06 माह बाद तक भोजन दिया जायेगा तथा उसके बाद अगले 06 माह तक 1000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जायेगी। इसके अलावा 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में और 06 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूलों में मिड डे मील भी इसके दायरे में होंगे। साथ ही अभावग्रस्त व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार भोजन, आवास रहित को सामुदायिक रसोई में भोजन तथा भूखे व्यक्ति को प्रतिदिन 06 माह तक दो समय का भोजन भी इस कानून में शामिल हैं।⁹

आधुनिक लोक कल्याणकारी सरकारों के लिए भोजन व पौष्टिक भोजन दिए जाने का मुद्दा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता रहा है। सामान्यतः तृतीय विश्व के देशों में उनकी वृहद रूप से फैली गरीबी के निवारण हेतु उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों में सभी को भोजन दिए जाने की बात की जाती रही है। फिर भी, हर देश में नीति-नियन्ताओं ने अपने-अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में "खाद्य सुरक्षा" को शामिल करने की बात अभी हाल में नया ही है।

खाद्य सुरक्षा का सही अर्थ सिर्फ भोजन की उपलब्धता ही नहीं बल्कि सीधे उपभोग से भी है। इसमें कौन सा दिल से बहुत महत्वपूर्ण है, यह स्पष्ट करना कठिन है लेकिन साथ ही लोगों के भोजन को खरीदने की क्रय क्षमता और उसके उपभोग करने के उपयुक्त माहौल के निर्माण से भी है। **अमर्त्य सेन** की दी हुई परिभाषा के आशय अनुसार सबसे पहले प्रथम और सभी व्यक्ति से है। देश में भोजन दिए जाने की योजना में सभी प्रमुख राज्य सरकारों ने इसी पर बल दिया है व एक उदाहरण पेश किया है कि जरूरी खाद्यान्न देश के भीतर उपलब्ध है। तथा दूसरे स्थान पर लोगों के भोजन को खरीदने की क्षमता को रखा है।¹⁰

⁹ गोरव, कुमार, द्वारा "भारत में खाद्य सुरक्षा", कुरुक्षेत्र, नवम्बर, 2013, खाद्य सुरक्षा विशेषांक, पृष्ठ, 15-17

¹⁰सेन, अमर्त्य (1995), "द पोलिटिकल इकोनामी आफ टारगेटिंग इन वैन डी वाली एन्ड नीडस" (ई.डी.एस.), इनसीडेन्स एण्ड टारगेटिंग : एन ओवर व्यू आफ इम्प्लीकेशन फॉर रीसर्च एन्ड पॉलिसी।

अमर्त्य सेन ने और आगे की सोच विचार कर खाद्य उत्पादन की क्षमता में वृद्धि को बहुत ही आवश्यक बतलाया है यद्यपि गरीबी व खाद्य सुरक्षा में सुधार की उन्नति के लिए यह एक महत्वपूर्ण भाग नहीं है, जबकि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग करीब व कुपोषित हो। आज जबकि देश में खाद्य उत्पादन की तीव्र गति और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी खाद्य सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद गरीब व जरूरतमंद लोगों को अधिकार देने की बातें खोखली मालूम पड़ती है। इसके लिए महत्वपूर्ण कमी खाद्य आपूर्ति (वितरण) का ठीक न होना है। पूंजीवादी बाजार व्यवस्था में गरीब लोगों को अपने आप से भोजन प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

जैसा कि **के०सी०एस० आचार्या** 1983 के अनुसार— खाद्य सुरक्षा के विचार में इसलिए सोच विचार कर संशोधन किया था। खाद्य की उपलब्धता और स्थिरता जहां पर अच्छा मापक हो। खाद्य सुरक्षा का अर्थ 1970 के दशक तक यही था। यह अब नए रूप में अकेले ही खाद्य की उपलब्धता को मान्यता देता है, लेकिन यह गरीब लोगों के खाद्य उपभोग को सुरक्षित नहीं करता है। इसलिए सरकारों ने अपनी-अपनी ढांचागत नीतियों में गरीब व योग्य लोगों को खाद्य उपभोग की समुचित व पर्याप्त मात्रा मिलने की बात की है।¹¹

(द्वितीय भाग)

2.2 खाद्य सुरक्षा के मुद्दे व साहित्य पर सिंहावलोकन :-

खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भारत में न केवल अर्थशास्त्रीयों व नीति नियंताओं के अध्ययन का भाग है बल्कि अध्ययन-अध्यापन के विद्वानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अध्ययनशील लोगों के मध्य में निम्न मुद्दों पर एक आपसी समझ व समन्वय का नाता-रिश्ता पैदा करता है।

- (i) खाद्य सुरक्षा और ऐतिहासिक मूल्यांकन।
- (ii) खाद्य सुरक्षा और जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न मांग परियोजना और प्रति व्यक्ति आय।
- (iii) खाद्य सुरक्षा और गरीबी की मापक क्षमता।
- (iv) खाद्य सुरक्षा और भुखमरी तथा अकाल के प्रश्न।
- (v) खाद्य सुरक्षा गरीबी और बेरोजगारी।
- (vi) खाद्य सुरक्षा और फसल उत्पादन के ढांचे में सम्बन्ध व संरचनात्मक समायोजन।

1. खाद्य सुरक्षा और ऐतिहासिक मूल्यांकन :-

आरम्भिक अध्ययन में खाद्य सुरक्षा मुख्यतः इस प्रसंग पर बल देता है कि खाद्य सुरक्षा को एक विचार से कहीं अधिक यह अपने समय के अध्ययनशील मूल्यांकनों जिसमें कि प्रतिरोधक अनाज व स्टॉक भण्डार की सरकारी नीति और इसी से सम्बन्धित आशय से है। जिसमें कि बड़े अध्ययनों से सम्बन्धित परिणाम है— **आचार्या, के०सी०एस०**


¹¹ आचार्या, के०सी०एस., (1983), "फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इण्डिया", कांसेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी, न्यु देलही।

(1983), बपना¹² (1988) व वी0 एम0 भाटिया¹³ 1983 के अध्ययन। इन लेखकों के अनुसार—“ भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की उत्पत्ति भुखमरी, अकाल व सूखे का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं द्वारा प्रमुखता से कमी लाने की सरकार की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जो तीव्र कमी की स्थितियों के कारण होता है, में दृष्टिगोचर होता है। उत्तरकालीन हुए आन्दोलनों तथा कुछ संगठनों और संस्थाओं की स्थापना से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी काफी सहायता मिली।

2. खाद्य सुरक्षा और जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न मांग परियोजना और प्रति व्यक्ति आय :-

कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों में भारत में जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभाव प्रमुख हैं। वास्तव में अर्थशास्त्री कुमार रोजेन ग्रान्ट 1994 और वोयुस राधाकृष्णा और रवि¹⁴ 1990, दिआकासवास¹⁵ 1989, जी0एल0भल्ला और पीटर हाजेल 2000 की अपनी पहचान विकास में महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव और खाद्यान्नों के लिए भोजन की उपलब्धता की मांग का आकलन किया है।

Chart-1: Actual stocks of grains (as on July 1st) with public agencies vis-a-vis Buffer stock norms



Source: Shanta Kumar Report FCI reform & Food security Report of the high level Committee on Reorienting the Role and Restructuring of Food Corporation of India, January 2015, Page -16

¹² बपना, (1988): पी0डी0एस0 एण्ड फूड सिक्योरिटी इन इण्डिया, सी0एम0ए0 मोनोग्राफ, आई0 आई0 एम0, अहमदाबाद।

¹³ भाटिया, वी0 एम0 (1983) : इन्स्टीट्यूशनस एन्ड इनसेन्टि बस इन इण्डियाज फूड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर : ए स्टडी इन इंडियाज फूड पॉलिसी, एशियन एण्ड पैसिफिक डेवलपमेण्ट सेण्टर, मलेशिया।

¹⁴ राधाकृष्णा, रवि (1990), “फूड डिमाण्ड प्रोजेक्शन इन इण्डिया: ए स्टडी अण्डर टेकेन फार द वेस्ट बंगाल”, सी0ई0एस0, हैदराबाद।

¹⁵ दिआकासवास, डी (1989) : “बान द केसेज आफ फूड इनसिक्योरिटी इन लेस डेवलपेड कंट्रीज” एन इम्पीरिकल इवोल्यूशन, वर्ल्ड डेवलपमेण्ट

जी0एस0 भल्ला और पीटर हाजेल¹⁶ 2000 ने अपने अध्ययन में अनाज मांग के अनुमानों और प्रस्तुत आय में वृद्धि तथा उपभोग के लिए वैकल्पिक परिदृश्यों के तहत 2020 तक शेष खाद्यान्न की आपूर्ति के व्यवहार और कृषि उत्पादन रणनीतियों पर विचार व्यक्त किया जबकि ऐसे परिदृश्यों का आधार चिन्तन केवल काल्पनिक अनुमान ही था कि कैसे भारत के पास अनाज का घाटा 40–60 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने पर 2020 तक कैसे खाद्यान्न आपूर्ति हो पायेगी। जबकि घाटे का कारण वहां कुल उत्पादन के परिणाम में भारी कमी रही तब भारत में अनाज की आवश्यकता के साथ-साथ विश्व अनाज व्यापार और अन्य देशों से अच्छा व्यापार संतुलन स्थापित करने का महत्वपूर्ण टकराव रहा। विश्व बैंक के अनुसार यह भारत के लिए भोजन की मांग के खाद्य अनुमान व प्रति व्यक्ति खर्चों में बदलाव के प्रभाव का मुख्य कारण सम्पूर्ण जनसंख्या और जन्म मृत्यु दर का सम्बन्ध रहा है।

जे0 डब्लू0 मेलर¹⁷ ने वर्ष (1983) में खाद्यान्न उपलब्धता और आबादी में बदलाव के प्रभाव का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में खाद्य सुरक्षा में टकराव का प्रभाव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय को माना है। वे कहते हैं कि कुछ प्रसिद्ध सघन बसे विकासशील देश भी हैं, जिनमें भारत के सम्मुख कठिन चुनौती है कि कैसे सभी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए व उच्च विकास दर भी हासिल की जाए? यह एक दुर्जेय चुनौती है। मांग के अनुरूप भोजन के हर दाने को संरक्षित करने की भी कठिन समस्या है क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन विकास दर की तुलना में प्रति वर्ष वृद्धि कठिनता से 3.5 से 4 प्रतिशत प्रति वर्ष ही है। 1949–50 से 1989–90 के बीच विभिन्न काल अवधि में तुलनात्मक रूप से खाद्यान्न में वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत प्रति वर्ष ही रही है। लेकिन 2000 के बाद के वर्षों में काफी तेजी से वृद्धि भी देखी गयी। उत्पादन में कमी का रूख भी एक कठिन समस्या है।

अन्य महत्वपूर्ण अध्ययनों में दिआकासवास (1989) ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में खाद्य उत्पादन और 50 अन्य देशों के उत्पादन में अस्थिर वृद्धि व उत्पादन में अस्थिरता में कौन सा अमला महत्वपूर्ण व्यय है।

3. खाद्य सुरक्षा और गरीबी की मापन क्षमता :-

इस क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सम्बन्धी विचार को जानना आवश्यक है क्योंकि गरीबी की अवधारणा मापन और पहचान करने का विचार भी इससे जुड़ा है। **शीबोहम रावन ट्री**¹⁸ 1901, **मिलर रावी**¹⁹, **रन सीमान**²⁰ 1966, **टाउन सेन्ड**²¹ 1971, **सुखातमी**²² 1965, **वी0 एन0 दाण्डेकर व एन0 रथ**²³ 1971, **पामक्कर** 1972, **जाम**

¹⁶ भल्ला, जी0 एस0 (2000) : 'पॉलिसी फार फूड सिक्योरिटी इन इण्डिया' द्वारा सम्पादित, इकोनॉमिक लिवरलाइजेशन एण्ड इण्डियन एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इण्डियन डेवलपमेण्ड सेन्टर, मलेशिया।

¹⁷ मिलर, जे0 डब्लू0, (1983) : "फूड पालिसी फार द डेवलपिंग कंट्रीज", अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, वाल्यूम-93, नम्बर-2

¹⁸ राऊन्ट्री, भीबोहम, (1901) : "पॉवर्टी : ए स्टडी आफ टाउन लाइफ", लन्दन, मैकमिलन

¹⁹ मिलर एण्ड रावी, (1971) : "पॉवर्टी : चेन्जिंग सोशल चेन्जिंग सस्टिफेक्शन "

²⁰ रनसीमान, ए0 लू0 जी0 (1966): "रिलेटिव डी प्रड्रवेशन एण्ड सेसल जस्टिस", लन्दन, रूटलडज एण्ड कीगम पाउल

²¹ टाउन सेण्ड, पी0 (1971) : "द कांसेप्ट आफ पॉवर्टी", लन्दन हेनीमैन

²² सुखातमी, (1965) "फीडिंग इण्डियाज ग्रोइंग मिलियन्स", एशिया पब्लिसिंग हाऊस, बम्बई।

²³ वी0 एम0 दाण्डेकर एण्ड एम0 रथ (1971) : "पॉवर्टी इन इण्डिया", इण्डियन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनामी, पूना 1971

और मिनहास 1995, सुजैन जियोरगर²⁴ 1976, के हनुमन्था राव²⁵ 1972, योगेन्द्र कुमार अलघ²⁶ 1995, योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्टों, पंचवर्षीय योजनाओं, नशनल सैम्पल सर्वे²⁷, राष्ट्रीय नमूना सर्वे, टी0 एन0 श्री निवासन फार्मुला व तेन्दुलकर कमेटी आदि सभी की रिपोर्टों में गरीबी और भोजन के सेवन में परस्पर जुड़ाव देखा गया है।

भारत में गरीबी की परिभाषा की कसौटी पूरी तरह से जरूरी जीवन जीने लायक कम से कम जरूरी कैलोरी युक्त भोजन की प्राप्ति से है। गरीबी की रेखा पूरी तरह से जरूरी भोजन खरीदने की एक समान क्षमता पर आधारित है। जिसमें कि 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है, लेकिन लिहाजा कुछ लोग इस विचार से असहमत भी हैं क्योंकि सामान्य भारतीयों को पर्याप्त कैलोरी ही नहीं मिल पाती है। —सुखातमी, 1965

लिहाजा बिना किसी निरपेक्ष प्रकृति के वाद-विवाद/बहस के बिना गरीबी की संकीर्ण परिभाषा को ही मान्यता दी गयी है। कम से कम रोज भोजन की जरूरत को व्यक्तिगत रूप से सभी ने स्वीकार किया है और कुछ विद्वानों ने इसी को गरीबी के मापन का मापदण्ड माना है। (सुदीप कुमार महापात्रा, आर0 बी0 आई0 के प्रांसागिक लेख, पेज-5071) योजना आयोग के 'टास्क फोर्स' ने 1979 में इसको 2435 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में और 2095 कैलोरी प्रति व्यक्ति/प्रति दिन शहरी क्षेत्रों में ग्रहण करना माना है।²⁸

पौष्टिक पोषक तत्वों से युक्त भोजन के ग्रहण करने को गरीबी का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है जो कि गरीबी को कम करने वाले नीतियों के जानकार लोगों के निर्णयों में बहुत ही प्रभावशाली परिभाषित करते हैं। गरीबी को कम करने से सम्बन्धित योजनाओं में भोजन की पहुँच में वृद्धि पर बल दिया जाता है। अतः गरीब लोगो में भोजन के वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास किया गया और साथ ही मनरेगा द्वारा रोजगार के अवसर पैदा किये गये तथा वेतन की गारंटी दी गई, जिससे कि लोग अपने भोजन खरीदने के लिए खुद ही सक्षम बने।

4. भोजन, अकाल, भुखमरी और गरीबी :-

अधिकांश विद्वानों के अध्ययनों में एक शर्त के साथ भुखमरी और अकाल के जुड़ाव को स्पष्ट किया गया है। खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए भुखमरी और अकाल के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना आवश्यक है। वे राज्य कार्यवाही की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने के साथ ही भूख और स्थानीय आभाव की समस्या

²⁴ सूजन जीओरगर (1976) : "हाऊ टू आदर हाफ डाइज, द रीपल रीजन्स फार वर्ल्ड हंगर, पेंगुइन"

²⁵ राव, हनुमन्था, (1979): "पावर्टी एण्ड डेवलेपमेण्ट-करेक्टरस्ट्रिक्स" आफ लेस डेवलेप्ड रीजन्स आफ इण्डिया, ई0पी0डब्लू0,वाल्थूम-114

²⁶ अलघ, योगेन्द्र के, (1995) : पावर्टी एण्ड फूड सिक्योरिटी - टूवार्ड्स ए पॉलिसी सिस्टम फार फूड सिक्योरिटी, ई0पी0डब्लू, 30 दिसम्बर 1995

²⁷ नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन (1990) : यूटिलाइजेशन आफ पी0डी0एस0, सर्वेक्षण, नवम्बर 23, वाल्यूम-12

²⁸ योजना आयोग के टास्क फोर्स की रिपोर्ट - 1979

को दूर करने पर बल देते हैं। इन अध्ययनों में एल0 आर0 ब्राउन और ई0 पी0 इकहोलम्स²⁹ 1975, ज्यां द्रेज और अमर्त्य सेन³⁰ 1989, अमर्त्य सेन³¹ 1982, जीन द्रेज और सेन³² 1990 शामिल हैं।

अकाल और भुखमरी का मुद्दा निकटता से खाद्य उत्पादन और खाद्य की उपलब्धता कैसे भुखमरी और अकाल की समाप्ति में सहायक नहीं है। उन्होंने अपने अध्ययन में माना कि किस प्रकार भारी खाद्यान्न उत्पादन और भरे गोदामों के साथ उचित रूप से खाद्यान्न के समान वितरण न होने के कारण अकाल और भुखमरी से व्यक्ति अन्दर और बाहर से टूट जाता है।

ज्यां द्रेज और अमर्त्य सेन ने अपनी किताब *“हंगर एन्ड पब्लिक एक्सन”* में विचार दिया कि भूख और कुपोषण से निपटने के लिए हुई जन कार्यवाही के अभावों को दूर करने के लिए एक सकारात्मक कदम माना है। हालाँकि वे स्थानीय आभावों को दूर करने और पोषण के तहत सार्वजनिक कार्यवाही में निम्न आवश्यक मूल तत्वों को बढ़ावा दिए जाने की बात करते हैं। –

1. भोजन
2. प्राथमिक स्वास्थ्य
3. प्रारम्भिक शिक्षा
4. स्वच्छ पानी
5. रहने के लिए आवास
6. बुनियादी स्वच्छता आदि को शामिल करते हैं।

उनके अनुसार पहला विचार दूसरे विभिन्न विषयों की प्रतिक्रिया की अपेक्षा सार्वजनिक कार्यवाही की स्थिति की सार्थकता पर आधारित होगा। दूसरा जनता में विषय तत्वों का बंटवारा सामान्यतः वर्ग, स्वामित्व, व्यवसाय, लिंग, समुदाय और संस्कृति के आधार पर ही मिलता है।

अमर्त्य सेन ने अपनी किताब *“द पोलिटिकल इकोनामी ऑफ हंगर”* में भुखमरी होने के तीन सिद्धान्त दिए हैं।

1. शीर्ष व्यवस्था का फेल होना। **(Faliour of Entitlement)**
2. पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध न होना। **(Non-availability of Food)**
3. क्रय शक्ति क्षमता का न होना या आभाव होना। **(Lack of Purchasing Capacity)**

भुखमरी के उन्मूलन के लिए एक ही समय निम्न रूपों में राज्य कार्यवाही पर बल दिया गया है।

1. खाद्य उत्पादन।

²⁹ ब्राउन, एल0 आर0 एण्ड ई0 पी0 इकहोलम्स (1975), बाई ब्रीड एलोन, पेंगायान प्रेस, आक्सफोर्ड,

³⁰ द्रेज, ज्यां एण्ड अमर्त्य सेन (1989) *“हंगर एण्ड पब्लिक एक्सन”*, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

³¹ सेन, अमर्त्य (1982) : *“पावर्टी एण्ड फिमाइन”* आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली”

³² द्रेज, ज्यां एण्ड अमर्त्य सेन (1990) : *“द पोलिटिकल इकोनामी आफ हंगर, क्लैरिफिकेशन प्रेस, आक्सफोर्ड”*

2. भोजन वितरण।
3. आय और रोजगार के लिए गारण्टीयुक्त रोजगार सृजन।
4. राहत अभियान की तरह मजदूरों को नकद मजदूरी देना।
5. स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान व महामारी नियंत्रण।
6. आर्थिक विकास को बढ़ावा।
7. आय को बढ़ाना, आदि अन्य उत्पादक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया जाये।

5. खाद्य सुरक्षा गरीबी और बेरोजगारी :-

गरीबी और खाद्य सुरक्षा के निर्माण में गरीबी और बेरोजगारी का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण बेरोजगारी के आपसी जुड़ाव का कुछ विद्वानों द्वारा विश्लेषण किया गया है। उनमें उल्लेखनीय हैं—राज कृष्णा³³ 1973, लकड़ावाला डी.टी.³⁴ 1977, दन्तेवाला एम.एल.³⁵ 1979, के० सुन्दरम और एस० तेन्दुलकर³⁶ 1988, एन० कृष्णन³⁷ 1992। इन सभी के अध्ययनों में प्राथमिकता से रोजगार सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति शामिल है। सर्वप्रथम राजकृष्णा ने 1973 में ही गरीबी और बेरोजगारी के निवारण के लिए अपने विश्लेषण में विभिन्न प्रकार के गरीब परिवारों का अध्ययन किया। एम० एल० दन्तेवाला (1979) ने गरीबी और बेरोजगारी के बीच सम्बन्धों की कड़ी में नई अन्तर्दृष्टि प्रदान की है। लकड़ावाला के विश्लेषण से पता चलता है कि गरीबी और बेरोजगारी सह सम्बंधी नहीं थे। दूसरी ओर के० सुन्दरम और सुरेश तेंदुलकर (1988) के विश्लेषण में व्यक्ति के रोज की बेरोजगारी और गरीबी के विस्तार के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सम्बन्ध होने का पता चला।

6. खाद्य सुरक्षा और फसल उत्पादन के ढांचे में सम्बन्ध व संरचनात्मक समायोजन :-

विशेषतः संरचनात्मक समायोजन का प्रभाव गरीबों तक खाद्य सुरक्षा की पहुँच के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया है। खाद्य सुरक्षा और फसल उत्पादन के जुड़ाव सम्बन्धी पहलू पर बड़े कार्यों में शामिल हैं, डी० बंधोपाध्याय³⁸ 1995, जी० एस० मल्ला 1995, राधाकृष्णन³⁹ 1996, जगदीश भगवती व टी०एन० श्री निवासन⁴⁰ 1993, वी० एस० व्यास⁴¹ 1993, कश्मीर बसू⁴² 1993, जोस ई० मूइज⁴³ 1994, एम० एच०

³³ कृष्णा, राज, 1973 : "गवर्नमेण्ट आपरेशन इन फूड ग्रेन्स" इन परमीत चौधरी द्वारा सम्पादित 1972 : रीडिंग्स इन इण्डियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट, जार्ज एलेन एण्ड उरविन लिमिटेड,

³⁴ लकड़ावाला, डी०टी० (1977) : "ग्रोथ अनइम्प्लाइमेण्ट एण्ड पॉवर्टी", प्रेसीडेंशियल एड्रेस टू द आल इण्डिया लेवर इकोनॉमिक कांफ्रेंस, तिरुपति, दिसम्बर, 31

³⁵ दन्तेवाला, एम० एल० (1979) : "सरल अनइम्प्लाइमेण्ट-फैक्ट्स एण्ड इश्यूज", ई०पी०डब्ल्यू०, 25 जून, वाल्यूम-14

³⁶ सुन्दरम, के० एण्ड एस० तेंदुलकर (1988) : "टूवार्ड्स एन एक्सप्लोरेशन आफ इन्टर रीनल वैरीएशन्स इन पॉवर्टी एण्ड इम्प्लाइमेण्ट" इन टी० एन० श्री निवासन पी० के० बर्धन, आक्सफोर्ड प्रेस बिल्डिंग।

³⁷ कृष्णन, टी० एन०, (1992) : "पापुलेशन, पॉवर्टी एण्ड इम्प्लाइमेण्ट इन इण्डिया, ई० पी० डब्ल्यू०, नवम्बर 14, वाल्यूम-27"

³⁸ बंधोपाध्याय, डी० (1996) : "फूड सिक्योरिटी एण्ड लिबरलाइजेशन, मेमोरियल लेक्चर "

³⁹ राधाकृष्णा, आर० (1996) : "फूड सिक्योरिटी- न्युट्रीशन एण्ड पॉवर्टी इन इण्डिया" सी० ई० एस०, हैदराबाद

⁴⁰ भागवती, जगदीश एण्ड टी० एन० श्री निवासन (1993), "इंडियाज इकोनॉमिक रिफार्मस" गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस

⁴¹ व्यास, वी० एस० (1993) : "न्यु इकोनॉमिक पालिसी एण्ड वेल्यूनरेबल सेक्सन्स", ई०पी०डब्ल्यू० 6 मार्च, वाल्यूम-27

⁴² बसू, के० (1993) : "स्ट्रक्चरल रिफार्म इन इण्डिया (1991-93) एक्सपीरियन्स एण्ड एजेंडा, ई०पी०डब्ल्यू०, 27 नवम्बर, वाल्यूम-79"

⁴³ जोस ई० मूइज, "पी०डी०एस० एज सेपटी नेट-हू इज सेण्ड"? ई०पी०डब्ल्यू० 15 जनवरी, 1994

सूर्यनारायणा⁴⁴ 1996, गौरव दत्त⁴⁵ 1999, पारिख नारायणा⁴⁶ 1995, किरीट पारिख⁴⁷ 1992, सुब्रामण्यम शंकर⁴⁸ 1993, उत्सा पटनायक⁴⁹ 1996, दीपक नय्यर और अभिजीत सेन 1994, जी0 पार्थ सारथी⁵⁰ 1996 आदि प्रमुख हैं।

मौद्रिक और राजकोषीय संपीडन रूढ़िवादी कार्यक्रम के प्रमुख घटक संरनात्मक समायोजन और स्थिरीकरण में मूल अवयव हैं। पिछले 25 वर्षों के अनुभव से संकेत मिलता है कि सरकारी व्यय में कटौती हो रही है। विकासशील देशों में बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक क्षेत्रों में विकास पर हुई खर्च सबसे तेजी पर सदा ही गिर जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी अपनी सिफारिशों में विकासशील देशों में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी सब्सिडी, संरचनात्मक समायोजन पैकेज के रूप में खाद्य सब्सिडी में कटौती की सिफारिश की है। खाद्य सब्सिडी में कटौती से गरीब देशों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों का प्रभाव उनके अनाज खपत और लोगों के पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। (जे0 वाल्टन और सेड्डन⁵¹ 1994)

जी0 पार्थ सारथी ने (1996) के अपने विश्लेषण में, कैसे प्रौद्योगिकी के विकास से कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को परम्परागत क्षेत्र में विस्थापित कर देता है और वह कृषि क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में लगे लोगों के लिए सामाजिक सहायता के तीन प्रमुख रूपों पर चर्चा की है।— खाद्य सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा व स्वास्थ्य सुरक्षा।

उत्सा पटनायक (1996) ने कृषि उत्पादन व फसल प्रतिमानों में बदलाव के लिए संरचनात्मक समायोजन की शुरुआत की। उनके विचार में कैसे जमीन खाद्य फसल देती है व खाद्य आपूर्ति के मार्ग में कमी होने के परिणाम स्वरूप नकदी फसलों को बढ़ावा देती है। वे यह भी कहती हैं कि विकासशील देशों में घरेलू आय में वृद्धि का कारण उदारीकरण की नीतियों के अधोषित लक्ष्यों का सीमित होना प्रतीत होता है।⁵²

डी0 बंधोपाध्याय (1995) के अनुसार – बुनियादी स्थिरीकरण के घटक और संरनात्मक समायोजन कार्यक्रम सार्वजनिक व्यय के संकुचन राजकोषीय घाटा कम करने के लिए है। राज्य की आर्थिक गतिविधियों में मुक्त बाजार की व्यवस्था होने से तत्काल और अपरिहार्य सरकारी खर्च में कमी के परिणाम सार्वजनिक निवेश में कटौती करना है। उदारीकरण ने खाद्य फसलों की अपेक्षा गैर खाद्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया है। खाद्य और अखाद्य फसलों में पहली शर्त लोगों की खाद्य सुरक्षा ही है। कृषि और

⁴⁴ सूर्यनारायणा, एम0एच0 (1996) : "इकोनामिक रीफार्मस-नेचर एण्ड पावर्टी", ई0पी0डब्लू 9 मार्च (1994)

⁴⁵ दत्त, गौरव, (1994) : "कम्युटेशनल टूल्स फार पावर्टी मेजरमेंट एण्ड एनालिसिस सर्वेक्षण, वाल्यूम-18, नं0-2, पी0पी0- 1 टू 10"

⁴⁶ पारिख, के0एस0 सूर्यनारायणा (1989) : "फूड एण्ड एग्रीकल्चर सब्सिडीज, इनसीडेन्स एण्ड वेलफेयर इन अल्टरनेटिव स्कीम्स, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट रिसर्च, बाम्बे"

⁴⁷ पारिख, के0 एस0 (1994) : "हू गेट्स हाऊ मच फ्राम पी0डी0एस0, हाऊ इफेक्टिवेली डज इट रीच द पुअर?" सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट रिसर्च, बाम्बे, जनवरी-मार्च, वाल्यूम-17, नवम्बर-3

⁴⁸ शंकर, सुब्रामण्यम, (1993) : "एग्रीकल्चर ट्रेड लिबरलाइजेशन एण्ड इण्डिया", डेवलपमेंट स्टडीज सेंटर

⁴⁹ पटनायक, उत्सा, (1996) "एक्सपोर्ट-ओरियण्टेड एग्रीकल्चर एण्ड फूड सिक्योरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज एण्ड इण्डिया", ई0पी0डब्लू, सितम्बर-1996

⁵⁰ पार्थ सारथी, जी0 (1996) : "सोशल सिक्योरिटी एण्ड सट्रक्चरल एडजस्टमेंट", द इण्डियन जर्नल आफ लेवर इकोनॉमिक्स, वाल्यूम-39, नवम्बर-1, जनवरी टू मार्च

⁵¹ वाल्टन, जे0एण्ड0डी0 सेड्डन (1994) : "फ्री मार्केट एण्ड फूड राइट्स-द पॉलिटिक्स आफ ग्लोबल एडजस्टमेंट, ब्लैकमेल, आक्सफोर्ड"

⁵² उत्सा पटनायक (2007) : "द रिपब्लिक आफ अंगर एण्ड अदर एस्से", श्री एस्से कलेक्टिव, 2007

कृषि उत्पादों के मुक्त बाजार की अनुमति के लिए दी जाने वाली सब्सिडी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कीमतों में वृद्धि का कारण होगा, जिसका परिणाम गरीब लोगों के भोजन खरीदने की अक्षमता होगा।

सुब्रामण्यम शंकर (1993) ने कहा कि उदारीकरण ने गैर कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब कृषि की जगह उद्योग-धन्धों ने ले ली। जबकि लम्बे समय तक कृषि को बढ़ावा देने की बात उदारीकरण में थी। जिसके कारण अनाज की कीमते बढ़ जाती हैं तथा ग्रामीण व शहरी गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, क्योंकि उच्च खाद्यान्न मूल्य से लोगों की क्रय क्षमता भी कुछ समय के लिए प्रभावित हो जाती है। सुब्रामण्यम सुझाव देते हैं कि वैश्विक कृषि कीमतों में वृद्धि से भारतीय कृषि क्षेत्र व वास्तविक आय के परिणाम में कमी आ जाती है, जिसका परिणाम सभी ग्रामीण गरीबों व शहरी लोगों पर पड़ता है। जिसके कारण अमीर किसान की आय में भारी वृद्धि होती है तथा अमीर व गरीब की खाई बढ़ जाती है। यह निःसंदेह सच है कि उदारीकरण से बड़ी संख्या में अमीर किसानों की स्थिति में बदलाव मुख्यतः सिंचित कृषि क्षेत्रों के विस्तार व उत्पादन क्षमता में वृद्धि से निर्यात करने की क्षमता बढ़ जाती है। धनी किसान अत्याधिक जोखिम को टालने के लिए लाभकारी व्यापारिक संगठनों से बातचीत करते हैं। (जी० एस० भल्ला⁵³-1995) लेकिन अविकसित क्षेत्रों के छोटे व सीमान्त किसान खुश नहीं रह पाते हैं।

(तृतीय भाग)

2.3 खाद्य सुरक्षा के प्रबन्धन व मुद्दे तथा गरीब लोगों के लिए बनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक विमर्श :-

खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को गरीबी हटाने के लिए एक गारण्टी युक्त पहलू के रूप में देखा गया है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों में लम्बे समय से मूल्यांकनों के द्वारा और सुधार किया गया। जैसे-जैसे रोजगार गारण्टी योजना के रूप में लम्बी अवधि के उपायों के माध्यम से कार्यान्वित **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०)**, **ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम)**, **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०)**, **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना (आर०एल०ई०जी०पी०)**, **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०)** आदि। इन परियोजनाओं के द्वारा गरीबी के विरुद्ध क्रय क्षमता को बढ़ाने के लिए लोगों को काम दिया गया। जिसके द्वारा सभी लोगों को भोजन देने के लक्ष्यों के समाधान के लिए, उनको कार्यों से मिलने वाले नकद मजदूरी से गरीबों की भोजन खरीद क्षमता को बढ़ावा मिला।

अध्ययनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत योजनाओं के द्वारा भारत में गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा कराने के लिए कवरेज और उपभोग के मामले में सबसे

⁵³ वही, जी एस भल्ला, पेज 67-68

व्यापक नीतियों में शामिल रहा है। इन अध्ययनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निम्न मुद्दे शामिल हैं—

- (i) विकास, कामकाज, कवरेज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभाव।
- (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन पहलू।
- (iii) खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन।
- (iv) गरीबी के स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों का प्रभाव व सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- (v) लागत लाभ का तुलनात्मक विश्लेषण व सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- (vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कल्याणकारी पहलू।
- (vii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वितरण की निष्पक्षता का प्रभाव।
- (viii) खुली बाजार व्यवस्था में लीकेज (छेद) व सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- (ix) अन्तर्राज्यीय विभिन्नता व सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- (x) खाद्य सब्सिडी सम्बन्धी मुद्दे व सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- (xi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शहरी पूर्वाग्रह।
- (xii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।
- (xiii) सार्वभौमिक बनाम लक्षित स्थानान्तरण

(1) विकास, कामकाज, कवरेज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव :—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वृद्धि और इसके कामकाज, कवरेज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव जरूरतमन्दों को भोजन उपलब्ध कराना है। इस महत्वपूर्ण विचार को बपना 1993, भाटिया 1983, जी0 एस0 भल्ला 1994, राधाकृष्णा और राव 1994⁵⁴ ने प्रस्तुत किया। बपना 1993 द्वारा प्रस्तुत वृद्धि और कामकाज, कवरेज और भारत में अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत सहित कई विकासशील देशों ने खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की है, लेकिन कुछ जनसंख्या के बहुत बड़े भाग के सामने खाद्य सुरक्षा की समस्या व्याप्त है।⁵⁵

इस खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारण क्रय शक्ति की कमी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दी जाने वाले सब्सिडी सस्ता अनाज प्राप्ति में सहायक है और आय का स्थानान्तरण होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसमें समन्वय पैदा करता है। जिसमें सीधे तौर पर निवेश सीधे पोषण पर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा ही अल्पकालीन सब्सिडी व्यवस्था से ही जरूरतमंद लोगों को भोजन दिये जाने की भी व्यवस्था से लोगों की क्रय क्षमता में विस्तार हुआ व अन्य रोजगारपरक योजनाओं से लोगों का विकास हुआ।

⁵⁴ राधाकृष्णा, आर0 एण्ड के0 हनुमन्था राव (1994) : "फूड सिक्योरिटी— पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्राइस पॉलिसी", यू0एन0डी0पी0 स्टडीज आन ह्यूमन डेवलपमेण्ट इन इण्डिया, डिस्कसेन पेपर, सेसन-4, नई दिल्ली।

⁵⁵ बपना (1993) "इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी एण्ड पी0डी0एस0", सेन्टर फॉर मैनेजमेण्ट इन एग्रीकल्चर, आई0आई0एम0, अहमदाबाद

सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रबंध और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वितरण नीतियों में वी० एम० भाटिया (1983) ने जो बफर स्टॉक की नीति का सुझाव दिया, उससे बेहतर प्रबन्धन के लिए वर्तमान व्यवस्था पर कई फायदे होने का दावा किया है।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन पहलू :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीब लोगों में खाद्य आपूर्ति की पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया। इसके आयाम हैं— खाद्यान्न का प्रबन्धन (उत्पादन), खाद्यान्न का भण्डारण और खाद्यान्न का वितरण। इसके संचालन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण सुझावों व सुधारों द्वारा एक कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में चलाया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन पहलुओं के विद्वानों ने जैसा देखा वैसा ही सम्पूर्ण प्रक्रिया का वर्णन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन पहलू पर कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों में हैं— बापना (1988-1995), भारत सरकार (1985) भागवत मिश्रा⁵⁶ 1985, कावरा और इतेयराह⁵⁷ 1986, एन० एस० एस० ओ०⁵⁸ 1990, जी० सूर्यनारायण⁵⁹ 1985, पी० एस० जाज⁶⁰ 1996 व मधुरा स्वामीनाथन⁶¹ 1999 आदि।

पहले कार्य को मुख्य विषय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शोधकर्ताओं की सबसे अधिक से अधिक एक आवरण पर वर्गीकृत किया जाता है। शोधकर्ताओं की सबसे अधिक से अधिक एक आवरण निर्माण के पहलू को कवर किया है। यह अपरिहार्य है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इस तरह के रूप में सरकार के हस्तक्षेप के कई उपायों में से है— प्रबन्धन, खरीद, मूल्य निर्धारण, स्टॉक के रख-रखाव, प्रोत्साहन कीमतों, सब्सिडी, राजकोषीय आयात और मौद्रिक आय।

यह अनाज खरीद, मूल्य निर्धारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नीतियों से आपस में टकरा सकता है। यह भी हो सकता है कि अलग-अलग ढंग से वर्गों और विशेष रूप से गरीबों के कल्याण के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण ही अलग ढंग का हो। लेकिन सभी के अध्ययनों में कल्याणकारी सुधार का मूल्यांकन समान होगा। इसी तरह संचालन स्तर सम्पूर्ण जनसंख्या को कवरेज करना, राशन अनुमान, अनाज की अनुमति आवश्यक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवहार्यता है। इन सभी पहलुओं पर अध्ययनों में विस्तार से वर्णन किया गया है।

(3) खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न प्रबन्धन का एक घटक है। विभिन्न अध्ययनों में खाद्यान्न प्रबन्धन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रासंगिक व जरूरी पहलू को

⁵⁶ मिश्रा, भागवत, (1985) "इकोनामिक्स आफ पी०डी०एस० इन फूड गेन्स", आशीष पब्लिकेशन हाऊस, न्यू दिल्ली

⁵⁷ कावरा (1990) : "पोलिटिकल इकोनॉमी आफ पी०डी०एस०", अजन्ता पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली

⁵⁸ नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजे" एन (1990) य"यूटिलाइजेशन आफ पी०डी०एस०" सर्वेक्षण, नं० 23, वालयूम-12

⁵⁹ सूर्यनारायण, जी० (1985) : "पी०डी०एस० इन इण्डिया", शुभ पब्लिकेशन, इलाहाबाद

⁶⁰ जाज, पी० एस० (1966) : "पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम", फूड सब्सिडी एण्ड प्रोडेक्शन इनसेनटिव्स", ई०पी०डब्ल्यू०, 28 सितम्बर 1996

⁶¹ स्वामीनाथन, एम० (1999), "अण्डर स्टैंडिंग्स द कास्ट आफ द फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया" ई०पी०डब्ल्यू०, वालयूम-34, नम्बर-52, 25 दिसम्बर।

कवर किया गया है। अध्ययनों में खाद्यान्न प्रबन्धन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सीधे तौर पर जुड़ाव नहीं है, लेकिन विश्लेषणों में दोनों एक दूसरे की बाँहें हैं। इस प्रकार के बड़े अध्ययनों में शामिल हैं— **जार्ज**⁶² 1983, **दिलीप स्वामी** और **अशोक गुलाटी**⁶³ 1984, **कावरा** 1990, **राधा कृष्ण** और **इन्द्र कान्त**⁶⁴ 1987, **राधाकृष्णा** 1972, **राय कृष्णा** और **दीप चौधरी**⁶⁵ 1980, **के० सुब्बाराव**⁶⁶ 1985, **त्यागी**⁶⁷ 1990, **त्यागी** और **व्यास**⁶⁸ 1990, **ऊषा घनश्याम** 1980 और **एस० के० राय**⁶⁹ 1994 आदि।

(4) गरीबी के स्तर पर खाद्य कीमतों का प्रभाव :-

आर० राधाकृष्णन और **के० हनुमन्था राव** 1994 का कहना है कि सन् 1990 के दशक में लागों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्यान्न कीमतों में भारी वृद्धि से कमतर आँका गया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता अनाज उपलब्ध कराया गया। जबकि 1990 और 1994 के बीच केन्द्रीय निर्गत मूल्य चावल की सामान्य किस्म के 72 प्रतिशत व गेहूँ के 86 प्रतिशत तक करने तथा उस तक पहुंच करने का प्रयास किया गया। दूसरे शब्दों में पी०डी०एस० के तहत बेचे गये प्रमुख खाद्यान्नों की कीमतों में संचयी वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक था। गरीब पर एक भारी और दमनकारी बोझ लदे तथा सामान्य मूल्य सूचकांक में भी वृद्धि की गई। खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत जरूरतमन्दों को लाभ देने की इच्छा के बावजूद उनके भोजन में अनाज की आवश्यकताओं का एक प्रमुख हिस्सा बाजार व्यवस्था पर पूरी तरह निर्भर रहा।

(5) लागत लाभ विश्लेषण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लागत लाभ का विश्लेषण उपभोक्ता निर्माता अधिशेष के सम्दर्भ में किया गया। (**स्कैडिजो** और **स्वामी**⁷⁰ 1982) और आय के स्थानान्तरण के रूप में (**जॉर्ज**⁷¹ 1979), कैलोरी प्राप्ति की मात्रा के रूप में (**जार्ज** 1979 व **शुभ कुमार**⁷² 1979) में सुधार की दृष्टि से प्रयोग किया गया। उनके अध्ययन पूरी तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खर्च की जाने वाली कुल राशि की लागत और कितने जरूरतमन्द लोगों को लाभ मिला के सापेक्ष आधारित किया है। वे

⁶² जार्ज (1983) : "गवर्नमेण्ट इण्टर वेंशन इन फूड ग्रैन्स मार्केट्स-प्रोसेसमेंट एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड ग्रैन्स इन इण्डिया, सेण्टर फार मैनेजमेण्ट इन एग्रीकल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट, मोनोग्राम न०-100"

⁶³ दिलीप स्वामी एण्ड अशोक गुलाटी, (1984) : "मार्केट टुअलिज्म एण्ड पालिसी स्पेसिफिकेशनस-ए केस आफ व्हीट इन इण्डिया", वार्किंग पेपर नं०-1, डिपार्टमेण्ट आफ बिजनेस इकोनामिक्स, यूनिवर्सिटी आफ देलही

⁶⁴ राधाकृष्णा, आर० एण्ड इन्द्रकान्त एस० (1987), "इफेक्ट्स आफ राइस मार्केट इण्टरवेन्शन पॉलिसीज इन इण्डिया-द केस आफ आन्ध्र प्रदेश", सी०डी० एस० एस०, हैदराबाद

⁶⁵ राज कृष्णा एण्ड राय चौधरी (1980) : "एस आसपेक्ट्स आफ हवीट एण्ड राइस प्राइस पॉलिसी इन इण्डिया", वर्ल्ड बैंक, स्टाफ वार्किंग पेपर नं०-381

⁶⁶ सुव्वाराव, के (1985) : "रीजनल वेरीएशनस इन इम्पैक्ट आफ एन्टी पावर्टी प्रोग्राम्स-ए रिव्यू आफ इवीडेन्स", ई०पी०डब्ल्यू, वाल्यूम-20, नं०-43

⁶⁷ त्यागी (1990) : "मैनेजिंग इंडियाज फूड इकोनामी" सेज पब्लिकेशनस, नई दिल्ली

⁶⁸ त्यागी एण्ड व्यास बी०एस०, (1990) संपादित, "इनक्रीजिंग एक्सेस टू फूड-द एशियन एक्पीरियंस", सेज पब्लिकेशन, न्यु देलही

⁶⁹ राय० एस०के० (1994) : "फूड मैनेजमेण्ट रीविजिटड", (मिमोरीज) इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक ग्रोथ, देलही

⁷⁰ स्कैडिजो, पी० एल० एण्ड स्वामी जी० (1982) : "बेनीफिट्स एण्ड कास्ट्स आफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज-द इंडियन केस", बेस्ट बंगाल, स्टाफ वार्किंग पेपर नं०-509

⁷¹ जार्ज, (1979) : "पी०डी०एस० ऑफ फूडग्रैन्स इन केरला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीकेशन एण्ड इफेक्टिवेन्स", आई०एफ०पी०आर० आई० (रिपोर्ट नं०-7)

⁷² के० कुमार, शुभ, (1979) : "इम्पैक्ट्स आफ सब्सिडाइज राइस आन फूड कनजम्पसन एण्ड न्यूट्रीशन इन केरला", रीसर्च रिपोर्ट नं०-5 इण्टरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट

चाहे कैलोरी की मात्रा या आय में सुधार के सन्दर्भ से हो, वे मुख्य लाभ केवल सही लाभार्थियों को ही मिलने की बात करते हैं।

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कल्याणकारी पहलू :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रायः सभी योजनाओं में जनता के कल्याणकारी पहलू पर बल दिया गया है। यह इन अध्ययनों में एक चिन्ता का विषय रहा है, जो कि निश्चित रूप से सत्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्य पहलुओं के साथ इनके योगदान पर चर्चा करना प्रासंगिक व महत्वपूर्ण है। इसी मुख्य विषय के सन्दर्भ में बड़े अध्ययन करने वालों में शामिल हैं— जार्ज 1979, हयामी यूजिरो और के० सुब्बा राव⁷³ 1982, जानवरी और सुब्बा राव⁷⁴ 1987, शुभ के० कुमार 1979 व स्कैडिज्यो और स्वामी श्री गुरु (1982)।

(7) बँटवारे की निष्पक्षता व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव :-

इस तथ्य को ध्यान में रखकर अनाज खरीद-वितरण व प्रबन्धन दोनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण पहलू पर ही विशेष बल दिया गया है। इसके लक्ष्यों को पाने के लिए महत्वपूर्ण अध्ययनों में निष्पक्षता का मुद्दा व उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव पर विशेष बल दिया गया। इनसे जुड़े— देव व श्री निवास⁷⁵ (1991), शिखा झा⁷⁶ 1991, किरीट पारिख (1993-94), के० आर० वेणु गोपाल⁷⁷ 1992, एस० महेन्द्र देव⁷⁸ 1999 व एम० राघवन⁷⁹ 1997 रहे हैं।

इनमें ज्यादातर के अध्ययनों में आंकड़ों के साथ एन०एस०एस०ओ० डाटा व सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निष्पक्षता के पहलू को लेकर गरीब व गरीबी के प्रतिशत के मामले में जांच की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुल खाद्यान्न वितरण और ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी के तहत समाहित किया गया। इसके लिए 42वें दौर के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों (एस० महेन्द्र देव और सूर्य नारायण 1991, पेज 2357-2361) का प्रयोग किया गया। इसमें पाया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और मोटे अनाजों की अखिल भारतीय स्तर पर समर्थक बाहरी वर्ग है। इनके अध्ययन से यह भी पता चला कि ग्रामीण गरीबों को अपने भोजन के लिए केवल अल्प संख्या 16 प्रतिशत ही सार्वजनिक वितरण पर निर्भर है। यह भी पता चला कि इन योजनाओं में मुख्यतः गरीब को प्रमुखता से आकर्षित करना प्रमुख है। उनके लिए ही

⁷³ यूजिरो, हमायी एण्ड के०, सुब्बाराव, (1982) : "इफीसियंसी एण्ड इक्यूटी इन द प्रोड्यूसर आफ इण्डिया", अमेरिकन जर्नल आफ एग्रीकल्चर इकोनामिक्स, वाल्यूम-64, नं०-4

⁷⁴ जानवरी एण्ड सुब्बाराव, के०, (1987) : "एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी एण्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इण्डिया", ई०पी०डब्लू०, वाल्यूम-19, नं० 52 एंड 53

⁷⁵ देव, एस महेन्द्र एण्ड सूर्य नारायण (1991) : "पी०डी०एस० अरबन बेस्ट एण्ड प्रो रिच-एन इवोल्यूशन", ई०पी०डब्लू०, वाल्यूम-26, नं०-4

⁷⁶ शिखा झा "फूड ग्रन्स प्राइस एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज इन इण्डिया-परफारमेंस, प्राब्लम्स एण्ड प्रासपेक्ट्स", इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट रिसर्च, बाम्बे, 1994

⁷⁷ वेणु गोपाल, के० आर० (1992) "डिलीबरेन्स फ्राम हंगर-द पी०डी०एस० इन इण्डिया" सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली

⁷⁸ देव एस० महेन्द्रा (1999) : "पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम-इम्पैक्ट आन पुअर एण्ड आषान फार रिफार्म, ई० पी० डब्लू०, 29 अगस्त 1999"

⁷⁹ राघवन, एम० (1997) : "टारगेटिंग इंडियाज पी०डी०एस०-ए-नेशनल इण्टरनेशनल प्रस्पेक्टिव" सम्पादन आर राधाकृष्णना एण्ड सुब्बाराव, बेस्ट बंगाल, वाशिंगटन डी० सी०, 1997

खुले बाजार से खाद्य आवश्यकता व अनाज खपत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया है।

शिखा झा (1991) ने अपने अध्ययन में बताया कि हर एक राज्यों की जनसंख्या के 40-50 प्रतिशत भाग को ही सब्सिडी युक्त चावल व गेहूँ की आवश्यकता है, लेकिन उनमें से भी लगभग आधे गैर गरीब हैं। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो गरीब नहीं है, वह ही पी0डी0एस0 का लाभ उठा लेता है। हालांकि **जार्ज** 1979 और **राधाकृष्णा** तथा **इन्द्रकान्त** 1988 के अनुसार— गरीबों को कल्याणकारी पी0डी0एस0 योजनाओं में सब्सिडी का लाभ अच्छी तरह से मिल रहा है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति अच्छी तरह से केरल और आन्ध्र प्रदेश में लक्षित लोगों तक हो रहा है।

(8) खुली बाजार व्यवस्था में लीकेज (छेद) :-

अहलूवालिया⁸⁰ 1993 वे खाद्यान्न के रिसाव पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया तथा इसके लिए खुले बाजार, परिवहन, भण्डार और वितरण में घाटे के रूप में व अन्य वस्तुओं का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण समस्याएँ आती हैं, का अध्ययन किया है। यह एक अनुमान ही है कि बहुत ही कम 3 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न, चीनी और तेल का 50 प्रतिशत भाग, 38 प्रतिशत गेहूँ, 36 प्रतिशत चावल और चीनी तथा खाद्य तेल के 55 प्रतिशत से 39 प्रतिशत तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक पहुँच ही नहीं पाता है। इन रिसाव का प्रमुख हिस्सा मुक्त करने के लिए बाजार के द्वारा खाद्यान्नों के डायवर्जन की वजह से है, तथा पी0डी0एस0 के तहत मिलने वाली उन वस्तुओं की कालाबाजारी हो जाती है।

(9) अन्तर्राज्जीय बदलाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्तर्राज्जीय बदलावों का महत्वपूर्ण अध्ययन करने वालों में **गोता** और **सूर्य नारायण** 1993⁸¹ पेज 2207-2213 और **त्यागी** 1990 का है। उन्होंने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्न नीति की समीक्षा की है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में पी0डी0एस0 की मात्रा में असमानता की आम धारणा की पुष्टि की है। देश की कुल जनसंख्या के लिए सम्मान के साथ यह भी हो सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सम्पूर्ण आबादी को भी कवर किया जाए। इस उद्देश्य को बड़े पैमाने छठवीं योजना में वैश्विक कवरेज कर विस्तार किया गया। इसके सफल न होने की एक कमी यह लगती है कि कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बुनियादी ढांचे और उन्हें आवंटित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रदान की गई कोटा सिस्टम की असमर्थता रही।

⁸⁰अहलूवालिया, डी0 (1993) : "पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ इन इण्डिया-कवरेज, टाइमिंग एण्ड लीकेज", फूड पालिसी, 18, 1 फरवरी

⁸¹गीता एण्ड सूर्य नारायण (1993) य "रीवैमिंग पी0डी0एस0-सम इश्यूज एण्ड इम्प्लीकेशन", ई0पी0डब्लू0, वाल्यूम-28, नं0-41

विभिन्न राज्यों के बीच पी0डी0एस0 के शेयर (अंशों) और गरीबी के स्तर के बीच काफी निरन्तरता रही है। **त्यागी** (1990, पी0पी0 55-43) द्वारा इसकी जांच की गई तथा यह निष्कर्ष निकाला कि गरीबी हर एक राज्य के अनुमान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति में अपने हिस्से के बीच एक सकारात्मक सम्बन्ध था। इसका परिणाम 1983-88 के दौरान दिखा कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में गरीबी की उच्च घटना के साथ यह भी कहा गया कि खाद्यान्न शेयर के वितरण में कम अंश (शेयर) पंजीकृत हुआ। प्रथम तीन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति व्यक्ति खाद्यान्न वितरण कम से कम 10 किलोग्राम प्रति वर्ष प्राप्त हुआ। दूसरी ओर इस तरह के रूप में गरीबी की उदारवादी घटनाओं के साथ अन्य राज्यों केरल, आन्ध्र प्रदेश व गुजरात आदि में प्रतिवर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक उच्च हिस्सा का आवंटन मिला। केन्द्रीय पूल से वितरित पी0डी0एस0 में हर व्यक्ति को 26 किलोग्राम केरल में तथा 22-23 किलोग्राम आन्ध्र प्रदेश व गुजरात में दिया जा रहा था। केन्द्रीय पूल के हाल के आंकड़ों में भी हर राज्य के भार में भिन्नता व असंतुलन की दृढ़ता का पता चला।

(10) खाद्य सब्सिडी सम्बंधी मुद्दे व सार्वजनिक वितरण प्रणाली :-

खाद्य सब्सिडी से जुड़े मुद्दे से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य करने वालों में **जानवरी**, और **सुब्बाराव** 1984, **किरीट पारिख** और **सूर्य नारायण** 1989, **राधाकृष्ण** और **इन्द्रकान्त** 1987, **साक्षी देव** 1987 व **मधुरा स्वामीनाथन** 1996 प्रमुख हैं।

खाद्य सब्सिडी खाद्यान्नों की खरीद पर किये गए व्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं। खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गोदाम में भण्डारण और वितरण भी इसमें समाहित हैं। खाद्य सब्सिडी में (2) घटक शामिल हैं— पहला भोजन के संचालन से सम्बन्धित है। इसका प्रबंधन काफी हद तक भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) के द्वारा किया जाता है। अन्य घटकों में उपभोक्ताओं के भोजन खरीदने की क्षमता में सक्षम होने से है, जो बाजार मूल्य से कम पर अनाज प्राप्ति के लाभ को संदर्भित करता है।

(11) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शहरी पूर्वाग्रह :-

इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्ययन करने वालों में शामिल हैं — **एस0 महेन्द्र देव** और **एम0 एच0 सूर्यनारायण** 1991, **त्यागी** 1990, **कुंडू अमिताभ** 1992, **हाउज स्टीफेन** और **शिखा झा** 1992 और **सूर्यनारायण एम0 एच0** 1994, **जॉन द्रेज** 2008 व 2014 आदि। इन्होंने अपने अध्ययनों से निष्कर्ष निकाला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली शहरी पूर्वाग्रह और धनी लोगों का समर्थक है। उनकी राय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुँच आमजन तक काफी सीमित है और यह मात्र 36 प्रतिशत लोगों तक ही सीमित है। इसका वितरण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में काफी असमान है। इसकी पहुँच प्रतिशत में काफी नीचे जैसे बिहार में 5 प्रतिशत, उड़ीसा में 6 प्रतिशत व उत्तर प्रदेश में 7 प्रतिशत है। यह 70 प्रतिशत या केवल दक्षिणी राज्यों में ही ऊपर है। चार दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के अलावा अकेले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आधा अनाज की खपत करते हैं। **(प्रफुल्ल विदवड़)**

त्यागी ने पाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों को प्रायः कवरेज किया जाता है। उनमें बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काफी नीचे प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफी पिछड़े और राष्ट्रीय औसत में भी काफी नीचे हैं। त्यागी के अनुसार अनाज वितरण के पैटर्न गरीबी की हद से सम्बन्धित है।⁸² त्यागी 1990, देव और सूर्य नारायण 1981, ने अपने अध्ययनों में इसका कारण उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल में शहरी पूर्वाग्रह को बतलाया है।

(12) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कवरेज पर नीतिगत बयान ग्रहण करने की भूमिका पर आधारित है। इसके लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालाँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जिम्मेदार ठहराने व कवरेज से सम्बन्धित भूमिकाओं में खाद्य सुरक्षा भी शामिल है। हर एक राज्य में खाद्यान्न खरीद संकट को टालना, आय व असमानता के सम्बन्ध में वितरण की निष्पक्षता तथा असमानता व क्षेत्रीय असमानता की समाप्ति की बात की जाती रही है। वहाँ विश्लेषण के द्वारा विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर इन्हें जिम्मेदार ठहराया तथा पी0डी0एस0 के सापेक्ष सफलता या असफलता पर भिन्न विचार दिए गये हैं।

जो लेखक पी0डी0एस0 प्रणाली में पूरी तरह सुधार चाहते हैं, उनमें शामिल हैं— एम0 एच0 सूर्यनारायण 1995, मधुरा स्वामीनाथन 1995, त्यागी 1990, बी0 एम0 राव⁸³ 1995 और रूद्र दत्त⁸⁴ 2000, एम0 एस0 स्वामीनाथन 2000, उत्सा पटनायक 2006, जयाती घोष 2008, वन्दना शिवा 2008, हर्ष मन्दर 2012, एन0 सी0 सक्सेना 2010 व जॉन ट्रेज 2014 आदि।

इसमें कोई शक नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने कार्यों से देश के अधिकांश भागों में सस्ता अनाज उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। अतः गरीब और कमजोर परिवारों तथा जरूरतमन्द व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा के ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। (एम0 एस0 स्वामीनाथन⁸⁵ 1995) उनकी टिप्पणियां पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के विस्तार और गैर जरूरी जगह को भरने से सम्बन्धित है। गरीबों के लिए निहित शहरी पूर्वाग्रह (विरासत) को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य ही गैर गरीबों के रिसाव (लीकेज) और नीचे की आबादी के कवरेज में अन्तर-राज्य विविधता व गरीबी रेखा को समाहित करना है।

(13) सार्वभौमिक बनाम लक्षित स्थानान्तरण :-

विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए जा रहे सिद्धान्तों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आलोचना की जाती रही है। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के तहत अधिक कुशलता से

⁸² सूर्य नारायण, एम0एच0 (1995) य "पी0डी0एस0:-वियाण्ड इम्प्लीकेट्स सक्सिडी" एण्ड अरबन वेस्ड-द इण्डियन एक्सपीरियंस", फूड पालिसी, वाल्यूम-20, नं0-4

⁸³ राव, वी0 एम0, (1995), "वियाण्ड सरप्लस - फूड सिक्योरिटी इन चेंजिंग कांटेक्सट", ई0पी0डब्लू0, 28 जनवरी 1995

⁸⁴ रूद्र दत्त (2000) "फूड सिक्योरिटी इन इण्डिया", सी0ई0एस0एस0 सेमिनार पेपर

⁸⁵ स्वामीनाथन, एम0एस0,(2000), "वीकनिंग वेलफेयर : दि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड इन इंडिया", लेफ्ट वर्ल्ड बुक", न्यु डेल्ही.

जरूरतमन्दों को भोजन (अन्न) देने के लिए लक्षित दृष्टिकोण का सिद्धान्त लागू करने की जरूरत पर प्रकाश डाला गया। इसी समय कुछ प्रमुख विद्वान लक्षित दृष्टिकोण के सुरक्षा प्रावधानों की आलोचना भी कर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इस पहलू के साथ महत्वपूर्ण काम है। **अमर्त्य सेन**⁸⁶ 1992, **जी0 ए0 कार्निया** और **एफ0 स्टीवार्ट** 1995, **मधुरा स्वामीनाथन**⁸⁷ 2000 और **प्रफुल्ल विदवई**,⁸⁸ **जॉन ट्रेज** 2014 आदि।

लक्षित सिद्धान्त के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों में खर्च (व्यय) जनसंख्या के बड़े वर्ग को छोड़कर काफी कम ही है, और यह भी हो सकता है कि जो वास्तव में इसके लायक है, उन लोगों तक यह पहुँच जायेगा। **(अमर्त्य सेन-1992)** अमर्त्य सेन लक्ष्यीकरण के खिलाफ मजबूत तर्क प्रस्तुत करते हैं और इसके सार्वभौमिक स्थानान्तरण के पक्ष में है। उनके अनुसार सबसे पहले सार्वभौमिक हकों के लिए मजबूत तर्क के आधार पर सभी व्यक्तियों को भोजन का एक न्यूनतम स्तर दिलाना व बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का प्रबन्ध इन बुनियादी अधिकारों में शामिल है। भारत जैसे प्रसिद्ध विकासशील गरीब देशों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बुनियादी अधिकार भी प्राप्त नहीं है। वहां प्रशासन द्वारा लागत का प्रत्यक्ष मूल्य खर्च करने के बावजूद गुणवत्ता की कमी के कारण सारी खाद्यान्न योजनाएं असफल रही हैं। सामाजिक मूल्यों को शामिल करते समय लक्षित जरूरतमन्द लोगों का ध्यान रखना जरूरी है। जो आम तौर पर सूचनाओं की विकृति के रूप में एक द्वितीय त्रुटि के रूप में माना जाता है। अमर्त्य सेन के अनुसार जब लक्ष्य निर्धारण ही बढ़कर प्रोत्साहन विकृतियों को जन्म देती है तो निशाना सामाजिक उत्पादन में हानि से होता है, जब अग्रणी लोगों के जबाब में जरूरतमन्दों के साथ व्यवहार ही बदल जाते हैं तो सामाजिक लागत भी लक्ष्यों की पहचान करने की प्रक्रिया में हमलावरों का निशाना बन जाती है। (इसकी पहचान करने की प्रक्रिया में ईमानदारी से लोगों को शामिल करना और उसमें शामिल लोगों की जांच करना भी समाहित है।) संक्षेप में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यीकरण की लागत, आकार में बड़ी राजस्व हानि के रूप में दिखलायी पड़ती है। इसलिए यह सार्वभौमिक स्थानान्तरण के लिए एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

2.4 उत्तर आर्थिक उदारवाद और भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या :-

1974 में रोम में आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन इस प्रस्ताव के साथ समाप्त हुआ था कि "1984 तक दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा, स्त्री या पुरुष भूखा सोने को विवश नहीं होगा तथा किसी भी मानव की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास कुपोषण के कारण नहीं रुकेगा। इसके 20 साल के बाद और लक्ष्य वर्ष के 12 सालों के बाद 1996 में रोम में ही एक बार फिर विश्व खाद्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें फिर से यह संस्तुति की गयी कि "यह प्रत्येक मानव का मूल अधिकार है कि वह भूख की समस्या से मुक्त रहे।" जब यह प्रस्ताव पारित हो रहा था तो विश्व में करीब 70

⁸⁶ सेन, अमर्त्य (1992), पावर्टी एलीवेशन-यूनीवर्सलिज्म वर्सेज टारगेटिंग, कान्चोकेशन एंड्रेस एट आई एम डीय गुडगांव, इण्डिया

⁸⁷ मधुरा स्वामीनाथन (2000) : "टारगेटिंग वेलफेयर- थियरी एण्ड लेशन फ्राम पॉलिटिक्स आफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ई0पी0डब्लू, वाल्यूम-34, नं0 52, 25 दिसम्बर"

⁸⁸ विदवई, प्रफुल्ल, (1996), द सोशन डिफ्ट-नीड फार यूनीवर्सल नाट टारगेटेड पी डी एस, द टाइम्स आफ इण्डिया, बंगलौर, 2 अगस्त 1996

करोड़ लोग भूखे पेट सोने को अभिशप्त थे और दुनिया के 88 गरीब देशों में 20 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार थे। तब यह हुआ कि “सभी के पेट नहीं भरे जा सकते इसलिए अब यह बेहतर होगा कि दुनिया में कुपोषण से ग्रस्त लोगों की संख्या में कमी लाई जाए। इसके लिए यह भी तब हुआ कि लक्ष्य पाने के लिए कम से कम प्रति वर्ष कुपोषितों की संख्या में 20 करोड़ की कमी लायी जाए।

भारत में “पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज” नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जरिए गुहार की कि देश भर के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में क्षमता से अधिक अनाज होने के बावजूद देश की जनता बड़ी तादात में भूख से मर रही है।” संविधान के अन्तर्गत मिले जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उन लोगों को अनाज बांटा जाना चाहिए जो अनाज खरीद सकते हैं।⁸⁹

आज विश्व में 85 करोड़ से अधिक लोग भूख से किसी न किसी प्रकार से त्रस्त हैं। इसमें से लगभग 82 करोड़ विकासशील देशों, 2 करोड़ 80 लाख समाजवादी देशों और 90 लाख औद्योगिक देशों में है। इस प्रकार भुखमरी का आतंक विकासशील देशों में सबसे अधिक है। ये आँकड़े संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (एफओएओ) की रिपोर्ट ‘द स्टेट आफ फूड इनसिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड—2004 में दर्ज थे।

वर्ष 1990 के दशक में आर्थिक भूमण्डलीकरण तेजी से शुरू हुआ। भारत में भी आर्थिक उदारीकरण पर आधारित सुधार 1991 में शुरू हुआ तथा अब नव उदारवाद को एकमात्र विकल्प के रूप में रेखांकित किया गया जिसको अपनाकर दुनिया भूख, गरीबी और बेरोजगारी से निजात पा जायेगी। हर वर्ष विकासशील देशों में जन्म लेने वाले कम वजन के बच्चों की संख्या दो करोड़ है। भारत और बंगलादेश जैसे विकासशील मुल्कों में 30 प्रतिशत से अधिक बच्चे जन्म के समय वांछित वजन से कम होते हैं। विश्व की आधी आबादी के लिए कैलोरी का मुख्य स्रोत चावल ही है। भारत में 1990–92 के दौरान 25 प्रतिशत जनसंख्या अर्द्धपोषित थी। यह अनुपात घटकर 1995–97 और 2000–02 में 21 प्रतिशत हो गया, किन्तु 1990–92 के 21 करोड़ 58 लाख लोगों की तुलना में 1995–97 में 20 करोड़ 30 लाख और 2000–02 में 22 करोड़ 11 लाख लोग अर्द्धपोषण के शिकार रहे। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कुपोषण और शक्तिहीनता का शिकार है। 75 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाएं, तरुणियां और तीन वर्ष की आयु से कम के बच्चे कुपोषण और शारीरिक एवं मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं।⁹⁰

1993 में घोषित नेशनल न्यूट्रीशन पालिसी के पूर्णतया कार्यान्वयन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक की पंचवर्षीय योजनाओं में भी कुपोषण के निराकरण के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं पेश किया गया है। इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली के 4 दिसम्बर 2004 के अंक में अरुण गुप्त व उनके सहयोगी ने बतलाया है कि हमारे देश में हर साल औसतन 5 वर्ष से कम आयु के 24 लाख 20 हजार बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। 5 वर्ष से कम के 6 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, जिनका वजन वांछित

⁸⁹ चतुर्वेदी, राजीव, “खाद्यान्न भरे गोदाम फिर भी भुखमरी”, दैनिक जागरण, 6 सित0 2011

⁹⁰ मिश्र, गिरीश, “भूमण्डलीकरण के दौर में भूख का कहर”, 4 जनवरी 2015, हिन्दुस्तान

स्तर से काफी नीचे है। एकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलेपमेंट के रिपोर्ट के अनुसार खाद्य एवं कृषि संगठन को बतलाया कि अगर सरकारों विशेषकर विकसित देशों में इच्छाशक्ति हो तो कुपोषण अर्द्धपोषण और भूख से निजात पाना मुश्किल नहीं है।⁹¹

भूखा या कुपोषित वह है जो औसतन एक दिन में 1960 कैलोरी ऊर्जा देने वाला भोजन प्राप्त नहीं करता। यू0एन0डी0पी0 की मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार दुनिया भर में उत्पादित भोजन सामग्री का औसत निकाला जाए तो हर रोज हर व्यक्ति के हिस्से में 2760 कैलोरी भोजन पड़ेगा।⁹² नेशनल सैंपल सर्वे संगठन (एन0एस0एस0 ओ0) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत को 2400 किलो कैलोरी से कम भोजन मिलता है। देश के 30 प्रतिशत निर्धनतम लोगों को तो 1600 किलो कैलोरी या उससे भी बहुत कम भोजन मिलता है। वर्तमान में भारत में गरीबी और निर्धनता की पीड़ा सहने वालों का प्रतिशत घटने के बजाय काफी बढ़ गया है। जिससे भुखमरी व कुपोषण लोगों की संख्या काफी बढ़ी है, जो कि चिन्ता का विषय है।

भूख की समस्या का मूल कारण यह है कि नव उदारीकरण की नीतियों के कारण खेती-बाड़ी चौपट हो गई है और शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर काफी घट गए हैं। काम धन्धे के आभाव में देश की बहुलांश आबादी के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वे अपने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज बाजार से खरीद सकें। अतः लोगों को खाद्य सुरक्षा दिलाने तथा भूख और कुपोषण से बचाने के लिए हमें आत्मनिर्भर विकास का रास्ता अपनाना पड़ेगा तथा व्यापार के उदारीकरण के नाम पर चल रहे अनुचित और अन्यायपूर्ण व्यापार वाले समझौते से अपने देश को मुक्त कराना होगा।⁹³

नये खाद्य सुरक्षा कानून-2013 का मकसद उन लोगों को न्यूनतम मात्रा में भोजन देने की गारण्टी है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनु0 25(1) कहता है कि "हर किसी को एक ऐसे जीवन जीने के स्तर का हक है जो उनके स्वास्थ्य और उसके परिवार के कल्याण के लिए उपयुक्त हो। इसमें भोजन, कपड़ा, मकान और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा आवश्यक सामाजिक सेवाओं के साथ बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, वैधव्य, बुढ़ापा और उसके नियंत्रण से बाहर पैदा होने वाली ऐसी स्थितियाँ जो जीविका छीन लें, इन सब के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। यह अनुच्छेद हमारे संविधान के अनु0 21 से अलग नहीं है, जिसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीवन के अधिकार के तहत भोजन का अधिकार मूलभूत आवश्यकता है। पिछले 65 वर्षों में गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैया कराने के लिए व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य कई कदम उठाए गए। इसके बावजूद हमारी सफलता आंशिक ही रही है।⁹⁴

⁹¹ गुप्ता, अरुण, इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 4 दिसम्बर 2004

⁹² यू0एन0डी0पी0 की मानव विकास रिपोर्ट 2014

⁹³ पटनायक, उत्सा, (2007), "दि रिपब्लिक आफ हंगर" थ्री एस्से कलेक्टिव

⁹⁴ सिंह, एन0 के, "खाद्य सुरक्षा की जमीन और आसमान" हिन्दुस्तान, 16 अप्रैल 2010, पेज 12

देश में खाद्य सुरक्षा कानून-2013 अधिकांश राज्यों में लागू होने के बाद भी निम्न (5) तरह की चिंताएँ दिखती हैं जिनका समाधान केन्द्र व राज्यों को अपनी नीतियों में प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य करना चाहिए –

1. क्या इस कानून का लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को ही मिलना चाहिए या उससे ऊपर वालों को भी। आखिरकार भोजन का अधिकार तो हर एक नागरिक का सार्वदेशिक अधिकार है। लेकिन यह भी सही है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जो भुखमरी के कगार पर हैं, उनकी प्राथमिकता ज्यादा होनी चाहिए।
2. वर्तमान नव उदारीकरण दौर में गरीबी की रेखा को कैसे परिभाषित किया जाए? क्या यह महज कैलोरी प्रप्ति पर ही आधारित हो या उसमें पोषण क्षमता का भी ध्यान रखा जायेगा। यह बात हर कोई मानता है कि जब तक खाद्य की परिभाषा में साफ पानी, सफाई और आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन-ए और बी की कमी को मिटाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को शामिल नहीं किया जाएगा। तब तक सभी को खाद्य सुरक्षा देने का दावा अधूरा रहेगा। आखिरकार खाद्य सुरक्षा देने से हम यही हासिल करना चाहते हैं कि भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें हर बच्चा, स्त्री और पुरुष सिर्फ आस्तित्व के लिए ही कैलोरी न पाएँ बल्कि एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन का अवसर हासिल करें।
3. जिन पारम्परिक अर्थों में गरीबी की अपर्याप्त परिभाषा की गई है उसके तहत भी गरीबों की संख्या में काफी अन्तर है। अभी तक भारत गरीबी को भोजन की कैलोरी से मापता है। लेकिन तेंदुलकर समिति ने इस परिभाषा को थोड़ा विस्तृत बना दिया। उन्होंने इसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़ों पर होने वाले खर्च से मापा। गरीबी को मापने के इस पैमाने को अभी और दुरुस्त करना होगा और बहुआयामी तरीकों को अपनाना होगा। बाधवा समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 20 करोड़, राज्य सरकारों के अनुमान के अनुसार 10.50 करोड़, तेंदुलकर समिति के अनुसार 9.25 करोड़, विश्व बैंक के अनुसार 7.5 करोड़, अर्जून सेन गुप्त समिति के अनुसार 20 करोड़, एन0सी0सक्सेना समिति के अनुसार 12.5 करोड़ और योजना आयोग के अनुसार 7 करोड़ है। इन अनुमानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा कानून पर आने वाला खर्च भी अलग-अलग है।
4. इन गरीब परिवारों को प्रति माह 25 किलो अनाज मिलना चाहिए या 35 किलो। मतभेद यह भी है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं सिर्फ वे ही 35 किलो अनाज पाएँ और ए0पी0एल0 वालों को सिर्फ 25 किलो ही मिले। लेकिन हर कोई चाहता है कि चावल, गेहूँ व मोटे अनाज की कीमत 3, 2 व 1 रुपये किलो ही रहे।
5. खाद्य सुरक्षा कानून के अनाज का वितरण कैसे किया जाए ? क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद अनाज की मात्रा काफी बढ़ जायेगी। इसके वितरण के लिए सिर्फ पी0डी0एस0 प्रणाली पर निर्भर रहना अपर्याप्त होगा। यह बात हर किसी को मालूम है कि किस तरह से मौजूदा पीडीएस प्रणाली में तमाम लीकेज (छेद) है। लोगों को अच्छे किस्म का अनाज नहीं मिलता, फर्जी राशनकार्ड, जमाखोरी, मुनाफाखोरी की समस्या के साथ और गरीबों वंचितों को अनाज न देने के लिए तमाम उपाय ढूँढ लिए जाते हैं। तो क्या हम खाद्य सब्सिडी के लिए और ज्यादा नायाब तरीका नहीं ढूँढ

सकते। अगर मौजूदा व्यवस्था को ही अपनाया जाता है तो अनाज की खरीद, भण्डारण और लदान—ढुलाई वगैरह की समस्यायें जस की तस बनी रहेगी।

इन उपर्युक्त समस्याओं के हल के लिए एम0 एस0 स्वामीनाथन, उत्सा पटनायक, देवेन्द्र शर्मा, ज्यॉं ट्रेज, अमर्त्य सेन, अरविन्द पनगरिया, एन0 के0 सिंह, शान्ता कुमार आदि लोग निम्न (2) तरह की योजनाओं को लागू करने पर सहमत दिखते हैं।

पहली योजना कूपन प्रणाली है। इसके तहत योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को भोजन का एक कूपन मिले। जिसका एक मौद्रिक मूल्य हो। वे इस कूपन के जरिए चाहे जिस दुकान से अपनी पसन्द का अनाज खरीद लें। इससे न सिर्फ अनाज की गुणवत्ता सुधेरगी बल्कि उपभोक्ता के चयन का दायरा बढ़ेगा। दुरुपयोग भी खत्म होगा तथा उत्पादकता बढ़ेगी।

दूसरी योजना लाभकारी के नाम से बैंक खाता खुलवाकर आधार कार्ड लिंकप कराकर उसमें सीधे नकद सब्सिडी राशि हस्तांतरित कर देना, जो लगभग सभी राज्यों द्वारा अपनायी शुरु भी हो चुकी है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई परिवार के गैर जिम्मेदार लोग इस योजना को बेकार कर देंगे। परिवार के पुरुष सदस्य पैसे का दुरुपयोग करेंगे, शराब पियेंगे और महिला सदस्यों तथा बच्चों को अनाज का फायदा नहीं होने देंगे।

ब्राजील जैसे देश जहाँ पर सशर्त नकदी हस्तांतरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, वहां पर इसे काफी सफलता मिली है। ब्राजील के **जीरो भूख कार्यक्रम** के तहत खाद्य सुरक्षा को सम्पूर्णता से देखा जाता है। इसमें गरीबों की उपयोग क्षमता के अनुसार छोटी जोतों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।⁹⁵

सुप्रसिद्ध कृषि चिन्तक **प्रो0 एम0 एस0 स्वामीनाथन** ने सन् 2007 में भारतीय स्वतंत्रता की हीरक जयंती पर भारत को भूख से मुक्त करने के लिए पूरे देश की भूख का भूगोल बना डाला और वे जिले और गांव छांट लिए जहां बेहद गरीबी ने परिवारों की क्रय क्षमता इतनी घटा दी है कि वे बाजार और मण्डी के खाद्यान्न से पटे होने पर भी भुखमरी से जूझ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने दो एटलस ग्रामीण व शहरी खाद्य असुरक्षा पर जारी किए। ग्रामीण खाद्य असुरक्षा बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी बतलाया जबकि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब और हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। शहरी भूख मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के शहरों में सबसे अधिक है जबकि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में खाद्य असुरक्षा सबसे कम है।⁹⁶

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य कुमार सेन ने स्पष्ट किया है कि गरीब परिवार के लोग गरीबी की रेखा को पार किए हुए तभी माने जायेंगे जब उन्हें जीवनयापन के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का हक होगा। इस हक को प्राप्त करने के लिए वर्तमान अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का होना आवश्यक है और क्रय शक्ति के लिए साधनहीन

⁹⁵ वही, पेज - 7

⁹⁶ स्वामी नाथन, एम0 एस0, 2007, फूड सिक्योरिटी एटलस— रुरल एण्ड अर्वन

परिवारों के पास न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आमदनी होना आवश्यक है, जिन्हें आमदनी के साधन दिलाने से ही खाद्य असुरक्षा से मुक्ति तथा गरीबी उन्मूलन का श्री गणेश हो सकेगा और इन साधनों में देश के लाखों किसान हैं, जो आज तो आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं, लेकिन उपयुक्त टेक्नॉलोजी और उपकरण मिलने पर वे अच्छी खेती कर सकते हैं और गरीबी की रेखा को पार कर सकते हैं। ऐसे सक्षम होने की सम्भावना रखने वाले किसानों के लिए अलग व्यूह रचना करनी होगी।⁹⁷

खाद्य सुरक्षा का अर्थ आज नव उदारीकरण के दौर में काफी व्यापक हो गया है। इसके अनुसार “जब सभी लोगों को अपनी आहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पोषक आहार के लिए आर्थिक पहुँच के भीतर सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य पदार्थों का सही चयन करने के लिए सुविधा हो जायेगी तभी वास्तविक खाद्य सुरक्षा कही जा सकती है।” आज असली मुद्दा खाद्य उपलब्धता नहीं बल्कि गरीबों तक इसकी पहुँच का है। जरूरतमन्दों तक खाद्य पदार्थों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज भी सर्वोत्तम माध्यम बनी हुई है। पहले इसका मुख्य उद्देश्य लाभकारी कीमतें उपलब्ध कराकर किसानों और उत्पादकों के हितों की रक्षा करना तथा बाढ़ व सूखे जैसी विपदाओं के कारण उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए खाद्यान्न का भण्डारण रखते हुए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना था। लेकिन संशोधित और बेहतर लक्ष्य वाली मौजूदा लक्षित वितरण प्रणाली 1997 जून में अस्तित्व में आयी, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ही अनाज दिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए उनसे भिन्न-भिन्न कीमतें ली जाती हैं। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रणाली से आर्थिक दृष्टि से बेहतर वर्ग की अपेक्षा गरीबों की जरूरतों को और अधिक बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके, लेकिन व्यवहार में यह वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गयी है।⁹⁸

देश के राज्य कृषि विकास के लिए स्वतंत्र है। केवल दो मामलों पर केन्द्र का नियंत्रण है। (1) केन्द्र आधारभूत संरचनाओं में सहयोग देता है। (2) केन्द्र समर्थन मूल्य प्रदान कर बाजार को नियंत्रित भी करता है। प्रथम सहयोग की सीमा अल्प है तथा दूसरे केन्द्रीय सहयोग का विषय व्यापक है, इसमें से सारी प्रक्रियायें शामिल हैं –

1. समर्थन मूल्य तय करना।
2. समर्थन मूल्य से प्रभावित बड़े उत्पादन की खरीद करना।
3. भण्डारण क्षमता का निर्माण करना।
4. देश में किसी बड़े आपदा का सामना करने के लिए तय मात्रा में भण्डारण करना।
5. भण्डारण का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करना ताकि समर्थन मूल्य प्रभावित न हो।

⁹⁷ वही सेन, अमर्त्य

⁹⁸ लाल, राहुल, “कुपोषण एवं भूख से मौतों का सच” हिन्दुस्तान, 1 दिसम्बर 2004, कैम्पस वर्ल्ड – पेज – 4

केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तय भण्डारण की सीमा में खरीद नहीं करती। घोषित समर्थन मूल्य पर बिक्री योग्य अनाज की खरीद भण्डारण की सीमा से अधिक भी करती है। इसका परिणाम है कि —

1. राज्यों द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि बिक्री योग्य उत्पादन केन्द्र सरकार खरीदें।
2. राज्य के अन्दर अधिक भण्डारण की व्यवस्था की जा रही है ताकि क्रय किए गए अनाज के भण्डारण के लिए अधिक से अधिक स्थान मिलें।
3. भण्डारित अनाज बाजार में आकर उत्पादित अनाज के बाजार को समर्थन मूल्य से नीचे ले जा रहा है।
4. भण्डारित अनाज की बिक्री उत्पादित करने वालों राज्यों में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी की जा रही है। वहां खुले बाजार या जन वितरण प्रणाली की दुकान पर सस्ते रूप से उपभोक्ताओं को वह सस्ता अनाज प्राप्त होने की अपेक्षा स्थानीय उत्पादन की खपत उचित तरह से नहीं हो पाती है।

केन्द्रीय सरकार के दो कार्य एवं दो उपयोगी नीतियां भी हैं —

1. समर्थन मूल्य का सिद्धान्त अर्थात् उत्पादन का स्तर ऊँचा उठाते जाना, जिससे केन्द्रीय पूल स्टॉक भरा रहे।
2. देश में खाद्यान्न सुरक्षा एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।

दोनों नीतियां संसद द्वारा स्वीकृत हैं। बाजार में अन्न उपलब्धता में हस्तक्षेप करके देश के खाद्यान्न बाजार को भारत सरकार नियंत्रित करती है। राज्य में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता अनाज बूढ़े-अपंगों को विद्यार्थियों को मजदूरों तथा साधारण उपभोक्ताओं को दिया जाता है। इसके माध्यम से जरूरतमन्दों को जिनकी क्रय शक्ति साधारण एवं नाकाफी है, उनको सहायता दी जाती है। उन्हें ऐसा सहयोग प्रदान कर कल्याणकारी राज्य अपनी वैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करता है। इस कार्यक्रम का दूसरा पहलू भी है कि अन्न की कीमत स्थिर रहे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो।

इस उत्तम नीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर ही प्रभावी बनाया जा सकता है। देश के सभी राज्यों में तथा क्षेत्रीय स्तर पर भी यह आकलन करना पड़ेगा कि जब तक राज्यों में या क्षेत्रों में अनाज की कमी न हो तब तक वहां दूसरे राज्यों या क्षेत्रों से खाद्यान्न न भेजा जाय। स्थानीय तौर पर बिक्री योग्य अनाज की खरीद तथा भण्डारण हो एवं आवश्यकता होने पर संरक्षित उपभोक्ताओं को वही खाद्यान्न मुफ्त में या अल्प दाम पर मुहैया कराया जाए।

लेकिन इसके विपरीत भी कार्य हो रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में शत-प्रतिशत बिक्री योग्य अनाज की खरीद हो रही है तथा भण्डारण भी हो रहा है। अधिक भण्डारण के लिए इंतजाम और दूसरे राज्यों के भी भण्डारण का उपयोग इसके लिये किया जा रहा है। इसके लिए देश के महंगे परिवहन साधनों का भी उपयोग हो रहा है। इसका कुप्रभाव पड़ रहा है।

आज खाद्य असुरक्षा गरीबी-पिछड़ापन दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम कृषि एवं खाद्यान्न की गलत नीतियां रही है। अतः यह भी आवश्यक है कि –

1. केन्द्रीय पूल की स्टॉक सीमा तय की जाय, जिसका आधार सिर्फ उपभोक्ताओं की आवश्यकता ही नहीं बल्कि देश के दूर के हिस्से का उत्पादन भी हो।
2. बफर स्टॉक के लिए खरीद प्रत्येक राज्य से कुछ प्रतिशत तक हो, जो देश के स्तर पर हुए कुल उत्पादन में राज्य के उत्पादन के औसत योगदान का सूचक हो।
3. जिस राज्य में खाद्यान्न की जो भी खपत राष्ट्रीय नीति के चलते हो, उपलब्ध रहने पर वह उस राज्य विशेष से ही खरीदी जाए।
4. विशेष राज्यों में यदि खरीद के लिए अनाज बच जाए तो उसकी खरीद निर्यात के लिए भी हो।
5. घरेलू खपत के लिए अनाज का आवागमन नियंत्रित किया जाए ताकि किसी भी राज्य या क्षेत्र में कीमत समर्थन मूल्य से नीचे न जाए।
6. क्षेत्रीय आवश्यकता भी पड़ोसी राज्यों से पूरी की जानी चाहिए।
7. निर्यात के लिए भी अनाज की खरीद देश में अवस्थित नजदीक वाले राज्यों को किया जाना चाहिए।
8. राज्यों में अनाज विशेष के उत्पादन की अधिकतम सीमा तय कर खेती की पैदावार को अन्य आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए।

1950 में खाद्यान्न उत्पादन 65 लाख टन था, जो कि 2016 में 9 करोड़ लाख टन हो गया है अर्थात् इसमें 1384 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है तथा अनाज भण्डारण का लक्ष्य पूर्ण किया गया है।

खाद्य सुरक्षा और भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पी0डी0एस0 कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गावों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 46 लाख राशन की दुकानें हैं। सरकारी राशन की दुकानों में, जिन्हें **उचित दर वाली दुकानें** कहा जाता है, उनमें चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेंचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है।

राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं : **(क)** निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, **(ख)** निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बी0पी0एल0 कार्ड और **(ग)** अन्य लोगों के लिए ए0पी0एल0 कार्ड। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा कानून-2013 के तहत 2 तरह के राशन कार्ड हैं – अंत्योदय कार्ड व पात्र गृहस्थी कार्ड।

भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी तीन महत्वपूर्ण अंतःक्षेपी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया **एकीकृत बाल विकास सेवाएँ** (आई.सी.डी.एस) जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई और **काम के बदले अनाज** (एफ.एफ.डब्ल्यू) 1977-78 में प्रारंभ किया गया। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम** (पी.ए.पी.) चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से मुख्य घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर पी.ए.पी. भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं, मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं।

3.1 खाद्य सुरक्षा और भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इस अध्याय में पी0डी0एस0 के बारे में एक प्रयास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का प्रयास किया गया है। इसमें निम्न मुद्दे शामिल हैं—

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अवधारणा और परिभाषा ।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास ।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उससे सम्बन्धित चलायी गई योजनाएं ।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विशेषता/सुविधाएं ।
5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबन्धन ।
6. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संगठनात्मक आकार ।
7. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कवरेज ।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आकलन ।

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली : अवधारणा और परिभाषा :-

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पी0डी0एस0 एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहचान के लिए निजी वितरण की शर्तों के नियंत्रण से प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर सभी देशों की प्रमुख सरकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं द्वारा सभी जरूरतमन्द लोगों को निजी लाभ व वगैर किसी भेदभाव से लाभान्वित करना रहा है। आम जनता को यह मानवीय अधिकार उनके सुखमय जीवन जीने की प्रबलता के अस्तित्व को परिलक्षित करता है। इन अभिकरणों में प्रमुखता से सम्मिलित है -

भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) जो खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न का प्रक्रिया-प्रबन्धन (खरीद, परिवहन, भण्डारण और वितरण आदि का महत्वपूर्ण कार्य करती है। राज्यों के स्तर पर यह राज्य सप्लाय विभाग/कारपोरेशन (निगमों), उचित मूल्य की दुकानों व अभिकरणों से है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था के प्रबन्धन को समेटे हुए है। उचित मूल्य की दुकान (एफ.पी.एस.) इस प्रक्रिया में अंतिम कड़ी है। इसमें ज्यादातर निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व भी इसमें समाहित है। इसके अन्तर्गत सरकारी व गैर सरकारी सस्ते राशन की दुकानों के रूप में दिखायी देता है। इसलिए अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू में सरकारी अभिकरणों और सरकारी कंट्रोल (नियंत्रण) में भेद करने को सम्पूर्ण वितरण प्रणाली में समाहित करता है।¹

अपने संकीर्ण अर्थों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहचान उचित मूल्य की राशन की सब्सिडी दुकानों से है। ढोलकिया और खुराना के अनुसार पी0डी0एस0 का सम्बन्ध हर एक राज्य द्वारा निर्देशित खुदरा बिक्री प्रणाली की देख रेख से है।²

प्रगति मूल्यांकन संगठन (भारत सरकार-1985) द्वारा भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को परिभाषित किया गया है। जिसके तहत हर रोज दैनिक जीवन-यापन के

¹ गुप्ता, ए0, (1977) : "पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन आफ फूड ग्रेन्स इन इण्डिया", मोनोग्राफ नं-69, सेन्टर फार मैनेजमेन्ट इन एग्रीकल्चर, आई0आई0एम0, अहमदाबाद (1977), पेज 61-67।

² ढोकलिया एन्ड खुराना, (1979) : "पी0डी0एस0 इवोल्यूशन, इवेल्यूशन एन्ड प्रास्पेक्ट्स," आक्सफोर्ड एन्ड आई.वी.एच. पब्लिकेशन कम्पनी, नई दिल्ली, पेज-122

इस्तेमाल की जरूरत के अनुरूप निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद व बिक्री शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोवाइड सिस्टम (एफ0पी0एस0) नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराया जाता है।³

केन्द्र सरकार द्वारा अनाज की खरीद प्रक्रिया एफ0सी0आई0 द्वारा की जाती है। कुछ राज्य सरकारों की एजेन्सियों द्वारा केन्द्रीय पूल के साथ ही अपने खाते के अनाज की खरीद करनी पड़ती है। राज्य सरकारों के अंशों का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्यों के स्तर पर नगरिक आपूर्ति संगठनों तथा एफ0पी0एस0 के लिए खाद्यान्न आवंटन की जिम्मेदारी तथा एफ0पी0एस0 के कामकाज की निगरानी भी की जाती है। एफ0पी0एस0 (फूड प्रोवाइड सिस्टम) का विषय सरकार के नियंत्रण के अधीन है। स्वयं एफ0पी0एस0 अनाज की बिक्री नहीं करती तथा उसे सरकार ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा बेचने की अनुमति देता है। निश्चित मात्रा में बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 व अंत्योदय से जुड़े राशन कार्डों की संख्या के आधार पर ही प्रत्येक राज्यों के एफ0पी0एस0 के लिए अनाज वाले वस्तुओं (गेहूँ, चावल, दाल, मिट्टी का तेल व चीनी आदि) की कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती है। एफ0पी0एस0 में कोटा सिस्टम के तहत डीलर को एक दुकान संचालित करने के लिए डीलर को लाइसेन्स की खरीद के साथ ही एक उचित रिकार्ड बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। डीलर कोटा सिस्टम में राशन आदि का भण्डारण से उठान, लेखा-विवरण के आधार पर ही करता है।⁴

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास :-

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक लम्बे समय के साथ विकसित किया गया है। देश में अकाल और सूखे के उत्पन्न होने पर पैदा होने वाली खाद्यान्न की तीव्र कमी की स्थिति को दूर करने के लिए तथा पीड़ितों को आवश्यक लाभ दिलाने के लिए सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रणाली के विशिष्ट तरीकों के रूप में इसे आकार दिया गया। सूखे व अकाल जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ऐसा उपाय अपनाया गया जैसा कि युद्ध प्रभावित व अग्निशमन आपरेशनों की स्थिति में प्रभावित आबादी के लिए अस्थायी राहत के तौर पर किया जाता है।⁵ इस प्रकार से यह पूर्व के समय 1939 में पहली बार किया गया। सरकार ने कुछ चुनिंदा शहरों के गरीबों को खाद्यान्न वितरण के बारे में सोचा, जहाँ पर लोग गम्भीर कमी की स्थिति का सामना कर रहे थे। देश में भूखे और गरीब लोगों की समस्या के हल के लिए गरीबों को सस्ता अनाज दिलाने का निजी प्रयास असफल रहा। बाद में 1943 में बंगाल के महान अकाल व सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अनाज वितरण व्यवस्था को कुछ अधिक शहरों व कस्बों तक बढ़ा दिया गया। युद्ध, अकाल व सूखे जैसे आर्थिक तनाव और विघटन के समय में समस्या के हल के लिए एक फर्म को जन्म दिया, जिसे खाद्य सुरक्षा प्रणाली नाम दिया गया। शुरुआत में तो यह मुख्य रूप से जरूरतमन्दों तक खाद्यान्न की पहुँच व प्रबंधन को लेकर काफी

³ गवर्मेन्ट आफ इण्डिया (1985)

⁴ वापना, एस0एल0, (1990) : फूड सिक्योरिटी थ्राट द पी0डी0एस0-द इण्डियन एक्सपीरियन्स, इन डी0एस0 त्यागी (सम्पादित) : इनक्रीजिंग एक्सेस टू फूड द एशियन एक्सपीरियन्स, सेज पब्लिकेशन, पेज (110)

⁵ भाटिया, वी0एम0, (1967) : "फेमाइन्स इन इण्डिया-ए स्टडी इन सम आस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री आफ इण्डिया 1860-1985", एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, पेज-24

समस्या उत्पन्न हुई। बाद में इसके संगठनात्मक व संस्थागत स्वरूप ग्रहण करने पर खाद्यान्न के बाजार व व्यापार में सामान्य गतिविधियों को निलम्बित करने के उपायों को बढ़ावा मिला। जिसके कारण जरूरतमन्दों तक खाद्यान्न सप्लाई को सुनिश्चित करने में काफी सहायता भी मिली। भारत में लम्बे समय से अधिकांश लोगों को खाद्य सुरक्षा दिलाने के लिए चयनित शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संवैधानिक राशन कार्ड की उपस्थिति को जरूरी मानक माना जाता है।⁶

तलिका – (3.1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएँ व विकास क्रम

| योजना का काम | आरंभ का वर्ष | लक्षित समूह | आद्यतन मात्रा | निर्गम कीमत रु. प्र. कि. |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---|
| सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 1939-40 | — | — | — |
| सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 1992 तक | सर्वजनीन | — | गेहूँ — 2.34 चावल — 2.89 |
| संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 1992 | पिछड़े ब्लॉक | 20 कि. गेहूँ | गेहूँ — 2.80 चावल — 3.77 |
| लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 1997 | निर्धन और गैर-निर्धन | 35 कि. खाद्यान्न | बी0पी0एल0 गेहूँ — 2.50 चावल — 3.50 ए0पी0एल0 गेहूँ — 4.50 चावल — 7.00 |
| अंत्योदय अन्न योजना | 2000 | निर्धनों में सबसे निर्धन | 35 कि. खाद्यान्न | गेहूँ — 2.00 चावल — 3.00 |
| अन्नपूर्णा योजना | 2000 | दीन वरिष्ठ नागरिक | | 10 कि. खाद्यान्न निःशुल्क |

⁶ राव, वी.एम., (1995) : "वियान्ड सरप्लसेज-फूड सिक्योरिटी इन चेन्जिंग कांटेक्ट", ई0पी0डब्लू0, 28 जनवरी, पेज-8

| | | | | |
|----------------------------------|------|--|---|--|
| पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ | 2001 | जीवन का अधिकार भुखमरी के शिकार लोग | — | उन लोगों को अनाज बांटा जाना चाहिए जो अनाज खरीद सकते हैं। |
| खाद्य सुरक्षा कानून | 2013 | पात्र गृहस्थी श्रेणी व अंत्योदय श्रेणी | पात्र गृहस्थी परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो व अंत्योदय को 35 किलो ग्राम | चावल 3 रुपये व गेहूँ 2 रुपये तथा मोटा अनाज 1 रुपये |

नोट : बी0पी0एल0 निर्धनता रेखा से नीचे व ए0पी0एल0 निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग।

Source - Balani, S. (2013). Functioning of the Public Distribution System. PRS Legislative Research.

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास को (4) समय अवधि में बाँटा जा सकता है।

(1) 1939—65 (2) 1965—75 (3) 1975—91 (4) 1991—से अब तक

पहली अवधि में अर्थात् पूर्व 60 के दशक तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राशन वितरण की एक मात्र प्रणाली माना जाता था। जिसके द्वारा जरूरतमन्द लोगों तक दुर्लभ वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य के आधार पर किया जाता था। ऐसी प्रणाली का विकास निजी व्यापार की तुलना में उचित मूल्य की कोटा सिस्टम की सब्सिडी दुकानों के रूप में देखा गया। जिसके तहत गेहूँ और चावल की अधिकता महत्वपूर्ण उच्च श्रेयों (अंशों) का खाद्यान्न वितरण जरूरतमन्दों को किया गया। समय के साथ धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विस्तार देने की जरूरत महसूस की जाने लगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह लागू नहीं था। तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन अनियमित और संयुक्त राज्य अमेरिका के पी0एल0—480 के आयात पर ही निर्भर था। इसका विस्तार उस समय काफी छोटे स्तर पर अनाज के आन्तरिक खरीद व सप्लाई के संसाधनों में देखा गया। इसका प्रभाव उस समय अनाज के बड़े पैमाने पर

आयात के कारण पी0डी0एस0 के तहत सप्लाई किए जाने वाले स्थापित व्यवस्था में भी दिखा।⁷ प्रस्तुत मूल्य प्रबंधन भी देश में लाभकारी सिद्ध नहीं हुए।

सन् 60 के मध्य दशक तक यह देखा जाता था कि खाद्यान्न की आपूर्ति और उसका प्रबंधन काफी कठिनाई वाली स्थिति में था। सरकार की आन्तरिक अनाज खरीद नीति में अमेरिकी पी0एल0-480 के आयात से ठहराव आ गया। इसका प्रभाव भारत में यह दिखा कि लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिक स्थायी संस्थागत ढांचा स्थापित कर लोगों को पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया (एफ0सी0आई0) और कृषि मूल्य आयोग (ए0पी0सी0) व फिर उसके ब्यूरो के रूप में कृषि लागत और मूल्य आयोग (बी0ए0सी0पी0) की 1965 के शुरुआती चरणों में स्थापना की गई।⁸ बी0ए 0सी0पी0 के सुझावों के आधार पर अनाज के मूल्य तय किए गए और उसी के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) आज भी खाद्यान्न खरीदती है। फिर सार्वजनिक वितरण के तहत उस अनाज को वितरित करती है तथा अनाज खरीद की मात्रा का एक हिस्सा सूखा, अकाल व अन्य किसी अप्रत्याशित संकट की स्थिति में पूर्ति के लिए खाद्यान्न की इस प्रणाली के प्रमुख घटक थे—अनाज की खरीद, भण्डारण और वितरण के लिए संस्थागत व्यवस्था व प्रक्रियाओं की स्थापना करना। इस अवधि में खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चिन्ह क्या थे? जिन्होंने देश के तीव्र विकास के लिए विकासात्मक रणनीति के द्वारा लोगों का ध्यान तकनीकी परिवर्तन ने अपनी तरफ खींचा। विशेषकर चयनित खाद्य फसलों में उन्नत तकनीकों के प्रयोग से काफी परिवर्तन हुआ। उनमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण गेहूँ और चावल जैसे खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में काफी अन्तर आया। इसके द्वारा किसानों को अपनी उपज की प्रभावी कीमत मिली और बाजार का समर्थन मूल्य दिलाने के लिए उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गयी। उनके स्तर में सुधार लाने के लिए ग्रामीण गरीबों के लिए कृषि में ही रोजगार और आय उत्पन्न करने के साधन खाद्य सुरक्षा के तहत दिलाने का प्रयास किया गया। जिसके कारण उनकी अच्छी शारीरिक व आर्थिक स्थिति में वृद्धि का कारण अच्छे अनाज के उत्पादन को ही माना गया।⁹

तीसरी अवधि में 1975 के बाद देश के खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। देश के बफर स्टॉक में भी काफी अनाज का संचय हुआ। इसके साथ ही प्रारम्भिक बफर स्टॉक के रख-रखाव और मूल्य स्थिरीकरण पर जोर दिया गया तथा इसे पी0डी0एस0 में कोटा वृद्धि करने के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया। इसका मुख्य कारण देश में एम0एस0 स्वामीनाथन व नार्मन बोरलांग के हरित क्रांति के उत्पन्न परिणामों को माना गया। जिससे देश में मोटे अनाजों सहित गेहूँ के बम्पर उत्पादन से अनाज के गोदाम भर गए। जिससे देश को भुखमरी, अकाल व सूखे से निजात मिल पायी। चौथी योजना 1969-74 में यह कहा गया कि —“अभी तक खाद्यान्न के सम्बंध में खाद्य सुरक्षा का मूल मुद्दे” या एक प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदान करना रहा है।” खाद्यान्न खरीद

⁷ वापना, बी.एम. (1988) : “पी0डी0एस0 एन्ड फूड सिक्योरिटी इन इण्डिया”, सी0एम0ए0 मोनोग्राफ, आई आई एम, अहमदाबाद, पेज-89

⁸ त्यागी, डी0एस0 (1990) : “मैनेजिंग इंडियाज फूड इकोनामी” सेज पब्लिकेशन्स, न्यू देल्ही, पेज-26

⁹ राव, वी0एम0 (1995) : “वियाण्ड सरप्लेसेज-फूड सिक्योरिटी इन चेंजिंग कांटेक्सट”, ई0पी0डब्लू0, 28 जनवरी, पेज-18

की मात्रा के सापेक्ष सर्वाधिक अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने की आवश्यकता थी। अतः कम से कम अनाज स्टॉक को बरकरार रखा गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित अनेक कार्यक्रम अंत्योदय अन्न योजना, काम के बदले अनाज योजना आदि एक साथ शुरू किए गए। इस प्रकार के कार्यक्रमों व योजनाओं के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भरे अनाज स्टॉक को कम करने के साथ ही देश से गरीबी को भी समाप्त करने में काफी सहायता मिली। बाहरी देशों से अनाज आयात में धीरे-धीरे इस अवधि में 1975 के दौरान काफी गिरावट आयी। देश में खाद्यान्न का शुद्ध निर्यात नहीं था अपितु अपेक्षाकृत एक छोटी मात्रा में अनाज का आयात कुछ समय के लिए जारी रखा गया ताकि बफर स्टॉक का न्यूनतम स्तर बनाए रखा जाए। सरकार ने इस समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत किया तथा इसे नियंत्रित करने की रणनीति का एक हिस्सा यह था कि यह एक स्थायी सुविधा बनी रहे। जिससे अनाज की कीमतों को स्थिर रखने के साथ ही उनके कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करके उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का एक समान वितरण सभी जरूरतमंदों को सुनिश्चित किया जा सके।¹⁰

देर से ही सही सत्तर के दशक तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली काफी हद तक शहरी आबादी तक ही सीमित नहीं रही अपितु इसका विस्तार कर संकट के समय ग्रामीण गरीबों को पर्याप्त भोजन देने की गारण्टी तक विस्तार कर दिया गया। 1970 और 1980 के दशक के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कवरेज को बढ़ाया और उसका मुख्य लक्ष्य समूहीकरण दृष्टिकोण को पेश किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। इन राज्यों में केरल, गुजरात, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश थे। उस समय भोजन की स्थिति पर एक उल्लेखनीय परिवर्तन यह भी किया गया कि विशेषकर बाद के वर्षों में 80 और 90 के दशक के दौरान। इस प्रकार नेट खाद्यान्न की उपलब्धता 1968 में बढ़कर 74 मिलियन टन हो गयी जो 1977 में 99 मिलियन टन तथा 1991 में 158 मिलियन टन पहुँचने के साथ बाद के वर्षों में भी तेजी से अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी। (भारत सरकार-1994)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत संकट की स्थिति की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया था। इस प्रकार 6वीं पंचवर्षीय योजना में पी0डी0एस0 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल प्रबन्धन के लिए एक साधन के रूप में देखा गया था। जिसमें स्थिर मूल्य के विचार को बनाए रखने के साथ ही आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति को जरूरी माना जाता था।

चौथे और अन्तिम दौर में 1991 के बाद उदारीकरण, भूमण्डलीकरण और निजीकरण का बोलबाला रहा। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाए रखने की बात की जाती रही क्योंकि इसमें अधिकांश लोगों का मोहभंग परम्परागत कृषि से हुआ। कुपोषण और भुखमरी से निजात दिलाने के लिए जो योजनाएं शुरू की गयी थी। वे अब 7वीं, 8वीं व 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीछे होती जा रही थी। एक तरफ तो खाद्यान्न अनाज

¹⁰ गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, फिफथ फाइवल इयर प्लान, पेज-42।

का स्टॉक भण्डारण रिकार्ड की नवीन ऊंचाइयों को छुआ तो वहीं कुपोषण और भुखमरी तथा विश्व भुखमरी रिपोर्टों में भी भारत का रिकार्ड काफी नीचे एशिया में वर्ष 2011 में 67 वें स्थान पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट को भी पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ मामले में अनाज के भरे गोदामों व अनाज सड़ने के कारण लगातार भुखमरी बढ़ने, तथा किसानों की आत्महत्या व कुपोषण लोगों की संख्या में वृद्धि को लेकर अत्यन्त कठिन टिप्पणी भी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौर में करनी पड़ी।

11वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन 250 मिलियन टन हुआ जो कि स्वतंत्रता के समय 50 मिलियन टन ही था। खाद्यान्न की कीमतों में काफी वृद्धि 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखी गई। आज दूसरे हरित क्रान्ति की बात की जा रही है। कुपोषण और भुखमरी के निवारण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 को लाकर लोगों को मिड डे मील योजना व लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने की बात की जा रही है। जिससे तहत अन्त्योदय, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 लोगों को अब जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा पौष्टिक व आवश्यक भोजन देने के लिए खाद्य सुरक्षा की बात की जा रही है।¹¹

वी0एम0 राव ने 1995 में ही कहा था कि नीति नियन्त्राओं के लिए एक ऐसी स्थिति बनाना जिसमें कि सभी जरूरतमंदों को पर्याप्त खाद्यान्न मिले, ऐसी आपूर्ति व्यवस्था का प्रबन्धन करना प्रबन्धकों के लिए अत्यन्त दुर्लभ है। लेकिन आज अर्थव्यवस्था एक ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, जिसमें कि सभी लोगों के समग्र विकास के लिए मजबूत खाद्यान्न के स्टॉक से खाद्यान्न दिलाना देश की आर्थिक वृद्धि जी.डी.पी. और विकास को दर्शाता है।¹²

(3) योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली :-

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास के मूल्यांकन के लिए योजनाओं के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विभिन्न समय अवधियों में परिवर्तन किया गया। योजनाओं की शुरुआत के समय प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक आवश्यक जरूरत के रूप में जरूरी समझा गया। देश में गरीब व जरूरतमंद लोगों को आवश्यक खाद्यान्न उचित मूल्य पर दिलाने के दबाव को पी0डी0एस0 से कुछ काम करने में मदद मिली। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) की रिपोर्ट में यह कहा गया कि अभी तक जरूरतमंदों को खाद्यान्न दिलाने का उद्देश्य ही पी.डी.एस. के मूल उद्देश्य में ही समाहित है और उसे और प्रभावशाली बनाने पर जोर रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई। इसमें उचित मूल्य पर जरूरतमंदों को बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की समाज के कमजोर वर्गों के लिए आपूर्ति की व्यवस्था की गयी।

¹¹ गवर्मेन्ट आफ इण्डिया 6 दू 10वां फाइव इयर प्लान पेज-28

¹² राव वी.एम. (1995) : "वियाण्ड सरप्लेसेज-फूड सिक्योरिटी इन द चेंजिंग कांटेक्स्ट", ई0पी0डब्लू0, 28 जनवरी, पेज-9

छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980-85) में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक स्थिर व स्थायी सुविधा के रूप में विकसित करने की अपेक्षा की गई। जिसमें खाद्यान्नों की कीमतों में नियंत्रण व अनाज के दामों में उतार-चढ़ाव को कम करने के साथ ही आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के एक समान वितरण को प्राप्त करने की रणनीति बनाई गई। सभी क्षेत्रों को आपात स्थिति के समय कवर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार एक महत्वपूर्ण कदम बना। देश में आपात काल के समय 1975 के दौरान 20सूत्री कार्यक्रम के तहत पी0डी0एस0 में सुधार की बात की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक स्थायी सुविधा की तरह निर्दिष्ट किया गया। जिसके तहत कीमतों में नियंत्रण व खाद्यान्न मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करने के साथ ही आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के एक समान वितरण के लिए रणनीति तैयार की गयी। सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए प्राथमिक व्यापारियों का विस्तार किया गया और 20सूत्री कार्यक्रम के तहत कार्यवाही की बात की गयी। यह विशेष घोषणा एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम (आई0टी0डी0पी0) जैसे विशेष योजनाओं द्वारा खाद्यान्न की सप्लाई विशेष रियायती मूल्य पर उनकी आपूर्ति करके ज्यादा जरूरतमन्द लोगों को इसके तहत कवर किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज की खरीद संचालन व वितरण के लिए एक विशेष व्यापक व्यवस्था की गयी। जिसमें विशेष जोर सरकार ने यह दिया कि दुकानों से जरूरतमन्द उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी की एक निश्चित राशि अनाज की आपूर्ति में दी। सब्सिडी व्यवस्था की शुरुआत के साथ ही अनाज की किसानों से खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने को भी इसमें जोड़ा गया। इस प्रकार 7वीं योजना से ही भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्य सुरक्षा के साथ घनिष्ठ सम्बंध था। जिसके तहत जनसंख्या के एक बड़े असुरक्षित भाग, कमजोर वर्गों के लिए नीतिगत सुधार, खाद्य सब्सिडी के लिए उचित बजटीय प्रावधान और उचित खाद्यान्न मूल्य नीति को पी0डी0एस0 से जोड़ा गया।¹³

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के समय खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को इससे समाहित कर इसके कवरेज एरिया का विस्तार किया गया तथा इसके लिए खाद्यान्न को रोजगार सृजन कार्यक्रम से जोड़ा गया।¹⁴ इनमें प्रसिद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.) जो बाद में शुरू किए गए थे। इन सभी कार्यक्रमों को जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) 1993 में संशोधित कर संयुक्त रूप से जोड़ा गया। अधिकांश लोगों को खाद्य सुरक्षा दिलाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को इससे जोड़ा।

¹³ Venu Gopal K.R. (1992): Deliverance from Hunger: The PDS In India, Sage publications, New Delhi, p.221

¹⁴ Some of the programmes were Rural Labour Employment Generation Programme (RLEGP), Food for Work Programme (FWP), Employment Generation Programme etc. All these programmes are merged under a single JRY.

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)के दौरान पी.डी.एस. को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोडा गया। इसमें विशेष रूप से गरीब राज्यों के सभी अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण को लेकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान देश से गरीबी व बेरोजगारी समाप्त करने के लिए अन्य कल्याणकारी प्रोग्राम चलाए गए। जिसमें **मिड डे मील कार्यक्रम, अन्त्योदय अन्न योजना 2002, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (मनरेगा)** आदि प्रमुख हैं। इन योजनाओं में प्रमुखता से देश से भुखमरी, आत्महत्या, सूखा व कुपोषण आदि समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया।

ग्यारहवीं योजना अवधि में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी0पी0डी0एस0) के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। नौ-सूत्री कार्य योजनाओं से काफी संख्या में फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने, लीकेज (रिसाव) में कमी तथा टी0पी0डी0एस0 संचालनों में बेहतर पारदर्शिता के लिए लाभप्रद रही है। इन पहलों को उत्साह से आगे बढ़ाने के साथ-साथ बारहवीं योजना अवधि में टी0पी0डी0एस0 के प्रति नवीन पहल की आवश्यकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एन0एफ0एस0ए0) बनाकर टी0पी0डी0एस0 के अंतर्गत अधिकार-आधारित पहल सुलभ कराना है। विधेयक संसद से पास कर अब लागू भी कर दिया गया है तथा मर्यादित जीवनयापन सहित लोगों को वहनीय मूल्यों पर पर्याप्त गुणवत्तायुक्त भोजन सुनिश्चित करते हुए मानव-जीवन चक्र पहल में खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा देने की आशा है। इसके लिए वर्तमान अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा नई पहलें व स्कीमें शुरू करने की आवश्यकता होगी। टी0पी0डी0एस0 में सुधार महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इससे प्रणाली में अधिक कुशलता आएगी तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही होगी। खाद्यान्न की हकदारी प्रति परिवार से हटकर प्रति व्यक्ति आधारित हो गयी है। एन0एफ0एस0ए0 कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण चुनौती होगी लाभार्थियों की पहचान करना जो कि चल रही सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना पर आधारित होगी। बारहवीं योजना के दौरान दूसरी महत्वपूर्ण पहल थी, व्यापक योजना स्कीम की सहयता से टी0पी0डी0एस0 संचालन का आदि से अंत तक कम्प्यूटरीकरण करना। इससे न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना हो सकेगा बल्कि खाद्यान्नों की समुचित निगरानी भी हो सकेगी तथा आधार संख्या का प्रयोग करने अथवा स्मार्ट कार्ड जैसे नवीन तरीकों से उपभोक्ताओं का उत्थान हो सकेगा।

एन0एफ0एस0ए0 के समुचित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे का विस्तार कर इसमें मोटे अनाजों, दालों तथा खाद्य तेलों को शामिल करना होगा और इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही खरीद की मात्रा तथा उसकी निश्चितता तय करनी होगी। परन्तु, यह देखते हुए कि उपभोग और उत्पादन पद्धति में राज्य-दर-राज्य काफी विभिन्नता है, यह ऐसी चीज़ है जिसे किसी केंद्रीय एजेंसी की बजाए राज्य स्वयं ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। फिर भी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के एक हिस्से के तौर पर, केंद्रीय सरकार न सिर्फ विकेंद्रीकृत ब्यवस्था बल्कि खाद्य सब्सिडी अंतरित करने के नए तरीके भी प्रस्तुत कर सकती है। एक अन्य विकल्प यह हो सकता

है, वह यह कि केन्द्र प्रत्येक राज्य को पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निभाता रहे, इसका मूल्य निर्धारण राज्यों को दी जाने वाली विपणन व खाद्य सब्सिडी के आस-पास हो, जैसा कि 2002 में दीर्घावधिक अनाज नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी। वैकल्पिक रूप से, आधार संख्या के प्रामाणिक तंत्र का प्रयोग करते हुए लाभार्थियों अथवा एफ0पी0एस0 डीलरों के बैंक खाते में सब्सिडी सीधे क्रेडिट की जा सकती है। दूसरा विकल्प व्यापक इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण प्रणाली हो सकती है, जिससे कि सब्सिडी स्मार्ट कार्ड से दी जाए तथा उपभोक्ता के पास सामग्री अथवा उचित मूल्य की दुकान का विकल्प हो। इन पहलों से लीकेज में महत्वपूर्ण कमी होने की आशा है क्योंकि इससे बिचौलियों के लिए खुले बाजार के पी0डी0एस0 खाद्यान्न को बेचने का अवसर कम हो जाएगा। इन उपायों को लागू करते समय यह ध्यान देना होगा कि एफ0पी0एस0 की व्यवहार्यता में मुद्दे का समाधान हो तथा इसकी कार्यप्रणाली में भी सुधार हो।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) व वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में भी उन पुरानी चलाई जा रही योजनाओं को नवीन रूप दिया। देश में खाद्य सुरक्षा कानून-2013 पारित किया गया, जिससे कि देश के जरूरतमन्द लोगों को आवश्यक अनाज (ए.पी.एल.,बी.पी.एल. व अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी) को मिल सके। यह कानून देश के 75 प्रतिशत ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत शहरी कुल मिलाकर 67 प्रतिशत आबादी यानि करीब 82 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देता है। योजना के तहत कुल व्यय का अनुमान करीब 1लाख 25 हजार करोड़ रुपये का है।

(4). सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विशेषता/सुविधाएं :-

सर्वप्रथम भुखमरी अकाल व सूखे से निपटने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था एक कार्यक्रम के तौर पर शुरू की गई थी। फिर धीरे-धीरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य और क्षेत्रों में विस्तार किया गया तथा एक आपरेशन कार्यक्रम के रूप में प्रक्रिया निर्माण व खाद्यान्न का वितरण तथा खाद्यान्न की उचित कीमत पर खरीद, व्यवस्था संचालन आदि नीतियों को बढावा दिया गया।¹⁵

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यक सुविधाओं को निम्न रूप में संक्षेप में किया जा सकता है -

(1) यह खाद्यान्नों के उचित मूल्य के माध्यम से चयनित आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था है। इसे आम तौर पर राशन की सब्सिडी दुकानों या सलाहकारी समितियों के रूप में जाना जाता है। सब्सिडी की दुकानों पर स्वामित्व सरकार का होता है। इनमें से कुछ निजी डीलरों का संचालन सरकार के नियंत्रण व दिशा निर्देशों के तहत होता है।

¹⁵ कुंटा प्रसाद (1984) : "पी0 डी0 एस0 इन इण्डिया" आफ0 सिट., पेज- 18

(2) इसमें चावल, गेहूँ और चीनी को एक प्रमुख स्थान पर एक निश्चित समय में इकट्ठा रखने की प्रधानता रहती है। अन्य महत्वपूर्ण चीजों में मिट्टी के तेल व खाद्य तेल तथा नमक, दाल व मोटे अनाज आदि भी होते हैं।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य कर रही व्यवस्था में किसी भी तरह की प्रक्रिया को नहीं रोका जाता है तथा उसे नियंत्रित मुक्त बाजार व्यवस्था में सीमित वैधानिक राशन क्षेत्रों को छोड़कर साथ में कार्य करता है। इसलिए अब इसे दोहरी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इसमें उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए खुले बाजार में मुक्त छोड़ दिया जाता है।

(4) खाद्यान्न और अन्य मदों की जरूरी आवश्यक मात्रा की पूर्ति के लिए सरकार आन्तरिक खरीद के माध्यम से या आयात के द्वारा और एक मजबूत बफर स्टॉक रखकर, जिसे स्टॉक की कमी को पूरा करने हेतु बनाया जाता है। सरकार उसी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले अनाज की आपूर्ति करती है। जिसमें सब्सिडी का मूल्य पहले से तय कर लिया जाता है। जो माल के लिए आपूर्ति, दर क्या हो, किस राशि पर प्रति व्यक्ति या परिवार बँचा जाय आदि का निर्धारण कर लिया जाता है।

(5) इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का कम से कम एक बुनियादी न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने से है। इसमें जनसंख्या के अधिकांश कमजोर वर्गों को उचित न्यूनतम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही खुले बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए या कम से कम ऐसे अनुचित बृद्धि को रोकने के लिए कमी की शर्तों के तहत कीमत न्यूनतम ही रखा जाता है। सरकार द्वारा अनाज खरीद की कीमतों व अन्य खर्चों की लागत से भी खुले बाजार की कीमतें काफी कम ही रखी जाती हैं।

(6) यह मुख्य रूप से शहरी उन्मुख व्यवस्था के लिए प्रयोग किया गया था। इसकी उत्पत्ति के साथ ही इसका विकास शहरी विकासशील क्षेत्रों में किया गया। जहाँ पर खाद्यान्न की कमी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सरकार की राजनीतिक देनदारियाँ बन सकती हैं।


सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आकार केन्द्रीय व राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण सुझावों के साथ लागू किया गया। केन्द्रीय सरकार मुख्य रूप से बफर स्टॉक के संचालन के साथ सौदा मुख्यतः एफ0सी0आई0 द्वारा और खाद्यान्न की बाहरी और आन्तरिक व्यापार को नियंत्रित करता है। केन्द्रीय सरकार इसकी खरीद-बिक्री गतिविधि के माध्यम से तथा अधिशेष के मतभेद भी हल करने की कोशिश करता है और खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में घाटों को भी कम करता है।

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबन्धन :-

यह खण्ड भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबन्धन, संरचना का वर्णन करता है। यह बड़े पैमाने पर नीति निर्माताओं के उद्देश्यों को विस्तार से पी0डी0एस0 से

जोड़ता है। जिसके तहत खाद्यान्नों की खरीद व वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रणनीति और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंधन किया जाता है।

(6) भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संगठनात्मक आकार :-



Source. From Tyagi & V.S Vyas (1990): Increasing Access to Food: The Asian Experience, Sage Publications, New Delhi.

(7) भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कवरेज :-

(i) नीति निर्माण :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बुनियादी दृष्टिकोण से निश्चय के लिए भारत सरकार के योजना आयोग ने विशेषज्ञ समूहों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद इसे देश में लागू करने का फैसला लिया। विभिन्न योजनाओं व दस्तावेजों में पहले से ही पी0डी0एस0 के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। योजना आयोग ही सरकार के मुख्य नीति निर्माण का ढांचा तैयार कर उन्हें लागू करने का निर्णय लेता है ताकि उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। पी0डी0एस0 के लिए कुछ मुख्य उद्देश्यों की पहचान की गयी है जो निम्न हैं—

1. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता।
2. आवश्यक वस्तुओं के एक समान वितरण के लक्ष्य।
3. अधिकांश आबादी के कमजोर वर्ग के लिए आवश्यक वस्तुओं को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना।

खाद्यान्नों की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण सम्बंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों के खाद्य मंत्रालय द्वारा विभाग की योजना तैयार की जाती है।¹⁶

(ii) अधिप्राप्ति :-

पहले वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) की स्थापना के समय देश के आन्तरिक स्रोतों से खरीद काफी सीमित थी। खाद्यान्न की खरीद के लिए राज्यों का राजस्व विभाग और नागरिक आपूर्ति विभाग किसानों, व्यापारियों और मिलर्स पर लेवी लगाने आदि के ऊपर यह जिम्मेदारी थी। प्रमुख खरीद के स्रोत के पहले मध्य 60 के दशक तक भारत सरकार द्वारा नियंत्रित पी0एल0-480 के तहत गेहूँ का आयात राज्य व्यापार संघों को किया गया था।¹⁷ जिसका उल्लेख पहले है, बाद में 1965 के बाद से खाद्यान्न की आन्तरिक खरीद का प्रबंधन भारतीय खाद्य निगमों और राज्य की एजेंसियों में नागरिक आपूर्ति विभाग या नागरिक आपूर्ति संघों को अनाज खरीद का एक भाग बनाया गया। विभागों या नागरिक खरीद की रणनीति के हिस्से के रूप में निगम आपूर्ति व सहकारी समितियों को भी एजेन्सियों के रूप में प्रोत्साहित किया गया।

भारतीय खाद्य निगम आम तौर पर बाजारों से खाद्यान्न खरीद और उनकी सेवाओं के लिए एजेन्टों या डीलरों को एक निश्चित कमीशन राशि का भुगतान करता है। भुगतान की कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा सुझाए गए कृषि कीमत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनाज खरीद को सुविधाजनक बनाने के क्रम में राज्यों में अधिशेष मूल्य, बाहरी राज्यों की तुलना में अनाज की आवाजाही सीमित करने से निराश

¹⁶ कुंटा प्रसाद (1984) : पी0डी0एस0 इन इण्डिया आय0 सिट0, पेज -19

¹⁷ बापना, एस0एल0(1990) "फूड सिक्वोरिटी थ्रट द पी0डी0एस0 द इण्डियन एक्सपीरियन्स" इन डी0एस0 त्यागी (इडेटिंग), "इनक्रीजिंग एक्सेस टू फूड, द एशियन एक्सपीरियन्स," सेन पब्लिकेशन, पेज 112-113

है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में निकटता से समर्थन मूल्य लगभग असमान हैं। वर्तमान में अधिकांश मण्डलों में अधिकारिक तौर पर प्रतिबन्ध भी नहीं लगा है। ऐसा लगता है कि वास्तविक मूल्य व खुले बाजार के मूल्य में तुलना की गई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनी न्यूनतम प्रोत्साहन कीमत जो कि निचले स्तर पर है, सही नहीं हैं जो आम तौर पर किसानों के हिसाब से काफी कम कीमत है।¹⁸

खाद्यान्न की मात्रा के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय अनाज की खरीद, प्रबंधन और कीमतों की पेशकश की गयी है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। सी0ए0पी0सी0 (कृषि लागत और मूल्य आयोग) द्वारा ही पेश की गई कीमतों की ही सिफारिश की है। आयोग लेखा जोखा करते समय, कृषि के लिए उत्पादन की लागत वस्तुओ, फसल की स्थिति और सम्पूर्ण कीमत का निर्णय लेने के साथ बारीकी से ध्यान देता है। सरकार आम तौर पर सिफारिशों को स्वीकार करता है तथा अन्य संस्थाओं में भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) द्वारा सुझाए गए कीमतों को भी हर तरह से स्वीकार कर लेती है।¹⁹

कीमत प्रबंधन ज्यादातर गेहूँ व चावल के मामले में समर्थन मूल्य के रूप में कार्य करता है, यही हाल मिलों की लेवी का भी है। गेहूँ के मामले में कई बार किसानों के सामने यह एक मजबूरी होती है, जब बाजार में कीमतें काफी गिर जाती है, तो वह भारतीय खाद्य निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खाद्यान्न बेंचने को बाध्य हो जाता है। कई बार ऐसा घटित होना मजबूरी बन जाती है। यह कई मायनों में हो सकता है। उदाहरण के लिए व्यापारियों को खरीद सीजन में खाद्यान्न की बोली लगाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि एफ0सी0आई0 अपने लक्ष्य का प्रबन्धन नहीं कर लेता है।²⁰

खरीदे जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा का निर्धारण मुश्किल है। आम तौर पर यह एक लक्ष्य है, जो फसल की स्थिति को देखते हुए तय किया जाता है। हालाँकि यह एक न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है, जो किसानों को दिया जाता है। जो कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को देने का सुझाव दिया जाता है। इसके प्रबंधन करने के क्रम में अपने संचालन हेतु भारतीय खाद्य निगम और उसके कई क्षेत्रीय कार्यालय अपने प्रशासन के प्रयोजन के लिए देश में 135 एफ0सी0आई0 जिलों में बाँटा गया है।²¹

गेहूँ खरीद का एक बड़ा अनुपात चार राज्यों में केन्द्रित है – पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चावल के मामले में पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ से चावल की खरीद सीधे मिलर्स लेवी के रूप में है। लेवी भी व्यापार के लिए ही लगायी जाती है।²²

¹⁸ वही, वापना एस0एल0(1990), पेज –114

¹⁹ वही, पेज – 115

²⁰ बादकरनी, एम0वी0 (1993) "एग्रीकल्चरल पालिसी इन इण्डिया कांटेक्ट, इ0यू0 एण्ड इस्ट्रुमेंट्स, डेवलेपमेंट स्टडी न0 – 5, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बाम्बे।

²¹ वापना, एस0एल0 (1990), पेज– 115

²² वही, पेज – 116

एफ0सी0आई0 केन्द्र सरकार की ओर से सभी कार्यों का संचालन करती है और अनाज खरीद के सिस्टम के सभी पहलुओं का ध्यान रखती है। इसके लिए वह गोदामों को किराए पर लेती है और हर राज्यों को आवंटन के लिए भण्डारण करती है। शुद्ध लागत के इस आपरेशन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वास्तविक बिक्री-वसूली केन्द्र सरकार द्वारा करने हेतु प्रति पूर्ति का भी प्रावधान है। इसके लिए सभी सरकारी दस्तावेजों में खाद्य सब्सिडी की एक निश्चित राशि हर राज्यों को भेजी जाती है। भारतीय खाद्य निगम एक बफर स्टॉक बनाए रखता है। जिसके द्वारा अनाज की कीमतों को स्थिर रखा जाता है तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाता है।²³

(iii) वितरण :-

खाद्यान्न के वितरण का प्रबन्ध करना नीति नियंताओं के लिए अत्यन्त जटिल है। इसको निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निर्णय शामिल हैं।

1. खाद्यान्न किस मात्रा में विभिन्न राज्यों को आवंटित किया जाना चाहिए।
2. निर्गम मूल्य क्या होना चाहिए।
3. क्या इसके लिए कोई वितरण एजेन्सी होनी चाहिए अथवा खुदरा स्तर पर वितरण एजेन्सी होनी चाहिए या विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर एजेन्सी हो ?
4. क्या इसके प्रबंधन हेतु परिवहन-भण्डारण और समन्वय के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए ?
5. क्या खुदरा मूल्य और विभिन्न एजेन्सियों के मूल्य में अन्तर होना चाहिए ?

भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी भण्डारण व परिवहन की है। वह क्षेत्रीय डिपो में निजी ठेकेदारों के द्वारा परिवहन के माध्यम व्यवस्था करता है। क्षेत्रीय डिपो से अनाज उठान के लिए व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। गोदामों से भी उचित मूल्य की दुकानों तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। उनमें से कुछ आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों को छोड़कर गोदामों से अनाज उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है।²⁴

प्रत्येक राज्य के लिए आपूर्ति किए जाने वाले अनाज के कोटे का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है। यह हर एक राज्य में पिछले महीनों में खाद्यान्न के उत्पादन पर निर्भर करता है। उपभोक्ताओं को न्यूनतम कीमत पर अनाज दिलाने के लिए विपणन लागत, खुले बाजार में कीमतें और राजकोषीय बोझ (घाटा) और उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। खरीद लागत की तुलना में बिक्री की कीमतें काफी कम ही रखी जाती है। भारतीय खाद्य निगम इसकी प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार के

²³ झा, शिखा एण्ड पी0वी0 श्री निवासन (2000) "आन इम्पूविंग द इफेक्टिविनेस आफ पी0डी0एस0 इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी," सेमीनार पेपर , सी0ई0एस0एस0, पेज -6

²⁴ वापना, एस0एल0 (1990), पेज -115

सामान्य राजकोष से अनुदान/सब्सिडी द्वारा की जाती है। इसी का एक हिस्सा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी है जबकि प्रतिपूर्ति प्रशासन की लागत है।

(iv) रिटेलिंग :-

खुदरा स्तर पर उचित मूल्य की दुकानों के (3) प्रकार स्थापित किए गए हैं – निजी, सहकारी व सहकारी सरकारी स्वामित्व वाली। हालाँकि सहकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को बढ़ावा देने का प्रयास तीसरी योजना के बाद किया गया। सहकारी दुकानों का प्रसार 1990 के उदारीकरण के बाद काफी तेजी से हुआ है।

उचित मूल्य की दुकान के स्थान के बारे में निर्णय जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। यह आवेदकों और गाँवों की आकार क्षमता पर निर्भर करता है। हर एक राज्य में स्थानीय राजनीतिक दबावों की इस खेल में महत्वपूर्ण भूमिका इनके स्थापित करने के निर्णयों में दिखती है।²⁵ कुछ राज्यों में आन्तरिक दूरदराज क्षेत्रों के लिए मोबाइल सस्ते मूल्य की दुकान खोलने की व्यवस्था की गयी है। उचित मूल्य की दुकान का संचालन व निगरानी का कार्य खाद्य निरीक्षकों को दिया जाता है।²⁶ इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक सलाहकार परिषद द्वारा निगरानी रखी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज की निगरानी करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। जिला और ब्लाक स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्या के निवारण हेतु उपभोक्ता सलाहकारी समिति के गठन की भी व्यवस्था की गयी है।²⁷

हालाँकि ज्यादातर राज्यों की सप्लाई का निर्धारण केन्द्र सरकार करती है। आज राज्यों के अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में भी काफी बदलाव किया जा रहा है। अब राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग या भारतीय खाद्य निगम उचित मूल्य की दुकानों से अनाज के वितरण की व्यवस्था करता है। हालाँकि आन्ध्र प्रदेश में 6000/- रुपया प्रतिमाह से नीचे कमाई करने वालों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य बनाया गया है। जहाँ चावल पर उपभोक्ताओं को पर्याप्त सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार अपने स्वयं के अनाज खरीद, भण्डारण व परिवहन की व्यवस्था का प्रबन्धन करती है। राज्य सरकारें ही सामान्यतः जिंसो को निर्धारित करती है। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल किये गये वस्तुओं के रूप में गेहूँ, चावल, चीनी, गैस, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, दाल, नमक, कपडा आदि अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है। राज्य सरकारें स्थानीय स्थिति के आधार पर अन्य वस्तुओं को भी जोड़ सकते हैं। हालाँकि अन्य वस्तुओं की खरीद एवं व्यवस्था का प्रबन्धन सम्बन्धित राज्य सरकारों के द्वारा ही किया जाना चाहिए।

²⁵ बापना, एस0एल0 (1990), पेज- 116

²⁶ सूर्यनारायण, एम0एच0 (1995) : "पी0डी0एस0 रीफार्मस एन्ड स्कोप फार कमोडिटी बेस्ड टारगेटिंग मीमोरी" पेज - 115

²⁷ सूर्यनारायण, एम0एच0 (1995), पेज -116

(8) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा राशन तंत्र है, जिसमें सब्सिडी (रियायती) कीमतों पर उपयोगी वस्तुओं का चयन कर निश्चित मात्रा में खाद्यान्न घरेलू लोगों को दिया जाता है। इसमें पात्र परिवारों को एक राशन कार्ड दिया जाता है, जो उन्हें निश्चित राशन खरीदने का अधिकार देता है। जिसमें घरेलू मुखिया की पहचान और उम्र संरचना आदि का निर्धारण होता है। इससे लोग चयनित वस्तुओं को खरीदते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर (6) प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति पीओडीएस के माध्यम से की जाती है— गेहूँ, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और कोयला। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में दालों की तरह आयोडीन नमक व चाय आदि का भी चयन कर आपूर्ति की जाती है।²⁸

कमोडिटी पदार्थों का उचित मूल्य की दुकानों से एक नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 1994 में देश में चारों ओर 0.42 मिलियन उचित मूल्य की राशन की दुकानें संचालित की जा रही थी। इनमें 0.32 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 0.099 मिलियन शहरी क्षेत्रों में थी। इन दुकानों का संचालन निजी एजेंटों, सहकारी समितियों और कुछ पूर्व राज्य के स्वामित्व वाले राज्यों से समर्थित था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें उत्तरदायित्व के साथ सुधार तथा बलपूर्वक निगरानी हेतु कानूनी प्रावधानों को लागू कराने हेतु राज्य सरकारों को जिम्मेदारी प्रदान की गई है।²⁹

1980 के मध्य के दशक के बाद से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कवरेज को कुछ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार इसे एक कल्याणकारी कार्यक्रम का दर्जा भी प्राप्त हुआ। खाद्यान्न सब्सिडी व्यवस्था को एक विस्तृत कार्यक्रम के प्रयास द्वारा 1985 तथा बाद में सभी आदिवासी क्षेत्रों को कवर करके 57 मिलियन व्यक्तियों को इससे जोड़ा गया। बाद में पीओडीएस का पुनरोत्थान कर फिर 1752 ब्लॉकों को कवर किया गया, जहां पर उच्च स्तर की गरीबी से पीड़ित 164 मिलियन व्यक्तियों को जोड़कर इसका विस्तार किया गया। उचित मूल्य के दुकानों की संख्या (एफओपीएस) जो रियायती अनाज के वितरण करने के लिए 2013 के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों की संख्या में काफी वृद्धि की गई। खाद्यान्न सब्सिडी को बढ़ाकर रोजगार सृजन कार्यक्रमों में प्रसिद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, काम के बदले अनाज योजना, अनत्योदय अन्न योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार सृजन कार्यक्रम व मनरेगा आदि योजनाओं के द्वारा सब्सिडी के रियायती भोजन के वितरण हेतु नगद मजदूरी का एक भाग भी बनाया गया तथा इससे वितरित भी किया गया।³⁰

यहाँ उल्लेखनीय किया जा सकता है कि कम से कम 1980-81 में रुपया 6.50 करोड़ के खर्च में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई है। जबकि मौजूदा कीमत 1992-93 में आयी जो 5 रुपये के लिए 537 करोड़ थी। इसके बाद

²⁸ गवर्नमेंट आफ इण्डिया, 1979

²⁹ स्वामीनाथन, मधुरा (2000)। "कनज्यूमर फूड सब्सिडीज, सम परपोजल्स फार रिफार्म," सीओईएसओएसओ सीरियल पेपर, पेज-4

³⁰ दत्त, रुद्र (2000) : "फूड सिक्वोरिटी इन इण्डिया", पेज -15

1994-95 में खर्च करने के पंजीकरण में एक छोटी गिरावट दर्ज की गई जो 5 रुपये लिए 100 करोड़ की थी। केन्द्र सरकार के व्यय के अनुपात के रूप में यह 1974-75 के सापेक्ष 1985-86 के दौरान 2.9 से 3.1 प्रतिशत की सीमा में था। इसके बाद कमी के धीमे लेवल में कम आर्थिक सुधारों के प्रथम चरण के दौरान 2.22 प्रतिशत के स्तर पर था। लेकिन जवाब देही के लिए लोकप्रिय दबाव के रूप में मूल्य स्थिरीकरण के साथ एक कल्याणकारी उपाय के रूप में इस योजना को जारी रखने के लिए दबाव बनाया गया। यह साधन 1993-94 में 3.8 प्रतिशत की तेजी से ऊपर चला गया था। लेकिन यह 1994-95 में 3.0 प्रतिशत के स्तर तक कम हो गया था, यहाँ तक कि 1995-96 और 1996-1997 के दौरान यह 2.8 प्रतिशत के बीच ही रही। यह 1997-98 और 1998-99 के दौरान 2.9 प्रतिशत ही रही अर्थात् यह केन्द्रीय सरकार के कुल खर्च का 3.2 प्रतिशत ही रही।³¹

देश के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यय (मैजूदा कीमत पर) 1980-81 में 0.53 प्रतिशत था और 1985-86 में 0.71 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच गया। लेकिन उदारीकरण के कारण 1991-92 में धीरे-धीरे इसमें गिरावट आयी और यह 1992-93 में घटकर 0.45 प्रतिशत हो गया। यह 1993-94 में 0.78 प्रतिशत की तेजी से ऊपर चला गया। लेकिन 1994-95 में पुनः 0.55 प्रतिशत कम हो गया था और यह आगे 1996-97 में पुनः घटकर 0.48 प्रतिशत की गिरावट आयी, जो आगे 1998-99 में पुनः 0.60 प्रतिशत हो गया था।³²

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान की मात्रा, उपलब्धता, और खरीद उदारीकरण के बाद काफी असमान रही। वर्ष 1985 और 1997 के बीच खाद्यानों की वार्षिक खरीद 17.2 मिलियन टन से 20.8 मिलियन टन हो गयी, जिसका कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किए जाने वाले खाद्यान अनाज की औसतन शुद्ध उपलब्धता 1990 के दशक के लिए 11.6 प्रतिशत के हिसाब से थी। 1991 में हुए उदारीकरण के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित सब्सिडी राशि में काफी गिरावट आयी, जो 1991 में 20.8 लाख मिलियन टन से 1994 में 14 लाख मिलियन टन हो गया। लेकिन उत्तर आर्थिक उदारबाद के बाद ये संख्या पुनः बहुत तेजी से बढ़ गयी। अनाज वितरण में इस गिरावट का मुख्य कारण शेयरों के मूल्यों में तेजी से आयी गिरावट थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज खरीद में कमी इस गिरावट के मुख्य कारणों में से एक है – पी0डी0एस0 और बाजार की कीमतों के बीच भारी अन्तर का होना। हालाँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है। लेकिन फिर भी 1991 के उदारीकरण के बाद चोटी से नीचे ही बनी हुई है।³³

³¹ वही, पेज -16

³² वही, पेज - 17

³³ स्वामीनाथन, मधुरा (2000): "कनज्यूमर फूड सब्सिडीज-सम परपोजल्स फार रीफार्म" सी0ई0एस0, सेमीनार पेपर, पेज-4

वर्ष 2000 के बाद ज्यादातर लोगों की अपने राज्यों के खाद्य निगमों व पी0डी0एस0 पर निर्भरता बढी है। अधिकांश जनसंख्या का एक बडा भाग सब्सिडी के अनाजों की प्राप्ति के लिए निर्भर दिखता है। जिसके लिए राज्यों ने अपने हिसाब से राशन कार्डों व लक्षित लोगों को ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्डों के जरिए सीधे तौर पर जोडा गया है। अब यह 2010 के बाद नकद कैश सब्सिडी के माध्यम से बैंकों में स्थानान्तरण पर सीधे बल दिए जाने की बात की जा रही है। जिससे उपयुक्त लोग ही सब्सिडी का लाभ पायें, लेकिन भ्रष्टाचार व अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह कार्यक्रम 2013 के खाद्य सुरक्षा कानून बनने के बाद भी अपनी लक्षित योजना को पूर्ण करने में साकार होता नहीं दिखता है।

चावल, गेहूँ, चीनी, खाद्य तेल, नरम कोक और मिट्टी का तेल आदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में बेचे जाते हैं। लेकिन उनमें से 4 चीजों गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी के तेल के खाते में कुल पी0डी0एस0 की बिक्री का 86 प्रतिशत है। इनमें चीनी अकेले 34.84 प्रतिशत, चावल 27 प्रतिशत, गेहूँ 10 प्रतिशत और केरोसिन तेल 15 प्रतिशत है। मोटे अनाजों में है बाजरा, ज्वार, मटर और अन्य मोटे अनाज हैं। इनमें से बड़े पैमाने पर कुल पी.डी.एस. की बिक्री का 1 प्रतिशत भाग गरीब लोगों द्वारा उपभोग किया जा रहा है। भोजन में दालों की हिस्सेदारी गरीबों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, जो कम से कम 0.2 प्रतिशत है अगर है भी तो वह अरहर दाल की अपेक्षा मटर की दाल है।

डा0 एम0 एच0 सूर्यनारायना के अनुसार – “ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग से चीनी, चावल और केरोसिन तेल पी.डी.एस. के तहत बिक्री में अपेक्षाकृत अधिक महात्वपूर्ण वस्तुएं दिखलाई पडते हैं। इनमें चीनी, चावल और केरोसिन तेल ग्रामीण क्षेत्रों में जब कि शहरी क्षेत्रों में चावल, चीनी, मिट्टी का तेल व गेहूँ तथा खाद्य तेल पी0डी0एस0 के तहत अनाज बिक्री की प्रमुखता सूची में रहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में इस आम धारणा लिए कोई आधार नहीं है कि पी0डी0एस0 द्वारा बिक्री के लिए रखे गये पदार्थों में प्राथमिक वस्तुओं की खरीद का सबसे बडा उपभोग समाज का महत्वपूर्ण धनी वर्ग के पक्ष में भारित होता है”³⁴

डी0 एस0 त्यागी (1990) के अनुसार सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता या असफलता का फैसला करते समय पी0डी0एस0 के कवरेज पर नीतिगत बयानों और आवश्यक रूप से जरुरी भूमिका को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अक्सर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कवरेज सम्बंधी भूमिका में ही खाद्य सुरक्षा का विचार भी समाहित है। इसमें संकट के समय खरीद से परहेज, आय असमानता के सम्बन्ध में वितरण की समानता तथा क्षेत्रीय असमानताओं को भी समाहित किया जाता है। जहां विश्लेषकों द्वारा विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वहाँ पी0डी0एस0 के सापेक्ष सफलता या असफलता का विचार भिन्न कर दिया जाता है। वहाँ खाद्य सुरक्षा दिए जाने सम्बन्धी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निहित ग्रामीण व शहरी

³⁴सूर्यनारायना, एम0एच0 (1995), पेज -117

पूर्वाग्रह की कवरेज तथा गैर गरीब में लीकेज और अन्तर राज्य विविधता के कवरेज के लिए जनसंख्या के गरीबी रेखा के नीचे की आबादी को आवश्यक माना है।³⁵

बी0 एम0 राव के अनुसार – विकास के लिए प्रारम्भिक जोर और फाउण्डेशन के पत्रों के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रणाली दिलाने के तहत हरित क्रान्ति में गेहूँ और चावल पर विशेष जोर दिया गया है। जो आगे पिछले तीन दशकों तक दो फसलों पर विशेष निर्भरता के प्रणाली की चिन्ताजनक विशेषता कहा गया है। लेकिन वर्तमान उदारीकरण के दौर में 90 के बाद अधिकांश लोगों का ध्यान परम्परागत कृषि की तरफ से मोह भंग हुआ और 2000 के बाद के नव उदारीकरण के विगत दशकों में अब बहु फसली योजना को प्रमुखता से अपनाया जा रहा है। जिसका प्रमुख कारण हरित कृषि क्रान्ति तथा नयी कृषि क्रान्ति-2 पर जोर देने को जाता है। 1970 से 90 के बीच नई कमजोरियों और विकृतियाँ रहीं। चावल और गेहूँ के लिए मूल्य समर्थन नीति को इनके पोषण के लिए हरित क्रान्ति-1 में बढ़ावा दिया गया। इसमें अब 2000 के बाद के दशकों में खद्यान्नों के साथ दलहन व तिलहन में भी बड़े सुधारों की आवश्यकता है। वर्तमान में फसल कटायी के तुरन्त बाद कुछ हफ्तों के भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल की खरीद अब एक महत्वपूर्ण आपरेशन बन गया है। इसके लिए सार्वजनिक एजेन्सियों के द्वारा एफ0सी0आई द्वारा अनाज सीधे किसानों से खरीदे जाते हैं। इसके लिए कम समय में ही उत्पादित फसलों की ग्रेडिंग और जांच के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के साथ मौजूदा खरीदे गए फसलों की गुणवत्ता और हालत की जांच भी की जाती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की चावल और गेहूँ की पर्याप्त अपूर्ति की चिन्ताजनक स्थिति के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की बढ़ती निर्भरता। इस क्षेत्र में अनाज संग्रहण के लिए अतिरिक्त दबाव था। इसमें प्रगतिशील निरन्तर वृद्धि के बजाए मुक्त बाजार में कीमतों के टकराव को रोकने के लिए खुद को सीमित करने का भी दबाव था। इसमें से किसी एक को संचालित करने के लिए वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण के रूप में यह शुरु हो सकता था।³⁶ सन् 2000 के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को फसल के बदले में दिलाने के लिए एफ0सी0आई0 द्वारा अनाज खरीदने के लिए रबी और खरीफ सीजन में देश के हर जिले व हर ब्लॉक के अन्तर्गत सभी कोपरेटिव सोसायटी की लेवी दुकानों के माध्यम से अनाज की खरीद योजना को काफी बढ़ावा दिया गया। जो अनवरत जारी है, जिसके कारण आज भारत में अनाज का काफी बड़ा सरप्लस भण्डार है।

इसी समय कृषि लागत और मूल्य आयोग ने बार-बार अपनी रिपोर्ट में पिछड़े क्षेत्रों में मूल्य समर्थन व्यवस्था तथा सरकारी खरीद व्यवस्था का ज्यादा योगदान अनाज खरीद में नहीं है, इसको बतलाया है। (भारत सरकार) खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में एक भारी कमी गरीब लोगों के विरुद्ध यह हो सकता है कि कृषि कीमत नीति को आगे बढ़ाना भी एक गलती हो सकता है। **दन्तेवाला रिपोर्टों** और कई अन्य ने इसी को बतलाया है कि मुक्त बाजार में गेहूँ और चावल का प्रबन्धन के प्रभाव का अभ्युदय स्वरूप सरकारी

³⁵ त्यागी, डी0 एस0 (1990) : "मैनेजिंग इण्डियाज फूड इकोनामी – प्राब्लम्स एण्ड अल्टरनेटिव", सेज पब्लिकेशन, न्यू देल्ही, पेज 27-29

³⁶ राव, वी0 एम0 (1993) : "द हवीट स्टोरी – दी सेण्ट चेंजेज इन प्राइस पॉलिसी", ई पी डब्ल्यू0, अक्टूबर 1995

नियंत्रण मुक्त होना है। इसी स्तर पर मजबूत प्रबन्धन का आभाव सरकारी व्यवस्था में भी दिखता है।³⁷ एस0 गीता (1997) ने अपने अध्ययन में देखा कि कैसे अनाज की खरीद, प्रबन्धन तथा बफर स्टॉक में अनाज को महंगा कर दिया गया। जिसके कारण जरूरतमन्द गरीबों के हितों पर गहरी चोट लगी।

इसके अलावा राधाकृष्णन, सुब्बाराव, उत्सा पटनायक के अनुसार – खाद्यान्न वितरण की जो वर्तमान व्यवस्था थी उसके कारण जब दो बेहतर अनाज के फसलों गेहूँ और चावल के सरप्लस के कारणों के बाद भी अनाज को महंगा कर दिया गया जबकि हरित क्रान्ति के प्रभावों के कारण पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के बड़े उत्पादक प्रदेशों में सबसे आगे रहे तथा देश का खाद्यान्न भण्डार सरप्लस हुआ। इसी अनाज के सरप्लस में से अनाज का कुशल प्रबंधन, खरीद, संग्रहण और वितरण पूरे देश में करना था।³⁸ लेकिन फिर भी देश में भुखमरी का प्रभाव उड़ीसा के काशीपुरा, कालाहांडी और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल तथा आन्ध्र प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में दिखा।

दन्तेवाला के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रणाली के साथ आलोचना का एक प्रमुख बिन्दु यह भी है कि पूरी प्रक्रिया ही अत्यधिक विकेन्द्रीकृत और नौकरशाही के उपर पूरी तरह निर्भर रही। भारतीय खाद्य निगम बहुत बड़े नाम के साथ कुछ राज्यों में लाल टैग बन गया है। दन्तेवाला के अनुसार एक छोटे से प्रतिविम्ब संगठन की तरह भारतीय खाद्य निगम केवल खाद्य सुरक्षा प्रणाली को संचालित करने में सक्षम होगा। जिसमें अनाज वितरण केवल शो प्रणाली की तरह केवल चावल और गेहूँ पर विशेष रूप से आधारित है। इसलिए इन फसलों का अधिशेष आवश्यक है। उनकी खरीद कुछ विशेष राज्यों में ही केन्द्रित है, जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। जो हर एक वर्ष फसली वर्ष के रूप में अलग-अलग तय किया जाता है। जो किसानों को फसल उत्पादन के बदले प्रथम अवसर के रूप में फसल कटाई के पहले ही तय कर दिया जाता है। जब अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है तो वहीं अनाज उत्पादन के लिए अच्छे मौसम की भी आशा भी की जाती है। इस प्रकार जुटाए गए अनाज की मात्रा में से खाद्यान्न की आपूर्ति देश के हर एक क्षेत्र में सब्सिडी मूल्य के अनाज की आपूर्ति किशतों में सम्पूर्ण देश में बनाए रखने के लिए आवंटित किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों में लाभ के लिए काम कर रहे सामान्य व्यापार चैनलों के रूप में कमाण्ड आपरेशन कार्य भी आवश्यक रूप से आकर्षित नहीं कर सका।³⁹ शोधकर्ताओं के पर्याप्त आकर्षक लेखन प्रदर्शनों से पता चलता है कि गरीबी के मामले में भारतीय खाद्य निगम का निजी व्यापार से तुलना एकदम अनुचित है।⁴⁰ वास्तव में भारतीय खाद्य निगम की तुलना के लिए यह छोटा और गलत तरीका है। भारतीय खाद्य निगम आवश्यक मूल्यांकनों के लिए स्वायत्त है तथा अपने प्रसिद्ध कार्यों से यह एक व्यापारिक संगठन है, इसमें पर्याप्त सन्देह है।

³⁷ दन्तेवाला, एम0 एल0 (1979) : "रुरल अनइम्प्लाइमेंट – फेक्ट्स एन्ड इश्यूज", ई0 पी0 डब्ल्यू0, 25 जून वाल्यूम – 14

³⁸ राधाकृष्णा एण्ड सुब्बाराव, वही पृष्ठ – 18

³⁹ दन्तेवाला (1993), वही पेज – 15

⁴⁰ त्यागी, डी0 एस0 (1990), वही पेज – 128

वी० एम० राव कहते हैं कि एफ०सी०आई० के संचालन में वर्तमान कमजोरियों के स्पष्ट कारणों में अत्यधिक केन्द्रीकरण के लक्षण को स्पष्ट किया है। इसके कर्मियों द्वारा कार्य करने के प्रयास में सम्पूर्णता से निगमीकृत किए जाने की आवश्यकता है। इसका और अधिक मौलिक कार्य पुनर्निर्माण करना है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है। इस तरह इसे वास्तव में पुनर्गठन की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम के साथ इसमें विशिष्टता, अनुभव और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐसी व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण के साथ खाद्य सुरक्षा प्रणाली के संचालन हेतु पूरे खेल में एक बड़े भाग के रूप में इसकी भूमिका का समर्थन किया है।⁴¹

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्य समस्याओं में **अहलूवालिया** के अनुसार खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के तहत बड़े भाग के रिसाव (लीकेज) में अधिकतर चोरी परिवहन, भण्डारण और मुक्त बाजार के विचलन के समय होता है। कुछ अनुमानों के अनुसार खाद्यान्नों में कुल चीनी का 1/3 भाग, केरोसिन तेलों का आधा भाग, गेहूँ का 38% भाग, चावल का 36% भाग, चीनी का 39% भाग और खाद्य तेलों का 55% भाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंश वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक पहुँच ही नहीं पाता है। लीकेज का एक प्रमुख हिस्सा खाद्यान्न के मुक्त बाजार के डायवर्जन की वजह से है। इसमें कुछ समय से दुकान मालिकों द्वारा राशन कार्डों में फर्जी प्रविष्टियाँ दर्ज करना भी प्रमुख कारण माना है।⁴²

इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपयोग करने वालों के कवरेज की सीमा 36% लोगों तक ही है। इसके वितरण में शहरी और ग्रामीण लोगों में काफी असमानता है। इसकी पहुंच काफी कम 5% बिहार में, उड़ीसा में 6% और उत्तर प्रदेश में 7% है। यह 70% या उससे ऊपर केवल दक्षिण के राज्यों में है। चार प्रमुख दक्षिणी राज्य और महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल अकेले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधा भाग अकेले ही कुशलता से वितरित करता है।⁴³

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपयोग की सीमा और कवरेज के बारे में राष्ट्रीय स्वरूप पर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण 1986-87 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन०एस०एस०) द्वारा तैयार करवाए गए। **किरीट पारिख** ने 1986-87 के सर्वे के आधार पर वर्ष 1994 में सभी राज्यों के आकड़ों का विश्लेषण किया। जिसमें घरेलू खर्च के लिए कौन से लोग पी०डी०एस० के अनाज खरीदने वालों में है, इसका विश्लेषण किया है। उनके अनुसार अधिकतर पी०डी०एस० के अनाज की खरीद गरीब लोगों तक नहीं है।⁴⁴ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज की खरीद के बारे में लोकतंत्र में (2) कटेगरी निर्धारित की है। जिसमें पी०डी०एस० के कुल अनाज की खरीद और दूसरे अन्य भागों में से केवल एक भाग से अनाज खरीदने की बात कही। ग्रामीण आबादी के अनाज खरीदने के परिणामों में

⁴¹ राव, वी० एम०, (1995), वही पेज - 10

⁴² अहलूवालिया, डी०, (1993) "पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड इन इण्डिया कवरेज, टारगेटिंग एण्ड लीकेज", फूड पॉलिसी, वाल्यूम - 8, नं०-1

⁴³ विदवई, प्रफुल्ल, (1996), "द सोशल डिफीसिट नीड फार यूनीवर्सल नाट टारगेटेड" पी० डी० एस०, ई० पी० डब्ल्यू०

⁴⁴ पारिख, किरीट, (1994) "हू गेट्स हाउ मच फ्राम पी० डी० एस०-हाउ इफेक्टिविली डज इट रीच द पुअर" एक सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट रिसर्च, बाम्बे

यह दिखलायी देता है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल हैं। ग्रामीण जनसंख्या पी0डी0एस0 का 98% भाग अनाज की खरीद नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह केवल जनसंख्या के 2% लोगों तक ही पहुंच पाया है। इसके विपरीत केरल में 87% लोगों ने पी0डी0एस0 का अनाज खरीदा है। केवल पी0डी0एस0 के कुल 8% स्टोर भाग अनाज की ही खरीद हो सकी है। छोटे राज्यों में 97% पी0डी0एस0 अनाज की खरीद खुले बाजारों से की गई। पी0डी0एस0 का सर्वोत्तम उपयोग मिजोरम में 93.6% और गोवा में 79.6% काफी उच्च था। दो दक्षिणी राज्यों आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 55-60% जनसंख्या को पी0डी0एस के तहत कवर किया गया। जो शहरी आबादी के अनाज खरीद के निष्कर्षों को दिखलाता है। आबादी का 89% भाग में काफी समानता है, जनसंख्या के 93% लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में पी0डी0एस0 से कोई खरीद नहीं है।

दो प्रमुख निष्कर्षों में इसको चिन्हित किया जा सकता है। सबसे पहले राज्यों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अत्यधिक विभिन्नता तथा उनमें से तो एकाध राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यीकरण बनाने में बहुत सावधान रहना होगा। दूसरे पी0 डी0 एस0 की कवरेज अधिकांश राज्यों में सीमित है, उनमें से केरल, गोवा, मिजोरम आदि राज्य इसके अपवाद हैं। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जनसंख्या के अधिकांश जरूरतमन्दों तक नहीं पहुंच पा रहा है।⁴⁵

पी0डी0एस0 की मुख्य समस्या यह है कि इसका लाभ कारगर ढंग से निर्धनों तक नहीं पहुंचता। निर्धन उपभोक्ताओं तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच की प्रभावकारिता का अध्ययन **किरीट पारिख** ने 1993 में किया। जो वर्ष 1986-87 के लिए परिवार स्तर पर कराए गए एन0एस0एस0 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के आंकड़ों पर आधारित था -

- अधिकतर राज्यों में आधे से अधिक निर्धन पी0डी0एस0 से अनाज प्राप्त नहीं करते हैं। पी0डी0एस0 से अनाज प्राप्त करने वालों में औसत निर्धन ऐसे है, जो प्रति व्यक्ति प्रति माह 3 किग्रा0 से कम अनाज प्राप्त करते हैं।
- पांच प्रतिशत समूह के अन्तर्गत आने वाले परिवारों के लिए पी0डी0एस0 मूल्य और वह मूल्य जिस पर वे बाजार से खरीदते हैं। दोनों के बीच अन्तर, 5% समूह में आने वाले सभी निर्धनों के लिए करीब 3 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह बैठता है।
- पी0डी0एस0 के जरिए गरीबों की आय में एक रुपये की सहायता पहुंचाने के लिए सरकार को 5 रुपये से अधिक खर्च करना पड़ता है।

त्यागी (1990) ने पाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गरीबों तक कवरेज वास्तविकता से काफी नीचे है। इन प्रसिद्ध राज्यों में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर

⁴⁵ स्वामीनाथन, मधुरा (2000) वही पेज 5-6

प्रदेश (बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल क्षेत्र) जैसे कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे हैं। उनके अनुसार अनाज के वितरण का पैटर्न गरीबी की सीमा को कम करने में सहायक नहीं हो पाता है। इसलिए पी0डी0एस0 के खाद्यान्न में काफी हद तक क्षेत्रीय असमानता दिखलाई पड़ती है।⁴⁶

देव व सूर्यनारायना (1991) ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल तथा केरल में खाद्यान्न का वितरण शहरी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।⁴⁷ इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में खर्च भी काफी उच्च है। पी0डी0एस0 के खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की बिक्री के लिए 1 रु0 के आय हस्तांतरण के लिए राजकोषीय लागत का 4.27 रुपया कुल योजनाओं में खर्च करना उपयुक्त नहीं है।

लागत व प्रभावशीलता पर राधाकृष्णन के अध्ययन से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 रु0 लागत हस्तांतरण के लिए गरीबों की आय का 5.37 रु0 खर्च किया गया। अतः पी0डी0एस0 के कल्याणकारी योजनाओं में प्रति व्यक्ति का हित काफी नीचे है। कार्य रूप में यह केवल 2.01 रु0 प्रतिमाह ग्रामीण क्षेत्रों में और 3.40 रु0 प्रति माह शहरी क्षेत्रों में काफी नीचे रहा।⁴⁸ पी0डी0एस0 जैसी कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा सम्पूर्ण समुदाय के लिए केवल 2% ही गरीबी के आंकड़ों में कमी आई।⁴⁹ **किरीट पारिख** कहते हैं कि पी0डी0एस0 की लागत और प्रभावशीलता को लेकर धनी और निर्धन में केवल 20% घरेलू परिवारों को लाभ पहुँचाया गया। हर एक रुपये में से केवल 22 पैसे ही गरीबों तक पहुँचा। इसी के कारण पी0डी0एस0 से सभी गरीबों को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ क्योंकि केवल इसे महत्व देने से ही लाभ नहीं होगा। यह भी दिखा कि सब्सिडी के अनाज मूल्य की अपेक्षा मुक्त बाजार में उच्च मूल्य पर खाद्यान्न लोगों को प्राप्त हुआ।⁵⁰

किरीट पारिख ने बतलाया कि खाद्यान्न का वितरण पहले सब्सिडी की मात्रा का उचित निर्धारण कर के समता के साथ किया जाना चाहिए। पारिख ने अपने निष्कर्ष में यह दिखलाया कि वास्तव में ऐसा नहीं है पी0डी0एस0 डिलीवरी गरीब लोगों के समर्थन में नहीं हो रही है। अतः पी0डी0एस0 जरूरतमंदों तक खद्यान्नों को पहुचाने के उद्देश्य में अंशतः विफल रहा है।⁵¹

झरवाल के विश्लेषण में भी यह दिखता है कि पी0डी0एस के तहत 17.5% चावल की खपत तथा 11.8% गेहूँ की खपत ही गरीब लोगों में उदारीकरण के दौर में 1993 में हो रही थी।

⁴⁶ त्यागी, डी0 एस0, (1990) वही पेज - 129

⁴⁷ देव, एस0 महेन्द्र एण्ड एम0 एच0 सूर्यनारायना, (1991) "इज पी0डी0एस0 अरबन वेस्ट एण्ड प्रो रिच - एन इवोल्यूशन", ई0पी0 डब्ल्यू0, 26 नवम्बर।

⁴⁸ राधाकृष्णा, आर0, (1996) "फूड ट्रेन्ड्स, पी0डी0एस0 फूड सिक्वोरिटी कन्सर्नस, प्रेसीडेन्शियल एड्रेस", ए0पी0 इकोनामिक एसोसिएशन कान्फ्रेंस।

⁴⁹ राघवन, एम0, (1997) "टारगेटिंग इण्डियाज पी0डी0एस0 ए नेशनल एण्ड इण्टर नेशनल पर्सपेक्टिव रिव्यू", वाई आर0 राधाकृष्णा एण्ड सुब्बा राव, वर्ल्ड बैंक।

⁵⁰ पारिख, किरीट, (1995), वही पेज - 112

⁵¹ झरवाल, एस0 एम0 (1993) : "पी0डी0एस0 इन इण्डिया एन इम्पीरिकल ल स्टडी", (पी0एच0डी0 थीसिस यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान)

सन् 1990 के पूर्व से ही गरीब लोगों में सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन उदारीकरण के बाद पी0डी0एस0 के माध्यम से बेंचे जाने वाले खाद्यान्नों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। 1990 और 94 के बीच केन्द्रीय निर्गम मूल्य से सामान्य किस्म के चावल का मूल्य 86% तथा गेहूँ का 72% इसी अवधि के दौरान बढ़ाया गया। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 53% की वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में कीमतों में संचयी वृद्धि की गई। पी0डी0एस0 के तहत बेचे जाने वाले बड़े खाद्यान्नों के भाग को सामान्य मूल्य सूचकांक की अपेक्षा काफी बढ़ाकर बेचा गया। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि खुले बाजार में खाद्यान्न के मूल्य में और पी0डी0एस0 के मूल्य में अन्तर संकीर्ण सोंच का ही परिणाम था। कीमतों में वृद्धि के कारणों व मुद्दों का 1994 के बाद जांच की गई, तब 1994-96 के दौरान मूल्य स्थिर किए गए तब दोहरी मूल्य शासन प्रणाली का एक भाग लक्षित पी0डी0एस0 में भी दिखलायी दिया।⁵² राधाकृष्णन (1994) ने कुछ बातें बतलायी जो हाल के मुद्रा स्फीति के चरण के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी तेजी का साक्ष्य बना। विशेषकर खाद्यान्न के पाठ्यक्रमों में भी तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमों में भी खाद्यान्न के आवंटन में गिरावट दर्ज की गई। जाहिर है कि वास्तविक गरीबों पर एक प्रतिगामी बोझ थोपा गया। जिससे खाद्य सुरक्षा प्रणाली के लाभार्थियों के बहुत बड़े भाग को अपनी खाद्यान्न आवश्यकता पूरी करने हेतु खुले बाजार पर निर्भर होना पड़ता है।⁵³

बी0 एम0 राव का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों के लाभ के अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। यह गरीबों के लिए लक्षित नहीं है। खाद्य संकट का प्रभाव गरीबों में व्यापक रूप से फैला हुआ है, अतः पी0डी0एस0 के क्षेत्र को विस्तारित करने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा प्रणाली में गरीबों के लिए भोजन प्राप्त करने का सुनिश्चित प्रावधान होना चाहिए। उनमें खाद्यान्न के लिए भुगतान करने वाली आय क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है, परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। रोजगार कार्यक्रमों और पी0डी0एस0 के संचालन के लिए अलग-अलग गतिविधियाँ होनी चाहिए। उन दोनों के बीच एक कड़ी मजबूत कर गरीबों के खाद्यान्न के लिए सम्पूर्ण खाद्यान्न सब्सिडी को बढ़ाने की आवश्यकता है। इनमें से कोई एक उपाय गरीबी में कमी ला सकता है।⁵⁴

वर्ष 2004-05 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देशभर में समाज के सबसे निचले तबके के परिवार अपनी खपत का 17% अनाज पी0डी0एस0 से प्राप्त करते हैं। देव और शर्मा के अनुसार इसका प्रतिशत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। जैसे बिहार में 2% व उत्तर प्रदेश में 6% से लेकर तमिलनाडु में 50% और कर्नाटक में 68% परिवार पी0डी0एस0 का लाभ उठाते हैं।

⁵² स्वामीनाथन, मधुरा (2000) वही पेज 20-21

⁵³ राधाकृष्णन, आर0 एण्ड हनुमन्था राव (1994) : "फूड सिक्वोरिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्राइस पॉलिसी, डिस्कशन पेपर सीरीज नं0 4", प्रोजेक्ट आफ यू0 एन0 डी0 पी0

⁵⁴ राव, वी0 एम0 एण्ड आर0 एस0 देश पाण्डे (2000) "फूड सिक्वोरिटी इन ज़ाट प्रोन एरिया ए स्टडी इन कर्नाटका", सी0ई0एस0एस0 सेमीनार पेपर।

हिमांशु और सेन (2011) के अनुसार 2004–05 में शुरू की गई टी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत भी सबसे निचले तबके के मात्र 35.5% परिवार पी0डी0एस0 से चावल/गेहूँ खरीदते हैं। हिमांशु और सेन ने 2013 के प्रकाशित एक लेख में बताया है कि पी0डी0एस0 की पहुंच में भारी वृद्धि हुई है। 2009–10 में निचले तबके के 58% ग्रामीण क्षेत्रों के 40% और शहरी क्षेत्रों के 46% परिवारों ने पी0डी0एस0 से अनाज प्राप्त किया। किन्तु इसके बावजूद 40% निर्धन परिवार अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं।⁵⁵

झा और रामास्वामी (2011) का अनुमान है कि 2004–05 में पी0डी0एस0 के जरिए निर्धनों की आय में करीब 21 अरब रुपये की सहायता पहुंचायी गई जबकि सब्सिडी पर किया जाने वाला कुल व्यय 204 अरब रुपये था। कुल 204 अरब रुपये में से मात्र 10% हिस्सा ही गरीबों तक और 19% गरीबों से इतर लोगों तक पहुंच पाया जबकि 28% धन प्रचालन की अधिक लागत और 43% अवैध पथांतरण में चला गया। दूसरी तरफ **हिमांशु और सेन (2013)** ने यह महसूस किया कि 2009–10 में निचले स्तर के 40% परिवारों को केन्द्र और राज्यों के कुल व्यय का 32% सहायता के रूप में प्रदान किया गया।⁵⁶

सारांश में पी0डी0एस0 के उपयुक्त कवरेज पर जोर देने से बड़े पैमाने पर गरीबी को समाप्त करने में मदद मिलेगी। यह गरीबी के बड़े वर्ग की मदद करने में सक्षम है, यह वास्तविक रूप से सत्य ही है। गरीब लोगों को खाद्य सब्सिडी दिलाने के उद्देश्य और रणनीति में कुछ सुझाव और सुधार के द्वारा गरीबी को कम करने की रणनीति में सहायक होगा। इसी के साथ ही देश के तेजी से आर्थिक विकास की भूमिका व रोजगार सृजन का महत्व भी इसी से निकटता से जुड़ा हुआ है।

खाद्यान्न भण्डार हेतु गेहूँ व धान की लक्ष्य के अनुरूप खरीद न होने के मुख्य रूप से तीन कारण बताए जाते हैं—

1. केन्द्र सरकार के कड़े मापदण्ड।
2. स्टेट पूल का न होना।
3. राज्य सरकार की तरफ से कभी बोनस का प्रवधान न किया जाना।

राज्य सरकार अपने लिए किसी भी तरह का अनाज नहीं खरीदती और वह सिर्फ केन्द्रीय पूल में अनाज की सरकारी खरीद कराती है। खरीद के लिए अनाज की जो गुणवत्ता के जो मानक केन्द्र सरकार ने बनाए हैं, वे काफी कड़े हैं। केन्द्र सरकार के मानको के अनुरूप प्रदेश में काफी कम अनाज पैदा होता है। प्रदेश में यदि स्टेट पूल हो तो मानको के आस पास खरीद करके उसे राशन में वितरित कराया जा सकता है। लेकिन केन्द्रीय पूल के चलते खरीदा गया सारा अनाज राज्य सरकारों की एजेंसियों को केन्द्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम के हवाले करना होता है। ऐसे में निर्धारित मानकों

⁵⁵ Himanshu and Sen, A. (2011): “Why Not a Universal Food Security Legislation”, Economic & Political Weekly, 46(12), 38-47

⁵⁶ पारिख, किरीट : “खाद्य सुरक्षा कानून क्या भूख और कुपोषण का खात्मा कर पाएगा”, योजना, खाद्य सुरक्षा विशेषांक, दिसम्बर 2013

से कम पर अनाज की खरीद नहीं हो पाती। इसके विपरीत बिहार, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, जैसे राज्य किसानों को अलग से ज्यादा बोनस देकर अनाज खरीद का रिकार्ड बना रहे हैं।⁵⁷

3.2 शान्ता कुमार समिति की प्रमुख सिफारिशें :-

देश की 67 फीसदी आबादी को अति रियायती अनाज देने हेतु खाद्य सुरक्षा कानून-2013 बना तथा सबको भोजन का हक देने का वादा साकार हुआ। एफ0सी0आई0 के पुनर्गठन और इसकी कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए वरिष्ठ सांसद शान्ता कुमार⁵⁸ की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने निम्न प्रमुख सिफारिशें की है -

एफ0सी0आई0 की मौजूदा खरीद प्रणाली की निंदा की गई तथा एफ0सी0आई0 से पूर्वी राज्यों में अनाज खरीद करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, में भारतीय खाद्य निगम अनाज की खरीद नहीं के बराबर करता है। इन्हें डिसेंट्रलाइज स्टेट की सूची में रखा है। शांता समिति ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा से एफ0सी0आई0 को अनाज खरीद अब बन्द कर देनी चाहिए। यहाँ अनाज खरीद का दायित्व राज्य एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिये। इसके बजाए पूर्वी क्षेत्रों में अनाज की खरीद पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। इन्हीं क्षेत्रों में अनाज के भण्डारण की सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। समिति का विचार है कि पूर्वी भारत के राज्यों में ही दूसरी हरित क्रान्ति सम्भव है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एफ0सी0आई0 ने पूर्वी क्षेत्र के राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश में गेहूँ व धान की सीधी खरीद करती है। इन राज्यों में अभी डिसेंट्रलाइज (विकेन्द्रीकृत) खरीद होती है। यहाँ राशन प्रणाली की जरूरत भर खरीद करने का प्रावधान है। लेकिन इन राज्यों में अनाज खरीद के बुनियादी ढांचे का आभाव होने की वजह से बहुत कम खरीद होती है। इसके चलते यहाँ के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) से भी नीचे अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।⁵⁹

शांता समिति ने अपनी सिफारिशों में देश की दो तिहाई आबादी के बजाए केवल 40 फीसदी आबादी को ही रियायती अनाज बाँटने की सिफारिश की है। इस पर अभी अन्तिम निर्णय केन्द्र सरकार को लेना है।

जन धन योजना व पहल जैसी योजनाओं की सफलता के बाद अब रियायती दर पर मिलने वाले राशन की जगह खाद्य मंत्रालय ने नकद सब्सिडी देने की शांता कुमार समिति की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। अब उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। इससे राशन प्रणाली में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जायेगी। साथ ही अनाज की होने वाली चोरी पर भी रोक लगेगी। इस आशय की भी सिफारिश शांता कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार

⁵⁷ दूबे, कमल "लक्ष्य से भटकी धान खरीद", राष्ट्रीय सहारा 24 जनवरी 2015 पेज 12

⁵⁸ एफ. सी. आई. के पुनर्गठन पर शांता कुमार की रिपोर्ट - 2015

⁵⁹ गेहूँ की चुनावी खरीद की तैयारी, "दैनिक जागरण", 20 फरवरी 2015 पेज - 17

प्राप्त समिति ने की थी।⁶⁰ प्रधानमंत्री जन धन योजना में खोले गए खातों में केन्द्र व राज्यों की लगभग दो दर्जन योजनाओं के लाभ उनके खाते में जमा कराए जा रहे हैं। पहल के माध्यम से रसोई गैस सब्सिडी देने से चोरी व अनियमितता रोकने में भी सफलता मिली है। बैंक खाते में खाद्य सब्सिडी जमा कराने की योजना अभी प्रायोगिक तौर पर चंडीगढ़ और पुडुचेरी में शुरू किया गया है। बाजार भाव और खाद्य सुरक्षा कानून के लिए निर्धारित मूल्य के अन्तर को बैंक खाते में जमा करवाया जायेगा। खाद्य सब्सिडी सीधे जमा कराने के बाद उपभोक्ता कहीं से भी खाद्यान्न खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) पर होने वाली सरकारी खरीद व भारतीय खाद्य निगम यानि एफ0सी0आई0 के गोदामों की उपयोगिता जैसे गम्भीर मुद्दे भी उठ खड़े होते हैं।

केरोसिन सब्सिडी का 41 फीसदी जनता को नहीं मिलता है। 13 राज्य ऐसे हैं, जहां 50 से 80 फीसदी तक केरोसिन सब्सिडी सही हाथों में नहीं मिल रही है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे अमीर राज्यों में केरोसिन की चोरी ज्यादा हो रही है। केरोसिन खपत व उसके गलत हाथों में जाने का आकलन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया है। वर्ष 2013-14 में कुल 30,574 करोड. की सब्सिडी सरकार ने दी थी। तो 2014-15 में 28,383 करोड. की सब्सिडी दी। उत्तर प्रदेश में कुल आवंटित केरोसिन का 44 प्रतिशत मिलावट करने वालों या कालाबाजारी करने के हाथों में चला जाता है। तो वहीं बिहार में 34%, मध्य प्रदेश में 46%, हरियाणा में 39%, पंजाब में 51% व हिमाचल प्रदेश में 54% सब्सिडी सही हाथों में नहीं गई। मूल्यांकन करने पर 10,044 करोड की सब्सिडी राशि का नुकसान सरकार को उठाना पड़ा। पिछले कई दशकों से यही स्थिति केरोसिन सब्सिडी की है।⁶¹ अब गैस सब्सिडी की तरह केरोसिन सब्सिडी को भी सीधे बैंक खाते में जमा कराने की सरकार की योजना है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को सस्ता गेहूँ व चावल उपलब्ध कराने के साथ केन्द्र सरकार राज्य में अनाज की दुलाई के लिए अब आधा खर्च स्वयं उठायेगी तथा राशन की दुकानों को मिलने वाला कमीशन का आधा खर्च भी केन्द्र सरकार वहन करेगी। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे सामान्य श्रेणी के प्रदेशों में 65 रुपये प्रति क्विंटल और विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश आदि में 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अनाज दुलाई भाड़ा तय किया है। इसी तरह राशन की दुकान के डीलर का कमीशन सामान्य श्रेणी के राज्य में 70 रु0 तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में 143 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य की श्रेणी के आधार पर इसका आधा और तीन चौथाई खर्च ही अब केन्द्र सरकार देगी। खाद्य सुरक्षा कानून 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था। कानून के तहत लाभार्थियों के पहचान की सीमा भी केन्द्र ने दो बार बढ़ा दी है।⁶²

⁶⁰ "राशन नहीं अब नकदी देगी सरकार", दैनिक जागरण, 6 मार्च 2015 पेज 17

⁶¹ "सब्सिडी खाने में बीमार राज्य आगे", दैनिक जागरण, 8 मार्च 2015, पेज - 15

⁶² "अनाज दुलाई का आधा खर्च उठायेगी केन्द्र", दैनिक जागरण, 26 मार्च 2015 पेज 17

खाद्य सुरक्षा कानून में आवंटन व वितरण दो पहलू हैं। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार समेत 11 राज्यों ने अपने यहां कानून लागू बगैर पूरी शर्तों के पूर्ण किए ही लागू कर दिए। कानून को 365 दिन के भीतर सभी राज्यों को लागू करने थे। सभी पात्र लाभार्थियों का नाम वेबसाइट पर होना जरूरी है। अनाज की सरकारी खरीद में एफ0सी0आई0 की हिस्सेदारी 10 फीसदी तक है बाकी राज्य एजेंसिया अपने माध्यम से खरीद कर भण्डारण करती है। तमिलनाडु, केरल, झारखण्ड, उड़ीसा, पं0 बंगाल आदि राज्य अपने यहां अनाज वितरण के लिए पी0डी0एस0 से संबंधित अन्य कई योजनाएं अच्छी तरह से संचालित कर रही है। जिनका लाभ जरूरतमंदों को मिल भी रहा है। ऐसे राज्य नवीन खाद्य सुरक्षा कानून पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।⁶³

खाद्यान्न के केन्द्रीय पूल में सर्वाधिक गेहूँ, चावल देने वाला राज्य पंजाब है। हरियाणा की राज्य एजेंसियों ने 28 लाख टन चावल के बराबर धान की खरीद 2015 में की। जो कि पिछले वर्ष केवल 23 लाख टन की खरीद हो पायी थी। अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश में 17 लाख टन, तेलंगाना में 2 लाख टन, केरल में 80 हजार टन चावल की खरीद हो पायी। अभी तो चावल के बड़े उत्पादक राज्य उत्तीसगढ़, प0 बंगाल, उड़ीसा व असम आदि मुख्य बने हुए है।⁶⁴

⁶³ दैनिक जागरण, 3 जून 2015 पेज 17

⁶⁴ सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद, "चावल खरीद में हुआ इजाफा", दैनिक जागरण, 20 नवम्बर 2015, पेज - 17

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून व सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4.1 उत्तर प्रदेश एक परिचय:—

उत्तर प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। इसे भारत के हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। भारत के एक अभिन्न अंग व हृदय प्रदेश के आर्थिक विकास और कृषि विकास को यदि उपेक्षित किया गया तो इसका दुष्प्रभाव सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 199581 हजार है। जिसमें स्त्रियों की संख्या 94985 हजार तथा पुरुषों की संख्या 104596 हजार है। जनघनत्व 828 प्रतिवर्ग किमी⁰ तथा राज्य की साक्षरता प्रतिशत 69.7 प्रतिशत है। स्त्री पुरुष अनुपात 908 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष हैं। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश में कुल राज्य आय वर्ष 2004-05 के भावों पर 345848 करोड़ रुपये है तथा प्रचलित भावों पर 52388 करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था के अन्तर्गत शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल वर्ष 2011 में 16589 हजार हेक्टेयर तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 13383 हेक्टेयर है।¹


उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम राज्यों में से एक है। यह 250-31' उत्तरी अक्षांश तथा 770-84' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल देश एवं उत्तराखण्ड राज्य तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएँ हैं।² इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 241 हजार वर्ग किमी⁰ है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र (3287 हजार वर्ग किमी⁰) का 7.33 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के बाद पाचवाँ स्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम तथा इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक लगभग 650 किमी⁰ तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 240 किमी⁰ है।³

¹ उत्तर प्रदेश, सांख्यिकी डायरी, वर्ष 2011, पृ 1-3, (अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश)

² Uttar Prdaesh 2010 (Baesd on the fact of 2009-10 P.N. 4 (Information and public Relation Department Uttar Pradesh in Lucknow)

³ सांख्यिकी डायरी, उत्तर प्रदेश, वर्ष 2011, पृ 1

4a. उत्तर प्रदेश का मानचित्र



Source - www.mapsofindia.com

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को चार भागो मे विभक्त किया जाता है,

1. पूर्वी क्षेत्र
2. पश्चिमी क्षेत्र
3. केन्द्रीय क्षेत्र
4. बुंदेलखण्ड

उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिसमें से 27 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 जिले, केन्द्रीय क्षेत्र में 11 जिले तथा बुंदेलखण्ड में 07 जिले हैं। सभी चारों क्षेत्रों के जिले के नाम तथा सख्या की सूची निम्नलिखित है।

पूर्वी क्षेत्र :-

प्रतापगढ़ इलाहाबाद, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, सोनभद्र, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मऊ, श्रावस्ती, सन्तरविदास नगर, कुशीनगर, कौशाम्बी, चन्दौली, बलरामपुर, सन्तकबीर नगर।⁴

पश्चिमी क्षेत्र :-

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 27 थी। 28 सितम्बर वर्ष 2011 में 3 और नये जिले इस क्षेत्र में शामिल कर दिये गये। अब कुल जिलों की संख्या बढ़कर 30 हो गयी है। प्रारम्भ में ये नये जिलों के नाम इस प्रकार थे।

1- प्रबुद्ध नगर 2- पंचशील नगर 3- भीम नगर। बाद में इन जिलों के नाम परिवर्तित करके क्रमशः 1- शामली 2- हापुड़ तथा 3- संभल रख दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन और जिले काशीराम नगर, महामाया नगर एवं ज्योतिबा फूले नगर के नाम भी परिवर्तित करके क्रमशः कासंगंज, हाथरस तथा अमरोहा रखा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम इस प्रकार से हैं।⁵ सहारनपुर, बुलन्दशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, अमरोहा, कन्नौज, बागपत, औरैया, कासगंज, शामली, हापुड़, संभल।

केन्द्रीय क्षेत्र :- कानपुर, रमाबाईनगर, फतेहपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, बाराबंकी, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर।

बुंदेलखण्ड क्षेत्र :- बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट।⁶

पूर्वी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति :- पूर्वी उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल 85844 वर्ग किमी⁰ है। यह 23045' - 28030' उत्तरी अक्षांश तथा 800-45'-84030' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य-प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय भाग से घिरा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जन घनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 929 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी⁰ है।⁷ पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद सोनभद्र है, जिसका क्षेत्रफल 6688 वर्ग किमी⁰ है तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाराणसी जिले (1535 वर्ग किमी⁰) का है।

⁴ सांख्यिकी डायरी, उत्तर प्रदेश, वर्ष 2011, पृष्ठ 316

⁵ दैनिक जागरण, 20 जुलाई, वर्ष 2012

⁶ सांख्यिकी डायरी, उत्तर प्रदेश, वर्ष 2011, पृष्ठ 316

⁷ उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, 2010-11, पृष्ठ 3 (अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश)

प्राकृतिक संरचना :-

प्रादेशिक अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्थान है, क्योंकि खाद्य, कच्चेमाल और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के रूप में जो प्राप्ति होती है उसका समग्र प्रदेश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जनसंख्या को इससे जीविका मिलती है कृषि तथा सेवाओं के लिए भी इससे बड़ा बाजार मिलता है। अतः उत्तर प्रदेश में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ की उपयुक्त जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, नदियाँ, प्राकृतिक भू-भाग इत्यादि हैं। प्रदेश के कृषि विकास में प्राकृतिक संरचना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के मैदानी भाग में गेहूँ, चावल, गन्ना आदि की खेती बहुत अच्छी होती है, जिसमें यहाँ की मिट्टियों का भी विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की जलवायु कृषि के लिये उपयुक्त है। इसी कारण यहाँ रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों की खेती अच्छे ढंग से की जाती है। सिंचाई सुविधा में नहरों का विशेष योगदान है, जो कि नदियों से निकलकर किसानों के खेत तक जलापूर्ति करती है। प्रदेश की प्राकृतिक संरचना पर प्रकृति की असीम कृपा रही है। प्राकृतिक संसाधनों के विपुल भण्डार यहाँ पाये जाते हैं किन्तु इन प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग न होने के कारण प्रदेश विकास की पूर्ण अवस्था को पाने में असमर्थ है। उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक विपुल भण्डार पाये जाते हैं। जिससे यहाँ पर कृषि विकास की अधिक सम्भावना बनती है परन्तु कुछ अप्राकृतिक कारणों से पूर्वी क्षेत्र की कृषि पश्चिमी क्षेत्रों की कृषि की तुलना में पिछड़ी अवस्था में है। यदि इन अप्राकृतिक कारणों से पूर्वी क्षेत्र मुक्त हो जाए तो न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि समग्र उत्तर प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में कृषि विकास में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भू-भाग गोंडवाना लैण्ड का भाग है जबकि इसके दक्षिण में स्थित पठारी भाग का निर्माण विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पायी जाने वाली विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। दक्षिण में स्थित इस पठारी भू-भाग को बुंदेलखण्ड के पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व प्रदेश के तीन भू-भाग पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र था। लेकिन उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से पृथक हो गया है तथा अब इस पर्वतीय क्षेत्र से सटा हुआ तराई-भाबर क्षेत्र ही रह गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है— भाबर और तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र एवं दक्षिण के पहाड़ व पठार।

भाबर एवं तराई क्षेत्र :-

प्रदेश में कंकरीली पथरीली मिट्टी द्वारा निर्मित क्षेत्र को भाबर तथा महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के पश्चिम में सहारनपुर जिले से लेकर पूर्व में देवरिया जिले तक विस्तृत एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई क्षेत्र कहलाती है। इसके उत्तर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया जिले के भाग आते हैं। तराई क्षेत्र में समतल नम एवं दलदली मैदान पाया जाता है, जिसका निर्माण महीन

अवसादों से हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत जिलों में भाभर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के आस-पास सीमित है। यह भाभर और तराई पर्वतीय तलछटी में चौड़ी पट्टी के रूप में होता है जिसे भाभर क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र की कृषि अत्यन्त उन्नत दशा में है। भूमि सुधार के बाद यहाँ की भूमि में गन्ना, गेहूँ, धान का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है, साथ ही साथ अनेक स्थानों में जूट की अच्छी खेती हो रही है।

मैदानी क्षेत्र :-

भाभर और तराई क्षेत्र के बाद प्रदेश का पूरा मैदानी भाग नदियों से लायी गई कॉप मिट्टी से बना होने के कारण अत्यन्त उपजाऊ है। यमुना पार आगरा और मथुरा जिलों के उन भागों को छोड़कर जहाँ अरावली पहाड़ियों के पूर्वी छोर पर अनेक खार और लाल पत्थरों वाली पहाड़ियाँ मिलती हैं। यह समग्र भू-भाग समतल है। इस क्षेत्र का निर्माण अभिनूतन और अतिनूतन युग में नदियों के घाटियों के अदृढ़ीभूत अवसाद से हुआ है। यह मैदान गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों गोमती, रामगंगा, शारदा, राप्ती, गंडक आदि द्वारा बहाकर लाई गयी कॉप मिट्टी, कीचड़, बालू द्वारा निर्मित होने के कारण अत्यन्त गहरा एवं उपजाऊ है। मैदान का पश्चिम अंचल उत्तर से दक्षिण की ओर ढलुआ है जबकि पूर्वांचल की ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ है। इस मैदान के पश्चिम भाग का ढाल पूर्वी भाग के ढाल की तुलना में कहीं अधिक है। सर्वत्र मैदानी क्षेत्र में दो फसलें बोई जाती हैं – बसंत के अवसर पर रबी तथा ग्रीष्मकाल में खरीफ।

दक्षिण के पहाड़ व पठार :-

उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में पठारी भू-भाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। यह पठारी भू-भाग बुंदेलखण्ड का पठार कहलाता है। इसके अन्तर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जिले एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाले मिर्जापुर और सोनभद्र का हिस्सा तथा चन्दौली जिले की चकिया तहसील आती है। यह क्षेत्र ढक्कन के प्रसार का ही हिस्सा है। भू-विज्ञान की दृष्टि से इसका निर्माण अत्यन्त प्राचीन युग संभवतः कैंब्रियन में अति शुष्क क्षेत्र में प्रवाहमान समुद्री निक्षेप द्वारा हुआ है। विध्यांचल पर्वत की श्रेणियाँ इस पठारी भाग में मिलती हैं। इस पठार के पूर्व में कैमूलर शृंखला का विस्तार, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जिले मिर्जापुर में चुनार तथा विध्यांचल तक चला गया है।⁸

जलवायु :-

कृषि को प्रभावित करने वाले सभी भौतिक घटकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सूर्य का प्रकाश, तापमान तथा वर्षा पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये घटक मिलकर न केवल पौधों के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाओं का निर्माण करते हैं बल्कि उन्हें भौगोलिक एवं मौसमी रूप से विभाजित भी करते हैं।

⁸ कृषि दुडे पत्रिका, जुलाई 2008, पृ 19,20

“Climate affects the choice of farming system either indirectly through its influence on soil formation or directly through such factors as the length of the growing season the occurrence of frost and ability of water for crop growth.” Gilchrist (1971)⁹

क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में धरातलीय विषमता, समुद्र तल से भिन्न-भिन्न स्थानों की अलग-अलग दूरी एवं ऊँचाइयों तथा स्थल खण्ड की विविधता की विषमता के कारण प्रदेश की जलवायु में क्षेत्रानुसार विषमता पायी जाती है। सामान्यतया उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबन्धीय व मानसूनी प्रकार की अर्थात् समशीतोष्ण उष्णकटिबन्धीय है। उत्तर प्रदेश की पूरी जलवायु गर्म है। तराई क्षेत्र में यह गर्मी नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी का नामोनिशान नहीं रहता। मैदानी भाग सामान्यतया ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म व शीत ऋतु में अधिक ठंडा रहता है।¹⁰

भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों की कृषि अर्थव्यवस्था में निम्न उत्पादन का एक प्रमुख कारण इन देशों में उपलब्ध जल के साधनों के अधिकाधिक उपयोग का न होना है। भारत वर्ष में अन्य राष्ट्रों की तुलना में जल की अधिकता है। फिर भी इसके एक छोटे हिस्से का ही उपयोग किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों की सिंचाई में वर्षा के वितरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की मुख्य फसल जौ या जई, धान का स्थान ग्रहण कर लेती है। जहाँ वर्षा कम होती है, सिंचाई के लिए जल प्रबन्ध करना पड़ता है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण धान की फसल कम होती है। वर्ष के कुछ महीनों में जो वर्षा होती है उस जल को एकत्र करके राज्य के उन क्षेत्रों को दिया जाता है जहाँ वर्षा कम होती है। इस जल से सिंचाई होती है। कृषि विकास के लिए केवल वर्षा का उचित परिमाण ही नहीं बल्कि वर्षा का उचित सामाजिक वितरण भी आवश्यक है। सामान्यतया वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा हो जाने से फसलें नष्ट हो जाती हैं और वर्षा न होने से कृषि कार्य ठप्प हो जाता है। सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का औसत प्रायः 40 से 100 सेमी आता है। केवल पश्चिमी के छोटे से हिस्से में कम वर्षा हाती है। इसका प्रमुख कारण है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में दक्षिण का उच्च भू-खण्ड तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से समीपता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक होती है, जिससे यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र सूखा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल वर्षा का लगभग 88 प्रतिशत भाग केवल वर्षा ऋतु में बरसता है और यह पानी शीघ्र ही बह जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मानसूनी वर्षा का इस क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलापों पर कुप्रभाव पड़ता है। वर्षा कभी जुलाई में तो कभी मई में ही प्रारम्भ होती है और यह कभी सितम्बर तक तो कभी नवम्बर तक चलती है। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के साथ-साथ वर्षा की मात्रा भी अनिश्चित होती है। इस क्षेत्र में

⁹ Virendra Singh : Geographical Analysis of Agricultural Development. P.N. 27(B.H.U.)

¹⁰ कृषि दुडे पत्रिका, जुलाई 2008 पृ 20

वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण ही जिस वर्ष वर्षा अधिक होती है उस वर्ष बाढ़ तथा जिस वर्ष कम होती है, उस वर्ष सूखा पड़ जाता है।¹¹

मिट्टी :-

पूर्वी संभाग में बजरी एवं रोडी मिट्टी मिलती है, जो सरंध्य होती है। गंगा के मैदानी भाग में बलुई तथा दोमट मिट्टी का बाहुल्य है। क्षेत्र की मिट्टी को चार भागों में बाँटा जा सकता है—

- 1— माट 2—बंजर 3—घुंडु 4—मिश्रित लाल काली मिट्टी

माट प्रायः निचले क्षेत्रों में पायी जाती है। इसकी बनावट बलुई दोमट जैसी होती है। इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है और पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसका स्वरूप काली मिट्टी जैसा होता है। गोरखपुर, गोण्डा, बस्ती, जिलों के अधिकतर भागों में यह मिट्टी पायी जाती है।

बंजर मिट्टी दोमट तथा बलुई के बीच की किस्म की होती है। यह मिट्टी आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जनपदों में पायी जाती है। जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। घुंडु मिट्टी सामान्यतया नदियों के किनारे पायी जाती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मिलती है।

मिश्रित, लाल और काली मिट्टी मिर्जापुर, सोनभद्र वाराणसी, इलाहाबाद के अधिकतम उन भागों में मिलती है जो प्राचीन चट्टानों से निर्मित हैं।¹²

हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। आर्थिक जीवन का आधार रोजगार प्रमुख स्रोत एवं विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यही नहीं देश की दो तिहाई जनसंख्या कृषि व कृषि सम्बन्धित क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित है। अतः कृषि की समृद्धि, सम्पन्नता व उत्पादकता पर ही देश की खुशहाली व समृद्धि सन्निहित है।

भारत की आर्थिक व्यवस्था में कृषि के महत्व ब्रिटिश काल के एक गवर्नर जनरल लार्ड द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिये गये बयान से लगाया जा सकता है— “आने वाली अनेक पीढ़ियों तक धन एवं सभ्यता के विकास की दृष्टि से भारत की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से कृषि की प्रगति पर ही निर्भर करेगी। संसार में सम्भवतः कोई भी ऐसा देश नहीं जिसका कृषि में इतना प्रत्यक्ष सीधा एवं घनिष्ठ स्वार्थ निहित है। भारत सरकार केवल सरकार ही नहीं वरन् एक भू-स्वामी है।¹³ बारदौली किसान आन्दोलन के समय जब **सरदार बल्लभभाई पटेल** को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया एक अंग्रेज पत्रकार ने उनसे उनकी संस्कृति के बारे में पूँछा तो उनका स्पष्ट उत्तर था कि उनकी संस्कृति कृषि है। पटेल जी के इसी वक्तव्य से भारतीयों के जीवन में कृषि के महत्व का अनुमान

¹¹ यादव, विश्वनाथ : योजनाकाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास एवं उसकी सम्भावनाएँ, पृ 11-12 (V.B.S.)

¹² दूबे, स्वपनम् : पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों का मूल्यांकन एवं विकास की सम्भावनाएँ, पृ 5, (V.B.S.)

¹³ राय, एल.एम. भारतीय अर्थशास्त्र— पृ 180

लगाया जा सकता है। यदि यह कहें कि आजादी के बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में कृषि की प्रासंगिकता और बढ़ी है, तो गलत नहीं होगा।¹⁴

प्रधानमंत्री **जवाहर लाल नेहरू जी** ने कृषि के महत्व को इस प्रकार रेखांकित किया है— “कृषि को सर्वाधिक प्रमुखता देने की जरूरत है, क्योंकि यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार और राष्ट्र दोनों असफल रहते हैं।¹⁵ प्रधानमंत्री **इंदिरा गांधी** ने भी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा है कि “जब तक हम अगले कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भर नहीं बन जाते तब तक हमें महान देश की पदवी तो दूर रही स्वतन्त्र कहलाने का अधिकार नहीं है।¹⁶

कृषि सभी उद्योगों की जननी और मानव जीवन की पोषक रही है। यह सभी विज्ञानों और कलाओं की सिरमौर, सभ्यता का प्रतीक और प्रगति का सूचकांक मानी जाती है। इसे आर्थिक विकास की पूँजी कहा जाता है, क्योंकि औद्योगीकरण मूल रूप से कृषिगत विकास की ही देन है। प्रमाण के रूप में इंग्लैण्ड, जर्मनी, रूस तथा जापान में कृषिगत विकास ने तीव्र औद्योगीकरण के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। विशेष रूप से अल्पविकसित राष्ट्र जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, अपने सीमित साधनों द्वारा आर्थिक विकास की उँची दर तब तक प्रशस्त नहीं कर सकते जब तक कि वे अपने महत्वपूर्ण आधारभूत कृषि उद्योग को उन्नत न कर सकें।¹⁷ ‘भारतीय एवं प्रादेशिक आर्थिक जीवन में कृषि का महत्व अन्य सभी व्यवसायों की अपेक्षा अधिक है। कृषि भारत के अर्थ-चक्र की रीढ़ है। यदि भारतीय एवं प्रादेशिक अर्थव्यवस्था को सुधारना है और उसे मजबूत नींव पर आधारित करना है तो कृषि की उन्नति की जानी चाहिए। गुलामी के समय विदेशी सरकार ने भारतीय कृषि को सहानुभूति और सहृदयता से नहीं देखा था। उनकी रुचि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के प्रति उदासीन थी, लेकिन स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग्य ने करवट ली। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पक्ष पर ध्यान दिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी भाग्य जागे और पंचवर्षीय योजनाओं में भी कृषि विकास को प्राथमिकता दी गयी।¹⁸ इस प्रकार इस क्षेत्र में सकारात्मक एवं नकारात्मक किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। **श्री यूगो पापी** के मतानुसार— “कृषि आय में वृद्धि आर्थिक विकास की कुंजी है और यदि कोई राष्ट्र सर्वप्रथम उसे प्राप्त करने में असफल रहता है तो समस्त विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है। प्रो० लुईस, कोल हूवर, वाइनर तथा किण्डलबर्जर जैसे अर्थशास्त्रियों का मत है कि विकास प्रक्रिया में कृषि विकास को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू माँग की पूर्ति, आत्मनिर्भरता एवं निर्यात वृद्धि जैसे आधारभूत समस्याएँ कृषिगत विकास से ही हल की जा सकती है।¹⁹

¹⁴ कुरुक्षेत्र, पत्रिका फरवरी- 2008-9, पृ० 08

¹⁵ जोशी, डा० के०एन० व मिश्रा, डा० मंजुला, कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त एवं भारत में विकास- पृ० 19

¹⁶ कुरुक्षेत्र पत्रिका फरवरी- 2009, पृ० 03 (ग्रामीण विकास मन्त्रालय, सूचना भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली)

¹⁷ सिंह, एस०पी० आर्थिक विकास एवं नियोजन- पृ० 302

¹⁸ जोशी, डा० के०एन० व मिश्रा, डा० मंजुला, कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त एवं भारत में विकास- पृ० 19

¹⁹ सिंह, एस०पी० आर्थिक विकास एवं नियोजन- पृ० 302

देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश जो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दुनिया का छठा बड़ा देश भी कहा जा सकता है। पूरे देश की भाँति इस राज्य की आर्थिक स्थिति का दारोमदार भी कृषि व उससे जुड़े उद्योगों पर है। राज्य का ज्यादातर हिस्सा देश की दो बड़ी नदियों (गंगा, जमुना) के कारण उपजाऊ है। यहाँ की भूमि को प्रकृति ने अनेक विशेषताएं प्रदान की है, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। राज्य का हर जिला स्वयं में एक प्रदेश है और किसी न किसी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 'यदि कृषि की बात करें, तो यह देश में सबसे ज्यादा चीनी मिलों वाला प्रदेश है। पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। गेहूँ, चावल, गन्ना व हर प्रकार की सब्जी इस प्रदेश में अत्यधिक पैदा की जाती है। फलों में आम, अमरुद एवं विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में होता है। जल संसाधनों में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है, अर्थात् कृषि क्षेत्र में सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य है कि यदि कृषि आधारित उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाये तो इससे प्रदेश व देश में खूब आर्थिक विकास होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के विकास से राज्य की आय में लगातार वृद्धि होती जा रही है।²⁰ प्रदेश में कृषि के महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

जीविका का मुख्य साधन :-

भारत वर्ष के विभिन्न प्रान्तों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रान्त है, जहाँ मुख्य उत्पादन कृषि के द्वारा ही होता है। पूरे प्रदेश में उद्योगों का विकास बहुत कम है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ औद्योगीकरण नाममात्र है या है ही नहीं। ऐसी स्थिति में कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कोई निम्न आय वाला देश हो या प्रदेश जहाँ अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। कृषि का विकास उच्च आय स्तर प्राप्त करने तथा अधिक तेज आर्थिक समृद्धि में सहायक होता है। कृषि जनसंख्या के लिए केवल भोजन की आपूर्ति ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी जुटाती है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के फलस्वरूप ही कृषि अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए पूँजी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न आवश्यकताओं के लगभग 90-95 प्रतिशत की पूर्ति कृषि द्वारा की जाती है।

एन0 वी0 सोवनी के शब्दों में— "खाद्य की समस्या का समाधान आर्थिक विकास की पूर्व-अपेक्षा है।"²¹

भारत के कुछ प्रदेशों की कृषि उत्तर प्रदेश की कृषि से आगे है, जिसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है—

1. उत्तर प्रदेश की कृषि में एक विशेषता पायी जाती है कि यहाँ कृषि में लाभ व बचत बहुत कम पायी जाती है। इसलिए यह हमारे कृषकों के लिए विशेष बचत का व्यवसाय नहीं है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं— खेतों का छोटा होना,

²⁰ कृषि टुडे पत्रिका, जून- 2009, पृ0 15

²¹ सोवनी, एन0वी0, दि फूड प्रब्लम्स एण्ड इकोनामिक डेवलपमेंट इन अन्डर डेवलपमेंट कन्ट्रीज- पृ0 68

कृषि की परम्परागत पुरानी पद्धति, प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता, निम्न कृषि उत्पादकता। अधिक मजदूरी देने के कारण कृषि में प्रयोग की जाने वाली रासायनिक दवाइयों तथा खादों का अधिक मूल्य होना तथा इनकी तुलना में कृषि में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय मूल्य कम होना आदि प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त यदि कृषि में उत्पादित फसलों का मूल्य अच्छा होता है तो भी उसका लाभ किसान न पाकर बल्कि इससे सम्बन्धित अधिकारी पा जाते हैं।

2. उत्तर प्रदेश में ऐसे कृषक का पूर्णतः आभाव है, जिन्होंने विभिन्न व्यवसायों में कृषि को अधिक लाभप्रद होने के कारण चुना है। इसके विपरीत पंजाब, हरियाणा प्रदेशों के सन्दर्भ में इस प्रकार के कृषक उपलब्ध हैं, जो अधिक लाभ की दृष्टि से कृषि में संलग्न हैं। अब के कुछ भागों में व्यापारिक ढंग से कृषि की जा रही है, फिर भी यह कोई लाभप्रद व्यवसाय नहीं माना जा रहा है।²²

खाद्यान्न की पूर्ति :-

उत्तर प्रदेश गाँवों का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अति महत्वपूर्ण स्थान है, और प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, तथा यहाँ की कृषि लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। इन्हें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं एवं खाद्यान्न कृषि से ही प्राप्त हो जाते हैं। गाँवों में निवास करने वाले कृषक जो उत्पादन करते हैं, उनकी आवश्यकता से अधिक होता है, जिसको वे विक्रय कर आय प्राप्त करते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। वर्ष 2009-2010 की राज्य की कुल आय में कृषि और सम्बद्ध क्रियाओं का भाग प्रचलित भावों पर 27 प्रतिशत है।²³ गेहूँ, गन्ना और आलू के उत्पादन में यह देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में चावल, दाल, रेपसीड और सरसो का भी पर्याप्त उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का लगभग 20 प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है। देश में गेहूँ के कुल उत्पादन का एक तिहाई गन्ने का 31 प्रतिशत और आलू का 31 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ही होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन भी अच्छी मात्रा में होता है।²⁴

कृषि एवं संवर्गीय व्यवसाय :-

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं संवर्गीय व्यवसाय पर आधारित है। राज्य की वर्ष 2012-13 में कुल आय 683651 करोड़ ₹0 में कृषि एवं संवर्गीय क्रियाकलापों का अंश 31.1 प्रतिशत है, जिसमें से कृषि एवं पशुपालन खण्ड का प्रतिशत अंश 30.7 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकार 658.15 लाख थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकारों में कृषकों को एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। प्रदेश की

²² गुप्ता, प्रदीप कुमार, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के मूल्य परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर प्रभाव- (VBS) पृ0 59, 60

²³ उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2011, पृ0 13 (अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश)

²⁴ उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2011, पृ0 26

अर्थव्यवस्था में कृषि खण्ड के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के नियोजित विकास में कृषि के बहुमुखी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि एवं सम्बर्गीय कार्यक्रमों, भूमि एवं जल संरक्षण, पशुपालन, डेरी विकास, खाद्यान्न भण्डारण, कृषि अनुसन्धान, भूमि सुधार, आदि कृषि कार्यक्रमों पर उत्तर प्रदेश में नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में 2209.39 करोड़ रुपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया था जिसके सापेक्ष उक्त अवधि में इन मदों पर 2743.75 करोड़ रुपये व्यय किये गये। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में उपरोक्त मदों पर 5142.40 करोड़ रुपये का परिव्यय प्राविधानित किया गया था। जिसमें से उक्त मदों पर वर्ष 2002–03 में 824.93 करोड़ रुपये वर्ष 2003–04 में 723.43 करोड़ रुपये, वर्ष 2004–05 में 627.20 करोड़ रुपये, वर्ष 2005–06 में 924.50 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006–07 में 1151.20 करोड़ रुपये व्यय किये गये। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में उपरोक्त मदों पर 19146.37 करोड़ रुपये व्यय करने का प्राविधान किया गया था। जिसके सापेक्ष वर्ष 2007–08 में उक्त मदों पर 1956.36 करोड़ रुपये, वर्ष 2008–09 में 2425.41 करोड़ रुपये, वर्ष 2009–10 में 2869.84 करोड़ रुपये, वर्ष 2010–11 में 3325.97 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011–12 में 3585.79 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

4.2 उत्तर आर्थिक उदारवाद के समय उत्तर प्रदेश में दी जाने वाली खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली :-

- अंत्योदय योजना
- बी0 पी0 एल0 योजना
- ए0 पी0 एल0 योजना
- लेवी चीनी
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित योजनायें : एक दृष्टि में

प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग की स्थापना के समय से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारम्भ हुआ था, जिसके अन्तर्गत नियंत्रित दरों पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक 1-5-1990 से नवीनतम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़े इलाके में रहने वाले गरीब उपभोक्ताओं को नियंत्रित दरों से अपेक्षाकृत कम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। भारत सरकार के दिशा निर्देश सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करते हुए दिनांक 1-6-1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत बी0पी0एल0, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा तथा ए0पी0एल0 योजनायें हैं।²⁵

1 जून 1997 से पूर्व प्रदेश में लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए कार्य करने में असफल रहने, शहरी क्षेत्र में उनके प्रति झुकाव,

²⁵ Fcs.up.nic.in /upfood /fcsportal/information/PDS.aspx

ग्रामीण गरीबों के लिए अलाभकारी होने के कारण इस प्रणाली को पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष राशन कार्ड जारी करके तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बेहतर समीक्षा के साथ उन्हें विशेष सहायता प्राप्त मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने हेतु 1 जून 1997 से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की अधिकतम संख्या 106.79 लाख निर्धारित की गई है और इनमें से निर्धनतम निर्धन 40.945 लाख अंत्योदय परिवारों तथा 65.845 लाख बीपीएल परिवारों की संख्या निर्धारित की गयी है। प्रदेश में निर्धारित अधिकतम परिवारों के अनुरूप बीपीएल परिवारों एवं अंत्योदय परिवारों का चिन्हित किया जा चुका है एवं चिन्हित किये गये बीपीएल परिवारों/अंत्योदय परिवारों को राशन कार्ड भी जारी किये जा चुके हैं। बीपीएल योजना के अन्तर्गत सफेद रंग के, अंत्योदय योजना में गुलाबी रंग के एवं एपीएल योजना में पीले रंग के राशन कार्ड जारी किये गये हैं। एपीएल योजना में कार्ड धारक को गेहूँ रु० 6.60 प्रति किग्रा एवं चावल रु० 8.45 प्रति किग्रा की दर पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है तथा एलपीजी कनेक्शनधारी विहीन राशन कार्ड धारकों को 5 लीटर मिट्टी का तेल प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। एपीएल कार्ड धारक को लेवी चीनी उपलब्ध नहीं करायी जाती है। बीपीएल कार्ड धारक को गेहूँ रु० 4.65 प्रति किग्रा एवं चावल रु० 6.15 प्रति किग्रा की दर पर उचित दर विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारक को 700 ग्राम चीनी प्रति यूनिट रु० 13.50 की दर से उपलब्ध कराई जाती है तथा एलपीजी कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 3 लीटर मिट्टी का तेल प्रति माह तथा एलपीजी कनेक्शन विहीन कार्ड धारकों को 5 लीटर मिट्टी का तेल निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय कार्ड धारक को गेहूँ रु० 2.00 एवं चावल रु० 3.00 प्रति किग्रा की दर पर उचित विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।²⁶

पूर्व में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों का चिन्हीकरण निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 437/29-खाद्य-डेस्क-1-1 (9)/97 दिनांक 20-09-1997 के दिशा निर्देशानुसार रु० 9000/- वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों से किया गया था। अब राज्य योजना आयोग-1 के शासनादेश संख्या-18 एम(6)/35-अ०-1/ 2004-12, दिनांक 17-06-2004 के अनुसार पाँच सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रु० 19884/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्र में रु० 25546/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) व्यक्तियों/परिवारों की वार्षिक आय सीमा माना गया है। उक्त आय से अधिक वार्षिक आय वाले एपीएल योजना में राशन कार्ड प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। बीपीएल/अंत्योदय योजना में अधिकतम लाभार्थी परिवारों का लक्ष्य क्रमशः 65.845 लाख एवं 40.945 लाख शासन द्वारा निर्धारित किया गया परन्तु एपीएल योजना में अधिकतम परिवारों का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

²⁶ ibid

उपरोक्त सभी उल्लिखित योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये राशन कार्ड पर लाभार्थी परिवार के मुखिया का फोटो व होलोग्राम भी चस्पा रहता है।

राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न, चीनी की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से रोस्टर व्यवस्था निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार अगले माह हेतु चालू माह की पहली तारीख से 23 तारीख तक मासिक आवंटन के सापेक्ष ब्लॉक गोदामों में खाद्यान्न की उपलब्धता, 15 से 23 तारीख तक राशन विक्रेता द्वारा खाद्यान्न/चीनी का मूल्य जमा कराना तथा 23 तारीख से मासान्त तक आवंटित खाद्यान्न/चीनी की मात्रा राशन विक्रेता को निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाता है, ताकि महीने की पहली तारीख से पूरे माह राशन कार्ड धारक खाद्यान्न/चीनी अपने कार्ड पर राशन विक्रेता से प्राप्त कर सकें। तहसील/ब्लाक क्षेत्र की राशन दुकानों हेतु विशेष दिवसों का निर्धारण किया गया है, जिसमें राशन की दुकानें प्रातः 8:00 बजे से सायंकाल 4:00 बजे तक अनवरत खुली रहेगी और कार्ड धारकों को अनुसूचित वस्तुओं का वितरण किया जायेगा।

भारत सरकार के दिशा निर्देश के अन्तर्गत प्रदेश में सिटीजन चार्टर लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों को सूचना सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि कोई राशन कार्ड धारक ब्लाक, जनपद स्तरीय अधिकारी से किसी उचित दर की दुकान को आवंटित वस्तुओं एवं उसके द्वारा वितरित की गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में 5/- फीस ट्रेजरी में जमा करके 03 महीने तक की अवधि की सूचना प्राप्त कर सकता है।

प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जनपद स्तर पर सभी योजनाओं के पुराने राशन कार्ड निरस्त कर नये सिरे से बुकलेट फार्म में नए राशन कार्ड वितरित कराये जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नए सिरे से लाभार्थी परिवारों का मानक के अनुरूप सत्यापन कराकर बी0पी0एल0 के लाभार्थियों को सफेद, अंत्योदय लाभार्थियों को गुलाबी, ए0पी0एल0 परिवारों को पीले तथा अन्नपूर्णा लाभार्थियों को हल्के हरे रंग के राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस कार्य हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी को वर्ष 1998 में रिवाल्विंग फण्ड में उपलब्ध करायी गयी रु0 3.50 लाख की धनराशि उपयोग में लायी जा रही है। नये राशन कार्ड मुद्रित एवं वितरित किये जाने की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश शासन राशन की दुकानों से उपलब्ध करायी जा रही आवश्यक वस्तुओं की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने, अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने, काला बाजारी रोकने तथा खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से शासन द्वारा त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था लागू की गयी है साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण करने एवं वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तरीय खाद्य सलाहकार एवं सतर्कता समिति तथा ग्राम स्तरीय प्रशासनिक समिति/दुकान स्तरीय सतर्कता समिति गठित करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश के 18 जनपदों (मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, जे0पी0नगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूँ, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती) के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा खाद्यान्न/चीनी के उठान कर उचित दर दुकानदारों को निर्गमन करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के शेष जनपदों में खाद्य विभाग की हाट शाखा द्वारा खाद्यान्न/चीनी की आपूर्ति की जाती है।²⁷

समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न कमजोर वर्गों विशेष कर बाल्मीकि परिवारों, अल्पसंख्यक समुदायों, पिछड़े वर्गों व मलिन बस्ती में रहने वाले परिवारों के राशन कार्ड विशेष अभियान चलाकर एवं कैम्प लगाकर मौके पर ही वितरित किये जायें। राशन कार्ड का सत्यापन तथा फर्जी यूनिट उन्मूलन के लिये समय-समय पर अभियान चलाया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी पर नियंत्रण बना रहें।

अन्त्योदय योजना :- भारत सरकार द्वारा प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जो निर्धनतम परिवार है, उन्हें रु0 2.00 प्रति किग्रा0 की दर से गेहूँ तथा रु0 3.00 प्रति किग्रा0 की दर से चावल प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना में लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। लेवी चीनी 700 ग्राम प्रति यूनिट रु0 13.50 प्रति किलो की दर पर उपलब्ध करायी जाती है।

प्रदेश के आठ मण्डलों यथा फैजाबाद, देवीपाटन, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ में गेहूँ एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन करके 15 किग्रा0 गेहूँ तथा 20 किग्रा चावल वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बी0पी0एल0 कार्ड :- भारत सरकार के निर्देशानुसार 01 जून 1997 से प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। उत्तर प्रदेश के लिये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या का चिन्हीकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर दिनांक 01.03.2001 को आंकलित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को आधार मानते हुये 106.79 लाख निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें से अन्त्योदय परिवारों की संख्या 32.423 लाख व बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या 74.367 लाख है। बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह दिया जाता है, जिसमें से 23 किग्रा0 गेहूँ दर रु0 4.65 प्रति किग्रा0 एवं चावल 12 किग्रा0 दर रु0 6.15 प्रति उपलब्ध कराया जाता है। लेवी चीनी 700 ग्राम प्रति यूनिट दर रु0 13.50 प्रति किग्रा0 उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश के आठ मण्डलों यथा फैजाबाद, देवीपाटन, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ में गेहूँ एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन करके 15 किग्रा0 गेहूँ तथा 20 किग्रा0 चावल वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

²⁷ ibid

तालिका- (4.1) लक्षित वितरण प्रणाली में संचालित योजनाएँ

| क्र० सं० | योजना का नाम | राशन कार्ड का रंग | राशन कार्ड का मूल्य | वितरण की मात्रा | उपभोक्ता मूल्य |
|----------|--------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 1 | ए०पी०एल० | पीला | रु० (एक) | (1 अप्रैल 202 से) 23 किग्रा गेहूँ एवं 12 किग्रा चावल प्रति माह प्रति कार्ड मिट्टी का तेल 3 लीटर प्रति माह प्रति कार्ड (गैसधारक) व 5 लीटर प्रति माह प्रति कार्ड (बिना गैस धारक) उपलब्धता के आधार पर | गेहूँ रु० 6.60 प्रति किग्रा चावल रु० 8.45 प्रति किग्रा० मिट्टी का तेल रु० 9.85 से 10.25 प्रति लीटर (दूरी के आधार पर) |
| 2 | बी०पी०एल० | सफेद | रु० (एक) | (1 अप्रैल 2002 से) 23 किग्रा गेहूँ एवं 12 किग्रा चावल प्रति माह प्रति कार्ड मिट्टी का तेल 3 लीटर प्रति माह प्रति कार्ड, (गैसधारक) व 5 लीटर प्रति माह प्रति कार्ड (बिना गैस धारक) 700 ग्राम चीनी प्रति यूनिट | गेहूँ 4.65 प्रति किग्रा चावल 6.15 प्रति किग्रा। मिट्टी का तेल 9.85 से 10.25 प्रति लीटर (दूरी के आधार पर) चीनी रु० 13.50 प्रति किग्रा। |
| 3 | अंत्योदय | गुलाबी | रु० (एक) | 35 किलो खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) 700 ग्राम चीनी प्रति यूनिट | गेहूँ रु० 2.00 प्रति किग्रा चावल रु० 3.00 प्रति किग्रा मिट्टी का तेल 9.85 से 10.25 प्रति लीटर (दूरी के आधार पर) चीनी 13.50 प्रति किग्रा |

Source: [Fcs.up.nic.in /upfood /fcsportal/information/PDS.aspx](http://Fcs.up.nic.in/upfood/fcsportal/information/PDS.aspx)

नोट:- दिसम्बर, 2003 से प्रदेश के आठ मण्डलों यथा फैजाबाद, देवीपाटन, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ में गेहूँ एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन करके 15 किग्रा० गेहूँ तथा 20 किग्रा चावल वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ए०पी०एल० कार्ड :- गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों को 35 किग्रा० खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है। गेहूँ रु० 6.60 प्रति किग्रा० एवं चावल रु० 8.45 प्रति किग्रा० की दर से उपलब्ध कराया जाता है। ए०पी०एल० योजना के अन्तर्गत 23

किग्रा० गेहूँ एवं 12 किग्रा० चावल प्रति माह प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। प्रदेश के आठ मण्डलों यथा फैजाबाद, देवीपाटन, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ में गेहूँ एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन करके 15 किग्रा० गेहूँ तथा 20 किग्रा चावल वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लेवी चीनी :-

1. भारत सरकार से प्रदेश को माह मार्च, 2001 तक लेवी चीनी का मासिक आवंटन 69,02600 मी० टन प्राप्त हो रहा था। भारत सरकार के पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2001 द्वारा दिए गये निर्देशानुसार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केवल बी०पी०एल० लाभार्थियों को 500 ग्राम प्रति यूनिट की दर से राशन कार्ड पर लेवी चीनी उपलब्ध कराई जा रही थी। भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल 2001 से प्रतिमाह प्रदेश के बी०पी०एल० परिवारों को लेवी चीनी वितरण हेतु 39313.0 मी० टन चीनी 500 ग्राम प्रति यूनिट की दर से आवंटित की गई। उक्त वितरण स्केल को माह मई 2002 से 500 ग्राम के स्थान पर बढ़ाकर 700 ग्राम प्रति यूनिट प्रति कार्ड प्रतिमाह कर दिया गया।
2. लेवी चीनी का फुटकर मूल्य माह मार्च, 2002 से भारत सरकार द्वारा रु० 13.50 प्रतिकिलो निर्धारित किया गया है।
3. राज्य सरकार द्वारा लेवी चीनी के वितरण की नई व्यवस्था शासनादेश संख्या-29-7-98 चीनी 30-7-98, दिनांक 10-12-98 के द्वारा जारी की गई थी, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित लेवी चीनी मिलों से विभिन्न जिलों तक के लिए उठान का कार्य प्रादेशिक सहकारी संघ के स्थान पर खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया था। सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-73/29-7-99 चीनी-7/98, दिनांक 11-11-99 द्वारा जारी संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत कानपुर, आगरा, बरेली व सहारनपुर मण्डलों में भारत सरकार द्वारा आवंटित लेवी चीनी के चीनी मिलों से विभिन्न जनपदों से उठान का कार्य खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा तथा शेष सम्भागों में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है। खाद्य विभाग की विपणन शाखा के पास केवल चार मण्डल ही चीनी उठान के रह गये हैं। संशोधित व्यवस्था मार्च, 99 के लेवी चीनी के आवंटन से लागू है, जिसके अन्तर्गत खाद्य विभाग द्वारा प्रत्येक जनपदवार चीनी का आवंटन तथा मूवमेन्ट प्लान तैयार किया जाता है, तदनुसार ही खाद्य विभाग तथा पी०सी०एफ० द्वारा चीनी मिलों से लेवी चीनी के उठान का कार्य किया जा रहा है।²⁸

²⁸ ibid

तालिका- (4.2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित योजनायें :
एक दृष्टि में

| योजना का नाम/राशन कार्डों का रंग | कार्ड धारकों की संख्या | खाद्यान्न वितरण स्केल प्रतिमाह | | वितरण मूल्य प्रति किग्रा | खाद्यान्न की कुल मासिक आवश्यकता |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| | | पूर्वी उ० प्र० के 9 मण्डलों में | पश्चिमी उ० प्र० के 8 मण्डलों में | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ए०पी०एल० पीला | 32396781 | गेहूँ -10 किग्रा चावल - 25 किग्रा | गेहूँ -15 किग्रा चावल - 20 किग्रा | 6.60 8.45 | बाजार दर अधिक होने पर मांग के अनुसार |
| बी०पी०एल० सफेद | 6584500 | गेहूँ -10 किग्रा चावल - 25 किग्रा | गेहूँ -15 किग्रा चावल - 20 किग्रा | 4.65 6.15 | गेहूँ - 75964.070 चावल - 154193.430 |
| अंत्योदय गुलाबी | 4094500 | गेहूँ -10 किग्रा चावल - 25 किग्रा | गेहूँ -15 किग्रा चावल - 20 किग्रा | 2.00 3.00 | गेहूँ - 47173.120 चावल - 96134.380 |

Source: Fcs.up.nic.in/upfood/fcsportal/information/PDS.aspx

नोट - प्रदेश में बी०पी०एल० कार्ड धारकों की संख्या 106.79 लाख निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता का ही मामला नहीं है, बल्कि हर घर के प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त पौष्टिक भोजन प्राप्त करने से भी और आगे तक है। शरीर में पोषण के लिए पौष्टिक भोजन का अवशोषण आवश्यक है। इसके लिए सुरक्षित पीने का पानी, शौचालय की सुविधा तथा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता पहुँच और अवशोषण के साथ विश्लेषण किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण अवयवों के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में भोजन के अधिकार के इन्हीं महत्वों को रेखांकित किया है।

संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों 2015 में भी सभी देशों की सरकारों के साथ भारत सरकार ने भी लोगों के भूख के अनुपात को आधी करने के लिए हस्ताक्षर

किया था। मानव विकास संस्थान व संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भोजन के आयामों के विश्लेषण हेतु बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आन्ध्र प्रदेश इन 8 राज्यों के लिए उप राज्य या जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा के आयामों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों की पहचान के लिए हैं –

1. खाद्य असुरक्षा के सर्वाधिक प्रभावित सामाजिक समूहों व क्षेत्रों की पहचान करना।
2. उन क्षेत्रों व सामाजिक समूहों में खाद्य सुरक्षा के लिए उपयुक्त नीतिगत सुझाव देना व हस्तक्षेप करना।

भुखमरी व कुपोषण को कम करने की कुंजी तीव्र गरीबी में कमी करने के उस विश्लेषण में निहित है, जिनमें भोजन की उपलब्धता, उपयोग व अवशोषण के इन तीन चरों के साथ 12 सहायक पहचान संकेतकों पर आधारित है। जिनमें है— प्रति व्यक्ति कृषि, उत्पादन की उपलब्धता, गाँवों में वन क्षेत्र, सिंचाई सुविधा व गाँवों की पक्की सड़कों से ग्रामीण कनेक्टिविटी आदि। खाद्यान्न आयाम के उपयोग हेतु इन 6 चरों की पहचान में शामिल हैं, जिसमें— खेतिहर, मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अनुपात, कुल जनसंख्या में कृषि और अन्य काम करने का अनुपात प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, ग्रामीण व्यक्तियों व महिलाओं की मजदूरी दर, साक्षरता दर आदि।

सुरक्षित पीने का पानी व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच ये चर अवशोषण सूचकांक के लिए आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के लिए इन 12 चरों को हर एक जिलों को विकसित करने के लिए उपयुक्त हैं। इन्हीं आधार पर देश के हर जिलों के खाद्य सुरक्षा सूचकांक का भी आकलन किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के निष्कर्षों के रूप में हर जिलों के 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर व कम वजन का आकलन भी किया जाता है।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में खाद्य असुरक्षा का फैलाव कुछ प्रमुख जिलों जिनमें दक्षिणी क्षेत्र में बुन्देलखण्ड, महोबा, हमीरपुर आदि मध्य के क्षेत्रों में ललितपुर, पीलीभीत से लेकर मध्य गंगा के क्षेत्रों में महाराजगंज तक फैला हुआ है। बगल के जिलों सोनभद्र और मिर्जापुर तथा पूर्वी क्षेत्र बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, महामायानगर आदि खाद्य असुरक्षा से ग्रसित क्षेत्र भुखमरी व कुपोषण से ग्रसित क्षेत्रों को इंगित करते हैं।

उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से 28 जिलों में सरकार को अपनी नीतियों में खाद्य सुरक्षा देने के लिए प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इन जिलों में अनुसूचित जाति की आबादी कम मजदूरी दरों के साथ खेतिहर मजदूरों के उच्च अनुपात कुपोषित तथा कम वजन के बच्चे व महिला साक्षरता दर भी काफी कम है।

तालिका – (4.3) खाद्य सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले उत्तर प्रदेश के जिले²⁹

| मध्य क्षेत्र | पूर्वी क्षेत्र | दक्षिणी क्षेत्र | पश्चिमी क्षेत्र |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| फतेहपुर | बहराइच | बांदा | अलीगढ़ |
| हरदोई | बलरामपुर | चित्रकूट | औरैया |
| कानुपर देहात | कौशाम्बी | हमीरपुर | बुलन्दशहर |
| लखीमपुर खीरी | महराजगंज | झांसी | फर्रुखाबाद |
| रायबरेली | मीरजापुर | ललितपुर | हाथरस |
| सीतापुर | श्रावस्ती | महोबा | पीलीभीत |
| उन्नाव | सिद्धार्थनगर | | |
| | सोनभद्र | | |

स्रोत:—“फूड सिक्योरिटी एटलस ऑफ रूरल उत्तर प्रदेश” इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन डेवलपमेन्ट, 2010

4.3 उत्तर प्रदेश में कुपोषण की स्थिति :-

उत्तर प्रदेश में 42 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं। प्रदेश सरकार इतने बच्चों को पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। नवम्बर 2014 में प्रदेश सरकार ने राज्य पोषण मिशन के जरिए कुपोषण को खत्म करने के प्रयास किए हैं। पूरे विश्व में कुपोषण से सर्वाधिक मौंते भारत से ही होती है। भारत में कुपोषित 100 जिलों में से 41 अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। कुपोषण के आँकड़े दो बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं। -

- (1) कुपोषण के स्तर पर इसे दूर करने की जितनी कोशिशें हुईं उनमें क्रियान्वयन के स्तर पर असफलता ही मिली है।
- (2) गरीबी के अहम प्रमाण कुपोषण को कभी राजनीतिक दलों ने मुद्दा नहीं बनाया।³⁰

हरित क्रांति के फलस्वरूप किसानों ने नई प्रजाति और अधिक उत्पादन के लालच में पुरानी प्रजाति को भूल गए और वे ज्यादातर नष्ट हो गये। पराम्परागत खाद्यान्न में उपस्थित पोषक तत्वों से ही कुपोषण से बचा जा सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में कुपोषण से लड़ने के लिए 32 जिलों का चयन किया गया। इसके तहत न्यूट्रीफार्म खोले जाने थे, स्थानीय जिंसों में ज्वार, बाजरा, मक्का, संवा, कोदो के साथ गेहूँ, धान की पुरानी किस्मों को बढ़ावा दिया जाना था। लेकिन केन्द्र व राज्य सरकारों को किसानों को

²⁹ “फूड सिक्योरिटी एटलस ऑफ रूरल उत्तर प्रदेश” इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन डेवलपमेन्ट, 2010, पेज 1-4

³⁰ “कुपोषण का दाग” दैनिक जागरण, 12 मार्च 2015 पेज - 12

आर्थिक मदद देकर इन फसलों के अधिक उत्पादन से कुपोषण की समस्या को कुछ हद तक कमी की जा सकती है।³¹

प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के अति कुपोषित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। इसके लिए अब हर महीने इनकी जांच होगी, बाल-विकास पुष्टाहार दुगुना किया जायेगा व कुपोषित बच्चों के माता-पिता की काउंसलिंग कर उपाय बताया जायेगा, जिन्हें अपना कर वे अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकेंगे। कुपोषण सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण की समस्या सर्वाधिक गम्भीर है। हर साल ऐसे 10 लाख बच्चों की मौत हो जाती है, उत्तर प्रदेश में यह आँकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या करीब सवा दो करोड़ हैं, कुपोषण के लिए तय स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुसार इसमें करीब साढ़े 22 लाख अति कुपोषित श्रेणी में है। प्रदेश में वजन दिवस चलाकर 11,77,933 अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गयी। आजादी के बाद से कुपोषण से लड़ने के लिए योजनाएँ आज तक चल रही हैं। सरकारी संस्थाएँ व अन्य गैर सरकारी संगठन भी अपने स्तर पर अभियान चला रहे हैं लेकिन फिर भी कुपोषित के आँकड़ों में अपेक्षित कमी नहीं आ रही है। कुपोषण की ज्यादातर समस्या ग्रामीण और आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में ज्यादा देखी जा रही है। इसके निवारण हेतु कारगर कदम उठाने होंगे, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ आगे आना होगा।³²

4.4 कुपोषित बच्चों को मिलने वाली खाद्य सुरक्षा :-

प्रदेश में कुपोषित 13 लाख बच्चों के परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभार्थी बनाया गया है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल और जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मातृत्व सप्ताह मनाना भी शुरू किया गया है। राज्य पोषण मिशन की बैठक में कुछ नए निर्णय लिए गए, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की मरम्मत तथा देख रेख का जिम्मा ग्राम पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया गया। गाँवों में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की नियमित तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच अलग से प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने की कई योजनाओं के साथ अति-कुपोषित बच्चों के इलाज व निगरानी के लिए विशेष स्वास्थ्य इकाईयाँ भी गठित की गयी हैं। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल व सफाई पर विशेष ध्यान देने की भी व्यवस्था की गयी है। बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों को आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा दिए जाने वाले बाल विकास पुष्टाहार व्यवस्था के कुशल व निष्पक्ष संचालन का भी प्रबन्ध किया गया है।³³

³¹ "कुपोषण का पोषण" दैनिक जागरण, 9 सितम्बर 2015 पेज - 12

³² "कुपोषण से जंग" दैनिक जागरण, 18 सितम्बर 2015, पेज - 8

³³ "कुपोषित बच्चों को मिलेगी खाद्य सुरक्षा", दैनिक जागरण, 6 अक्टूबर 2015 पेज - 13

समाजवादी पेंशन योजना से लाभान्वित परिवारों में 5 वर्ष तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के स्कूल में होने वाले स्वास्थ्य का परीक्षण कम्प्यूटराइज्ड किया गया है। इस कार्य में आशा बहुओं व ए0एन0एम0 का सहयोग भी काफी हद तक सराहनीय है।

4.5 मिड डे मील व खाद्य सुरक्षा योजना :-

स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील के तहत दिए जाने वाले भोजन का अनाज गाँव के ग्राम प्रधान द्वारा कोटेदारों से दिलाया जाता है। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील न मुहैया कराकर अनाज और परिवर्तन लागत की धनराशि हड़पने वालों की योजना अब सफल नहीं होगी। मिड डे मील न दिए जाने पर स्कूलों में अब बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना-2013 के तहत मध्यान्ह भोजन नियमावली को अधिसूचित करते हुए नयी व्यवस्था लागू की गयी है और राज्यों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

नियमावली में कहा गया है कि यदि अनाज, खाना पकाने की राशि (परिवर्तन लागत), ईंधन उपलब्ध न होने या रसोईयाँ-सह-हेल्पर के अनुपस्थित रहने या किसी और कारण से किसी भी स्कूल में मिड डे मील उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार हर बच्चे को अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध करायेगी। भत्ता की गणना बालक/बालिका की पात्रता के अनुसार अनाज की मात्रा और राज्य में उस समय प्रभावी खाना पकाने की लागत के आधार पर की जायेगी। लगातार 3 दिन या महीने में 5 दिन मिड डे मील न दिए जाने पर संबंधित एजेंसी पर कार्यवाही की जायेगी। केन्द्रीकृत पाठशाला द्वारा भोजन की आपूर्ति न करने पर राज्य सरकार केन्द्रीकृत पाठशाला से खाद्य सुरक्षा भत्ता वसूलेगी। मिड डे मील न मिलने की एवज में बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने के तौर तरीकों पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के साथ विचार विमर्श किया जायेगा।³⁴

मध्यान्ह भोजन की मौजूदा व्यवस्था :-

कक्षा एक से पाँच -

- अनाज आवंटन - 100 ग्राम गेहूँ/चावल प्रति बच्चा, प्रतिदिन
- परिवर्तन लागत - 3.76 रुपये प्रति बच्चा, प्रतिदिन

कक्षा 6 से 8 तक -

- अनाज आवंटन - 150 ग्राम/गेहूँ/चावल प्रति बच्चा, प्रतिदिन
- परिवर्तन लागत - 5.64 रुपये प्रति बच्चा, प्रतिदिन

³⁴ दीक्षित राजीव, "मिड डे मील न दिया तो देना होगा खाद्य सुरक्षा भत्ता", दैनिक जागरण, 16 अक्टूबर 2015 पेज 19

उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जंग के लिए अब कनाडा सहयोग करेगा। 15 वर्ष तक चलने वाले एक विशेष कार्यक्रम में 'एक सही शुरुआत' से 1.7 करोड़ महिलाओं, बच्चों व किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल की जायेगी। प्रदेश में 14 लाख अति कुपोषित बच्चे चिन्हित हैं, प्रदेश में 15 से 49 वर्ष के 50 फीसदी महिलायें एनीमिया से ग्रस्त हैं, 15 से 18 वर्ष आयु की 37 प्रतिशत किशोरियों कम वजन की हैं। उनसे निपटने के लिए 2020 तक कनाडा के सहयोग से चलने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के 18 जिलों में 14 लाख नवजात शिशुओं व माताओं की देखभाल की जायेगी। 10 जिलों में 1.5 करोड़ किशोरियों को कुपोषण से निजात दिलाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। चार जिलों में 6.5 लाख बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाना भी इस अभियान का हिस्सा होगा।³⁵

प्रदेश सरकार व टाटा ट्रस्ट के बीच दिसम्बर 15 में कुपोषण, शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य व सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए अनुबंध पत्र (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किया गया है। टाटा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में कुपोषण, गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों में खून की कमी (एनीमिया) व कम वजन को दूर करने के प्रयास करेगी।

राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन कराकर कुपोषित बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं कुपोषण समिति के लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रति राजस्व गांव 10 हजार रुपये वार्षिक की दर पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के आयोजन के निर्देश दिए गये। पोषण मिशन की बनायी फिल्मों व रेडियों जिंगल आदि का प्रसारण जनवरी 16 से टी0 वी0 चैनलों, सिनेमाघरों आदि से कराने को कहा गया है तथा गर्भवती महिलाओं व अति कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नियमित निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश भी है।³⁶

मध्यान्ह भोजन योजना (मिड डे मील) पर 6 मार्च 2016 को प्रदेश विधान सभा में नियंत्रक महालेखा परीक्षण (कैंग) की पेश रिपोर्ट में मिड डे मील वितरण में लापरवाही, रसोईघरों की स्वच्छता और भोजन वितरण के पहले शिक्षक व किसी एक बच्चे की माँ द्वारा चखे जाने की अनदेखी का उल्लेख किया गया है। यह भी कहा गया कि मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के बावजूद प्रदेश में 2010-11 की तुलना में छात्रों के नामांकन में 7.3 फीसदी की गिरावट आयी है। छात्रों के पोषकीय स्तर में सुधार के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराए जा रहे हैं। जबकि प्रदेश में 2010-15 की अवधि में गुणवत्ता परख मध्यान्ह भोजन पर 7226.55 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

कैंग ने रिपोर्ट में खाद्यान्न परिवहन, कोटेदारों को लाभांश देने में करोड़ों रुपये अतिरिक्त का भी भुगतान करने का उल्लेख किया है। छात्रों का खाना बनाने वाले रसोईयों को स्वच्छता व गुणवत्ता परख भोजन बनाने का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया।³⁷

³⁵ "कुपोषण से जंग के लिए कनाडा ने मिलाए हाथ", दैनिक जागरण 4 दिसम्बर 2015 पेज - 13

³⁶ "अस्पताल पहुँचाये जांच अति कुपोषित बच्चे", दैनिक जागरण, 20 दिसम्बर 2015 पेज - 17

³⁷ "पढ़ाई का सवाल पुराना, अब सेहत की अनदेखी", दैनिक जागरण 7 मार्च 2016 पेज 10

कैग की रिपोर्ट में निम्न खामियां सामने आयी :-

- मिड डे मील योजना के बावजूद वर्ष 2010-11 में छात्रों के नामांकन में 1.59 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में 1.34 करोड़ रह गया।
- बच्चों के पोषण स्तर में सुधार व बच्चों में पोषक तत्वों की कमी के लिए बेस लाइन सर्वे नहीं हुए।
- 2010-15 की अवधि में आवंटित 16.95 लाख मीट्रिक टन के खाद्यान्न के सापेक्ष यू0 पी0 सरकार ने 13.38 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठान किया। इसे मध्याह्न भोजन की आपूर्ति में व्यवधान हुआ।
- परिवहन लागत में 12.74 करोड़ और कोटेदारों के लाभांश में 31.9 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। 56.47 करोड़ मूल्य के अधिक खाली बोरों का ब्यौरा कही दर्ज नहीं किया गया।
- 18 फीसदी रसोई - सह भण्डारगृह में दरवाजे नहीं हैं, 16 फीसदी में रोशनी की कमी, 34 फीसदी में जल निकाली की व्यवस्था नहीं है।

4.6 आंगनबाड़ी केन्द्र व बाल विकास पुष्टाहार योजना :-

प्रदेश में डेढ़ लाख आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। नियमों के तहत प्रत्येक केन्द्र में शौचालय, रसोईघर होना चाहिए ताकि बच्चों को साफ सुथरी खाद्य सामग्री मिल सके पर मूलभूत सुविधायें तो दूर 19704 केन्द्र तो खुले असमान के नीचे चलते हैं या पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। गर्मियों में सुबह 8 बजे से दो बजे व सर्दियों में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलने का समय है। इस तरह बच्चों को घण्टों खुले मैदान में रहने से कुपोषण खत्म होना तो दूर उल्टे उनके बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं बच्चों के अक्षर ज्ञान की पुस्तकें, किताबें, खिलौने व कुछ दवाइयां आदि पास के स्कूलों में रखवा देती है।

तीन वर्ष के बच्चों को रोज 120 ग्राम व 3 से 5 वर्ष के बच्चों को 140 ग्राम पुष्टाहार के साथ 50 ग्राम नाश्ता भी दिया जाता है। 65 जिलों में ये आंगनबाड़ी केन्द्र खुले आसमान के नीचे या फिर किसी स्कूल के बरामदे में चल रहे हैं। केवल 10 जिले फर्रुखाबाद, कुशीनगर, महाराजगंज, जालौन, बस्ती, फैजाबाद, भदोही, सोनभद्र, हापुड व संभल में ये केन्द्र कमरे में चलाये जा रहे हैं।³⁸

राज्य पोषण मिशन के तहत कराए गये सर्वे में सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही दो लाख से अधिक बच्चों के कुपोषण का शिकार का उल्लेख है। यह आंकड़े आंगनबाड़ी कार्यक्रम व मध्याह्न भोजन योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के जिम्मेदार अधिकारी व सरकार पर भी सवाल खड़ा करते हैं। प्रदेश में **पायलट प्रोजेक्ट** के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए बच्चों के पौष्टिक खाने में हॉट कुकड मील के अलावा पंजीरी, दूध

³⁸ अहमद, परवेज, "पेड़ों के नीचे हो रही कुपोषण से लड़ाई", दैनिक जागरण, 12 मार्च 2016 पेज - 15

और फलों का वितरण शुरू किया गया है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन के अलावा उनको अधिक से अधिक स्तनपान कराने को भी प्रेरित किया जा रहा है।

कुपोषण से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी के अलावा गांव में पोषण टोलियों का गठन ग्राम पंचायत के लोगों की मदद से टोलियों का गठन कर प्रशिक्षित किया जा रहा है। कुपोषण से मुक्त कराने के लिए सरकारी अफसर मंडलायुक्त, डी0एम0 व सी0डी0ओ0 सहित कई अफसर गांवों को गोद ले रहे हैं। समय-समय पर ये अफसर गांवों में जाकर बच्चों की नाप तौल कराकर उनके स्तनपान की भी जांच कर रहे हैं।³⁹

मध्याह्न भोजन योजना में अब बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए ताजे व मौसमी फल प्रत्येक सोमवार तथा बुधवार को दूध भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 5 वर्ष तक के बच्चों व कुपोषित बच्चों व गर्भवती माताओं को दिन में एक बार अतिरिक्त फूड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 1 लाख 87 हजार 997 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर व्यवस्था की गयी है। इसके लिए बाल विकास विभाग ने 60528 करोड़ रुपये 2016-17 में खर्च होने का अनुमान है। इसमें 60 फीसदी धन केन्द्र सरकार व 40 फीसदी राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी।

4.7 सर्वाधिक प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र :-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जिलों में 2 लाख 30 हजार अंत्योदय परिवारों को सूखा राहत सामग्री भी दी जा रही है। पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधि0 के तहत चार माह तक निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश भी दिया गया है। पेयजल की किल्लत दूर करने हेतु 3,226 इंडिया मार्का - 2 हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए 21.57 करोड़ रुपये की धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी है। इसके अलावा 440 वॉटर टैंकर्स खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराए गए हैं।⁴⁰

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है और पात्र परिवारों को दो रुपये किलो गेहूँ और तीन रुपये किलो चावल दिया जा रहा है। बुन्देलखण्ड में 39060.105 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। यह आवंटन 73.64 फीसदी आबादी के लिए पर्याप्त है। 31 मार्च 2016 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हित लाभार्थियों की कुल संख्या कुल जनसंख्या के सापेक्ष 76.92 प्रतिशत है। इसी के अनुरूप खाद्यान्न आवंटन की केन्द्र सरकार से मांग की गई है। फसलों की क्षति के मद्देनजर 1261.04 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा निधि से स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। अब भूख से हुए मौतों की सीधी जिम्मेदारी डी0एम0 (जिलाधिकारी) की ही होगी।⁴¹ केन्द्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने बुन्देलखण्ड के 7 जिलों (बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर व महोबा) में 1304 करोड़ की सूखा राहत की मंजूरी दी गयी है। यह आपदा राहत राशि प्रभावित लोगों के बैंक खाते

³⁹ वाजपेयी, राजीव, "राजधानी में ही दो लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित", दैनिक जागरण, 17 मार्च 2016 पेज - 3

⁴⁰ दैनिक जागरण, 5 मई 2016 पेज - 8

⁴¹ "भूख से मौतों पर डी एम की होगी जिम्मेदारी", 6 मई 2016, दैनिक जागरण पेज - 15

में 7 दिनों में भेजने का निर्देश है। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न आपूर्ति में आधार नम्बर व मनरेगा के जॉब कार्ड को प्राथमिकता देगी।

सूखा प्रभावित उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड व यमुना पार के क्षेत्र में अकाल, भुखमरी व कुपोषण की समस्या विकराल होने से कठिन हालात पैदा हुए हैं। बुन्देलखण्ड की भयावह स्थिति पर 'स्वराज अभियान'⁴² के निदेशक यागेन्द्र यादव की निगरानी में 27 तहसील के 108 गांवों में 1206 परिवारों से पूछताछ के बाद एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गयी, जिसमें इस क्षेत्र की भयावह तस्वीर देश के सामने आयी।

पिछले 8 माह में 53 प्रतिशत गरीब परिवारों ने दाल के दर्शन नहीं किए और हर पांचवे परिवार को कम से कम एक दिन भूखे सोना पड़ा। होली पर्व के बाद 60 फीसदी परिवार गेहूँ, चावल के बदले मोटे अनाज व आलू का प्रयोग कर पेट भर रहे हैं। औसत परिवारों को महीने में केवल 13 दिन सब्जी मिली। बच्चों व बड़ों को मात्र 6 दिन दूध मिला। 19 प्रतिशत गरीब परिवार महीने में कम से कम एक दिन भूखे सोने को मजबूर हुए। लगातार सूखा प्रभावित रहने से इन्सानों के साथ-साथ पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं।

रिपोर्ट में 17 प्रतिशत परिवारों द्वारा घास की रोटी (फिकारा) खाने का उल्लेख है। करीब 79 प्रतिशत परिवारों ने गत 8 महीनों में कभी रोटी या चावल सिर्फ नमक या चटनी से खाने की बात स्वीकार की। कुपोषण व भुखमरी के कारण 108 गांवों में 41 में मौते होने की जानकारी मिली है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। एक तिहाई परिवार मांग कर भोजन करने के लिए मजबूर भी हुए तो 22 प्रतिशत बच्चों को स्कूल छोड़ देना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी सामने आया कि 27 फीसदी लोग जमीन बेचने व 24 प्रतिशत जेवर गिरवी रखने को बाध्य हुए। खरीफ फसलों के नष्ट होने से बाजरा, सोयाबीन व मूंग उगाने वाले 90 प्रतिशत परिवार बर्बादी की कगार पर हैं। 61 प्रतिशत किसानों ने फसल बर्बाद होने की सूचना दी। पीने के स्वच्छ पानी का संकट बढ़ा है और दो तिहाई गांवों में परिस्थितियाँ चिन्ताजनक हैं। पेयजल की उपलब्धता का एक प्रमुख जरिया इण्डिया मार्का सरकारी हैण्डपम्प है, लेकिन एक तिहाई खराब है।

पशुओं के लिए चारे का बन्दोबस्त न होने के कारण पशुओं को खुले में छोड़ने की अन्ना प्रथा में वृद्धि हुई। 48 प्रतिशत गांवों में 10 या अधिक पशुओं के मरने की सूचना है। 35 प्रतिशत गांवों में सौ गाय-भैंस को चारे के आभाव में छोड़ना पड़ा। लगभग 40 फीसदी ने पशुओं को मजबूरी में बेच दिया। इसके कारण दूध उपलब्धता में कमी आयी। संकट की इस घड़ी में मनरेगा योजना का लाभ भी नहीं मिलने से हालात और अधिक बिगड़ रहे हैं।⁴³

बुन्देलखण्ड में सूखे व भुखमरी की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 2.34 लाख अंत्योदय परिवारों को मुफ्त में खाद्य सामग्री मुहैया करायेगी। इसके तहत प्रत्येक

⁴² यादव, योगेन्द्र, "बुन्देलखण्ड की भयावह स्थिति पर सर्वे रिपोर्ट" 2015

⁴³ "एक दिन भूखा सोता है हर पांचवा परिवार" बुन्देलखण्ड – सूखा हुआ विकराल, दैनिक जागरण, 27 नवम्बर 2015 पेज 11

परिवार को 10 किलो आटा, 5 किलो चने की दाल, 5 किलो सरसों का तेल, 10 किलो चावल, 25 किलो आलू व 1 किलो देशी घी, 1 किलो दूध पाउडर अंत्योदय परिवारों को यह खाद्य सामग्री दफ्ती के डिब्बे (कार्टून) में भरकर देने का निर्णय किया गया है। इसमें 25 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।⁴⁴ प्रदेश में बुन्देलखण्ड के 7 जिलों सहित अन्य जिलों में खाद्यान्न वितरण भी शुरू किया गया है तथा यह भी देखा जा रहा है कि वास्तव में वितरण हुआ कि नहीं और जिन्हें खाद्यान्न मिला वे योजना की शर्तों व नियमों के अनुसार पात्र परिवार है या नहीं। पात्र परिवारों को मई से अगस्त 2016 तक 4 माह मुफ्त खाद्य सामग्री दी जायेगी। इससे प्रदेश सरकार को हर माह 12 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय भार आयेगा।

4.8 उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून व सार्वजनिक वितरण प्रणाली :-

लोक कल्याणकारी राज्य वह है, जो हर स्थिति में अपने नागरिकों की सुरक्षा करें। सत्तर के दशक में जनता ने अकाल का दौर देखा और अमेरिकी लाल गेहूँ से भूख मिटाने के बाद हरित क्रान्ति ने हमें खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन फिर भी शहरों में हमें कूड़े से खाना बटोरती गरीबी के चित्र अक्सर देखने को मिल जाते हैं, यदा कदा भूख से होने वाली मौतों की खबर भी आती रहती हैं। जिला स्तर पर सरकार के नुमाइंदे इसे भूख से मौत नहीं मानते और पब्लिक बडे ही दावे के साथ मौत के लिए भूख को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। वैसे तो हर राज्य की सरकारें भूख से होने वाली मौत के लिए सीधे तौर पर जिलाधिकारी को ही जिम्मेदार ठहराती हैं।

आबादी और क्षेत्र के लिहाज से अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है। अतः किसी भी योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में अपेक्षाकृत ज्यादा वक्त लगाना स्वाभाविक है। सभी राज्यों में एक साथ खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने की दशा में खाद्यान्न की कमी की आशंका को खत्म करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक व रणनीति स्टॉक को बढ़ा दिया है। भारतीय खाद्य निगम यानि एफ0सी0आई0 में गेहूँ व चावल का स्टॉक सीमा बढ़ा दिया गया है। खाद्यान्न के बेहतर प्रबन्धन के लिए सी0सी0ई0ए0 की बैठक में अन्तर मंत्रालय समूह के गठन को भी मंजूर किया गया है। यह समूह एफ0सी0आई0 के अतिरिक्त अनाज को खुले बाजार में बेचने अथवा निर्यात करने सम्बन्धी फैसले लेगा। सेंट्रल पूल के बफर स्टॉक के मानकों को भी संशोधित किया गया है। इसके मुताबित एफ0सी0आई0 में बफर स्टॉक के साथ रणनीति स्टॉक में भी वृद्धि की गई है। दूसरी व तीसरी तिमाही का स्टॉक बढ़ा दिया गया है जबकि साल के पहली व अंतिम तिमाही में कम कर दिया गया है। दूसरी तिमाही में एक जुलाई को बफर स्टॉक 4.11 करोड़ टन होगा। तीसरी तिमाही में एक अक्टूबर को स्टॉक 2.12 करोड़ टन से बढ़कर 3.08 करोड़ टन कर दिया या है। पहली तिमाही में एक अप्रैल को सबसे कम स्टॉक 2.10 करोड़ टन होगा। यह पहले 2.12 करोड़ टन था। खाद्य सुरक्षा कानून लागू

⁴⁴ "बुन्देलखण्ड के अंत्योदय परिवार को मुफ्त आटा - दाल के साथ घी भी", दैनिक जागरण, 19, 20 फरवरी 2016, पेज 13

करने पर कुल 6.14 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी। इसके लिए सरकार ने अनाज की उपलब्धता बनाए रखने हेतु बफर व रणनीतिक स्टॉक को बढ़ाने का फैसला लिया।⁴⁵

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड के लिए आधार और बैंक खाता संख्या को अनिवार्य कर दिया है। राशन कार्ड के लिए अभी तक मतदाता पहचान पत्र संख्या ही देनी रहती थी, लेकिन अब उसका विस्तार कर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किए जाने की योजना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीडीएस) उपभोक्ताओं के पास वर्तमान में वर्ष 2005 में जारी राशन कार्ड हैं। इनकी वैधता अवधि 2011 में समाप्त भी हो चुकी है।⁴⁶ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के करीब साढ़े सोलह करोड़ परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। जिसमें गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल व अंत्योदय के अलावा सामान्य श्रेणी एपीएल परिवार बड़ी संख्या में हैं।

प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के चयन (सर्वे फार्म) का प्रारूप तय कर दिया है। तय प्रारूप में ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंसी हथियार, कार, एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर व 5 केवीए जनरेटर रखने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा के राशन के लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में सर्वे के अलग-अलग प्रारूप बनाए गए हैं। सर्वे फार्म में 5 श्रेणी के 50 से अधिक बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में सौ वर्गमीटर से अधिक का स्व-अर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर निर्मित मकान, सौ वर्गमीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय प्लॉट, 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान वाले परिवार भी खाद्य सुरक्षा से बाहर कर दिए गए हैं।

गरीबों के लिए राहत की बात यह है कि 19 हजार वार्षिक आय वाले ग्रामीण और 24 हजार वार्षिक आय वाले शहरी बीपीएल की सीमा अब बढ़ा दी गयी है। अब दो लाख वार्षिक आय वाले ग्रामीण और 3 लाख वार्षिक आय वाले शहरी परिवार खाद्य सुरक्षा के दायरे में लिए गए हैं। देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के 60 फीसदी शहरी और 80 फीसदी ग्रामीण खाद्य सुरक्षा के हकदार होंगे। सरकार के इस पहल से प्रदेश में कुल 20 करोड़ आबादी में 15.20 करोड़ के लाभान्वित होने का अनुमान है।

4.9 खाद्य सुरक्षा सर्वे फार्म के प्रमुख बिन्दु :-

परिवार के मुखिया का नाम हिन्दी और अंग्रेजी में, फोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता संख्या, आईएफएस कोड, बैंक का नाम, इपीक नम्बर, आधार कार्ड नम्बर, स्थायी निवास का विवरण, वर्तमान निवास का विवरण, उचित दर विक्रेता का नाम, परिवार की कुल वार्षिक आय, गैस कनेक्शन है या नहीं, गैस कनेक्शन की संख्या, गैस

⁴⁵ "बढ़ाया गया अनाज का बफर स्टॉक", दैनिक जागरण, 17 जनवरी 2015 पेज 17

⁴⁶ "राशन कार्ड के लिए बैंक खाता व आधार जरूरी", दैनिक जागरण, 24 जनवरी 2015 पेज 3

कम्पनी का नाम, गैस एजेन्सी का नाम, गैस आपूर्ति सिलेण्डर से है या गैस पाइप से, ई-मेल आईडी0, परिवार के सदस्यों का विस्तृत ब्यौरा और फोटो शामिल है।

4.10 खाद्य सुरक्षा के क्या-क्या लाभ हैं :-

खाद्य सुरक्षा लागू होने के बाद गरीबों को दो रुपये किलो गेहूँ, तीन रुपये किलो चावल और एक रुपये किलो की दर पर अन्य मोटा अनाज उपलब्ध कराने की योजना है। अंत्योदय परिवारों को प्रति यूनिट पाँच किलो अनाज प्रतिमाह जबकि अन्य गरीब परिवारों को अधिकतम 35 किलो अनाज देने का प्रावधान किया गया है।⁴⁷

खाद्य सुरक्षा के तहत उन लोगों की शामिल किया गया है जो आयकर दाता न हो। ए0 सी0, चौपहिया वाहन, हार्वेस्टर, 5 किलोवाट से अधिक का जनरेटर आदि न हो। परिवार में यदि किसी के नाम 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या शस्त्र लाइसेंस है तो उन्हें भी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं किया जायेगा। योजना में शामिल होने वाले योग्य परिवारों का चयन सत्यापन के जरिए किया जाना है। शहरी क्षेत्र में यह काम नए सिरे से होना है जबकि ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा स्तर पर बनी सूची को तीन पैमाने पर परखा भी जा रहा है।

आर्थिक रूप से कमजोर व समृद्ध परिवारों को अलग-अलग सूची में दर्ज करने के साथ ऐसे परिवारों की भी अलग से सूची भी बनानी जा रही है। जो पिछले सर्वेक्षण में छूट गए थे। गाँवों में यह काम लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारियों के जरिए कराया जा रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में वार्ड वार सत्यापन का काम बी0एल0ओ0 (बूथ लेवल अधिकारी) और राशन दुकानों से वितरण के सत्यापन के लिए विभिन्न विभागों से आने वाले पर्यवेक्षण अधिकारियों के माध्यम से कराया जाएगा।

4.11 उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन :-

खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग ने जो आयोग का गठन किया है, उसमें अध्यक्ष पद पर चयन में अखिल भारतीय सेवा या राज्य के किसी अन्य सिविल सेवा के सदस्य या कृषि रसद, पोषण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य, जिला, ब्लाक और गाँव स्तर पर सतर्कता समितियों का भी गठन किया गया है। इसके लिए वित्त, न्याय, नगर विकास और पंचायतीराज विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज न मिलने की शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी और आयोग में भी की जा सकती है।

आयोग के संविधान में इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित नियमों की शर्तें भी निर्धारित की गयी हैं। प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति भी की

⁴⁷ "हथियार रखने वाले नहीं होंगे हकदार" दैनिक जागरण, 1 फरवरी 2015 पेज 9

गयी है। जो गरीबों को उनके हिस्से का राशन दिलवाने, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और आपूर्ति व्यवस्था पर आयोग नजर रखेगा।

ढांचा :- आयोग में अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सदस्य सचिव, वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार एवं सहायक लेखाकार 7 वैयक्तिक सहायक, 8 वरिष्ठ सहायक, 10 कनिष्ठ सहायक, दो वाहन चालक और 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी नियुक्ति शामिल है।⁴⁸

गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाई गई केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, खाद्य सुरक्षा योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 व अंत्योदय श्रेणी के सभी राशन कार्ड धारकों की कम्प्यूटराइज्ड फीडिंग किया गया है। इसमें राशन कार्ड धारक का नाम, कोटेदार का नाम, पता तथा भेजी जाने वाली खाद्यान्न सहित पूरी जानकारी अपलोड की गयी है। इसके अलावा विभाग के गोदाम डिपो सहित कार्ड धारक के परिवार की महिला मुखिया की जानकारी को अलग से उसे कम्प्यूटर पर फीड किया जा रहा है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून के लिए पात्र राशन कार्ड धारकों की सूची और आधार कार्ड नम्बर भी लिंक किये जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन की दुकानों से बी0पी0एल0 व ए0पी0एल0 कार्ड पर मिलने वाले राशन के दाम वर्तमान में राउन्ड फीगर का तर्क देते हुए बढ़ा दिए गए हैं। नई दरों के मुताबिक बी0पी0एल0 परिवारों को अब कोटेदारों को 22 रुपये 25 पैसे अधिक देने होंगे तब उन्हें 10 किग्रा0 गेहूँ व 20 किग्रा चावल मिलेगा। बी0पी0एल0 को दिए जाने वाले गेहूँ की वर्तमान दर 5 रुपये है जो पहले 4.65 रु0 थी। तो वही चावल 7 रु0 हुआ है, जो पहले 6.15 रु0 था। ए0पी0एल कार्ड धारकों को भी बँटने वाले गेहूँ की दर में 40 पैसे बढ़ाकर 6.60 रु0 से 7 रु0 तो चावल 8.80 रु0 से बढ़ाकर 9 रुपया (लगभग 20 पैसा प्रति किग्रा0) की बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे परिवारों को गेहूँ लगभग 10 किग्रा वितरण की व्यवस्था है।⁴⁹ लेकिन शक्कर व किरासिन तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंत्योदय परिवार को बँटने वाले गेहूँ व चावल की दर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। प्रदेश सरकार ने कोटेदारों के लाभांश में 13 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इसके साथ ही परिवहन व हैण्डलिंग चार्ज में भी बढ़ोत्तरी की गयी है। अब अंत्योदय अन्न योजना व ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 दुकानदारों के लाभांश, परिवहन तथा हैण्डलिंग की दरों को एक समान कर दिया गया है।

4.12 सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना रिपोर्ट – 2011

सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना रिपोर्ट-2011 के अनुसार देश में कुल 24.39 करोड़ परिवार हैं, जिसमें से ग्रामीण भारत में 17.91 करोड़ परिवार आते हैं। इनमें से तीन चौथाई ग्रामीण परिवार आज भी 5000 रुपये प्रति महीना से कम पर गुजारा करने

⁴⁸ "खाद्य सुरक्षा आयोग को हरी झण्डी आज" दैनिक जागरण, 4 फरवरी 2015 पेज – 19

⁴⁹ "अच्छे दिनों में महंगा गल्ला" दैनिक जागरण, 22 जून 2015 पेज 2

को मजबूर हैं। गरीबी की सबसे अधिक मार पूर्वी भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल व उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले झेल रहे हैं। यहां 78 फीसदी परिवारों की मासिक आमदनी 5000 रुपये से भी कम है। ग्रामीण भारत के 75 फीसदी परिवार यानि 13.34 करोड़ परिवार की कुल मासिक आय भी पाँच हजार रुपये से भी कम है। गाँवों में 10 हजार रुपये से अधिक की आमदनी वाले परिवार लगभग 8 फीसदी हैं।⁵⁰

गाँवों की तस्वीर –

ये परिवार स्वतः बी0 पी0 एल0 श्रेणी में होंगे –

- बेघर परिवार
- निराश्रित एवं भिक्षुक परिवार
- मैला ढोने वाले
- आदिम जनजातीय समूह
- मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर

गरीब बी0 पी0 एल0 वंचित के आधार –

- दो पहिया मोटर, तिपहिया, चार पहिया मोटर, मछली पकड़ने की नाव
- मशीन चलित कृषि उपकरण
- 50 हजार रुपये का उससे अधिक की मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड
- सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य का परिवार
- सरकार में रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्योग वाले परिवार
- 10 हजार रुपये मासिक की नौकरी करने वाले का परिवार
- आयकर और व्यवसायिक कर अदा करने वाले का परिवार
- पक्की दीवारों वाला तीन कमरे का घर
- रेफ्रिजरेटर और लैण्डलाइन फोन धारक
- एक सिंचाई उपकरण के साथ ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि

ये परिवार माने जाएंगे वंचित –

- कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार।
- परिवार में 16 से 59 वर्ष की बीच की आयु का कोई व्यस्क सदस्य न हो।
- महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं है।
- निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम व्यस्क सदस्य से रहित परिवार।

⁵⁰ सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना रिपोर्ट – 2011

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार।
- ऐसे परिवार जहाँ 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यस्क साक्षर नहीं है।
- भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं।⁵¹

देश की राशन प्रणाली में गरीबों को बाँटे जाने वाले अनाज की जगह अब नकदी बाँटे जाने पर विचार किया जा रहा है। राशन की एवज में नकदी बाँटने की योजना का प्रथम चरण तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 30 सितम्बर 2015 से शुरू हुआ। चण्डीगढ़, दादरा नगर हवेली व पुडुचेरी में योजना की सफलता पर अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के क्रियान्वयन को लेकर अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) में आमूल सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है। राशन प्रणाली में सुधार के लिए सबसे पहले फर्जी राशन कार्डों का पता लगाने और उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। राज्यों के सहमत न होने के कारण नकदी योजना की शुरुआत के लिए केन्द्र शासित राज्यों को चुना गया। राशन प्रणाली में सुधार के लिए राशन कार्ड को आधार नम्बर और लाभार्थी के बैंक खाते से जोड़ा गया। इससे फर्जी कार्ड धारकों का पता लगाना आसान हो जायेगा। रियायती दर पर अनाज प्राप्त करने वाले प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में हर महीने 500 से 700 रुपये जमा करा दिए जायेंगे। माना जा रहा है कि इससे राशन प्रणाली में अनाज की चोरी और लीकेज बन्द हो जायेगा। राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड को आधार से जोड़ने में तकरीबन 15 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गये। आन्ध्र प्रदेश में आधार से राशन कार्ड के जोड़ देने से 40 करोड़ रुपये की सीधी बचत हुई। लगभग यही हालत सभी राज्यों की है।⁵²

भारत में हरित क्रांति के जनक **एम0 एस0 स्वामीनाथन** का कहना है कि – “हमें बहुत दुख है कि हमारी सरकार के पास बेहद बड़ी मात्रा में अनाज का भण्डारण होने के बावजूद भूख के कारण मौतें हो रही हैं। एक तरफ अनाज के गोदाम पहाड़ सरीखे भरे पड़े हैं तो वही दूसरी तरफ लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र राज्य में पिछले एक दशक में भूख के कारण दो लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं।”⁵³

उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में भले ही गरीब ज्यादा हो मगर उनसे जुड़ी योजनाओं को लागू करने में तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्य आगे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बद्ध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन0एस0एस0ओ0) की ताजा रिपोर्ट में तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अधिकाधिक गरीब परिवार राशन की दुकानों पर मिलने वाले चावल, गेहूँ, चीनी व केरोसिन का लाभ उठा रहे हैं। इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल जैसे राज्यों में इसका लाभ पाने वाले परिवारों की संख्या काफी कम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व पारिवारिक उपभोग के अन्य स्रोत शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के गाँवों में मात्र 1.7 प्रतिशत तथा

⁵¹ रंजन, नीलू, “गाँव बदहाल, जीना मुहाल”, दैनिक जागरण, 4 जुलाई 2015 पेज – 1

⁵² सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद, “अब राशन की जगह मिलेगी नकदी”, दैनिक जागरण, 10 जुलाई 2013, पेज 19

⁵³ “भूख के कारण मौतों से निराश है, स्वामीनाथन”, दैनिक जागरण, 10 जुलाई 2015 पेज 2

शहरों में 2.2 फीसदी परिवारों ने राशन की दुकानों से चीनी खरीदी। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में यह आँकड़ा काफी अधिक है। बिहार की तुलना राष्ट्रीय औसत से करने से पता चलता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर तीसरे परिवार ने राशन की दुकान से चीनी खरीदी जबकि पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी राशन की दुकानों से चीनी खरीदने वाले परिवारों का प्रतिशत काफी कम है।

राशन की दुकानों से गेहूँ खरीदने वाले परिवारों का प्रतिशत भी अपेक्षा के अनुरूप अधिक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में यह करीब राष्ट्रीय औसत के बराबर है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औसत से मामूली अधिक है। राशन की दुकानों से चावल खरीदने वाले लोगों का प्रतिशत भी बिहार, उत्तर प्रदेश, और बंगाल में कम है। इसका एक कारण यह भी है कि इन राज्यों में 25 से 33 प्रतिशत परिवार अपनी उपज का ही एक हिस्सा अपने उपयोग के लिए रखते हैं। इस तथ्य के बावजूद अधिकांश लोग अपनी चावल की जरूरतें पूरी करने के लिए राशन की दुकानों या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं⁵⁴

गरीबी रेखा तय करने की शुरुआत योजना आयोग ने 1962 में एक कार्यकारी समूह बनाकर की थी। प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 20 रु0 उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना था। 1979 में **वाई0 के0 अलघ समिति** ने गाँवों में 49 रुपये तथा शहरों में 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को गरीब रेखा माना। 1993 में **लकड़ावाला समिति** ने गाँवों में 205 रुपये तथा शहरों में 281 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना। 2009 में **तेंदुलकर समिति** ने गाँवों में 447 रुपये तथा शहरों में 579 रुपये की गरीबी रेखा तय की। तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी रेखा पर विवाद के बाद **रंगराजन समिति** का गठन किया गया। रंगराजन समिति ने गाँवों में 972 रु0 व शहरों में 1407 रु0 मासिक खर्च को गरीबी रेखा माना। अभी तक प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा तय होती है। जो नेशनल सैम्पल सर्वे आफिस के पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर तय होती है। गरीबी उन्मूलन पर नीति आयोग के टास्क फोर्स की सर्वे रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना रिपोर्ट को आधार बनाने पर विचार चल रहा है।

तीन केन्द्र शासित प्रदेशों चण्डीगढ़, दादरा नगर हवेली और पुडुच्चेरी में पी0डी0एस0 में नकद सब्सिडी की पायलट प्रोजेक्ट परियोजना में केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने निम्न परेशानियों की पहचान की है⁵⁵ –

- अगर हम सब्सिडी का भुगतान सीधे करेंगे तो यदि कुछ लोगों को यह नहीं मिलेगा तो देश में हंगामा शुरू हो जायेगा।
- बैंक खाता में यदि सीधे सब्सिडी दे दिया जायेगा तो इस बात की निगरानी कौन करेगा कि उपभोक्ता अनाज खरीद रहे हैं या नहीं। साथ ही अगर खरीद रहे हैं तो किस क्वालिटी का खरीद रहे हैं।

⁵⁴ "गरीब राज्यों में नहीं मिल रहा पी0 डी0 एस0 का पूरा लाभ", दैनिक जागरण 24 जुलाई 2015 पेज -17

⁵⁵ "राशन में नकद सब्सिडी पर अब भी फंसा है पेंच", दैनिक जागरण, 5 अगस्त 2015 पेज - 19

- तीसरी चिन्ता राशन वितरित करने वाली उचित दर की दुकानों को लेकर है। जब लोग कहीं भी अनाज खरीदने को स्वतंत्र होंगे तो इन राशन दुकानों का क्या होगा।

देश में गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न वितरित करने वाले व मातृत्व लाभ योजनाओं पर (पी०यू०सी०एल०) पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्यों से इसका जवाब मांगा है। इसमें स्कूलों में मिड डे मील योजना व बुनियादी सुविधाओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व इमारतों आदि के मसलों को शामिल करने की बात की गई। देश में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 45.2 करोड़ लोगों को सब्सिडी पर 3 रुपये किलो चावल व 2 रुपये किलो गेहूँ की दर पर राशन पाने का अधिकार है। लेकिन कानून में प्रदत्त 365 दिन की समय सीमा बीत जाने के बाद भी लाभार्थियों के पहचान की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तथा खाद्य सुरक्षा कानून पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि वह सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे कि वे मातृत्व लाभ के तहत गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को 6000/- से कम का भुगतान न करें।⁵⁶

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून सितम्बर 2013 में पारित हुआ था, इसके राज्यों में लागू करने के लिए 365 दिन का समय निर्धारित किया गया। 1 सितम्बर 2015 तक यह कानून केवल 18 राज्यों में ही लागू हो पाया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कानून 3 चरणों में लागू कर मार्च 2016 तक पूरा करने का प्रावधान बनाया गया। पहले चरण की शुरुआत 25 जिलों में 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने से देश की 67 फीसदी आबादी को अति रियायती दर पर अनाज मिलेगा।⁵⁷ प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून तीन चरणों में लागू करने के लिए 24 जिलों के एक एक नगरीय क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पी०ओ०एस० (पी०डी०एस० आपरेटिंग सिस्टम) डिवाइस लगाकर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गयी। इसके लिए उचित दर की राशन दुकान स्तरीय सतर्कता समिति में ग्राम प्रधान व चुनाव में द्वितीय स्थान पाने वाले प्रत्याशी के स्थान पर ग्राम सभा की प्रशासनिक समिति के वरिष्ठतम सदस्य को नामित किया जा सकता है। समिति कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। राज्य जिला व ब्लाक स्तरीय सतर्कता समिति में मुख्य विपणन अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी व क्षेत्रीय विपणन अधिकारी सदस्य होंगे।

प्रथम चरण में चयनित जिलों में एक-एक नगरीय क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। इसमें आगरा में फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद में शिकोहाबाद, मैनपुरी में ज्योति खुरिया, मथुरा में राया, जालौन में नदी गाँव, झाँसी में मऊ रानीपुर, ललितपुर में मेहरौनी, बस्ती में हरैया, सन्त कबीर नगर में हरिहरपुर, सिद्धार्थनगर में सोहरतगढ़, मुरादाबाद में भोजपुर धरमपुर, बिजनौर में अफजलगढ़, अमरोहा में जोया, बागपत में टीकरी, बुलन्दशहर

⁵⁶ "सब्सिडी पर अनाज देने की माँग पर नोटिस", दैनिक जागरण, 5 सितम्बर 2015 पेज 12 व 13

⁵⁷ "जब चाहे लागू करे खाद्य सुरक्षा कानून" दैनिक जागरण, 1 अक्टूबर 2015 पेज - 17

में छतारी, जी०बी० पन्तनगर में रबुपुर, गाजियाबाद में निवाड़ी, हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ में दौराला, कानपुर नगर में बिठूर, औरैया जिले में अछल्दा, इटावा में इकदिल, फर्रुखाबाद में कैम्पिल तथा कन्नौज जिले में कन्नौज को शामिल किया गया।⁵⁸

सरकारी उचित मूल्य की दुकानों से होने वाली राशन की कालाबाजारी और चोरी पर अंकुश लगाने के लिए नए फार्मूले के तहत अब प्रत्येक राशन की दुकानों पर पी०ओ०एस० (पी०डी०एस० आपरेटिंग सिस्टम) डिवाइस लगाये जायेंगे। उपभोक्ताओं का डाटाबेस एकत्र कर के ऑनलाइन वितरण व्यवस्था की जायेगी। राशन की दुकान संचालक व सहायक इस मशीन को पासवर्ड से चालू कर सकेंगे। इसे उपभोक्ताओं को राशन वितरण की ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। एल०पी०जी० गैस सब्सिडी के बाद अब केरोसिन, उर्वरक सब्सिडी और सार्वजनिक राशन के दुकानों के जरिए दिए जाने वाले खाद्यान्नों के लिए बैंक में नकद सब्सिडी की व्यवस्था शुरू की जानी है।

बी०पी०एल० व ए०पी०एल० परिवारों के लिए 27 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन नवम्बर 2015 में किया गया। यह खाद्यान्न उन राज्यों को दिया गया जहाँ खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं हो पाया था। केन्द्र के फैसले के अनुसार 30 सितम्बर तक जहाँ पर कानून लागू नहीं हुआ वहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बी०पी०एल० परिवारों को हर माह 2.10 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। गरीबी रेखा के ऊपर (ए०पी०एल०) वाले परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न की मात्रा 4.15 लाख टन मासिक होगी। बी०पी०एल० परिवारों को गेहूँ 4.15 रुपये व चावल 6.65 रुपये प्रति किलो के भाव पर दिया जाता है। ए०पी०एल० के लिए राशन की दुकानों से यह गेहूँ 6.10 रु० व चावल 8.30 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराया जाता है।⁵⁹

जरूरतमंदों को सस्ती दर पर पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बना। इसके तहत अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को पहले की तरह 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न मिलता रहेगा जबकि पूर्व के समय प्रचलित बीपी०एल० व ए०पी०एल० श्रेणी के स्थान पर नई श्रेणी पात्र गृहस्थी का चिन्हांकन किया जाना है। इस श्रेणी के लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिया जाना है जिसके तहत 3 रु० किलो की दर से चावल, दो रुपये किलो की दर से गेहूँ व एक रुपये किलो की दर से मोटा अनाज दिए जाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी को आच्छादित किया जाना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 79.36 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में 64.43 प्रतिशत आबादी को सस्ते दर पर अनाज दिया जायेगा। इस समय सिर्फ अंत्योदय योजना के तहत 40.94 लाख कार्ड धारकों को दो रुपये प्रति किलो गेहूँ व 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है।

⁵⁸ "डिवाइस लगाकर खाद्यान्न वितरण करना होगा" दैनिक जागरण 6 बक्टूबर 2015 पेज 13

⁵⁹ "बी०पी०एल० व ए०पी०एल० को 27 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न" दैनिक जागरण 6 नवम्बर 2015 पेज 20

अंत्योदय अन्न योजना के तहत लगभग दो करोड़ चार लाख की जनसंख्या आच्छादित है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 11 प्रतिशत ही है। बी0पी0एल0 योजना के कार्ड धारकों को 5 रुपये प्रति किलो गेहूँ व 7 रुपये प्रति किलो चावल तथा ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को सिर्फ 7 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ दिया जा रहा है।⁶⁰

4.13 उ0 प्र0 राज्य खाद्य आयाग के गठन का निर्णय :-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 सपटित धारा-40 के तहत 'उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग' के गठन का फैसला करते हुए इसकी नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। यह आयोग जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य व एक सदस्य सचिव होगा। आयोग में कम से कम दो महिलायें होगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हों। इन सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति व एक अनुसूचित जनजाति का होगा। राज्य खाद्य आयोग गठित होने तक खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में अंतरिम राज्य खाद्य आयोग गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से प्रदेश के 24 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया तथा शेष 54 जिलों में योजना 1 मार्च से लागू किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को तीन किलो गेहूँ व दो किलो चावल अर्थात् कुल 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। जिन जिलों में इसे जनवरी से लागू किया। वहाँ सुरक्षित भण्डार की व्यवस्था अगले माह तक अवश्य कर लिया जायेगा। खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता व अनियमितता रोकने के लिए सतर्कता निगरानी समितियों का गठन जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर कराया जायेगा। जिसमें आम नागरिकों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा। प्रत्येक जिले के कम से कम एक नगरीय क्षेत्र के सभी उचित दर की दुकानों के लाभार्थियों की कम्प्यूटर पर फीडिंग करा के पी0ओ0एस0 डिवाइस से वितरण की व्यवस्था शुरू की गयी। प्रथम चरण में शामिल प्रदेश के 28 जिले आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानुपुर नगर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सन्तकबीरनगर व सिद्धार्थनगर है।⁶¹ बुन्देलखण्ड के चित्रकूट धाम मण्डल के कर्वी, महोबा, हमीरपुर, व बांदा को भी शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 22 राज्यों में लागू हो चुका है, शेष राज्यों में 31 मार्च 2016 तक लागू होने का भरोसा दिया। उससे देश में गरीबी दूर होगी तथा 67 फीसदी आबादी को 2 रुपये किलो गेहूँ व 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। यदि यह कानून ईमानदारी से अमल किया गया तो राशन प्रणाली शत-प्रतिशत पारदर्शी हो जायेगी।

⁶⁰ "एक साथ लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून" दैनिक जागरण, 10 नवम्बर 2015 पेज - 11

⁶¹ " 24 जिलों में लागू होगी खाद्य सुरक्षा योजना", दैनिक जागरण, 21 नवम्बर 2015 पेज - 17

प्रत्येक उपभोक्ता बायोमीट्रिक से जुड़ा रहेगा और उसका नाम ऑनलाइन दर्ज होगा। समूची प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होगी। केन्द्र सरकार खाद्यान्न के एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच अनाज की ढुलाई से लेकर राशन दुकानदारों के कमीशन का दायित्व उठायेगी। राशन दुकानों से होने वाली गड़बड़ी और लीकेज रोकने के लिए रियायती दर की दुकानों का आटोमेशन किया होना जरूरी है। अप्रैल 2016 से अब किसी राज्य की अतिरिक्त अनाज की मांग को टुकराया नहीं जायेगा। सभी राज्यों में जून 2016 तक राशन प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।⁶²

पूर्वी राज्यों में अनाज की सरकारी खरीद को पुख्ता बनाने के लिए बेहतर ढांचागत सुविधायें मुहैया कराने पर जोर दिया गया। इनमें खरीद केन्द्र, भण्डारण की सुविधा व चावल मिलों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अनाज की सरकारी खरीद प्रक्रिया के पूर्ण कम्प्यूटरीकृत करने की आवश्यकता बतलायी जा रही है। इससे जहाँ खरीद प्रक्रिया पारदर्शी होगी, वहीं किसानों को बैंकों के द्वारा तेजी से उनकी उपज का भुगतान सम्भव हो सकेगा।

1970 के दशक में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ व चावल की खेती से देश आत्मनिर्भर बना, देश के अनाज गोदाम भरे, लेकिन पीत क्रांति दलहन व तिलहन बिल्कुल नजरन्दाज होता गया। अतः घरेलू जरूरतों को पूरा करने हेतु दाल व खाद्य तेलों के आयात पर लगभग एक लाख करोड़ रुपये खर्च करना पड़ रहा है। गरीबों के प्रोटीन का एक मात्र स्रोत दालें आम लोगों की पहुँच से दूर होने लगी है। उपलब्धता के आभाव में प्रति व्यक्ति दालों की खपत घट गयी है। कुपोषण दूर करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में नीति नियन्त्राओं को इस क्षेत्र में सुधार करना आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिक एम0 एस0 स्वामीनाथन का मानना है कि ऐसी कृषि नीति बननी चाहिए जिससे न केवल किसानों को लाभकारी मूल्य मिले बल्कि लोगों में कैलोरी, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी की समस्या का समाधान भी हो। दाल प्रोटीन का बेहतर स्रोत है, इसका उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ साथ बाजरा का उपयोग स्वास्थ्य के लिए न केवल जरूरी है बल्कि गोल्डेन राइस को भोजन का हिस्सा बनाकर विटामिन ए की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है।⁶³

खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रथम चरण में 28 जिलों, दूसरे चरण में 26 तथा तीसरे चरण में 25 जनपदों में लागू होगा। इसमें पात्र परिवारों को 3,2,1 रुपया प्रति किलो चावल, गेहूँ व मोटा अनाज मिलेगा। इसके लिए सभी पात्र परिवारों को कार्ड जारी किये गये तथा सभी कार्डों पर पहले की तरह चीनी व मिट्टी का तेल दिए जाने की व्यवस्था जारी रहेगी।

उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न वितरण में अंत्योदय कार्ड पर प्रतिमाह दो रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, बी0पी0एल0 कार्ड पर प्रतिमाह 5 रुपये किलो गेहूँ तथा 7 रुपये किलो चावल, तथा ए0पी0एल0 कार्ड पर 7 रुपये प्रति किलो की दर से

⁶² "खाद्य सुरक्षा कानून से दूर होगी गरीबी" दैनिक जागरण, 24 नवम्बर 2015 पेज 13

⁶³ "स्वामीनाथन, एम0 एस0, "वीकनिंग वेलफेयर : द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन इण्डिया", लेपट वर्ल्ड बुक, नई दिल्ली, 2000

गेहूँ का वितरण सुनिश्चित किया जाय। केरोसिन गैस कार्ड धारकों को 3 लीटर प्रतिमाह तथा बिना गैस कार्ड धारकों को 5 लीटर प्रतिमाह के हिसाब से वितरण कराया जाये।⁶⁴

उत्तर प्रदेश में 2015-16 तथा 2016-17 को **किसान वर्ष** घोषित किए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने अप्रैल 2015 में 35 किसानों की आत्महत्या करना स्वीकारा है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 3 लाख या उससे कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को 1, 2, 3 रुपये प्रति किलो क्रमशः मोटा अनाज, गेहूँ व चावल दिया जाना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 80 तथा शहरी क्षेत्र की 65 फीसदी परिवारों को शामिल किया जाना है। जिलापूर्ति विभाग को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से सस्ते अनाज का वितरण किया जायेगा। इसके लिए आनलाइन पंजीकरण के प्रारूप में आधार कार्ड संख्या का ब्योरा भी मांगा गया है लेकिन वे परिवार जिनके पास रहने के मकान नहीं है और वे सड़क के किनारे झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इन परिवारों के पास पते का कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है और क्षेत्रीय पार्षद द्वारा बनाया गया निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड बनवाने में मान्य नहीं होता। इसलिए इन परिवारों का आधार कार्ड बनने में ही समस्या है। अतः सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों के परिवार जिनको सबसे अधिक आवश्यकता है, वे परिवार ऐसी नीतियों से प्रभावित होते हैं।⁶⁵

छत्तीसगढ़, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना के समानान्तर कई अन्य सफल योजनाओं भी चलायी जा रही है। जिनसे जरूरतमंदों को काफी लाभ भी हुआ है। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों को महँगायी की मार से राहत देने के उद्देश्य से अप्रैल 2008 में शुरु की गयी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को अब नया स्वरूप दिया गया है। जून 2013 से लागू नए स्वरूप में गेहूँ और चावल की रियायती दरों को और कम कर दिया गया है तथा आयोडीन युक्त नमक और चीनी को भी इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में लगभग 18 लाख अंत्योदय और 56 लाख बीपीएल परिवारों को मिलाकर प्रति परिवार 5 सदस्य के मान के करीब 3.5 लाख लोगों अर्थात् प्रदेश की आधी आबादी नए स्वरूप में गेहूँ 1.30 किलो, चावल 2 रु0 किलो के मूल्य पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 1 रु0 किलो नमक तथा साढ़े तेरह रु0 किलो की दर से चीनी की आपूर्ति जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है।⁶⁶

4.14 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डों की पहचान :-

खाद्य सुरक्षा के लिए चयनित पात्र लाभार्थियों के राशन कार्डों की पहचान के लिए एक मुहर कार्ड पर लगायी जायेगी। मुहर लगने के बाद प्रारूप में परिवार की मुखिया का नाम भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम व प्रति माह मिलने वाले खाद्यान्न की जानकारी भी मुहर के प्रारूप पर छपी है। इससे कोटेदार को गड़बड़ी करना आसान नहीं होगा। यह मुहर क्षेत्रीय खाद्य कार्यालयों में कार्डों पर लगायी जायेगी। राशन कार्डों में इसी मुहर से कोटेदार के यहाँ इनकी पहचान भी की

⁶⁴ "उचित दरों की दुकान से खाद्य सामग्री उपलब्ध करायें", दैनिक जागरण, 4 दिसम्बर 2015 पेज 13

⁶⁵ "खाद्य सुरक्षा के आवेदन में बाधक बना आधारकार्ड" राष्ट्रीय सहारा, 2 जनवरी 2016 पेज 16

⁶⁶ "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना", दैनिक जागरण, 2 जनवरी 2015 पेज 16

जा सकेगी। कोटेदार चयनित पात्रों का सूची से मिलान करने के बाद उन्हें खाद्यान्न मुहैया करायेगें। उत्तर प्रदेश में अभी दो तरह की मुहरें बनवायी गयी है। एक मुहर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अंत्योदय श्रेणी के कार्डों पर लगेगी। दूसरी खाद्य सुरक्षा श्रेणी में पात्र गृहस्थी के चयनित कार्डों पर लगायी जायेगी। यही पहचान होगी जो दूसरे अपात्र लोगों के राशनकार्डों से इनको अलग रखेगी। बाद में जो लोग राशनकार्ड बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया करने वाले लोग सत्यापन के बाद ही खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र होंगे तथ इन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश के लगभग हर जिले में खाद्य सुरक्षा कानून के बाद ऐसे लोगों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

4.15 मुहर का प्रारूप :-

पिछले वर्ष खाद्य एव रसद विभाग, उ0 प्र0 द्वारा जो नए डिजिटल राशनकार्ड बनाए गए थे, उनके परिवार का मुखिया पुरुष को मानते हुए वही छापा गया था। अब खाद्य सुरक्षा योजना में परिवार की मुखिया के रूप में महिला को प्राथमिकता दी गयी है। ऐसे में विभाग ने जो मुहर बनवायी है उसमें महिला का नाम लिखना अनिवार्य होगा। प्रति माह खाद्यान्न की मात्रा आदि की जानकारी भी मुहर के प्रारूप में हैं। इससे कार्डधारकों को बगैर किसी गड़बड़ी के पूरा अनाज मिल सकेगा।

अंत्योदय श्रेणी को 35 किग्रा तथा पात्र गृहस्थी कार्ड में प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को 10 किलो गेहूँ व 25 किलो चावल मिलेगा जबकि पात्र गृहस्थी वाले कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा। मुहर के प्रारूप में गेहूँ 2 रुपये व चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से मिलने की जानकारी भी शामिल है।⁶⁷ प्रदेश सरकार ने प्राथमिक गृहस्थी की श्रेणी में शामिल कुल 65.84 लाख बी0पी0एल0 लाभार्थियों को अंत्योदय श्रेणी में शामिल करने और इसी अनुसार खाद्यान्न का आवंटन कराने का केन्द्र से अनुरोध किया गया है। साथ ही 7 यूनिटों से अधिक के अंत्योदय योजना के परिवारों को पात्र गृहस्थी में शामिल करने और उसके स्थान पर नए लाभार्थियों को अंत्योदय श्रेणी में शामिल किए जाने की अनुमति केन्द्र से की गयी है।

खाद्य सुरक्षा कानून में जिन परिवारों का चयन हुआ है तथा जिनके डिजिटल राशन कार्ड (2013) अभी नहीं बन पाये है, यदि बने है तो उनमें ज्यादातर त्रुटियां हैं, ऐसे परिवारों को राशन कैसे मिले। इसके लिए खाद्य विभाग ने चयनित परिवारों को अस्थाई राशन कार्ड का ड्राफ्ट प्रारूप देंगे। नया राशन कार्ड बनने तक इसी प्रारूप में खाद्यान्न वितरण की प्रविष्टियाँ भी दर्ज होती रहेगी। खाद्य विभाग के प्रारूप में परिवार की मुखिया के रूप में महिला का नाम अंकित होगा। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण जिसमें यूनिट, पता, जाति आदि की जानकारी रहेगी।

जिन परिवारों को कार्ड मिल चुके है, लेकिन उनमें अगर त्रुटियाँ है तो उनकी कमियाँ भी दूर की जा रही है। चयनित परिवार को ए-4 साइज के कागज के दो हिस्से

⁶⁷ त्रिपाठी धीरज, "राशन कार्डों की पहचान मुहर से" दैनिक जागरण, 16 जनवरी 2016 पेज - 2

में पूर्व में राशन कार्ड बनाने के लिए भरे गये फार्म और आनलाइन डाटा में दर्ज जानकारी को छापकर दिया जायेगा। इनमें से एक प्रारूप को कार्ड धारक से उसे आनलाइन डाटा में दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कराकर वापस ले लिया जायेगा। एक प्रारूप को कार्ड धारक अपने पास रखेंगे जिसके माध्यम से उन्हें खाद्यान्न मिलेगा। यह कार्ड केवल राशन के लिए मान्य होगा न कि पहचान प्रमाण पत्र के रूप में।⁶⁸

कोटेदार या राशन दुकान के मामले में बुजुर्ग, बीमार या पर्दानशीं महिला के मामले में अब राज्य सरकार ने उन्हें एक सहायक भी रखने की छूट दे दी है। प्रदेश के कोटेदारों ने खाद्य सुरक्षा योजना के लिए खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी कराए जाने की मांग की है। राजकीय गोदामों से कोटेदारों को तौलकर अनाज के बोरे नहीं दिए जाते, जिससे हर बोरे में 5 किलो तक कम खाद्यान्न निकलता है। अतः तौल मशीन राजकीय गोदामों में लगाने की मांग उनके द्वारा की जाती है। इसी के कारण वे सभी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नहीं दे पाते हैं, तथा कुछ लोग छूट जाते हैं।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना का प्रथम चरण 1 जनवरी 2016 को 28 जिलों तथा दूसरा चरण 1 मार्च 2016 को शेष 47 जिलों में लागू किया गया है। इसमें दो रुपये की दर से 10 किलो गेहूँ तथा 3 रुपये किलो की दर से 25 किलो चावल दिया जाता है। गांवों की 80 फीसदी आबादी तथा शहरों की 65 फीसदी आबादी को इस योजना का लाभ मिलता है।

महिला ही होगी मुखिया :- खाद्य सब्सिडी के राशन कार्ड सम्बन्धित परिवार की महिला मुखिया के नाम ही बनेंगे। जिस परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलायें होंगी, उन परिवारों में पुरुष के नाम नहीं बल्कि महिला के नाम ही खाद्य सब्सिडी के कार्ड बनेंगे।

ग्रामीण में दो लाख तो शहरी क्षेत्र में तीन लाख की आय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिवार की आमदनी ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये सालाना से कम है और शहरी के पूरे परिवार की आमदनी 3 लाख रुपये से कम हो तभी उनका चयन किया जायेगा। अंत्योदय योजना के तहत जिन लोगों के पास राशनकार्ड है उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा।

पात्र व्यक्ति :- अंत्योदय योजना के सभी राशन कार्डधारक, भिक्षावृत्ति करने वाले लोग, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, कुष्ठ आश्रम एवं मलिन बस्तियों के लोग, स्वच्छकार, भूमिहीन मजदूरों के परिवार कुष्ठ व एड्स रोग से पीड़ित व्यक्ति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (आवेदन के बाद सभी को आय प्रमाण पत्र देना होगा।)⁶⁹

खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्रों तक पहुँच रहा है या नहीं इसकी जाँच रैंडम आधार पर की जायेगी। इसके लिए राशन कार्ड धारकों के मोबाइल नम्बर भी फीड कराके रैंडम आधार पर काल करके चेकिंग की जायेगी। अगर लाभार्थी को समय से

⁶⁸ त्रिपाठी, धीरज, "नए राशन कार्ड की जगह अब अस्थाई प्रारूप", दैनिक जागरण, 28 जनवरी 2016 पेज 6

⁶⁹ "खाद्य सुरक्षा की उल्टी निती शुरु", दैनिक जागरण, 14 फरवरी 2016 पेज 4

राशन नहीं मिला तो फिर सम्बन्धित कोटेदार का लाइसेंस तत्काल निलम्बित किया जायेगा। आमतौर पर राशनकार्ड धारकों की शिकायत रहती है कि कोटेदार ने राशन नहीं दिया या फिर वितरण की सही सूचना नहीं दी। इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए रैंडम सर्वे कराया जायेगा।

कोटेदारों ने खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी की मांग की है। पहले से ही ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 व अंत्योदय कोटे का राशन, तेल कोटेदार खुद ही लाते थे। एफ0सी0आई0 से राशन दुकान तक खाद्यान्न पहुँचाने के लिए केन्द्र सरकार 65 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भाड़ा देती है जबकि प्रदेश में कोटेदारों को 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभांश दिया जा रहा है। कोटेदारों का कहना है कि राज्य सरकार के गोदाम से राशन दुकान तक गल्ला लाने में 30 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान में खर्च हो जाता है। इससे उनका मुनाफा 70 से घटकर 40 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। यदि किसी राशन दुकान पर यदि 1000 राशन कार्ड लगे हैं तो पाँच यूनिट प्रति कार्ड के हिसाब से 250 क्विंटल खाद्यान्न लाना होगा। 30 रुपये भाड़े की दर से कोटेदारों का इस पर हर महीने 7500 रुपये खर्च होगा अर्थात् उनकी कमाई 17500 रु0 से घटकर 10000 रु0 रह जायेगा तो घटतौली व ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ जायेगी।

समूचे उत्तर प्रदेश में 1 मार्च 2016 से खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गयी। अभी तक प्रदेश में ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 व अंत्योदय की तीन श्रेणियों में अनाज का वितरण होता था। लेकिन अब चार कटेगरी हो गयी है। चारों श्रेणियों में अलग-अलग राशन व्यवस्था लागू होगी। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार को परिवार के प्रत्येक सदस्य के अनुसार साढ़े तीन किलो गेहूँ व डेढ़ किलो चावल दिया जायेगा। अभी खाद्य सुरक्षा योजना के नए कार्ड नहीं बने हैं इसलिए पुराने कार्डों पर खाद्य सुरक्षा की मुहर लगाकर चलाया जायेगा। सभी श्रेणी के पुराने कार्डों पर मिट्टी का तेल मिलता था, उसे पात्र परिवारों में पुरानी व्यवस्था के तहत ही तेल दिया जायेगा। पात्र परिवारों को भविष्य में तेल देने या न देने (सब्सिडी नकद देने की पहल जैसी योजना) पर विचार चल रहा है। अंत्योदय योजना की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी यानि प्रत्येक राशन कार्ड पर 10 किलो गेहूँ व 25 किलो चावल के साथ तेल व चीनी भी मिलेगी। बी0पी0एल0, श्रेणी के राशन कार्डों पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन बी0पी0एल0 श्रेणी के जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवार के तौर पर चुने गए हैं उन्हें तो योजना के अनुसार राशन मिलेगा लेकिन जिन परिवारों को योजना में शामिल होने योग्य नहीं माना गया है, उन्हें सिर्फ चीनी व तेल ही दिया जायेगा। इन उपभोक्ताओं को सस्ता राशन नहीं मिलेगा। ए0पी0एल0 राशन कार्डों को पहले की तरह तेल तो मिलता रहेगा लेकिन उनके लिए बीच के वर्ष में अक्सर आने खाद्यान्न वितरण की योजना अब नहीं आयेगी।⁷⁰

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा योजना भले ही अभी नई है, लेकिन कामकाज की पुरानी समस्याओं उठान से लेकर वितरण, आवेदन से लेकर राशन कार्ड बनाने तक की खमियाँ वैसी ही हैं, जैसी पहले थी। प्रदेश में अंत्योदय, बी0पी0एल0 को

⁷⁰ "छूटे बीपीएल परिवारों को मिलेगा चीनी - तेल", दैनिक जागरण, 26 फरवरी 2016 पेज 13

35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड रियायती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती थी जबकि ए0पी0एल0 को उपलब्धता के आधार पर गेहूँ व चावल दिया जाता था। खाद्य सुरक्षा लागू होने पर सिर्फ अंत्योदय व पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड होंगे। पात्र गृहस्थी वाले परिवार को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो खाद्य सामग्री मिलेगी। चावल के लिए 3 रुपये व गेहूँ के लिए 2 रुपये के हिसाब से भुगतान करन पड़ेगा। जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो ग्राम खाद्यान्न मिलता रहेगा।

बी0पी0एल0, अंत्योदय व ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं के लिए पूर्व में सरकार ने 3,00,559 मीट्रिक टन गेहूँ व 2,26,736 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराती थी। खाद्य सुरक्षा अधि0 2013 के लागू होने के बाद प्रदेश में 4,46,799 मीट्रिक टन गेहूँ व 2,67,394 टन 2016 में चावल आवंटित किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में 35 फीसदी अधिक है।⁷¹ प्रदेश में 1 मार्च 2016 तक 40,94,500 अंत्योदय परिवार चिन्हित हुए जिनकी आबादी 1,64,33,590 है। पात्र गृहस्थी योजना के लिए 11,41,77,071 आबादी चिन्हित हुई है। पात्र गृहस्थी की पहचान का कार्य अभी चल रहा है, भविष्य में तकरीबन 75 फीसदी जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। बुन्देलखण्ड में सूखे की स्थिति को देखते हुए चित्रकूट मण्डल में 79 फीसदी आबादी व झांसी मण्डल में 69 फीसदी आबादी को चिन्हित किया जा चुका है।

भोजन की गारंटी देने के लिए भले ही ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80 और शहरी क्षेत्र में 65 फीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया गया हो, लेकिन इससे प्रदेश में गरीबों की संख्या नहीं बढ़ेगी। राज्य सरकार के आँकड़ों में जितने गरीब योजना शुरू होने से पहले 31 दिसम्बर 2015 को थे, उतने ही आज भी है। खाद्य सुरक्षा योजना शुरू होने से पहले प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे की केवल दो श्रेणियों के उपभोक्ता थे— बी0पी0एल0 व अंत्योदय। बी0पी0एल0 श्रेणी के तहत 64.68 लाख राशन कार्डों के जरिए 2.49 करोड़ व्यक्ति और अंत्योदय योजना के अन्तर्गत 40.81 लाख राशनकार्डों के जरिए 1.62 करोड़ गरीबों को रियायती राशन मिल रहा था। विभिन्न सरकारी योजनाओं व चिकित्सा सेवाओं का लाभ उन्हें इन्हीं कार्डों से दिया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बी0पी0एल0 श्रेणी को खत्म कर दिया गया। आपूर्ति विभाग ने अंत्योदय श्रेणी के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया गया है। जबकि बड़े पैमाने पर बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार भी इसी योजना से जुड़ गए हैं।

कुछ बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर भी किए गए। खाद्य सुरक्षा योजना के सर्वेक्षण के दौरान जिन बी0पी0एल0 परिवारों को मानकों के अनुरूप नहीं माना गया, वे बाहर रह गए हैं। इन परिवारों को न तो खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला और न ही इनके लिए पहले की तरह बी0पी0एल0 कोटे का राशन आ रहा है। इन बी0पी0एल0 परिवारों को चीनी व मिट्टी का तेल मिलेगा। बी0पी0एल0 सूची

⁷¹ "यह है पात्र गृहस्थी व अंत्योदय श्रेणी", दैनिक जागरण, 2 मार्च 2016 पेज 11

यथावत रहेगी और गरीबों की संख्या भी प्रदेश में इसी सूची के अनुसार ही मानी जायेगी।⁷²

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही करने के लिए प्रदेश में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था शीघ्र लागू की जायेगी। तथा शहरी क्षेत्र में डिवाइस सिस्टम भी लगाया जायेगा। कोटेदारों का लाभांश अब 70 रु0 प्रति क्विंटन होने से भ्रष्टाचार रोका जायेगा। खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल अंत्योदय श्रेणी के कार्डों को छोड़कर शेष बी0पी0एल0 व ए0पी0एल0 कोटे में लगभग प्रदेश के हर जिले में लाभार्थियों की पहचान की समस्या अभी भी विद्यमान है। केन्द्र सरकार के मार्च 2019 तक देश की सभी 5.35 लाख उचित दर की दुकानों में स्वचालन सुविधाएं (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) लागू करने का लक्ष्य है। अभी तक 91 हजार ऐसी दुकानों में यह सुविधा शुरू हो पायी है। मार्च 2017 तक जन वितरण प्रणाली की उचित दर की 3 लाख दुकानों में स्वचालन सुविधाएं लागू करने का लक्ष्य है, जबकि खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण करने की योजना प्रयोग के तौर पर 3 केन्द्र शासित प्रदेशों चण्डीगढ़, पुडुच्चेरी और दादरा और नगर हवेली में शुरू की गयी है।⁷³

उत्तर प्रदेश सरकार हर गरीब को राशन उपलब्ध कराने को लेकर गम्भीर है। जून 2016 तक पात्र गृहस्थी योजना के तहत हर गरीब को सरकार राशन उपलब्ध करा देगी। 2013 में लागू खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले बी0पी0एल0 सूची से छूटे उन सभी गरीबों को पात्र गृहस्थी योजना से जोड़ने का काम अभी जारी है। 1 जनवरी 2016 को 28 जिलों तथा मार्च 2016 को शेष 47 जिलों में इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। राशन कार्ड में फीडिंग में देरी हो रही है। दोहरी व्यवस्था के चलते वितरण व्यवस्था में गरीबों को राशन मिलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के प्रयास भी चलाये जा रहे हैं।

अभी प्रदेश के लगभग हर जिलों में राशन कार्डों की फीडिंग व जांच प्रक्रिया जारी है। अतः राशन उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था भी बनायी गयी है। जिनके कार्ड जमा हैं या नहीं हैं, उनको अस्थायी कार्ड बनाकर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। डाटा फीडिंग का कार्य जून 2016 में समाप्त करके सभी को कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में कुल 4 करोड़ 30 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य है। अब गरीबों का राशन कालाबाजारी कर के बाजार में नहीं बिक सकेगा, इसके लिए कोड सिस्टम लागू कर वितरण पर निगरानी की अन्तर्जनपदीय जाँच टीमों गठित की गयी है। जाँच दल में सम्बन्धित जिले के बजाय बाहरी जिले की टीमों लगायी जा रही है।⁷⁴

प्रदेश सरकार ने 75 में से 50 सूखाग्रस्त घोषित जिलों में 6 माह तक सरस्ते दर से गेहूँ, चावल और अंत्योदय कार्ड धारकों को अरहर की दाल व सरसों का तेल न होने पर सरसों उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। राज्य की आर्थिक

⁷² "प्रदेश कि नहीं बदलेगी गरीबों की संख्या" दैनिक जागरण, 3 मार्च 2016 पेज 3

⁷³ "राष्ट्रीय सहारा, 12 मार्च 2016 पेज 14

⁷⁴ "पात्र गृहस्थी के माध्यम से जून तक हर गरीब को राशन" राष्ट्रीय सहारा 12 मार्च 2016 पेज 9

स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने खर्च पर सूखाग्रस्त जिलों में सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें। अलबत्ता वितरण, परिवहन व मार्जिन मनी पर व्यय होने वाली राशि वहन करने को राज्य सरकार तैयार है। विगत 10 वर्षों में हर दूसरे वर्ष सूखे की स्थिति से खाने-पीने की समस्या के साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव की आशंका है। सूखाग्रस्त जिलों में 28 लाख परिवार अंत्योदय श्रेणी के हैं। इन परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 32 हजार मीट्रिक टन गेहूँ व 68 हजार मीट्रिक टन चावल की खपत होगी। सूखाग्रस्त जिलों की कुल जनसंख्या में से अंत्योदय श्रेणी की जनसंख्या घटाने पर 11 करोड़ की जनसंख्या शेष रह जाती है।

राज्य सरकार का मानना है ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 का भेद किए बगैर इन सभी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 का लाभ दिया गया। 3 किलोग्राम गेहूँ व 2 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का वितरण 6 माह तक कराये जाने की आवश्यकता है। सूखाग्रस्त जिलों के समस्त अंत्योदय परिवारों को व पात्रों के लिए दो किग्रा अरहर की दाल व 1 किग्रा खाद्य तेल प्रति परिवार के हिसाब से हर माह वितरित कराया जाए। इसके लिए प्रतिमाह 37 हजार मीट्रिक टन गेहूँ 29 हजार मीट्रिक टन चावन, 38 हजार मीट्रिक टन अरहर की दाल व 1.89 करोड़ लीटर खाद्य तेल की आवश्यकता है।

यदि खाद्य तेल उपलब्ध कराना सम्भव न हो तो विकल्प के तौर पर 2 किलो प्रति परिवार सरसों, अलसी या तिल हर माह बाँटने के लिए 38 हजार मीट्रिक टन सरसों सब्सिडी युक्त निम्न दर पर आवंटित कराई जाय। इसे 50 सूखाग्रस्त जिलों में नागरिकों को विषम परिस्थितियों से उबरने में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।⁷⁵

प्रदेश के सूखाग्रस्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यदि भूख से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो सीधे जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय कर दण्डित किया जायेगा। बांदा, महोबा व बुन्देलखण्ड के सूखा प्रभावित अंत्योदय परिवारों को खाद्य सामग्रियों के राहत पैकेज योजना का शुभारम्भ भी किया गया है। लाभार्थियों को राहत पैकेट देने के लिए पारदर्शी व्यवस्था अपनाने पर भी बल दिया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे से प्रभावित अंत्योदय परिवारों की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में समाजवादी सूखा राहत सामग्री वितरण योजना संचालित की है। इसके तहत प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 10 किलो आटा, 5 किलो चावल 5 किलो चने की दाल, 5 ली0 सरसों का तेल, 25 किलो आलू, 1 किलो शुद्ध देशी घी, 1 किलो मिल्क पाउडर, चीनी, हल्दी व नमक दिया जायेगा। यह सामग्री बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सातों जिलों में 2 लाख 30 हजार अंत्योदय परिवारों को अगले 3 माह तक निःशुल्क दिए जायेंगे। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सभी गरीब परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जाए। बुन्देलखण्ड में सूखा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 रुपये व 3 रुपये प्रति किलो गेहूँ व चावल की दर से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न का भुगतान, मनरेगा के तहत 100 के स्थान

⁷⁵ केन्द्र से मांगा गेहूँ, चावल और दाल, दैनिक जागरण, 17 मार्च 2016 पेज 11

पर रोजगार दिवस की संख्या बढ़ाकर 150 दिन तथा पात्र परिवारों को शत प्रतिशत समाजवादी पेंशन योजना के तहत आच्छादित करने का फैसला पूर्व में लिया जा चुका है।⁷⁶

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है और पात्र परिवारों को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है। बुन्देलखण्ड में 39060.105 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। यह आवंटन 73.64 फीसदी आबादी के लिए पर्याप्त है। 31 मार्च 2016 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हित लाभार्थियों की कुल संख्या कुल जनसंख्या के सापेक्ष 76.92% है। इसी के अनुरूप खाद्यान्न आवंटन की केन्द्र सरकार से मांग की गयी है। फसलों की क्षति के लिए 1261.04 करोड़ राष्ट्रीय आपदा निधि से स्वीकृति करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। बुन्देलखण्ड के 7 जिलों के 2.30 लाख अंत्योदय परिवारों को समाजवादी सूखा राहत बाँटने की योजना चलायी जा रही है। किसी भी स्थिति में यदि भूख से मृत्यु हुई तो डी0एम0 पद नहीं उस व्यक्ति के रूप में जिम्मेदारी माने जायेंगे।⁷⁷

अंत्योदय लाभार्थियों में से जिन परिवारों की आजीविका आपदा से प्रभावित हुई है, उन परिवारों को राहत सामग्री/राहत पैकेट बाँटा जा रहा है व पशुओं के चारे के लिए प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ दिए गये हैं। मनरेगा के मानव दिवस को सौ से बढ़ाकर 150 दिन किए गये हैं। प्रदेश के बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव है। सूखे व भयंकर वारिश व बाढ़ को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनायी जानी चाहिए। बुन्देलखण्ड में अंत्योदय लाभार्थियों को दिए जाने वाले राहत किट की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई जगहों पर किट में से घी गायब मिला तो कहीं दाल में मटर मिली हुई मिली। बुन्देलखण्ड के अंत्योदय परिवारों को दिए जाने वाले राहत पैकेट में 10 किलो आटा, 5 किलो चने की दाल, 1 किलो देशी घी, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो मिल्क पाउडर और 25 किलो आलू के अलावा अब 10 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो चानी व 200 ग्राम हल्दी को भी शामिल किया गया है।⁷⁸ इस प्रकार सूखा प्रभावित पीड़ितों को हर महीने 59.20 किलोग्राम राहत सामग्री मिल रही है।

खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने से समर्थन मूल्य बढ़ने, सरकारी खरीद, ढुलाई, भण्डारण और राशन प्रणाली की लगातार वृद्धि होने से बड़ी खाद्य सब्सिडी से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। एफ0सी0आई0 के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित 1.03 लाख करोड़ रुपये के बजट के अतिरिक्त 32 हजार करोड़ की और आवश्यकता होगी। गेहूँ का समर्थन मूल्य 75 रुपये बढ़कर 1525 रुपये प्रति क्विंटल होने से एफ0सी0आई0 की लागत में भी वृद्धि हो रही है।⁷⁹

⁷⁶ "बुन्देलखण्ड के 80 लाख परिवारों को समाजवादी सूखा राहत सामग्री" दैनिक जागरण 20 अप्रैल 2016 पेज 11

⁷⁷ भूख से मौत पर डी एम होंगे जिम्मेदार, दैनिक जागरण, 6 मई 2016, पेज - 15

⁷⁸ बुन्देलखण्ड के अंत्योदय परिवारों को चीनी, हल्दी, नमक भी मुफ्त, दैनिक जागरण 4 मई 2016, पेज - 9

⁷⁹ सिंह सुरेन्द्र प्रसाद, "खजाने की सेहत विगाड़ेगा खद्य सुरक्षा कानून" दैनिक जागरण 5 अप्रैल 2016 पेज 15

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने पर दो तरह की कमियाँ दिखलायी देती हैं –

1. पात्र परिवारों के चयन में हर जिले में गड़बड़ियाँ हुई हैं। हर जिले में सतही सर्वेक्षण व अव्यवस्थित तरीके से फीडिंग की गयी। इसमें पात्र परिवारों से न तो पर्याप्त दस्तावेज जमा कराए गये, न ही ठीक तरह से सत्यापन कराया गया। इसके कारण अधिकतर जिले में सूची ही अविश्वसनीय हो गयी है।
2. दूसरी कभी राशन के उठान की है। राज्य खाद्य निगम (एस0एफ0सी0) की वेबसाइट बताती है कि दो दर्जन जिलों में भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) से उठान कर राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन कई जिलों में उसके एस0एफ0सी0 शायद ही कभी रोस्टर के अनुसार यह काम कर पाया हो। आर0एफ0सी0 और एस0एफ0सी0 के काम का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद शासन को यह तय करना चाहिए कि यह काम दोनों सस्थाओं में से किससे कराना बेहतर होगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राज्य कार्यकारिणी की 16वीं बैठक में 332 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति की गयी। योजनाओं में लाभार्थी किसानों के नाम सम्पूर्ण विवरण सहित वेबसाइट पर डालने पर जोर दिया गया है। 2016-17 में प्रस्तावित योजना में केन्द्रांश 60 प्रतिशत व राज्यांश 40 प्रतिशत का अनुपात है। इसमें चावल, दलहन, गेहूँ, मोटा अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ के उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य है। दलहन के लिए बुन्देलखण्ड व विंध्य क्षेत्र सहित 10 जिले भी चिन्हित किए गये हैं, जहां प्राथमिकता से कार्य होगा।

4.16 इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सल (ई0पोस) मशीन या बायोमीट्रिक मशीन रखेगी राशन वितरण का हिसाब :-

खाद्यान्न बिक्री का हिसाब रखने और इससे जुड़ी सूचनाएँ सुरक्षित रखने के लिए विकसित देशों के शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और दुकानों में इस्तेमाल होने वाली ई0पोस (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल) मशीन जून, 2016 से प्रदेश की सभी राशन की दुकानों पर भी लगायी जायेगी। इसके पहले चरण में लखनऊ व कानपुर के नगरीय क्षेत्र के साथ प्रदेश के 25 जिलों के एक एक टाउन एरिया में इसका इस्तेमाल शुरू हो जायेगा। ई0पोस मशीन में स्क्रीन और की बोर्ड के साथ स्कैनर व थंब इंप्रेशन की भी व्यवस्था है। इस मशीन के लिए आई0 टी0 विभाग की ओर से यूपी डेस्को से टेडर प्रक्रिया पूरी कराकर जून से मशीन का इस्तेमाल शुरू किया जायेगा।⁸⁰

कैंग ने अपनी अप्रैल 2016 की रिपोर्ट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन में देरी तथा संसद की मंजूरी के बिना ही इसके कार्यान्वयन की अवधि 3 बार बढ़ाए जाने के लिए केन्द्र सरकार की खिंचाई की है। कैंग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 18 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में इस कानून के कार्यान्वयन को लेकर तैयारियों का

⁸⁰ ई-पोस मशीन रखेगी राशन वितरण का हिसाब, दैनिक जागरण, 14 अप्रैल 2016 पेज 14

आकलन किया। यह कानून 5 जुलाई 2013 को प्रभावी हुआ और अब तक 33 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है। कैंग ने कहा कि सभी राज्यों ने लाभान्वितों की पहचान उचित ढंग से नहीं की है। इसमें योजना निर्माण के दौरान तथा कानून के लागू होने के बाद राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने में विफल रहने के लिए केन्द्र को दोषी माना है। इसके कारण अनेक राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में इसके क्रियान्वयन में देरी हुई। इस कानून के तहत 31.34 करोड़ लाभान्वितों को खाद्यान्न 1-3 रु0 प्रति किलो की सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराया जाना था। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव लाना है जिसमें अनेक कमियाँ हैं। कैंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कानून को प्रभावी होने के ढाई साल बाद भी केवल 18 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों ने इसका कार्यान्वयन शुरू किया है। केवल 51 प्रतिशत पात्र लाभान्वितों को ही चिन्हित किया गया है और सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा 49 प्रतिशत लाभान्वितों को अभी भी चिन्हित करना है।⁸¹

विगत 10 वर्षों में देश के काफी हिस्से सूखा, अकाल व भुखमरी आदि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और चुस्त-दुरुस्त करने की वकालत की है। देश के सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अब तक कोई नीति नहीं थी लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून 13 के बाद इसे प्रभावी रूप से लागू करने पर सरकारें को जोर देना चाहिए। केन्द्र व राज्य सरकारों को खाद्यान्न के उचित भण्डारण के साथ कुशल वितरण का प्रबन्ध भी करना चाहिए तथा खाद्यान्नों की बर्बादी से बचना चाहिए। उसने केन्द्र सरकार की रिपोर्ट को हवाला देते हुए बताया कि 10 राज्यों के 254 जिले सूखे से जूझ रहे हैं तो उनकी एक चौथाई आबादी जो बुरी तरह से प्रभावित है, उनमें जरूरतंद लोगों को खद्यान्न का वितरण पी0डी0एस0 प्रणाली द्वारा निष्पक्षता से किया जाना चाहिए।

भारत में तेज आर्थिक विकास और कुछ पात्रताओं या हकदारियों के बावजूद भारत के गरीब ग्रामीण भयावह वंचना और खाद्य असुरक्षा का जीवन जीने को विवश है। भुखमरी, कुपोषण आदि समस्याओं से बचाव का सबसे आसान तरीका मनरेगा, पी0डी0एस0 व स्कूल में भोजन मुहैया कराने का बेहतर बंदोबस्त या सुविधाएं दी जानी चाहिए। सरकारी स्रोतों के अनुसार देश के 10 राज्यों में सूखा है तथा 33 करोड़ आबादी के सामने रोजी-रोटी का संकट है। गैर सरकारी स्रोतों के अनुसार 14 राज्यों में 56 करोड़ आबादी संकट में है। इनके भावी जीवन को भुखमरी व गरीबी से बचाए रखना भी जरूरी है। आज भारत बेहतर स्थिति में है कि उसके पास सार्वजनिक समर्थन का मजबूत आधार है। इसे सूखे व भुखमरी को दूर करने में इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए।⁸²

⁸¹ "कैंग ने की केन्द्र की खिचाई" राष्ट्रीय सहारा 30 अप्रैल 2016 पेज 13

⁸² द्रेज ज्यां, "कार्यवाही का सूखा", राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप, 30 अप्रैल 2016 पेज 1

बस्ती जनपद में खाद्य सुरक्षा और सर्वजनिक वितरण प्रणाली

5.1 सामान्य परिचय :-

बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश राज्य के (पूर्वी उत्तर प्रदेश) पूर्वांचल का काफी पिछड़ा जिला है। प्राचीन काल में बस्ती मूलतः वैशिष्टी के रूप में जाना जाता था। वैशिष्टी नाम वशिष्ठ ऋषि के नाम से बना है, जिनका आश्रम यही पर था। वर्तमान नाम बस्ती राजा कल्हण द्वारा 16वीं सदी में चयनित किया गया था। 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बन गया तथा 1865 में यह नव स्थापित जिला बना था।¹

5.2 भौगोलिक स्थिति और सीमा :-

बस्ती जिला 26⁰23 और 27⁰30 उत्तरी अक्षांश तथा 82⁰17 और 83⁰20 पूर्वी देशान्तर के बीच उत्तर भारत में स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लम्बाई 75 किमी० है तथा पूर्व से पश्चिम में लगभग 70 किमी० की चौड़ाई है। बस्ती जिला पूर्व में नव निर्मित जिला सन्त कबीर नगर और पश्चिम में निर्मित जनपद गोंडा के बीच स्थित हैं। दक्षिण भाग में घाघरा नदी इस जिले को फैजाबाद जिले और नव निर्मित जिले अम्बेडकर नगर जिले से अलग करती है। जबकि उत्तर में यह सिद्धार्थ नगर जिले से घिरा हुआ है।²


जलवायु एवं नदियाँ :-

बस्ती जिले के मौसम को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य नवम्बर से फरवरी तक सर्दी का मौसम, मई से जून गर्मी का मौसम, जुलाई से सितम्बर के अन्त तक मानसून का मौसम, मध्य नवम्बर से अक्टूबर मानसून का मिलन मौसम है। तराई क्षेत्र होने के कारण सर्दियों में घना कोहरा रहता है, तो गर्मियों में भयंकर लू बहती है।

¹ बस्ती, उत्तर प्रदेश – विकीपीडियां

² www.basti.nic.in

5a. बस्ती जनपद का मानचित्र



Source: WWW.mapsofindia.com

वर्षा :- जिले में औसत वार्षिक वर्षा 1166 मिमी० है।

तापमान :-

सर्दियों के मौसम के दौरान औसत न्यूनतम तापमान लगभग 9–15^० डिग्री सेल्सियस है और गर्मी के मौसम के दौरान कम से कम 25^० डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि अधिकतम 45^० डिग्री सेल्सियस है।

आर्द्रता :-

दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में सापेक्षिक आर्द्रता 70 प्रतिशत से उपर हो जाती है तो गर्मियों में हवा बहुत ही शुष्क रहती है।

हवाएँ :-

जिले में औसत वार्षिक हवा की गति 2 से 7.1 किमी⁰ /घंटे पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती रहती है। कभी-कभी गर्मियों के मौसम के शुरुआत में तेज आंधी भी 50 से 80 किमी⁰/घंटे की गति से चलती है।

नदियाँ/सहायक नदियाँ :-

बस्ती जिले के सहायक नदियों में रवाई, मनवर, मनोरमा आदि है। रवाई दाहिने किनारे पर कुवानो से मिलती है और अमोढ़ा के उत्तर में निकलती है। इसके किनारे में रेह बहुत पाये जाते हैं। मनोरमा गोण्डा से निकलती है। जिले की सीमा के टिकरी जंगल के किनारे के साथ पूर्व दिशा की ओर बहती है। यह नदी गोण्डा और बस्ती को अलग करती है। कठनाई अपने बांये किनारे पर कुआँनो नदी द्वारा निकलती है। जो नगर पूर्व की इकाइयों के साथ उस की सीमाओं के साथ दक्षिण पूर्व की ओर दिशा में बहती है। आमी नदी राप्ती की प्रमुख सहायक नदी हैं। आमी नदी धान भूमि का एक बड़ा तंत्र हैं। जिले के दक्षिणी भाग में घाघरा नदी की सहायक सरयू नदी बस्ती और अम्बेडकर नगर की सीमा तय करती हैं। वर्षा काल में बाढ़ अति वृष्टि व जल भराव जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण अधिकांश फसलें पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं, जिससे खाद्यान्न का संकट जिले में उत्पन्न होता हैं। जिसके कारण जिले की अधिकांश आबादी के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो जाता है।

5.3 जनसांख्यिकी :-

उ०प्र० के बस्ती जिले की कुल जनसंख्या 24,64,464 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थी। इसमें क्रमशः 12,55,272 पुरुष तथा 12,09,192 महिला आबादी थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी 20,84,814 थी, जिनमें 10,75,765 पुरुष तथा 10,09,049 महिलायें थीं। बस्ती जनपद के कुल जनसंख्या का 1.23 प्रतिशत महाराष्ट्र की आबादी थी। 2001 की जनगणना के लिए यह आंकड़ा महाराष्ट्र की 1.25 प्रतिशत थी। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या में वृद्धि 18.21 प्रतिशत थी तथा 1991 की तुलना में 2001 में जनसंख्या वृद्धि 23.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

तालिका – (5.1) बस्ती जिला की जनसंख्या 2011 की जनगणना में (बस्ती उ०प्र० की) साक्षरता, लिंग अनुपात और जन घनत्व³

| विवरण | वर्ष 2011 | वर्ष 2001 |
|--|-----------|-----------|
| वास्तविक आबादी | 2464464 | 2084814 |
| पुरुष | 1255272 | 1075765 |
| महिला | 1209192 | 1009049 |
| जनसंख्या वृद्धि | 18.21% | 23.63% |
| क्षेत्रफल (वर्ग किमी०) | 2688 | 2688 |
| जनसंख्या घनत्व (किमी०) | 917 | 776 |
| उत्तर प्रदेश जनसंख्या का अनुपात | 1.23% | 1.25% |
| लिंग अनुपात (प्रति 1000) | 963 | 938 |
| बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष आयु) | 929 | 938 |
| औसत साक्षरता | 67.22% | 52.49% |
| पुरुष साक्षरता | 77.88% | 67.10% |
| महिला साक्षरता | 56.23% | 36.92% |
| कुल बच्चों की जनसंख्या (0-6 वर्ष की आयु) | 390969 | 406881 |
| पुरुष जनसंख्या (0-6 वर्ष की आयु) | 202683 | 209904 |
| महिला जनसंख्या (0-6 वर्ष की आयु) | 188286 | 196977 |
| साक्षर | 1393783 | 880827 |
| पुरुष साक्षर | 819719 | 580987 |
| महिला साक्षर | 574064 | 299840 |
| बाल अनुपात (0-6 वर्ष की आयु) | 15.86% | 19.32% |
| लड़कों का अनुपात (0-6 वर्ष की आयु) | 16.15% | 19.51% |
| लड़की का अनुपात (0-6 वर्ष की आयु) | 15.57% | 19.52% |

Source: <http://www.census2011.co.in/census/district/556-basti.html>

³ जनगणना रिपोर्ट – बस्ती 2011, (सेन्सेस डाटा बस्ती – 2011)

बस्ती जिले में जनसंख्या घनत्व 2011 में प्रति वर्ग किमी0 क्षेत्र में 917 लोगों का है, जो कि वर्ष 2001 की जनगणना में 776 था। बस्ती जिले का कुल क्षेत्रफल 2688 वर्ग किलोमीटर है।

बस्ती जिले की औसत साक्षरता दर 2011 में 67.22% थी, जो 2001 की तुलना में 52.49% से काफी बढ़ी। इनमें पुरुष साक्षर 77.88% तथा महिला साक्षर 56.23% थी। जो 2001 की जनगणना में पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 67.10% तथा 36.92% ही था। बस्ती जिले में कुल साक्षर 1393783 थे। जिनमें पुरुष व महिला क्रमशः 819719 व 574064 थे, तो वहीं वर्ष 2001 में कुल 830827 ही साक्षर थे।

बस्ती जिले में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 2011 में 963 थी। जो कि 2001 की जनगणना में 938 थी। भारत में औसत राष्ट्रीय लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 940 है। 2011 की जनगणना में शिशु लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 938 लड़कियों की तुलना में बस्ती जनपद में 1000 पुरुषों पर 929 लड़कियों थी।

5.3 बस्ती जिले में बच्चों की जनसंख्या 2011 :-

2011 की जनगणना में जिले में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे 390966 थे जबकि 2001 में 406881 बच्चे ही थे। इनमें कुल 390966 में पुरुष व महिला क्रमशः 202683 व 188286 थे। बाल लिंग अनुपात 2011 में 929 की तुलना में 2001 की जनसंख्या में 938 था। 2011 में 0-6 वर्ष के बच्चे की संख्या कुल जनसंख्या का 15.86% था, जो 2001 की जनगणना में 19.51% था अर्थात् इनमें 3.66% की कमी दर्ज की गयी।

बस्ती जनपद में बेघर लोगों की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 451 परिवार फुटपाथ पर या बगैर किसी छत के नीचे निवास करते थे। 2011 की जनगणना के तहत यह आंकड़ा 2025 है, जो बगैर छत के निवास करते हैं तथा जो बस्ती जनपद की कुल जनसंख्या का 0.08 प्रतिशत हैं।

तालिका – (5.2) बस्ती जनपद में धर्म के अनुसार आंकड़ा – 2011 जनगणना

| विवरण | कुल | प्रतिशत |
|--------------|---------|---------|
| हिन्दू | 2082976 | 84.52% |
| मुस्लिम | 364510 | 14.79% |
| इसाई | 3493 | 0.14% |
| सिख | 900 | 0.04% |
| बौद्ध | 9753 | 0.40% |
| जैन | 107 | 0.00% |
| अन्य | 99 | 0.00% |
| कुछ नहीं कहा | 2626 | 0.11% |

Source: <http://www.census2011.co.in/census/district/556-basti.html>

बस्ती जनपद में 2011 की जनगणना के तहत कुल जनसंख्या 24,64,464 थी।

5.4 बस्ती जिला शहरी और ग्रामीण वर्ष-2011 :-

बस्ती जनपद में कुल जनसंख्या का 5.60 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है। जिसके तहत कुल 1,38,097 लोगों में 72426 पुरुष तथा 65,671 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के तहत शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 907 है। इसी प्रकार बस्ती जनपद में बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के तहत 904 है। शहरी क्षेत्र के बच्चों की कुल आबादी (0-6 वर्ष) आयु की 16,283 में पुरुष व महिला क्रमशः 8551 तथा 7732 था। बस्ती जिले में बच्चों की जनसंख्या का यह आंकड़ा कुल शहरी जनसंख्या का 11.81% है। जिले में औसत साक्षरता दर 82.47% में पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 88.05% व 76.33% है। शहरी क्षेत्र में साक्षरों की संख्या 1,00,464 है, जिनमें महिला व पुरुष क्रमशः 44224 व 56240 है।

2011 की जनगणना के तहत बस्ती जिले में 94.40% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। बस्ती जिले की कुल आबादी में 2326367 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। जिनमें क्रमशः पुरुष व महिला 1182846 व 1143521 हैं। बस्ती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 967 महिलाएं है। बाल लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 930 लड़कियां है। 0-6 वर्ष के बच्चों की कुल आबादी 374686 में पुरुष व महिला क्रमशः 194132 व 180554 है। बच्चों की आबादी बस्ती जिले की कुल ग्रामीण आबादी का 16.41% शामिल है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर 66.27% है। पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः 77.22% व 55.02% है। कुल ग्रामीण जनसंख्या में 1293319 लोग साक्षर है, जिनमें पुरुष व महिलाएं क्रमशः 763479 व 529340 है।⁴

⁴ http://census2011.co.in/census/district/556_basti.html 5/8

तालिका – (5.3) बस्ती जिले में ग्रामीण व शहरी जनगणना-2011

| विवरण | ग्रामीण | शहरी |
|-------------------------------|---------|--------|
| जनसंख्या (प्रतिशत) | 94.40% | 5.60% |
| कुल जनसंख्या | 2326367 | 138097 |
| पुरुष जनसंख्या | 1182846 | 72426 |
| महिला जनसंख्या | 1143521 | 65671 |
| लिंग अनुपात | 967 | 907 |
| बाल लिंग अनुपात (0-6) | 930 | 904 |
| बच्चों की जनसंख्या (0-6) | 374686 | 16283 |
| पुरुष बच्चे (0-6) | 194132 | 8551 |
| महिला बच्चे (0-6) | 180554 | 7732 |
| बच्चों का प्रतिशत (0-6) | 16.11% | 11.79% |
| पुरुष बच्चों का प्रतिशत (0-6) | 16.41% | 11.81% |
| महिला बच्चों का प्रतिशत (0-6) | 15.79% | 11.77% |
| साक्षरता/साक्षर | 1293319 | 100464 |
| पुरुष साक्षर | 763479 | 56240 |
| महिला साक्षर | 529840 | 44224 |
| औसत साक्षरता (प्रतिशत) | 66.27% | 84.47% |
| पुरुष साक्षरता (प्रतिशत) | 77.22% | 88.05% |
| महिला साक्षरता (प्रतिशत) | 55.02% | 76.33% |

Source: <http://www.census2011.co.in/census/district/556-basti.html>

उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र (तराई क्षेत्र) काफी पिछड़ा और गरीब है। बस्ती जनपद भी उसका एक हिस्सा है। मानसून के समय गर्मियों में अत्यधिक वर्षा व जल भराव के कारण खरीफ व जायद की अधिकांश फसल नष्ट हो जाती है तथा रबी की फसल के समय भयंकर सूखा भी खाद्यान्न असुरक्षा की वृद्धि का कारण बनते हैं। बस्ती जनपद में 4 तहसीलें व 14 ब्लाक क्षेत्र हैं। इनमें तहसीलें क्रमशः हरैया, बस्ती, भानपुर, व रुधौली हैं व ब्लाक क्षेत्र क्रमशः बहादुरपुर, बनकटी, बस्ती सदर, गौर, परशरामपुर, रामनगर, रुधौली, सल्टौआ गोपालपुर, साऊँघाट, विक्रमजोत, हरैया, कप्तानगंज, दुबौलिया व कुदरहा है।

उत्तर आर्थिक उदारवार के बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की प्रतिक्रिया : उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का अध्ययन। प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु शोधार्थी द्वारा शोध हेतु निर्धारित पूर्वांचल क्षेत्र के बस्ती जिले के दो ब्लॉक में 1) दुबौलिया ब्लॉक – ग्रामीण क्षेत्र व 2) बस्ती सदर शहरी क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का सघन दौरा कर के सभी जरूरतमन्द लोगों की बीपीएल, अन्त्योदय व एपीएल सूची तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की घोषित नई पात्र गृहस्थी की पात्रता सूची 2016 जून, सरकारी राशन की दुकानों व किसान सहकारी समितियों के पदाधिकारियों व पात्र लाभार्थियों के साक्षात्कार पर आधारित सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया।

उपरोक्त दोनों ब्लॉकों के प्रत्येक ब्लॉक में से, ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक में से 2 ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र के 2 टाउन (शहरी कस्बा) क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा प्राप्त बीपीएल, अन्त्योदय व एपीएल श्रेणी के लाभान्वित लोगों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की घोषित पात्रता सूची 2016 में से प्रत्येक ब्लॉक के गाँव व टाउन में से प्रत्येक के 100-100 लोगों अर्थात् 2 ग्राम सभा के 200 तथा 2 टाउन क्षेत्रों के 200 लोगों कुल 400 लोगों में से एक गाँव या टाउन के सैम्पल सर्वे में कुल 100 लोगों में से 50 बीपीएल, 30 अन्त्योदय व 20 एपीएल लोगों को लिया गया। जिसमें 50 बीपीएल में से सामान्य 10, पिछड़ी जाति के 20 तथा अनुसूचित जाति के 20 तथा 30 अन्त्योदय श्रेणी में से 6 सामान्य 12 पिछड़ी जाति व 12 अनुसूचित जाति व जनजाति तथा 20 एपीएल लोगों में से सामान्य के 8 पिछड़ी जाति के 6 तथा अनुसूचित जाति के 6 लोगों से शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार अनुसूची शोधार्थी द्वारा तैयार प्रश्नावली के आधार पर लिया गया। खाद्य सुरक्षा प्राप्त लाभान्वित बीपीएल, अन्त्योदय व एपीएल राशन कार्ड के लाभार्थियों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की घोषित पात्रता सूची 2016 द्वारा लाभान्वित लोगों की वैयक्तिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, निर्धनता-मुद्दे एवं चिन्ताएं, खाद्य सुरक्षा प्रकृति और आयाम तथा सरकारी योजनाएं और विकास का स्तर सम्बन्धी अनेक प्रश्न लोगों से पूछे गये।

इस साक्षात्कार अनुसूची के सर्वेक्षण के दौरान प्रश्नावली में प्राप्त तथ्यों का विभिन्न तालिकाओं द्वारा संकलन कर वैज्ञानिक विधि द्वारा सारणीयन रूप में तैयार कर आकड़ों को स्पष्ट किया गया है।

तालिका एवं आरेख में प्रदर्शित आंकड़ों की व्याख्या उसके ठीक नीचे की गयी है। जिसमें खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में बीपीएल, एपीएल व अन्त्योदय सूची के लोगों व पात्रता सूची के लाभान्वित लोगों से इसे प्राप्त करने की समस्याओं जैसे – राशन कार्ड बनवाने, कोटेदार द्वारा दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता आदि व राज्यों की प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी नीतियों में बदलाव लाने के लिए उपायों आदि पर लिखित व मौखिक साक्षात्कार को भी अपनी व्याख्या में सम्मिलित किया गया है। लाभान्वित जरूरतमन्द

लोगों के साक्षात्कार की व्याख्या, तालिका एवं आरेख सहित क्रमबद्ध तरीके से की गयी है, जो इस प्रकार है –

शोधार्थी द्वारा शोध क्षेत्र के ग्रामीण ब्लाक, दुबौलिया ब्लाक में कुल 211 ग्राम है। जिनमें से 2 ग्राम खुशहालगंज व बन्जरिया सूबी को लिया गया है। इसी प्रकार शहरी ब्लाक बस्ती सदर में कुल 304 ग्राम/टाउन (कस्बे) हैं। जिनकी कुल जनसंख्या क्रमशः 232448 तथा 112629 है। शहरी क्षेत्र के 2 टाउन/कस्बे में से क्रमशः कटरा व आवास विकास कालोनी तथा बैरियहवा, महरिखाँवा व रामेश्वरपुरी में खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित लोगों को साक्षात्कार की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

तालिका – (5.4) बस्ती जनपद के ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के राशन कार्ड धारकों की सूची

| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | बी0पी0एल0 राशन कार्ड-लाभार्थी | अंत्योदय राशन कार्ड-लाभार्थी | ए0पी0एल0 राशन कार्ड-लाभार्थी | कुल राशन कार्ड – लाभार्थी |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| कुल संख्या | 8866-40777 | 5598-28960 | 8651-32843 | 23115-102580 |
| खुशहालगंज | 104-464 | 65-309 | 141-541 | 310-1314 |
| बन्जरिया सूबी | 189-879 | 118-625 | 179-630 | 486-2134 |

Source: Food and civil supplies department, Uttar Pradesh, online Ration card management system.

तालिका – (5.5) बस्ती जनपद के शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के राशन कार्ड धारकों की सूची

| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | बी0पी0एल0 राशन कार्ड-लाभार्थी | अंत्योदय राशन कार्ड-लाभार्थी | ए0पी0एल0 राशन कार्ड-लाभार्थी | कुल राशन कार्ड-लाभार्थी |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| कुल संख्या | 6553-29755 | 3853-17484 | 25104-90369 | 32510-137608 |
| कटरा, आवास विकास कालोनी | 103-488 | 60-312 | 616-2196 | 779-2996 |
| बैरियहवा, महरि खाँवा, रामेश्वरपुरी | 83-468 | 67-351 | 30-164 | 180-983 |

Source: Food and civil supplies department, Uttar Pradesh, online Ration card management system.

तालिका – (5.6) बस्ती जनपद में सैम्पल लिए गए ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक का जातिगत विवरण व राशन कार्ड धारकों की सूची
(2 ग्राम सभा में)

| सैम्पल लिए गए गाँव का विवरण | सामान्य जाति से | पिछड़ी जाति से | अनुसूचित जाति | जन जाति से | सामान्य जाति से | पिछड़ी जाति से | अनुसूचित जाति | जन जाति से | सामान्य जाति से | पिछड़ी जाति से | अनुसूचित जाति | जन जाति से | कुल सैम्पल ग्रामीण क्षेत्र से 200 में |
|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|----------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| एक गाँव से | कुल 50 बीपीएल | | | | कुल 30 अन्त्योदय | | | | कुल 20 ए0पी0एल0 | | | | कुल – 100 |
| 1 से कुल 100 | 10 | 20 | 20 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | बीपीएल – 100 अन्त्योदय – 60 |
| 2 से कुल 100 | 10 | 20 | 20 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | ए0पी0एल0 – 40 |

Source: Based on field Survey.

तालिका – (5.7) बस्ती जनपद में सैम्पल लिए गए शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लॉक का जातिगत विवरण व राशन कार्ड धारकों की सूची
(2 टाउन क्षेत्रों में)

| सैम्पल लिए गए टाउन का विवरण | सामान्य जाति से | पिछड़ी जाति से | अनुसूचित जाति | जन जाति से | सामान्य जाति से | पिछड़ी जाति से | अनुसूचित जाति | जन जाति से | सामान्य जाति से | पिछड़ी जाति से | अनुसूचित जाति | जन जाति से | कुल सैम्पल शहरी क्षेत्र से 200 में |
|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------------------------------|
| एक टाउन से | कुल 50 बीपीएल | | | | कुल 30 अन्त्योदय | | | | कुल 20 ए०पी०एल० | | | | कुल – 100 |
| 1 से कुल 100 | 10 | 20 | 20 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | बीपीएल – 100 अन्त्योदय – 60 |
| 2 से कुल 100 | 10 | 20 | 20 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | ए०पी०एल० – 40 |

Source: Based on field Survey.

देश में खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाने के लिए स्वतंत्रता के बाद खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी राशन की दुकानों से खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी थी। जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में भी संचालित थी। जिससे जरूरतमन्द लोगों को सरकारी राशन की दुकानों से गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि निश्चित दर पर दिया जाता रहा है। 1947 के बाद 1990 तक अनेकों सरकारी योजनाओं में खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों व मानदण्डों को लागू किया गया। लेकिन उदारीकरण के बाद जरूरतमन्दों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिये जाने की नीति में तेजी से बदलाव दिखने लगा।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भी 1990 मई से नवीनतम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारम्भ किया गया। जिसके तहत पिछड़ें इलाकों में रहने वाले गरीब उपभोक्ताओं को सामान्य बाजार दरों से अपेक्षाकृत कम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। जून 1997 से प्रदेश के सभी जिलों (बस्ती जिले) में भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गयी। जिसके तहत बी0पी0एल0 अंत्योदय अन्य योजना, व अन्नपूर्णा योजना तथा ए0पी0एल0 योजनाएँ जिले में भी लागू की गयी।

5.5 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) की उत्तर प्रदेश में प्रात्रता सूची :-

वर्तमान में 1 अगस्त -2016 तक उत्तर प्रदेश में कुल 38094284 राशन कार्ड हैं, जिसके तहत 143194051 लोग लाभार्थी हैं। प्रदेश में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून - 2013 के तहत 6478734 बी0पी0एल0 कार्ड के 24991859 लाभार्थी, 4081436 अंत्योदय कार्ड के 16224099 लाभार्थी, तथा 27534114 ए0पी0एल0 कार्ड के 101978093 लाभार्थी थे। इस प्रकार पूरे प्रदेश में 38094284 कुल राशन कार्ड के 143194051 लाभार्थी हैं। इसमें बस्ती जनपद में 143828 बी0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड के 669188 लाभार्थी, 89062 अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड के 443387 लाभार्थी तथा 206569 ए0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड के 869544 लाभार्थी हैं। इस प्रकार बस्ती जनपद में कुल 439459 राशन कार्ड के कुल 1982119 लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभान्वित हैं।

इस प्रकार समूचे उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र गृहस्थी के तहत 28668296 राशन कार्ड के कुल 12772050 लाभार्थी हैं तथा अंत्योदय श्रेणी के कुल 4095433 राशन कार्ड के कुल 16483896 लाभार्थी हैं। इस तरह पूरे प्रदेश में कुल 32763729 राशन कार्ड के कुल 143955946 लोग लाभान्वित हैं। इसमें बस्ती जिले में कुल पात्र गृहस्थी श्रेणी के 288946 राशन कार्ड के 1438895 लोग लाभान्वित हैं। अंत्योदय श्रेणी के 89067 राशन कार्ड के 460029 लाभार्थी हैं। इस प्रकार बस्ती जनपद में कुल 378013 राशन कार्ड के 1898924 लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थी है।⁵

5.6 ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की पात्रता सूची :-

इस प्रकार समूचे उत्तर प्रदेश के पात्र गृहस्थी के ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी की संख्या 20480510 तथा नगरीय क्षेत्र के लाभार्थी कार्डों की संख्या 5247368 हैं। कुल

⁵ Ration card Digitization <http://164.181.140/FCS/helpline/NFSA/default.aspx>

पात्रता सूची के लाभार्थी के कार्ड 25727878 हैं, जिसमें अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 3662480 तथा नगरी क्षेत्रों में 334544 हैं, तथा कुल अंत्योदय श्रेणी के 3997024 लोग हैं। इस प्रकार कुल प्रदेश में 29724902 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की पात्रता सूची में हैं। इसमें बस्ती जनपद में पात्रता सूची के तहत कुल 282976 लोगों में कुल ग्रामीण व शहरी राशन कार्ड धारकों की संख्या क्रमशः 270143 व 12833 हैं। इसी प्रकार जिले में अंत्योदय श्रेणी के कुल राशन कार्ड 82081 हैं। इसमें ग्रामीण व शहरी कार्ड क्रमशः 77246 व 4835 हैं। इसके तहत सम्पूर्ण जिले में 365057 लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (2013) की नई सूची अगस्त 2016 में शामिल हैं।

5.7 शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु ऐतिहासिक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति व तुलनात्मक पद्धति के साथ-साथ आनुभाविक पद्धति का वैज्ञानिक रूप में प्रयोग किया गया है।

1. शोध क्षेत्र – बस्ती जनपद
2. शोध का विषय – खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।
3. बस्ती जनपद का चयनित क्षेत्र – 1) ग्रामीण क्षेत्र से दुबौलिया ब्लाक
2) शहरी क्षेत्र से बस्ती सदर ब्लाक
4. ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक से चयनित ग्राम सभा की संख्या क्रमशः दो खुशहालगंज व बजरिया सूबी तथा शहरी क्षेत्र से बस्ती सदर से चयनित टाउन क्षेत्र की संख्या क्रमशः दो क्रमशः कटरा, आवास विकास कालोनी तथा बैरियहवा, कम्पनी ग्राम व महरिखांवा है।
5. उत्तरदाता के रूप में चयनित इकाई – कुल 400, 200 ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभा खुशहालगंज व बजरिया सूबी से प्रत्येक से 100-100 लोग तथा 200 शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के दोनों टाउन क्षेत्रों से कटरा, आवास विकास कालोनी तथा बैरियहवा, कम्पनी बाग व महरिखांवा से प्रत्येक से 100-100 लोग। ऐसे लोग जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 की नई जारी सूची अगस्त 2016 में खाद्य सुरक्षा के लिए चयनित पात्रता सूची वाले लाभार्थी व्यक्तियों तथा दोनों ब्लाकों के चयनित ग्राम सभा व टाउन क्षेत्रों के बी0 पी0 एल, अंत्योदय व ए0 पी0 एल0 सूची के लोगों में से साक्षात्कार के लिए लोगों का चयन किया गया है।

5.8 तथ्यों का स्रोत :-

1. प्राथमिक स्रोत
2. द्वितीयक स्रोत

प्राथमिक स्रोत :- प्राथमिक स्रोत के लिए मुख्य रूप से व्यक्तिगत साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है। जिसमें जिले के बी०पी०एल०, अंत्योदय व ए०पी०एल० तथा पात्र गृहस्थी लोगों से खाद्य सुरक्षा की समस्याओं पर साक्षात्कार लिया गया है।

द्वितीयक स्रोत :- द्वितीय स्रोतों के लिए भारतीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, भारत सरकार, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली कृषि की स्थिति पर रिपोर्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विभिन्न सरकारी रिपोर्ट व दस्तावेजों, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्था उ० प्र०, जिला योजना पत्रिका, पंचवर्षीय योजना रिपोर्टों आदि का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी दस्तावेजों, पत्र-पत्रिकाओं, सम्बंधित साहित्य व शोध आलेखों, सम्बंधित पुस्तकों व समाचार पत्रों के आकड़ों आदि को संकलन में प्रयोग किया गया है।

5.9 प्रतिदर्श :- बस्ती जनपद के 14 ब्लाकों में से पिछड़ा व गरीब तथा अविकसित ग्रामीण ब्लाक दुबौलिया ब्लाक से दो ग्रामसभा खुशहालगंज व बंजरिया सूबी तथा दो टाउन क्षेत्रों कटरा, आवास विकास कालोनी तथा कम्पनी बाग, बैरियहवा व महरीखावा का चयन सोद्देश्य प्रतिदर्श के माध्यम से किया गया है। उत्तर दाताओं के चयन में भी सोद्देश्य प्रतिदर्श का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त शोध पद्धति का प्रयोग कर बी०पी०एल०, अंत्योदय, ए०पी०एल० तथा एन०एफ०एस०ए० – 2013 की नयी पात्रता सूची में सामान्य, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के विकसित व अविकसित लाभार्थियों तथा उनके अन्तर की भरपायी करने में असफल सरकारी नीतियों, योजनाओं व सरकारी प्रतिक्रिया तथा विभिन्न कार्यक्रमों के तथ्य संकलन में अपेक्षित सारणीयन का प्रयोग किया गया है।

तालिका – (5.8) सैम्पल लिये गये ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभा के बी0पी0एल0, अंत्योदय व ए0पी0एल0 का जातिगत विवरण

| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | बी0पी0एल0 श्रेणी | | | | अंत्योदय श्रेणी | | | | ए0पी0एल0 श्रेणी | | | | कुल लाभार्थी |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| | सामान्य जाति | पिछड़ी जाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | सामान्य जाति | पिछड़ी जाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | सामान्य जाति | पिछड़ी जाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |
| | ग्रामीण क्षेत्र से कुल 100 बी0पी0एल0 | | | | ग्रामीण क्षेत्र से कुल 60 अंत्योदय | | | | ग्रामीण क्षेत्र से कुल 40 ए0पी0एल0 | | | | 200 |
| एक ग्राम सभा क्षेत्र से | कुल 50 बी0पी0एल0 | | | | कुल 30 अंत्योदय | | | | कुल 20 ए0पी0एल0 | | | | 100 |
| 1. ग्राम सभा खुशहालगंज | 10 10% | 20 20% | 20 20% | 0 | 6 6% | 12 12% | 12 12% | 0 | 8 8% | 6 6% | 6 6% | 0 | 100 100% |
| 2. ग्राम सभा बंजरिया सूबी | 10 10% | 20 20% | 20 20% | 0 | 6 6% | 12 12% | 12 12% | 0 | 8 8% | 6 6% | 6 6% | 0 | 100 100% |

Source: Based on field survey.

तालिका – (5.9) सैम्पल लिये गये शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के दोनों टाउन क्षेत्रों के बी0पी0एल0, अंत्योदय व ए0पी0एल0 का जातिगत विवरण

| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | बी0पी0एल0 श्रेणी | | | | अंत्योदय श्रेणी | | | | ए0पी0एल0 श्रेणी | | | | कुल लाभार्थी |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| | सामान्य जाति | पिछड़ी जाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | सामान्य जाति | पिछड़ी जाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | सामान्य जाति | पिछड़ी जाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |
| | शहरी क्षेत्र से कुल 100 बी0पी0एल0 | | | | शहरी क्षेत्र से कुल 60 अंत्योदय | | | | शहरी क्षेत्र से कुल 40 ए0पी0एल0 | | | | 200 |
| एक टाउन क्षेत्र से | कुल 50 बी0पी0एल0 | | | | कुल 30 अंत्योदय | | | | कुल 20 ए0पी0एल0 | | | | 100 |
| 1. टाउन क्षेत्र कटरा आवास विकास कालोनी | 10 10% | 20 20% | 20 20% | 0 | 6 6% | 12 12% | 12 12% | 0 | 8 8% | 6 6% | 6 6% | 0 | 100 100% |
| 2 टाउन क्षेत्र बैरियहवा कम्पनी बाग व महरी खांवा | 10 10% | 20 20% | 20 20% | 0 | 6 6% | 12 12% | 12 12% | 0 | 8 8% | 6 6% | 6 6% | 0 | 100 100% |
| कुल बस्ती जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से | 40 10% | 80 20% | 80 20% | 0 | 24 6% | 48 12% | 48 12% | 0 | 32 8% | 24 6% | 24 6% | 0 | 400 100% |

Source: Based on field survey.

साक्षात्कार के लिए चयनित किए गये ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के ब्लाक से दोनों ग्राम सभाओं व दोनों टाउन क्षेत्रों से कुल 200 बी०पी०एल० लाभार्थियों का चयन किया गया। जिसमें से प्रत्येक ब्लाक से 100-100 लोगों बी०पी०एल० लाभार्थियों को लिया गया इसमें प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्र के 50-50 बी०पी०एल० लोग लिये गये। इसमें प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्र से सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति की संख्या क्रमशः 10, 20, 20 है। इस प्रकार कुल 200 बी०पी०एल० लाभार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्योदय श्रेणी के दोनों ग्राम सभाओं व टाउन क्षेत्रों से कुल 120 लोगों का चयन किया गया।

इसमें प्रत्येक ब्लाक से कुल 60-60 लोगों, प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्रों से 30-30 अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों अर्थात् दोनों ब्लाकों के 120 लोगों को शामिल किया गया। इसमें प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्रों की 30-30 अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड के लाभार्थियों में सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 6, 12, व 12 है।

इसी प्रकार ए०पी०एल० श्रेणी के लाभार्थियों की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के ब्लाक के दोनों ब्लाक क्षेत्रों व टाउन क्षेत्रों से लाभार्थियों की कुल संख्या 80 ली गयी। इसमें से प्रत्येक ब्लाक के कुल 40-40 लोगों प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्रों से क्रमशः 20-20 ए०पी०एल० श्रेणी के राशन कार्डों के लाभार्थियों को कुल 80 लोगों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार ए०पी०एल० श्रेणी के लाभार्थियों में सामान्य, पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों में की संख्या क्रमशः 8, 6 व 6 है।

बस्ती जनपद में साक्षात्कार के लिए चयनित कुल 400 लोगों में से प्रत्येक ब्लाक के 200 लोगों का चयन किया गया। इसमें सामान्य जाति के बी० पी० एल० लाभार्थी 40, प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्र से क्रमशः 10 लाभार्थी तथा पिछड़ी जाति के 80 लाभार्थी बी०पी०एल० प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्र से क्रमशः 20 लाभार्थी और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के बी०पी०एल० लाभार्थी कुल 80 में प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्र से 20 लाभार्थी को मिलाकर कुल 200 लोगों को लिया गया। अंत्योदय श्रेणी के प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्र से सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या क्रमशः 6, 12, 12 कुल 30 प्रत्येक ग्राम सभा व टाउन क्षेत्र से कुल 120 में 24 सामान्य, 48 पिछड़ी जाति व 48 अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लिया गया। इसी प्रकार ए०पी०एल० श्रेणी के प्रत्येक ग्रामसभा व टाउन क्षेत्र से प्रत्येक से 20, कुल 80 लाभार्थियों में से सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों में क्रमशः 8, 6, 6 लोगों कुल 16 शहरी सामान्य व 16 ग्रामीण सामान्य कुल 32 इसी प्रकार 24 पिछड़ा वर्ग व 24 अनुसूचित जाति व जनजाति को लोगों को लिया गया।

इस तरह बस्ती जनपद में उत्तर आर्थिक उदारवाद के बाद खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की प्रतिक्रिया विषयक प्रश्नावली पर कुल 400 लोगों का साक्षात्कार सर्वेक्षण किया गया। इसमें सामान्य जाति के 40 बी० पी० एल०, 24 अंत्योदय व 32 ए०

पी0 एल0 लोगों को मिलाकर कुल 96 लाभार्थियों को लिया गया है। पिछड़ी जाति के 80 बी0 पी0 एल0, 48 अंत्योदय व 24 ए0 पी0 एल0 लोगों को मिलाकर कुल 152 लाभार्थियों को लिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के 80 बी0 पी0 एल0 लाभार्थी, 48 अंत्योदय व 24 ए0 पी0 एल0 कुल 152 लाभार्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है।

इस प्रकार बस्ती जनपद में साक्षात्कार के लिए चयनित किए गये कुल 400 लोगों में सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति की कुल संख्या क्रमशः 96, 152 व 152 लोगों का साक्षात्कार विभिन्न प्रमुख विषयों पर लिया गया है। जिनका विवरण शोधार्थी द्वारा अपने तालिकाओं व रेखा चित्रों तथा ग्राफों द्वारा दिया जा रहा है।

तालिका – (5.10) साक्षात्कार कुल – 400 लाभार्थी

| बी0 पी0 एल0 | अंत्योदय | ए0 पी0 एल0 | कुल लाभार्थी |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 40 या (10%) सामान्य | 24 या (6%) सामान्य | 32 या (8%) सामान्य | 96 या (24%) कुल सामान्य लाभार्थी |
| 80 या (20%) पिछड़ी जाति | 48 या (12%) पिछड़ी जाति | 24 या (6%) पिछड़ी जाति | 152 या (38%) कुल पिछड़ी जाति लाभार्थी |
| 80 या (20%) अनु0 जाति व जनजाति | 48 या (12%) अनु0 जाति व जनजाति | 24 या (6%) अनु0 जाति व जनजाति | 152 या (38%) कुल अनु0 जाति व जनजाति लाभार्थी |
| कुल 200 या (50%) | कुल 120 या (30%) | कुल 80 या (20%) | कुल 400 या (100%) |

Source: Based on field survey.

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) की पात्रता सूची 10 अगस्त 2016 में समूचे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्राप्त कुल राशन कार्ड 32709537 है, जिसके तहत 143502259 लाभार्थी लाभान्वित है। इनमें पात्र गृहस्थी श्रेणी के तहत 28614576 राशन कार्डों के 127048446 लाभार्थी तथा अंत्योदय श्रेणी के तहत 4094961 राशन कार्डों के 16453813 लाभान्वित है। इनमें शोध क्षेत्र बस्ती के (नगरीय) ब्लाक बस्ती सदर क्षेत्र में कुल 15168 राशन कार्डों के 71558 लाभार्थी है। इनके पात्र गृहस्थी श्रेणी के तहत 11585 राशन कार्डों के 53788 लाभार्थी तथा अंत्योदय के 3583 कार्डों के 17770 लाभार्थी है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के तहत 54 ग्रामसभाओं में कुल 16588 राशन कार्डों के 83837 लाभार्थी है। इनमें पात्र गृहस्थी श्रेणी के तहत 10990 राशन कार्डों के 54171 लाभार्थी तथा अंत्योदय श्रेणी के 5598 राशन कार्डों के 29666 लाभार्थी हैं।

इसी प्रकार शोध क्षेत्र बस्ती जनपद में साक्षात्कार के लिए गये ग्रामीण ब्लाक दुबौलिया ब्लाक के कुल 55 ग्राम सभा के तहत दोनों ग्राम सभाओं में क्रमशः खुशहालगंज ग्रामसभा में कुल 350 राशनकार्ड के 1834 लाभार्थी है। इनमें पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड 285 के तहत 1464 लाभार्थी तथा अंत्योदय श्रेणी के 65 राशन कार्डों के 370 लाभार्थी लाभान्वित है। दूसरे ग्राम सभा बंजरिया सूबी में कुल 377 राशन कार्डों के 1809 लाभार्थी है जिनके पात्र गृहस्थी श्रेणी में 259 राशन कार्डों के 1185 लाभार्थी लाभान्वित है तथा 118 अंत्योदय श्रेणी के 624 लाभार्थी लाभान्वित है। शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के कुल 50 टाउन क्षेत्रों में से दोनों टाउन क्षेत्रों में क्रमशः कटरा, आवास विकास कालोनी में कुल 323 राशन कार्डों के 1626 लाभार्थी है। इनमें पात्र गृहस्थी के 263 राशन कार्डों के 1309 लाभार्थी तथा अंत्योदय श्रेणी के 60 कार्डों के 317 लाभार्थी है। दूसरे टाउन क्षेत्र कम्पनी बाग, वैरियहवा क्षेत्र में कुल 231 राशन कार्डों के कुल 1199 लाभार्थी है। इनमें पात्र गृहस्थी श्रेणी के 164 राशन कार्डों के 848 लाभार्थी तथा अंत्योदय श्रेणी के 67 कार्डों के कुल 351 लाभार्थी वर्तमान में एन0एफ0एस0ए0 की सूची में शामिल है, जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभान्वित है।

तालिका – (5.11) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची-10 अगस्त 2016

| उत्तर प्रदेश | पात्र गृहस्थी | | अंत्योदय | | कुल | |
|--|---------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी |
| उ० प्र० | 28614576 | 127048446 | 4094961 | 6453813 | 32709537 | 143502259 |
| बस्ती | 283962 | 1379882 | 89067 | 460040 | 373029 | 1839922 |
| शहरी क्षेत्र (कुल) बस्ती+बभनान+हरैया | 13924 | 64315 | 4556 | 22211 | 18480 | 86526 |
| ग्रामीण क्षेत्र (कुल) 14 ब्लाक क्षेत्र | 270038 | 1315567 | 84511 | 437829 | 354549 | 1753396 |
| बस्ती सदर ब्लाक शहरी | 11585 | 53788 | 3583 | 17770 | 15168 | 71558 |
| दुबौलिया ब्लाक ग्रामीण | 10990 | 54171 | 5598 | 29666 | 16588 | 83837 |
| शहरी क्षेत्र कटरा, आवास विकास कालोनी | 263 | 1309 | 60 | 317 | 323 | 1626 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| कम्पनी बैरियहवा क्षेत्र | बाग, | 164 | 848 | 67 | 351 | 231 | 1199 |
| ग्रामीण खुशहालगंज | क्षेत्र | 285 | 1464 | 65 | 370 | 350 | 1834 |
| बंजरिया सूबी | | 259 | 1185 | 118 | 624 | 377 | 1809 |


Source: Food and civil supplies department, Utter Pradesh, on line ration card management system, NFSA, Ration card Digitization.

5.10 साक्षात्कार किए गए लोगों की वैयक्तिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि :-

तालिका – (5.12) आपके घर का मुखिया कौन है ?

| घर का मुखिया | पिता | माता | बेटा | बेटी | स्वयं | अन्य | कुल |
|----------------------------------|------------|----------|-----------|------|-------|------|-----|
| दुबौलिया ब्लाक (ग्रामीण क्षेत्र) | 160 80% | 12 6% | 28 14% | 0 | 0 | 0 | 200 |
| बस्ती सदर ब्लाक (शहरी क्षेत्र) | 148 74% | 12 6% | 40 20% | 0 | 0 | 0 | 200 |
| कुल | 308 77% | 24 6% | 68 17% | — | — | — | 400 |

Source: Based on field survey.



Source: Based on field survey.

बस्ती जनपद में शोध क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी ब्लाक के दोनों क्षेत्रों के दोनों ग्राम सभाओं और टाउन क्षेत्रों में घर/परिवार के मुखिया विषयक प्रश्न पर ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक में 80%, 160 लोग पिता को, 14% अर्थात् 28 लोग बेटे को तो 6% या 12 लोग माँ को मुखिया बताते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी 74% या 148 लोग पिता को, 20% या 40 लोग बेटे को तथा 6% या 12 लोग माँ को मुखिया बताते हैं। यही स्थिति शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के दोनों टाउन क्षेत्रों कटरा, आवास विकास कालोनी तथा कम्पनीबाग वैरियहवा में 74% या 148 लोग पिता को 20% या 40 लोग बेटे को तथा 6% या 12 लोग माँ को घर का मुखिया बतलाते हैं। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशनकार्डों में परिवार का मुखिया घर की महिला को बनाया गया है तथा उन्हीं के नाम से ही पात्र गृहस्थी श्रेणी का राशन कार्ड बनाकर खाद्य सुरक्षा दी जाती है।

साक्षात्कार के लिए 24% या 96 लाभार्थी सामान्य जाति से 38% या 152 पिछड़ी जाति से तथा 38% या 152 अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के विभिन्न जाति के उपजातियों क्षत्रिय, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, कहार, कोहार, रजक, केवट धोबी, माली, बारी, गोड़िया नाई, हरिजन, पासी आदि को लिया गया है। इनमें हिन्दू धर्म के 78% या 312 लोग तथा शेष 22% या 188 लोग मुस्लिम जाति के राशन कार्ड धारकों को साक्षात्कार में शामिल किया गया। बौद्ध, इसाई और सिख ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिले, जबकि शहरी क्षेत्र में भी इनका प्रतिशत 0.01 लगभग नगण्य था।


साक्षात्कार अनुसूची में शहरी व ग्रामीण दोनों ब्लाकों में वैयक्तिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि के तहत 400 में 120 कार्ड धारक अशिक्षित, 80 प्राथमिक, 40 उच्च प्राथमिक, 60 हाईस्कूल, 80 इण्टरमीडिएट, 20 स्नातक हैं। ग्रामीण क्षेत्र शहरी की अपेक्षाकृत कम साक्षर है। वर्तमान पेशा के तहत 160 लोग कृषि 80 लोग मजदूरी, 90 लोग नौकरी, 30 के पास दुकानें तथा 40 अन्य कोई कार्य करते हैं। परिवारों का स्वरूप दोनों ब्लाकों में 90% एकल ही रहा तथा शेष 10% या 40 संयुक्त परिवार लोगों के तहत अधिकांशतः गाँवों में संयुक्त परिवार का स्वरूप है।

5.11 निर्धनता : मुद्दे और चिंताएँ :-

तालिका – (5.13) आपके मकान का स्वरूप क्या है ?

| बस्ती | झोपड़ी | कच्चा | अर्धपक्का | पक्का | कुल |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | 12, 6% | 8, 4% | 120, 60% | 80, 20% | 200, 100% |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | 10, 5% | 6, 3% | 64, 32% | 120, 60% | 200, 100% |
| कुल | 22 5.5% | 14, 3.5% | 184, 46% | 220, 55% | 400, 100% |

Source: Based on field survey.



Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है बस्ती जनपद में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक और बस्ती सदर में कुल 22 या 5.5% झोपड़ी, 14 या 3.5% कच्चा, 184 या 46% अर्धपक्का तथा 220 या 55% पक्के मकान की स्थिति राशन कार्ड धारकों की है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दो ग्राम सभाओं खुशहालगंज और बंजरिया सूबी में 12 या 6% झोपड़ी, 8 या 4% कच्चा, 120 या 60% अर्धपक्का तथा 20% या 80 मकान पक्के हैं। इनमें झोपड़ी व कच्चे मकान का स्वरूप बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों का है, जो अत्यन्त गरीब व विपन्नता की स्थिति में जीवन बसर कर रहे हैं। जबकि पक्के व अर्धपक्के मकानों में बीपीएल व अंत्योदय को सरकार द्वारा मिली

इंदिरा आवास योजना व अन्य ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 तथा अंत्योदय व पात्र गृहस्थी श्रेणी के लोगों के मकान की स्थिति है, जिनकी स्थिति कुछ अच्छी है।

बस्ती सदर ब्लाक के दोनों टाउन क्षेत्रों में कटरा, आवास विकास कालोनी तथा कम्पनी बाग व बैरियहवा क्षेत्र में 10 या 5% झुग्गी झोपड़ी वाले, 6 या 3% कच्चे, 64 या 32% अर्द्धपक्के तथा 120 या 60% मकान पक्के बी0पी0एल0 व अंत्योदय व पात्र गृहस्थी वाले लाभार्थियों के मकान है।

ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में मकान का स्वरूप विशेषकर बी0पी0एल0, अंत्योदय व ए0पी0एल0 तथा पात्र गृहस्थी समूह के लोगों के मकान का स्वरूप अच्छा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकान की अवस्थिति 60% या 120 गाँव में 35% या 70 मकान गाँव से सटे हुए तथा 10 या 5% के मकान बाहर की तरफ सड़क के किनारे, खेतों या बाग में है। शहरी क्षेत्रों में 160 या 80% लोगों के टाउन क्षेत्रों में है, 10% या 20 लोगों के मकान टाउन से सटे तथा 10% या 20 लोगों के मकान टाउन के बाजारों या सड़कों पर अथवा उसके किनारे से सटे है।

तालिका – (5.14) मकान में उपलब्ध सुविधायें –

| बस्ती | शौचालय | स्नानघर | रसोईघर | सभी | कुछ नहीं | कुल |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|--------------|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | 22, 11% | 18, 9% | 20, 10% | 22, 11% | 118, 59% | 200, 100% |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | 60, 30% | 56, 28% | 44, 22% | 25, 12.5% | 15, 7.5% | 200, 100% |
| कुल | 82 , 20.5% | 74, 18.5% | 64, 16% | 47, 11.75% | 133, 33.25% | 400, 100% |

Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मकान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत कुल 82 या 20.05% के यहाँ शौचालय, 74 या 18.5% के यहाँ स्नानघर, 64 या 16% के यहाँ रसोईघर, 47 या 11.75% के यहाँ सभी सुविधायें तथा 133 या 33.25% के यहाँ ऐसी कोई भी सुविधायें नहीं है।

बस्ती जनपद के ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभाओं में 22 या 11% के यहाँ शौचालय, बी0पी0एल0 के 2 व अंत्योदय के 4 तथा ए0पी0एल0 के 16

लोगों जिसमें 10 सामान्य जाति के यहाँ शौचालय है। स्नानघर 18 या 9% लोगों जिनमें 8 सामान्य, 6 पिछड़ा वर्ग तथा 4 अनुसूचित जाति के यहाँ है। रसोईघर 20 या 10% में 14 सामान्य बी0पी0एल0 व ए0पी0एल0 तथा 6 पिछड़ा वर्ग तथा 4 अनुसूचित जाति के यहाँ है। 118 या 59% के यहाँ ऐसी सारी सुविधायें हैं। 59% या 118 लोगों के यहाँ ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। जबकि शहरी ब्लाक बस्ती सदर के अन्तर्गत 60 या 30% लोगों के यहाँ शौचालय, 56 या 28% के यहाँ स्नानघर, 44 या 22% के यहाँ रसोईघर तथा 25 या 12.5% लोगों के यहाँ सभी सुविधायें हैं। 15 या 7.5% लोग ऐसे भी हैं, जिनके यहाँ ये आधारभूत सुविधायें नहीं हैं।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में शौचालय, स्नानघर, रसोईघर आदि सुविधायें (आधारभूत सुविधायें) थोड़ी अधिक तो है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर हैं भी तो वह ए0पी0एल0 व पात्र गृहस्थी श्रेणी के लोगों के यहाँ ही दिखती है, अंत्योदय व बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के यहाँ ये स्थितियाँ बिल्कुल ही नगण्य हैं।

तालिका – (5.15) घर में पेयजल का स्रोत क्या है ?

| बस्ती | कुंआ | नल | हैण्डपम्प | सरकारी हैण्डपम्प | कुल |
|--------------------------------|------|--------------|-------------|------------------|-----|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | — | — | 180, 90% | 20, 10% | 200 |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | — | 66, 33% | 120, 60% | 14, 7% | 200 |
| कुल | — | 66, 16.5% | 300, 75% | 34, 8.5% | 400 |

Source: Based on field survey.

तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक व शहरी ब्लाक बस्ती सदर की अधिकांश 75% या 300 लोगों के पेयजल का स्रोत हैण्डपम्प, 34 या 8.5% के पेयजल का स्रोत सरकारी हैण्डपम्प तथा 66 या 16.5% के पेयजल का स्रोत नल हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक में पेयजल के 2 ही स्रोत हैं 180 या 90% के यहाँ हैण्डपम्प तथा 20 या 10% के यहाँ सरकारी इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगे हैं।

शहरी क्षेत्र बस्ती सदर में 60% या 120 के यहाँ हैण्डपम्प, 14 या 7% के यहाँ इण्डिया मार्का हैण्डपम्प तथा 66 या 16.5% के पेयजल का स्रोत नल है। जो सरकारी

पेयजल सुविधा के तहत टंकियों द्वारा समय-समय पर सुबह-शाम पानी (पेयजल) की आपूर्ति करती हैं। अब पहले की तरह पेयजल की स्थिति नहीं है, अब कोई भी जाति/वर्ग के कार्ड धारक कुएँ, तालाब या पोखरे का पानी नहीं पीते हैं।

तालिका – (5.16) आपके मकान में उपलब्ध संसाधन कौन से हैं ?

| बस्ती | साइकिल | मोटर साइकिल | स्कूटर | ट्रैक्टर | कुछ नहीं | कुल |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | 150, 75% | 22, 11% | 6, 3% | 12, 6% | 10, 5% | 200 |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | 130, 65% | 42, 21% | 6, 3% | 4, 2% | 18, 9% | 200 |
| कुल/प्रतिशत | 280, 70% | 64, 16% | 12, 3% | 16, 4% | 28, 7% | 400 |

Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती जनपद के ग्रामीण ब्लाक दुबौलिया बाजार व शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक में कुल 280 या 70% के यहाँ साइकिल, 64 या 16% के यहाँ मोटर साइकिल, 12 या 3% के यहाँ स्कूटर, 16 या 4% के यहाँ ट्रैक्टर है। जबकि 7% या 28 लोगों के यहाँ ऐसे कोई भी संसाधन नहीं हैं।

ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभाओं में 150 या 75% के यहाँ साइकिल, 22 या 11% के यहाँ मोटर साइकिल, 6 या 3% के यहाँ स्कूटर, 4 या 2% के यहाँ ट्रैक्टर है जबकि 18 या 9% के यहाँ कोई भी संसाधन नहीं हैं।

शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के दोनों टाउन क्षेत्रों में 130 या 65% के यहाँ साइकिल, 42 या 21% के यहाँ मोटर साइकिल, 6 या 3% के यहाँ स्कूटर, 4 या 2% के यहाँ ट्रैक्टर है जबकि 18 या 9% के यहाँ कोई भी संसाधन नहीं है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं जनपद के शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बी0पी0एल0 व अंत्योदय पात्रता वाले लोगों के पास सर्वाधिक जरूरी साइकिलें तो हैं हीं। लेकिन मोटर साइकिल, ट्रैक्टर व स्कूटर रखने वाले ज्यादातर लोग ए0पी0एल0 श्रेणी के लोग हैं।

तालिका – (5.17) क्या आपके घर में बिजली है ?

| बस्ती | हाँ | नहीं | कुल |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | 138, 69% | 62, 31% | 200 |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | 176, 88% | 24, 12% | 200 |
| कुल | 314, 78.5% | 86, 21.5% | 400 |

Source: Based on field survey.

तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती जनपद के ग्रामीण व शहरी दुबौलिया व बस्ती सदर ब्लाक में कुल 314 या 78.5% लोगों के यहाँ बिजली है, जबकि 86 या 21.5% लोगों के यहाँ बिजली नहीं है। इनके अकेले ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभाओं में 138 या 69% लोगों के यहाँ बिजली है तथा 62 या 31% के यहाँ बिजली नहीं है। शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के दोनों टाउन क्षेत्रों में 176 या 88% के यहाँ बिजली है तथा 24 या 12% के यहाँ बिजली नहीं है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जिनके यहाँ बिजली नहीं है, वे मुख्यतः अंत्योदय या बी0पी0एल0 श्रेणी के अत्यन्त विपन्न व गरीब परिवार है।

तालिका – (5.18) आपके घर में खाना पकाने के ईंधन क्या-क्या है ?

| बस्ती | लकड़ी | स्टोव | गैस | गोबर कंड़े | अन्य | सभी |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------------|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | 160, 80% | 8, 4% | 22, 11% | 10, 5% | — | 200 |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | 40, 20% | 32, 16% | 120, 60% | 8, 4% | — | 200 |
| कुल | 200, 50% | 40, 10% | 142, 35.5% | 18, 4.5% | — | 400 |

Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती जनपद के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में खाना पकाने के ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत लकड़ी 50% या 200 घरों में, स्टोव 40 या 10% व गैस 142 या 35.5% तथा गोबर कंड़े का प्रयोग 18 या 4.5% घरों में किया जाता है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक में 80% या 160 घरों में लकड़ी, 8 या 4% के यहाँ स्टोव, 22 या 11% के यहाँ गैस, तथा 10 या 5% के यहाँ खाना पकाने के लिए गोबर कंड़े का प्रयोग होता है।

शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक में भी 40 या 20% घरों में खाना पकाने हेतु लकड़ी, 32 या 16% के यहाँ स्टोव, 120 या 60% के यहाँ गैस तथा 8 या 4% के यहाँ गोबर कंड़े का उपयोग खाना पकाने हेतु किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभाओं में सभी लोगों की सभी स्त्रियों से परिवार की मासिक आय न्यूनतम 6000/- रुपया प्रति परिवार आती है। जिसको वे लोग शिक्षा, त्योहार, मनोरंजन, ईंधन बिजली, ड्रेस, कपड़े, शराब, पान तम्बाकू, सिगरेट, आदि अन्य चीजें में खर्च करते हैं। तो वहीं शहरी क्षेत्र बस्ती सदर के भी दोनों टाउन के निवासियों की मासिक आय लगभग न्यूनतम 7000/- रुपया प्रति परिवार ही आती है, जिससे वे अपनी सभी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उनके परिवार के महिलायें/बच्चे भी उनके घरेलू कार्यों, कृषि कार्य में व कुछ लोगों के यहाँ बच्चे भी मजदूरी करके अपने परिवार के मुखिया का सहयोग भी करते हैं।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अधिकांश लोगों 80% या 320 लोगों के बच्चे निजी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। कुछ लोगों के 3.5% या 14 लोगों के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, वे अंत्योदय व बी0 पी0 एल0 अति निर्धन परिवार हैं। 19% या 76 लोगों के यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के 150 या 75% लोगों के बच्चे प्राइवेट/निजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। 28% या 56 लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। 4 या 2% के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी 85% या 170 लोगों के यहाँ के बच्चे पढ़ने निजी स्कूलों में जाते हैं। 10% या 20 परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। 5% या 10 लोगों के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। वे गरीबी, बेकारी आदि के कारण जल्दी ही रोजगार के कामों में लग जाते हैं, मुख्यतः यही कारण है उनके स्कूल न जाने का।

ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभाओं में 80% या 160 किसानों की फसलों का नुकसान कभी न कभी जरूर हुआ है। उनमें मुख्य कारण सरयू नदी में आने वाली हर वर्ष की बाढ़ है। जिसके कारण खरीफ की फसलें अधिकांशतः नष्ट हो जाती है तथा खाद्य असुरक्षा की स्थिति और भी कठिन हो जाती है। कुछ अन्य कारण भी फसलों के नुकसान होने के हैं – सूखा से, जानवरों से, आग से आदि। ऐसी स्थिति पैदा होने पर अंत्योदय, बी0पी0एल0 व अन्य छूटे गरीब लोग जो मध्यम किसान हैं, उनके सामने खाद्य असुरक्षा पैदा होती है। तब उनको निःसन्देह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पी0डी0एस0 से दिए जाने वाले मासिक राशन की उपयोगिता बढ़ जाती है। कोटेदारों द्वारा न्यूनतम दर पर दिया जाने वाला मासिक राशन ही उन्हें भुखमरी व कुपोषण से बचाने में तब मदद भी करता है।


5.12 खाद्य सुरक्षा : प्रकृति और आयाम :-

साक्षात्कार अनुसूची में कुल 400 लोगों में 96 या 24% लोग सामान्य जाति व 152 या 38% पिछड़ी जाति तथा 152 या 38% लोग अनुसूचित जाति व जनजाति से थे।

तालिका – (5.19) क्या आप खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में जानते हैं ? अथवा क्या आपके पास राशन कार्ड है?

| बस्ती जिला | हाँ | नहीं | कुल |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| ग्रामीण ब्लाक दुबौलिया | 176, 88% | 24, 12% | 200 |
| शहरी ब्लाक बस्ती सदर | 180, 90% | 20, 10% | 200 |
| कुल | 356, 89% | 44, 11% | 400, 100% |

Source: Based on field survey.



Source: Based on field survey.

उपरोक्त तालिका में बस्ती जनपद में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर काफी जागरूकता दिखलायी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र से सम्बंधित दुबौलिया ब्लाक के बन्जरिया सूबी व खुशहालगंज ग्राम सभा में 176 या 88% लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में जानते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। 12% या 24 लोगों के पास राशन कार्ड ही नहीं है, वे नवीन/पुरानी खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में नहीं जानते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक के 2 टाउन के वार्ड कटरा, आवास विकास कालोनी तथा कम्पनीबाग व बैरियहवा में 180 या 90% लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में जानते हैं तथा 10% या 44 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, वे योजना के बारे में

जागरुक नही हैं। सम्पूर्ण बस्ती जिले में 356 या 89% लोगों के पास राशन कार्ड है, जो योजना के बारे में जानते हैं तथा 11% या 44 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे योजना के बारे में ज्यादा जागरुक नहीं दिखे।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा भुखमरी, गरीबी व कुपोषण से निपटने के लिए प्रतिक्रिया स्वरुप अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रासंगिकता बनी हुई है। जिसके तहत जरुरतमन्दों को सरकारी राशन की दुकानों से कम मूल्य पर राशन उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका – (5.20) यदि हाँ तो कौन सा राशन कार्ड है ?

| बस्ती | ए0पी0एल0 | | | बी0पी0एल0 | | | अंत्योदय | | | पात्र गृहस्थी नयी सूची 2013 के तहत लाभार्थी | | | कुल |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|---|-------------|------------------------|------|
| | सामान्य | पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति व जनजाति | सामान्य | पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति व जनजाति | सामान्य | पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति व जनजाति | सामान्य | पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति व जनजाति | |
| कटेगरी (जातिगत) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | 16 | 12 | 12 | 20 | 40 | 40 | 12 | 24 | 24 | 36 | 52 | 52 | 200 |
| | 8% | 6% | 6% | 10% | 20% | 20% | 6% | 12% | 12% | 18% | 26% | 26% | 100% |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | 16 | 12 | 12 | 20 | 40 | 40 | 12 | 24 | 24 | 36 | 52 | 52 | 200 |
| | 8% | 6% | 6% | 10% | 20% | 20% | 6% | 12% | 12% | 18% | 26% | 26% | 100% |
| कुल | 32 | 24 | 24 | 40 | 80 | 80 | 24 | 48 | 48 | 72 | 104 | 104 | 400 |
| | 8% | 6% | 6% | 10% | 20% | 20% | 6% | 12% | 12% | 18% | 26% | 26% | 200% |
| | 80 , या 20% | | | 200, या 50% | | | 120, या 30% | | | कुल 280 या 70% | | | |

Source: Based on field survey.


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती जनपद के चयनित ग्रामीण व शहरी ब्लाक में क्रमशः ए0पी0एल0 कार्ड 20% या 80 थे। इनमें सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के 32, 24 व 24 या 8%, 6%, व 6% थे तथा बी0 पी0 एल0 राशन कार्ड 50% या 200 थे। इनमें सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के 40, 80, 80 या 10%, 20%, व 20% थे। इसी प्रकार अंत्योदय श्रेणी के 30% या 120 कार्ड थे। जिनमें सामान्य, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के राशन कार्ड 24, 48, 48 या 6%, 12%, व 12% थे। ये स्थिति प्रदेश के बस्ती जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के पूर्व की स्थिति थी। लेकिन मार्च 2016 से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद जिले में भी राशन कार्डों की 2 श्रेणियाँ बनी। जिसके तहत अंत्योदय श्रेणी व नयी पात्र गृहस्थी श्रेणी बनी। पात्र गृहस्थी श्रेणी की नई लिस्ट अगस्त 2016 के तहत सम्पूर्ण बी0पी0एल0 धारक राशन कार्ड वालों के साथ ए0पी0एल0 के कुछ जरूरतमन्द लोगों तथा समाज के ऐसे छोटे लोग जो किसी भी श्रेणी में नहीं थे। उनको शामिल कर पात्र गृहस्थी धारक की नई सूची बनी।

उपरोक्त तालिका के तहत पात्र गृहस्थी श्रेणी में शहरी व ग्रामीण ब्लाक में कुल 70% या 280 लोगों में सामान्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति तथा जनजाति के राशन कार्ड 36, 52, 52 या 18%, 26%, व 26% लोगों को मिलाकर नई सूची बनी। इस श्रेणी में उन जरूरतमन्द लोगों को भी शामिल किया गया है जो किसी कारण वश छोटे हुए थे। लेकिन पात्र गृहस्थी श्रेणी की लिस्ट को आधुनिक करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जिसके तहत हर जाति के लोगों के आय, जाति, निवास आदि को लेकर जाँच प्रक्रिया अभी की जा रही है तथा राशन कार्डों को आद्यतन कर तथा जाँचा/परखा जा रहा है।

तालिका – (5.21) क्या राशन कार्ड से मिलने वाली चीजें आपके परिवार के लिए पर्याप्त हैं ?

| बस्ती | हाँ | नहीं | कुल |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| ग्रामीण दुबौलिया ब्लाक | 120, 60% | 80, 40% | 200 |
| शहरी बस्ती सदर ब्लाक | 136, 68% | 64, 32% | 200 |
| कुल | 256, 64% | 144, 36% | 400 |

Source: Based on field survey.



Source: Based on field survey.

सरकार द्वारा संचालित राशन की दुकानों से पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्डों पर गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, नमक आदि मुख्य वस्तुएं कम दरों पर दी जाती हैं। पात्र गृहस्थी श्रेणी को प्रति परिवार प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो व अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल, गेहूँ व मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 व 1 रु0 प्रति किलो उपलब्ध कराया जाता है। औसतन एक व्यक्ति के परिवार में 5 या 6 लोग होते हैं। सरकारी आंकड़ों के तहत इतना राशन दिया जाना पर्याप्त है। लेकिन राशन की दुकानों पर नियमित महीने में राशन का वितरण न किया जाना उनके लिए अपर्याप्तता का कारण होता है।

उपरोक्त तालिका के तहत बस्ती जनपद में ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लॉक में कुल 60% या 120 लोग राशन कार्ड के तहत मिलने वाली वस्तुओं को पर्याप्त मानते हैं, तो 40% या 80 लोग अपर्याप्त मानते हैं। इसी प्रकार कुल शहरी क्षेत्रों बस्ती सदर में 68% या 136 लोग पर्याप्त तो 64 या 32% लोग अपर्याप्त मानते हैं। सम्पूर्ण जनपद में कुल 64% या 256 लोग राशन कार्डों से निश्चित दरों पर मिलने वाले राशन को पर्याप्त बतलाते हैं तो वहीं 36% या 144 लोग अपर्याप्त बतलाते हैं। अपर्याप्त बतलाने का कारण नियमित व पूरा राशन न वितरित किया जाना है। कभी-कभी तो घटतौली व गुणवत्ता आदि के बारे में भी राशनकार्ड धारकों द्वारा समय-समय पर प्रश्न उठाये जाते रहे हैं।

यदि राशन कार्ड धारकों को कार्डों से मिलने वाली वस्तुएं पर्याप्त नहीं मिलती तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः मुख्य खाद्यान्न गेहूँ व चावल की कमी की पूर्ति हेतु 90% या 360 लोग अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सीधे तौर पर बाजार से करते हैं तथा 10% या 40 लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि से या बड़े किसानों या साहूकारों से उधार के तौर पर करते हैं। बाजार से या किसानों से ये राशनकार्ड धारक औसतन 4-6 व्यक्ति के परिवार वाले लोग न्यूनतम 25 किलो गेहूँ व 15 किलो

चावल तथा 4 किलो दाल को खरीद कर कमी की पूर्ति करते हैं। यदि किसी कारणवश (गरीबी, बेकारी, क्रय क्षमता का अभाव) ये राशन कार्ड धारक खाद्यान्न नहीं खरीद पाते या कम खरीदते हैं तो उनके परिवार को भुखमरी तथा कुपोषण व अल्प पोषण का सामना करना पड़ता है। राज्यों को अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप इन मुद्दों को अपनी योजनाओं में दृष्टिगत करने की आवश्यकता है।

तालिका – (5.22) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपभोग किए जाने वाले खाद्य वस्तुओं पर खर्च (औसत) एक महीने में

| क्र० सं० | खाद्य वस्तुएँ | मात्रा (किग्रा० में) | खर्च (रुपया में) |
|------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | चावल (पी० डी० एस० से) | 12 | 100 |
| 2 | चावल (बाजार से) | 15 | 300 |
| 3 | गेहूँ (आटा) पी० डी० एस० से | 10 | 100 |
| 4 | गेहूँ (बाजार से) | 30 | 450 |
| 5 | चीनी (पी० डी० एस० से) | 2 | 27 |
| 6 | चीनी (बाजार से) | 5 | 200 |
| 7 | दालें | 5 | 750 |
| 8 | सब्जियाँ | — | 600 |
| 9 | तेल | 4 | 400 |
| 10 | दूध | 2 | 100 |
| 11 | फल | — | 200 |
| 12 | मांसाहार | — | 400 |
| 13 | अन्य | — | 473 |
| कुल | | | 4000/— रुपया |

Source: Based on field survey.

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपभोग किये जाने वाले खाद्य वस्तुओं का औसत मासिक खर्च लगभग 4000/— रुपया प्रति महीना आता है। इसमें चावल, गेहूँ, चीनी, दाल, खाद्य तेल, सब्जियाँ, दूध, फल, मांसाहार आदि को मिलाकर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि गेहूँ, चीनी की खपत कम है तो

चावल, दाल, दूध की खपत ज्यादा है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में गेहूँ, चीनी, सब्जी, फल की खपत ज्यादा है व चावल की खपत कम है।

यदि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इन्हें नियमित गेहूँ, चावल, चीनी आदि जरूरी उपभोग की वस्तुएं लगातार नियमित हर महीने मिलें तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में औसतन 5 व्यक्ति के एक परिवार के महीने के खर्च में कमी लगभग ₹0 1000/- की कमी आ सकती है।

सरकारी योजनाओं के तहत वैसे तो अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न, 10 किलो गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो तथा 25 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो दिए जाने का हर महीने प्रावधान है। इसी तरह पात्र गृहस्थी के कार्डों पर प्रति यूनिट/प्रति सदस्य एक परिवार को 5 किलो खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है। खाद्यान्नों में गेहूँ, चावल व मोटा अनाज क्रमशः 2, 3 व 1 ₹0 प्रति किलो ग्राम की दर पर दिए जाने की व्यवस्था भी है। जो खाद्य असुरक्षित लोगों को पूर्णतः खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। जिससे भुखमरी व कुपोषण दूर करने में भी काफी मदद मिलती है।

इसी प्रकार से पूर्व में प्रचलित बी0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्डों पर भी पूर्वी उ0 प्र0 के 9 मण्डलों में 10 किलो गेहूँ व 25 किलो चावल तथा पश्चिमी उ0 प्र0 के 8 मण्डलों में 15 किलो गेहूँ व 20 किलो चावल राशन की दुकानों पर न्यूनतम कीमत पर क्रमशः 4.65 रुपया गेहूँ व 6.15 रुपया चावल उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह ए0पी0एल0 के कार्डों पर भी पूर्वी उ0 प्र0 में 10 किलो गेहूँ व 25 किलो चावल तथा पश्चिमी उ0 प्र0 में 15 किलो गेहूँ व 20 किलो चावल बाजार दर अधिक होने पर मांग के अनुसार उपलब्ध कराये जाते रहे हैं। सरकार की ये योजना जरूरतमंद गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी।

राशन कार्ड धारक अपनी खाद्य की जरूरतें इन राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन से पूरी करने में पूरी तरह निर्भर है। ग्रामीण दुबौलिया ब्लाक व शहरी बस्ती सदर ब्लाक दोनों क्षेत्रों में प्रमुख रूप से गेहूँ व चावल तथा नमक व मिट्टी का तेल का वितरण ही पूर्वी उ0 प्र0 के बस्ती जनपद में किया जा रहा है। जबकि चीनी की आपूर्ति केवल त्योहारी सीजन में ही की जाती है। दालों की आपूर्ति यदि कभी कभार की जाती है वो भी मटर की। जिले की अधिकांश आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की इस व्यवस्था से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करती है।

तालिका – (5.23) यदि आप खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर हैं तो कृषि योग्य भूमि (जमीन) में कौन-कौन सी फसल उगाते हैं ? इसका एक औसत।

| क्र० सं० | फसलें | उत्पादन (क्विंटल) | मूल्य (रुपया) | स्वयं के उपभोग के लिए मात्रा | बेची गई मात्रा | बेची गई मात्रा का मूल्य |
|----------|-------|-------------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | धान | 4 | 5200 | 4 | — | — |
| 2 | गेहूँ | 5 | 7500 | 4 | 1 | 1500 |
| 3 | आलू | 0.50 | 500 | 0.50 | — | — |
| 4 | सब्जी | — | 1000 | — | — | — |
| 5 | गन्ना | 25 | 5500 | — | 25 | 5500 |
| 6 | सरसों | 0.50 | 1250 | 0.50 | — | — |
| 7 | जौ | — | — | — | — | — |
| 8 | मटर | — | — | — | — | — |
| 9 | अरहर | — | — | — | — | — |
| 10 | चना | — | — | — | — | — |
| 11 | अन्य | — | 1000 | — | — | — |

Source: Based on field survey.

उत्तर प्रदेश का बस्ती जनपद मूलतः कृषि प्रधान तराई का उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति के कारण यहाँ रबी और खरीफ की फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। जिन किसानों के पास अपना निजी खेत होता है, वे उनमें गेहूँ, धान, सरसों, मसूर, गन्ना आदि मुख्य नकदी फसलों का उत्पादन भी करते हैं। लेकिन खेतों की छोटी जोत के कारण उपजायी गयी ज्यादातर फसलें अपने उपभोग में खर्च कर देते हैं। केवल गन्ना (मिलों द्वारा) तथा गेहूँ, धान, आदि की ही बिक्री किसान सहकारी समितियों द्वारा की जाती है।

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह कह सकते हैं कि बस्ती जनपद की अधिकांश जनसंख्या 95% जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वो पूरी तरह कृषि उत्पादन पर ही निर्भर है। छोटी जोत के कारण जिनके खेत भी नहीं है, उनमें से कुछ

किसान बड़े जमींदारों व कृषकों तथा अन्य ऐसे लोग जो कि भू-सम्पदा अधिक होने पर स्वयं अपने से पूरी खेती नहीं करते हैं, वे उनसे बटाई/गल्ले पर उनके खेतों में कृषि कर अपने उपयोग के खाद्यान्न की फसलें उगाते हैं। जिनमें गेहूँ, धान, सरसों, मसूर आदि आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना मुख्य नकदी फसल है, लेकिन गन्ने का उचित दाम व समय पर बिक्री न होने के कारण जिले के अधिकांश किसानों का ध्यान अब गेहूँ की तरफ मुड़ा है।

तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के लोगों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक में गेहूँ, धान, सरसों व गन्ने तथा मसूर को फसल की पैदावार करते हैं। पैदा की गयी फसलों में गेहूँ व धान कृषि सहकारी समितियों तथा गन्ने को मिलों द्वारा लगवाये गये काँटों पर बिक्री कर उचित लाभ अर्जित करते हैं। जिले के अधिकतर किसान अपने द्वारा पैदा किए गए फसलों को पहले अपने लिए वर्ष भर के उपभोग के लिए रखकर ही बिक्री करते हैं। कुछ लघु व सीमान्त कृषक अपनी फसलों को प्राइवेट मंडियों व आढ़तियों को अपने उपभोग के बाद शेष बचे खाद्यान्न की बिक्री करते हैं।


जनपद के दुबौलिया ब्लाक ग्रामीण क्षेत्र व शहरी ब्लाक बस्ती सदर में अधिकांश परिवार जो कि बी0पी0एल0, ए0पी0एल0, अंत्योदय व नई सूची पात्र गृहस्थी के जो भी परिवार है वे खाद्य सुरक्षा के तहत अपने वर्ष भर के उपभोग के लिए अपनी उत्पादित फसलों को रखते हैं, फिर बचे अनाज की बिक्री करते हैं। यदि जिनके द्वारा उत्पादन के लिए खेत नहीं है तो (शहरी ब्लाक बस्ती सदर की अधिकांश परिवार) वे पूरी तरह राशन की सरकार द्वारा संचालित दुकानों पर निर्भर रहते हैं। शहरी क्षेत्र में भी जो परिवार है, यदि उनका जुड़ाव गाँव से है तो लगभग 20% लोग अपने कृषि उत्पादन से खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करते हैं।

निष्कर्षतः शहरी ब्लाक के मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग तथा ग्रामीण ब्लाक के भी निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग के अधिकांश परिवार लगभग 80% लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपने खाद्य की सुरक्षा पर पूरी तरह से निर्भर हैं।

तालिका – (5.24) क्या आपका परिवार एक साथ खाना खाता है ?

| बस्ती जनपद | हाँ | नहीं | कुल |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | 14, 7% | 186, 93% | 200 |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | 42, 21% | 158, 79% | 200 |
| कुल | 56, 14% | 344, 86% | 400 |

Source: Based on field survey.



Source: Based on field survey.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती जनपद में परिवार के एक साथ खाना खाने के प्रश्न पर कुल 56 या 14% लोग एक साथ खाना खाते हैं जबकि 86% या 344 परिवार एक साथ भोजन नहीं करते हैं। पुरातन मान्यता और नियमों के तहत पहले भोजन करने में पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक में 7% या 14 लोगों में 2 परिवार दोनों अलग-अलग ग्राम सभाओं बंजरिया सूबी व खुशहालगंज में एक साथ भोजन करते हैं, जो कि अंत्योदय परिवार से हैं। इनमें एक सामान्य जाति तथा दूसरा अनुसूचित जाति से है। 12 परिवार के लोग पात्र गृहस्थी श्रेणी के सामान्य के 10 व 2 पिछड़ा वर्ग के परिवार एक साथ भोजन करते हैं। जबकि 186 परिवारों में 120 सामान्य, 30 पिछड़ा वर्ग व 36 परिवार अनुसूचित जनजाति के लोग एक साथ भोजन नहीं करते हैं।

शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक में भी कुल 42 या 21% परिवार एक साथ भोजन करते हैं। इनमें अंत्योदय के 16 परिवार में 10 सामान्य 4 पिछड़ी जाति व 2 अनुसूचित जाति के परिवार एक साथ भोजन करते हैं तथा पात्र गृहस्थी के 26 परिवार में 14 परिवार सामान्य तथा 8 परिवार पिछड़ी जाति तथा 4 परिवार अनुसूचित जाति के लोग एक साथ भोजन करते हैं। जबकि 158 या 79% परिवार में अंत्योदय श्रेणी के 36 परिवार में 12 सामान्य तथा 8 पिछड़ी जाति तथा 16 परिवार अनुसूचित जाति के एक साथ खाना नहीं खाते हैं। जबकि 122 पात्र गृहस्थी के 80 परिवार सामान्य 30 पिछड़ी जाति तथा 12 अनुसूचित जाति के परिवार एक साथ भोजन नहीं करते हैं।

निष्कर्षतः : यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण बस्ती जनपद के शहरी व ग्रामीणों दोनों क्षेत्रों में 86% आबादी एक साथ भोजन नहीं करती है। जिसके कारण अधिकांशतः महिलाओं में कुपोषण, एनीमिया व अल्पपोषण दिखता है।

तालिका- (5.25) यदि आपका परिवार एक साथ खाना नहीं खाता तो पहले कौन खाता है ?

| बस्ती जनपद | पुरुष | | | | | | महिलार्ये | | | | | | कुल |
|-------------------------------|----------|-------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|------|
| | अंत्योदय | | | पात्र गृहस्थी | | | अंत्योदय | | | पात्र गृहस्थी | | | |
| | सामान्य | पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति / जनजाति | सामान्य | पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति / जनजाति | सामान्य | पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति / जनजाति | सामान्य | पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति / जनजाति | |
| खुशहालगंज | 5 | 10 | 8 | 25 | 26 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | — | — | 100 |
| बंजरिया सूबी | 4 | 12 | 10 | 22 | 24 | 16 | 2 | — | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर, ब्लाक | | | | | | | | | | | | | 200 |
| कटरा, आवास विकास कालोनी | 4 | 8 | 12 | 18 | 16 | 20 | 2 | 4 | — | 4 | 6 | 6 | 100 |
| कम्पनीबाग, बैरियहवा | 5 | 10 | 8 | 22 | 18 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 100 |
| कुल | 18 | 40 | 38 | 87 | 84 | 70 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 | 400 |
| % में | 4.5% | 10% | 9.5% | 21.75% | 21% | 17.5% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3.25% | 3.5% | 3% | 100% |
| | 24% = 96 | | | 60.25% = 241 | | | 6% = 24 | | | 9.75% या 39 | | | |

Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है बस्ती जनपद के दोनों शहरी व ग्रामीण ब्लाक में कुल अंत्योदय परिवारों में पहले पुरुषों के खाने के मामले में 4.5% या 18 सामान्य व 10% या 40 पिछड़ी जाति तथा 9.5% या 38 अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 96 या 24% अंत्योदय कार्ड धारकों के यहाँ पुरुष तथा 1.5% या 6 सामान्य व 2% या 8 पिछड़ी जाति तथा 2.5% या 10 अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों में कुल 24 या 6% के यहाँ पहले महिलायें खाना खाती हैं। इसी तरह पात्र गृहस्थी श्रेणी के परिवारों के मामलों में 21.75% या 87 सामान्य व 21% या 84 पिछड़ी जाति तथा 17.50% या 70 अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 241 परिवार पात्र गृहस्थी श्रेणी या 60.25% लोगों के यहाँ पुरुष खाना पहले खाते हैं तो पात्र गृहस्थी के यहाँ महिलाओं के पहले खाने का अनुपात 13 या 3.25% सामान्य व 14 या 3.5% पिछड़ी जाति तथा 3% या 12 अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 39 या 9.75% परिवारों के यहाँ पहले महिलायें खाना खाती हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण जिले में 84.25% या 337 परिवारों के यहाँ पहले पुरुष खाना खाते हैं जबकि 15.75% या 63 परिवारों के यहाँ पहले महिलायें खाना खाती हैं।

ग्रामीण ब्लाक दुबौलिया में 9 या 4.5% सामान्य व 22 या 11% पिछड़ी जाति तथा 18 या 9% अनुसूचित जाति/जनजाति के अंत्योदय परिवारों के यहाँ कुल 49 या 24.5% के यहाँ पुरुष तो पात्र गृहस्थी के 47 या 23.5% सामान्य व 50 या 25% पिछड़ा वर्ग तथा 34 या 17 अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 131 या 65.5% परिवारों के यहाँ पहले पुरुष खाना खाते हैं। जबकि महिलाओं के पहले खाने के मामले में कुल 10% या 20 परिवारों के यहाँ पहले महिलायें खाना खाती हैं। लगभग यही स्थिति शहरी क्षेत्रों में भी है।


बस्ती सदर ब्लाक में 9 या 4.5% सामान्य व 18 या 9% पिछड़ा वर्ग तथा 20 या 10% अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 47 या 23.5% अंत्योदय परिवारों में पुरुष पहले खाते हैं तथा पात्र गृहस्थी के 40 या 20% सामान्य व 34 या 17% पिछड़ा वर्ग तथा 36 या 18% अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 110 या 55% पात्र गृहस्थी के यहाँ पहले पुरुष खाना खाते हैं।

महिलाओं के पहले खाने के अंत्योदय परिवारों के मामले में 3 या 1.5% सामान्य व 6 या 3% पिछड़ा वर्ग तथा 4 या 2% अनुसूचित/जनजाति के कुल 13 या 6.5% के यहाँ पहले महिला तथा पात्र गृहस्थी श्रेणी के परिवारों में 8 या 4% सामान्य व 12 या 6% पिछड़ा वर्ग तथा 10 या 5% अनुसूचित/जनजाति के कुल 30 या 15% के यहाँ पहले महिला कुल 21.5% या 43 परिवारों के यहाँ पहले महिलायें खाना खाती हैं।

तालिका – (5.26) यदि खाना कम पड़ जाता है तो क्या आपके परिवार में दुबारा खाना पकाया जाता है ?

| बस्ती जनपद | हाँ | नहीं | कुल |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| दुबौलिया ब्लाक ग्रामीण क्षेत्र | 8, 4% | 192, 96% | 200 |
| बस्ती सदर ब्लाक शहरी क्षेत्र | 20, 10% | 180, 90% | 200 |
| कुल | 28, 07% | 372, 93% | 400 |

Source: Based on field survey



Source: Based on field survey

बस्ती जिले में यदि खाना कम पड़ जाता है तो 28 या 7% के यहाँ खाना दोबारा पकाया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 4% या 8 परिवारों के यहाँ जिसमें 2 अंत्योदय के वो भी सामान्य और पिछड़ा वर्ग तथा 6 पात्र गृहस्थी श्रेणी के 4 सामान्य व 2 पिछड़ा वर्ग के यहाँ दोबारा भोजन बनता है। शहरी क्षेत्र में 20 परिवार में 8 अंत्योदय जिनमें 4 सामान्य तथा 2 पिछड़ी जाति व 1 अनुसूचित जाति/जनजाति के यहाँ तथा 12 पात्र गृहस्थी के 9 सामान्य 2 पिछड़ा वर्ग तथा 1 अनुसूचित जाति/जनजाति के यहाँ खाना दोबारा पकाया जाता है।


उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि कुल 93% या 372 परिवारों के यहाँ दोबारा खाना नहीं बनता है। जिनमें दुबौलिया ब्लाक ग्रामीण क्षेत्र में 28 अंत्योदय परिवार में 08 सामान्य तथा 12 पिछड़ा वर्ग तथा 8 अनुसूचित जाति के है। 164 पात्र गृहस्थी श्रेणी के परिवारों में 38 सामान्य तथा 80 पिछड़ा वर्ग तथा 46 अनुसूचित जाति/जनजाति के यहाँ दोबारा खाना नहीं पकाया जाता है। शहरी क्षेत्र बस्ती सदर में 22 अंत्योदय परिवार के

यहाँ 6 सामान्य, 12 पिछड़ी जाति तथा 4 अनुसूचित जाति/जनजाति के यहाँ दोबारा खाना नहीं पकता है। पात्र गृहस्थी के 158 परिवारों में 30 सामान्य तथा 70 पिछड़ा वर्ग तथा 58 अनुसूचित जाति/जनजाति के यहाँ दोबारा खाना नहीं पकाया जाता है। इसका मुख्य कारण चाहे राशन की अनुपलब्धता या अन्य कोई कारण हो।

तालिका – (5.27) आपके परिवार में भोजन का स्तर क्या है ?

| बस्ती जनपद | वर्ष के अधिकांश भाग में प्रतिदिन एक बार से कम भोजन | प्रतिदिन एक बार भोजन | वर्ष के अधिकांश भाग में प्रतिदिन दो बार से कम भोजन | पूरे वर्ष प्रतिदिन दो बार भोजन | पूरे वर्ष पर्याप्त भोजन | कुल |
|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | — | 2 | 8 | 130 | 60 | 200 |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | — | 4 | 8 | 120 | 68 | 200 |
| कुल | — | 6, 1.5% | 16, 4% | 250, 62.5% | 128, 32% | 400 |

Source: Based on field survey.



Source: Based on field survey.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती जनपद में कुल 1.5% या 6 परिवार के लोग प्रतिदिन एक बार भोजन करते हैं। इनमें 1 पिछड़ा वर्ग व 4 अनुसूचित जाति तथा 1 अनुसूचित जनजाति से है। वर्ष के अधिकांश भाग में प्रतिदिन दो बार से कम भोजन करने वालों का प्रतिशत 4% या 16 परिवार है। इनमें 2 सामान्य 8 पिछड़ी जाति तथा 6 अनुसूचित जाति व जनजाति से है। पूरे वर्ष प्रतिदिन दो बार भोजन करने वालों का प्रतिशत 62.5 या 250 परिवारों का है। इनमें से 80 सामान्य 110 पिछड़ा वर्ग तथा 60 अनुसूचित जाति व जनजाति से है। ये परिवार अंत्योदय, बी0 पी0 एल0 व पात्र गृहस्थी श्रेणी के हैं। पूरे वर्ष पर्याप्त भोजन करने वालों का प्रतिशत 32% या 128 परिवार है। इनमें से 40 सामान्य, 50 पिछड़ा वर्ग तथा 38 अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। ये परिवार अंत्योदय व पात्र गृहस्थी श्रेणी के हैं। इसमें 30 परिवार ए0 पी0 एल0 के भी समाहित है।

वर्ष के अधिकांश भागों में प्रतिदिन दो बार से कम भोजन या प्रतिदिन एक बार से कम भोजन या प्रतिदिन एक बार से कम भोजन करने वालों के भोजन स्तर पर बात करने पर पता चलता है कि कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो अंत्योदय या पात्र गृहस्थी की सूची में हैं। लेकिन समय पर राशन न मिलना या कोटे के राशन का एक बार वितरण तथा दूसरे महीने में कोटेदार द्वारा बाहर बाजार में बेच देना या घटतौली आदि प्रमुख कारण है।

तालिका – (5.28) आपके परिवार में प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुएँ –

| क्र० सं० | खाद्य वस्तुएँ | मात्रा (किग्रा) | प्राप्त कैलोरी |
|----------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | चावल | 0.800 | 160 |
| 2 | आटा | 2.000 | 400 |
| 3 | चीनी | 0.250 | 50 |
| 4 | दालें | 0.200 | 40 |
| 5 | सब्जियाँ | 2.000 | 400 |
| 6 | तेल | 0.200 | 40 |
| 7 | दूध | 2.000 | 400 |
| 8 | फल | — | |
| 9 | मांसाहार | — | |
| 10 | अन्य | — | 300 |
| | योग | 7.450 | 1790 |

Source: Based on field survey.

सूत्र: प्रतिदिन औसत प्राप्त कैलोरी कुल मात्रा/परिवार का औसत आकार

तालिका से स्पष्ट है कि हर एक परिवार प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में निम्न प्रमुख खाद्य वस्तुओं का उपभोग करते हैं— आटा, चावल, दाल, सब्जी, चीनी, तेल, दूध (चाय या पीने में)। अगर शांता कुमार कमेटी के अनुसार परिवारों के आकार को यदि राष्ट्रीय औसत (5) ही माना जाता है तो प्रतिदिन के उपभोग की कुल कैलोरी 1790 या 1800 कैलोरी ही मिल पाती है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ भौतिक खाद्य सुरक्षा से लगाया जाता है अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र व 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी आवश्यकताओं को पूरा करने लायक खाद्यान्न विद्यमान हों।⁶ बस्ती जनपद के भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुओं का औसत लगभग 1800 कैलोरी ही पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में भी ग्रामीण की अपेक्षा राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ग्रामीण ब्लाक दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभाओं में बी0पी0एल0 व अंत्योदय श्रेणी के कुल 18 लोगों के यहाँ तो यह स्थिति और खराब है। इसी तरह शहरी क्षेत्र बस्ती सदर में कटरा, आवास विकास कालोनी में तथा दूसरे टाउन कम्पनीबाग, बैरियहवा में भी 13 लोगों के यहाँ स्थिति खराब है। इसमें 8 बी0पी0एल0 श्रेणी तथा 5 अंत्योदय श्रेणी के हैं। सबसे ज्यादा खाद्य सुरक्षा के जरूरतमंद लोगों में यह स्थिति अभी भी जिले में विद्यमान है। खाद्य सुरक्षा की समस्या का प्रमुख कारण सरकारी राशन की दुकानों से नियमित व पूरा राशन न मिलना है। अगर शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं राशन मिलता है तो वहाँ गुणवत्ता की समस्या है। चावल और गेहूँ एकदम दोयम दर्जे का ही सरकारी राशन की दुकानों पर वितरण के लिए आता है। पी0डी0एस0 के तहत गेहूँ व चावल के अलावा दाल कभी-कभी मटर की ही देने को आती है। चीनी भी एकदम पतले दाने की आती है। ये बातें साक्षात्कार के दौरान दोनों ब्लाकों बस्ती सदर व दुबौलिया ब्लाक के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जानने को मिलती है। इसी आधार पर सम्पूर्ण जिले में राशन वितरण का अनुमान लगाया जा सकता है। 5 व्यक्ति के औसत परिवार में न्यूनतम लगभग 1800 कैलोरी दोनों ब्लाकों के बी0पी0एल0 व अंत्योदय के पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के 31 लोगों में ज्यादा देखने को मिला। खाद्य सुरक्षा की समस्या के रूप में राशन वितरण, गुणवत्ता, लाभार्थी के चयन व रैण्डम चेकिंग व कार्ड पर पूरा राशन नियमित दिलाने के लिए सरकारों को अपनी नीतियों में प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य करना चाहिए।

5.13 सरकारी योजनाएँ और विकास का स्तर :-

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के दोनों ब्लाकों ग्रामीण दुबौलिया ब्लाक व शहरी बस्ती सदर में जरूरतमंदों व गरीब पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजनायें चलायी जा रही हैं, जो निम्न हैं— मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, महामाया गरीबी अनुदान योजना, हेल्थकार्ड योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, अन्नपूर्णा योजना, पी0डी0एस से केरोसिन, दाल, चावल, चीनी, गेहूँ आदि मिलती है। इन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। लेकिन सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के चयन पर ही 80% लोग प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

⁶ श्याम, डॉ० सुन्दर सिंह, "खाद्य सुरक्षा की दिशा में सार्थक प्रयास", द्वारा कुरुक्षेत्र, मार्च 2011 (विशेषांक), नई दिल्ली, पेज - 2 व 3।

तालिका- (5.29) आप या आपके परिवार को किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है ?

| बस्ती | मनरेगा | | | इंदिरा आवास योजना | | | महामाया गरीबी अनुदान योजना | | | मध्याह्न भोजन | | | पी0 डी0 एस0 का लाभ | | | अन्नपूर्णा / अंत्योदय योजना | | | हेल्थ कार्ड योजना | | |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | स मा न्य | पि छ डा वर्ग | अनु सूचित /जन जाति | स मा न्य | पि छ डा वर्ग | अनु सूचित /जन जाति | स मा न्य | पि छ डा वर्ग | अनु सूचित /जन जाति | स मा न्य | पि छ डा वर्ग | अनु सूचित /जन जाति | स मा न्य | पि छ डा वर्ग | अनु सूचित /जन जाति | स मा न्य | पि छ डा वर्ग | अनु सूचित /जन जाति | स मा न्य | पि छ डा वर्ग | अनु सूचित /जन जाति |
| दुबौलिया ब्लाक (ग्रामीण) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| खुशहालगंज | — | 2 | 8 | — | 3 | 7 | — | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 10 | 15 | 25 | 1 | 8 | 10 | — | — | 3 |
| बंजरिया सूबी | — | 1 | 9 | — | 2 | 9 | — | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 10 | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | — | — | 5 |
| कुल | 20 या 10% | | | 21 या 10.5% | | | 10 या 5% | | | 38 या 19% | | | 98 या 49% | | | 41 या 20.5% | | | 8 या 4% | | |
| बस्ती सदर ब्लाक (शहरी) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कटरा आवास विकास कालोनी | — | — | — | — | 2 | 6 | — | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 17 | 36 | 2 | 10 | 10 | — | 2 | 3 |
| कम्पनीबाग बैरियहवा | — | — | — | — | 5 | 6 | — | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 22 | 38 | 2 | 8 | 8 | — | 1 | 4 |
| कुल | — | | | 19 या 9.5% | | | 17 या 8.5% | | | 32 या 16% | | | 124 या 62% | | | 40 या 20% | | | 10 या 5% | | |

Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती-जनपद के ग्रामीण दुबौलिया ब्लाक में मनरेगा योजना के तहत पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के 10% जॉब कार्ड बने हुए हैं। जो मुख्यतः अंत्योदय व बी0पी0एल0 श्रेणी के हैं। इसी तरह इंदिरा आवास योजना भी ग्रामीण दुबौलिया क्षेत्र में 10.5% लोगों व शहरी क्षेत्रों में मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना का लाभ 9.5% लोगों को मिल रहा है। महामाया गरीब अनुदान योजना ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक में 5% तथा शहरी क्षेत्र में 8.5% लोगों को मिल रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में 19% तथा शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक में 16% लोगों जिसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों सभी का प्रतिनिधित्व है। इनमें अनुसूचित व जनजाति के लोग 18.5% या 37 लोग हैं। इसी तरह अंत्योदय अन्न योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में 20.5% या 41 लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में 20% या 40 लोगों को जिनमें पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक है। इसका प्रमुख कारण एक तो जिले में इनकी सर्वाधिक संख्या है तथा वे अत्यन्त गरीब व अविकसित हैं। उन्हीं लोगों के सर्वाधिक कार्ड बने हुए हैं।

हेल्थ कार्ड योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में 8 या 4% अनुसूचित जाति के लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में 5% या 10 लोगों जिनमें पिछड़ा वर्ग 3 या 1.5% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के 7 या 3.5% लोगों के बी0पी0एल0 हेल्थ कार्ड बने हुए हैं। वे सरकारी अस्पतालों में जाकर इन कार्डों से निःशुल्क जाँच व इलाज करा रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित पी0डी0एस0 योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में 98 या 49% लोगों जिनमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित/जनजाति के लोगों का प्रतिशत क्रमशः 5% या 20, 31 या 15.5% तथा 47 या 23.5% लोगों में मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में पी0डी0एस0 से गेहूँ, चावल, दाल, चीनी, व केरोसिन आदि लेने वालों की कुल संख्या 124 या 62% है। इनमें सामान्य 11 या 5.5% पिछड़ी जाति के 39 या 19.5% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के 74 या 37% लोग पी0डी0एस0 के तहत खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं।

अगर तालिका को देखा जाय तो पी0डी0एस0 का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग ले रहे हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पी0डी0एस0 से राशन कम बिक्री के होने का मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में दुबौलिया ब्लाक के कोटेदारों द्वारा नियमित हर महीने राशन का वितरण न करना है। कोटे के राशन का एक उठान की बिक्री कोटेदार यदि एक माह में करता है तो दूसरे माह (लेट-लतीफी) राशन लाने में देरी कर, खुले बाजार में ब्लैक कर कोटेदार व ग्राम प्रधान लाभ अर्जित कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सम्पन्न लोगों के राशन कार्ड ऐसे भी बने हैं जिनको ग्राम प्रधान व कोटेदार मिलीभगत कर एक नेक्सस रूप में उनके कार्डों

को अपने पास रखते हैं। उन पर मिलने वाले राशन की अवैध बिक्री कर दोनों लाभ कमाते हैं।


ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में पीडीएस से मिलने वाले राशन के मामले में ऐसी स्थिति बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्योंकि वहाँ पर अधिकांशतः सभी जातियों के लोग अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक दिखते हैं।

तालिका- (5.30) किसी योजना की प्राप्ति के लिए सुविधा शुल्क या घूस देना पड़ा है?

| बस्ती जिला | हाँ | नहीं | कुल |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | 160, 80% | 40, 20% | 200, 100% |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | 110, 55% | 90, 45% | 200, 100% |
| कुल | 270, 67.5% | 130, 32.50% | 400, 100% |

Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के दुबौलिया ब्लाक में किसी भी योजना की प्राप्ति के लिए दोनों ग्राम सभाओं में 80% लोगों या 160 लोगों द्वारा सुविधा शुल्क को देने की बात स्वीकार करते हैं जबकि 20% या 40 लोग नहीं देने की बात कहते हैं। सुविधा शुल्क देने वालों में अधिकांशतः, निरक्षर, कम पढ़े लिखे लोग तथा बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारक के लोग 70% है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55% या 110 लोग किसी योजना की पात्रता प्राप्ति के लिए घूस देने की बात स्वीकार करते हैं तथा 45% लोग सुविधा शुल्क नहीं देने की बात करते हैं।




Source: Based on field survey.

इस तरह सम्पूर्ण जिले में कुल 67.50 लोग (270 लोग) किसी योजना के लिए पात्रता प्राप्ति में सुविधा शुल्क देने की बात स्वीकार करते हैं जबकि 32.50 या 130 लोग सुविधा शुल्क नहीं देने की बात करते हैं। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में सुविधा शुल्क देने वालों में अधिकांश लोग बी0पी0एल0 व अंत्योदय श्रेणी के पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति/जनजाति के निरक्षर, कम पढ़ें लिखें लोग हैं। जबकि सभी जातियों के कुछ कार्डधारक जो पढ़े लिखें व विकसित लोग हैं वे बगैर किसी सुविधा शुल्क के सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

तालिका- (5.31) क्या विकास याजनाओं के बँटवारे में गाँव/टाउन के प्रभुत्वशाली व्यक्ति या गुट का हस्तक्षेप रहता है ?

| बस्ती जिला | हाँ | नहीं | पता नहीं | कुल |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक | 130, 65% | 58, 29% | 12, 6% | 200, 100% |
| शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक | 110, 55% | 74, 37% | 16, 8% | 200, 100% |
| कुल | 240, 60% | 132, 33% | 28, 7% | 400, 100% |

Source: Based on field survey.



Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बस्ती जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के दोनों ग्राम सभाओं में विकास योजनाओं के बंटवारे में गाँव के प्रभुत्वशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप करने की बात पर 6.5% या 130 लोग हाँ तथा 58 या 29% नहीं तथा 6% या 12 लोग पता नहीं का उत्तर देते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में योजनाओं के बंटवारे टाउन के प्रभुत्वशाली या गुट के हस्तक्षेप की बात पर 55% या 110 लोग हाँ, 37% या 74 लोग नहीं तथा 8% या 16 लोग पता नहीं का उत्तर देते हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण जिले ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुल 60% लोग योजनाओं के बंटवारे में प्रभुत्वशाली व्यक्ति/गुट के हस्तक्षेप की बात 240 लोग स्वीकार करते हैं, 132 या 33% लोग नहीं तथा 7% या 14 लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। प्रभुत्वशाली व्यक्ति/गुट के हस्तक्षेप की बात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक अंत्योदय व बी0पी0एल0 श्रेणी के लोगों को भी अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लोगों में देखने को मिली। ऐसा होने का प्रमुख कारण उन लोगों का ज्यादा संख्या में निरक्षर व अविकसित होना है।


तालिका- (5.32) आपके मतानुसार सरकारी विकास याजनाओं से पात्रों को कितना लाभ मिला है ?

| बस्ती | पूर्णतः | अधिकांशतः | आंशिक | लाभ नहीं मिल रहा | कुल |
|------------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|--------------|
| ग्रामीण ब्लॉक दुबौलिया बाजार | 10, 5% | 30, 15% | 140, 70% | 20, 10% | 200 |
| शहरी ब्लॉक बस्ती सदर | 20, 10% | 34, 17% | 110, 55% | 36, 18% | 200 |
| कुल | 30, 7.5% | 64, 16% | 250, 62.5% | 38, 9.5% | 400, 100% |

Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरकारी विकास योजनाओं से पात्रों को लाभ मिलने के मामले में सम्पूर्ण बस्ती जिले के दोनों ब्लॉकों में कुल 30 या 7.5% पूर्णतः, 64 या 16% अधिकांशतः तथा 250 या 62.5% आंशिक लाभ मिलने की बात कही और 38 या 9.5% न किसी भी प्रकार के लाभ न मिलने की बात कही।

इनमें ग्रामीण ब्लॉक दुबौलिया बाजार में 10 या 5% पूर्णतः, 30 या 15% आंशिक तथा 140 या 70% लोग आंशिक लाभ होने की बात बताते हैं। 20 या 10% लोग किसी भी तरह के लाभ न मिलने की बात बताते हैं।



Source: Based on field survey.


इसी प्रकार शहरी ब्लाक बस्ती सदर के दोनों टाउन क्षेत्रों में भी 20 या 10% आंशिक, 34 या 17% अधिकांशतः तथा 55% या 110 लोग आंशिक लाभ मिलने की बात बताते हैं। 36 या 18% लोग किसी भी प्रकार के लाभ न मिलने की बात बताते हैं।

सरकारी विकास योजनाओं से पात्रों को लाभ मिलने की बात पर हर कोई जाति वर्ग व अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल व पात्र गृहस्थी के लोग हर किसी विकास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। जिन लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता वे सर्वेक्षण में शामिल बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) व अन्य अधिकारियों द्वारा घोषित पात्रता सूची पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

तालिका— (5.33) यदि पात्र व्यक्तियों को विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके क्या कारण है ?

| बस्ती जनपद | भ्रष्टाचार | जातिवाद | भाई-भतीजावाद | राजनीतिक प्रभुत्व | बीपीएल / अंत्योदय सूची बनाने में पक्षपात | कुल |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--|-----|
| ग्रामीण ब्लाक दुबौलिया बाजार | 30, 15% | 70, 35% | 60, 30% | 2, 1% | 38, 19% | 200 |
| शहरी ब्लाक बस्ती सदर | 80, 40% | 20, 10% | 8, 4% | 12, 6% | 80, 40% | 200 |
| कुल | 110, 27.5% | 90, 22.5% | 68, 17% | 14, 3.50% | 118, 29.5% | 400 |

Source: Based on field survey.



Source: Based on field survey.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है यदि जनपद में पात्र व्यक्तियों को सरकार की तरफ से संचालित विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो ग्रामीण शहरी ब्लकों में कुल 110 या 27.5% लोग भ्रष्टाचार को, 90 या 22.5% लोग जातिवाद को, 68 या 17% लोग भाई – भतीजावाद को 14 या 3.5% लोग राजनीतिक प्रभुत्व को तथा 118 या 29.5% लोग बीपीएल या अंत्योदय सूची बनवाने में पक्षपात को बतलाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लक के दोनों ग्राम सभाओं में सर्वाधिक 70 या 35% लोग जातिवाद, 60 या 30% भाई-भतीजावाद, 38 या 19% लोग बीपीएल/अंत्योदय सूची बनवाने में पक्षपात, 30 या 15% लोग भ्रष्टाचार तथा 1% या 2 लोग राजनीतिक प्रभुत्व को पात्र व्यक्तियों को विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का कारण बताते हैं। तो वहीं शहरी क्षेत्र बस्ती सदर के दोनों टाउन क्षेत्रों में 80 या 40% लोग भ्रष्टाचार को, 80 या 40% लोग अंत्योदय/बीपीएल सूची बनवाने में पक्षपात को, 20 या 10% लोग जातिवाद को 12 या 6% लोग राजनीतिक प्रभुत्व को तथा 8 या 4% लोग भाई-भतीजावाद को पात्र व्यक्तियों को विकास योजनाओं के लाभ न मिलने का कारण बताते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लक के दोनों ग्राम सभाओं में मनरेगा योजना से लाभान्वितों के कार्ड तो बने हुए हैं, लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य को 100 दिन तक रोजगार की गारण्टी का प्रश्न केवल नियम कानून में ही है, उसका पालन पूर्णतः ग्राम प्रधानों द्वारा नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे प्रभुत्वशाली लोगों के भी कार्ड बने हैं, जिनको काम की आवश्यकता ही नहीं उनके नामों से केवल सरकारी धन की उगाही ग्राम प्रधानों द्वारा कर ली जाती है। ऐसी सूची में सामान्य जाति के लोगों के कार्ड हैं,

पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के लोगों में से कुछ लोगों को तो यदि काम मिल जाता है तो कर लेते हैं अन्यथा वे कार्ड धारक दैनिक मजदूरी सम्पन्न वर्ग के यहाँ करते हैं।

स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे संगठन बिल्कुल नगण्य हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक में कई ऐसे स्वयं सहायता समूह गठित हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की मदद भी करते हैं। जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि प्रमुख क्षेत्रों में लोगों की सहायता भी करती है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक भी सहायता समूह (गैर सरकारी) गठित हैं भी तो वे केवल कागजों में ही है। वे सरकारी अनुदान प्राप्त कर स्वयं का ही पेट भर रहे है।

5.14 अवलोकन एवं विमर्श :-

अन्तिम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सम्पूर्ण बस्ती जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 के तहत राशनकार्डों में अब परिवार का मुखिया घर की महिला को बनाया गया है तथा उन्ही के नाम से ही पात्र गृहस्थी श्रेणी का राशन कार्ड बनाकर खाद्य सुरक्षा दी जाती है। बस्ती जिले के चयनित दोनों ब्लाकों में अधिकांश महिलायें बिल्कुल भी जागरुक नहीं हैं। शहरी ब्लाक बस्ती सदर में भी यह दिखलायी देता है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में मकान का स्वरूप विशेषकर बी0पी0एल0, अंत्योदय व ए0पी0एल0 तथा पात्र गृहस्थी समूह के लोगों के मकान का स्वरूप अच्छा है। जबकि अन्त्योदय समूह के लोगों के मकान दोनों ही ब्लाकों में काफी दयनीय हालात में हैं। इन्हे सभी विकास योजनाओं का लाभ प्रमुखता से मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में शौचालय, स्नानघर, रसोईघर आदि सुविधायें (आधारभूत सुविधायें) थोड़ी अधिक तो है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर हैं भी तो वह ए0पी0एल0 व पात्र गृहस्थी श्रेणी के लोगों के यहाँ ही दिखती है, अंत्योदय व बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के यहाँ ये स्थितियों बिल्कुल ही नगण्य है। पेयजल का स्रोत नल है। जो सरकारी पेयजल सुविधा के तहत टंकियों द्वारा समय-समय पर सुबह-शाम पानी (पेयजल) की आपूर्ति करती हैं। अब पहले की तरह पेयजल की स्थिति नहीं है, अब कोई भी जाति/वर्ग के कार्ड धारक कुएँ, तालाब या पोखरे का पानी नहीं पीते हैं।

जनपद के शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बी0पी0एल0 व अंत्योदय पात्रता वाले लोगों के पास सर्वाधिक जरूरी साइकिलें तो है हीं। लेकिन मोटर साइकिल, ट्रैक्टर व स्कूटर रखने वाले ज्यादातर लोग कुछ सम्पन्न व ए0पी0एल0 श्रेणी के लोग ही हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जिनके यहाँ बिजली नहीं है, वे मुख्यतः अंत्योदय या बी0पी0एल0 श्रेणी के अत्यन्त विपन्न व गरीब परिवार है। ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभाओं में चयनित सभी लोगों की सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय न्यूनतम 6000/- रुपया प्रति परिवार आती है। जिसको वे लोग शिक्षा, त्योहार, मनोरंजन, ईंधन बिजली, ड्रेस, कपड़े, शराब, पान तम्बाकू, सिगरेट, आदि अन्य चीजें में खर्च करते हैं। तो वहीं शहरी क्षेत्र बस्ती सदर के भी दोनों टाउन के निवासियों की मासिक आय लगभग न्यूनतम 7000/- रुपया प्रति परिवार ही आती है, जिससे वे अपनी सभी आवश्यकता की पूर्ति करते है। उनके परिवार के महिलायें/बच्चे भी उनके घरेलू कार्यों, कृषि कार्य में व

कुछ लोगों के यहाँ बच्चे भी मजदूरी करके अपने परिवार के मुखिया का सहयोग भी करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभाओं में 80% या 160 किसानों की फसलों का नुकसान कभी न कभी जरूर हुआ है। उनमें मुख्य कारण सरयू नदी में आने वाली हर वर्ष की बाढ़ है। जिसके कारण खरीफ की फसलें अधिकांशतः नष्ट हो जाती हैं तथा खाद्य असुरक्षा की स्थिति और भी कठिन हो जाती है। कुछ अन्य कारण भी फसलों के नुकसान होने के हैं— सूखा से, जानवरों से, आग से आदि। ऐसी स्थिति पैदा होने पर अंत्योदय, बी0पी0एल0 व अन्य छोटे गरीब लोग जो मध्यम किसान हैं, उनके सामने खाद्य असुरक्षा पैदा होती है। तब उनको निःसन्देह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पी0डी0एस0 से दिए जाने वाले मासिक राशन की उपयोगिता बढ़ जाती है। कोटेदारों द्वारा न्यूनतम दर पर दिया जाने वाला मासिक राशन ही उन्हें भुखमरी व कुपोषण से बचाने में तब मदद भी करता है। यह स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा भुखमरी, गरीबी व कुपोषण से निपटने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रासंगिकता बनी हुई है। जिसके तहत जरूरतमन्दों को सरकारी राशन की दुकानों से कम मूल्य पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। पात्र गृहस्थी श्रेणी की लिस्ट को आधुनिक करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जिसके तहत हर जाति के लोगों के आय, जाति, निवास आदि को लेकर जाँच प्रक्रिया अभी की जा रही है तथा राशनकार्डों को अद्यतन कर तथा जाँचा/परखा जा रहा है।

सरकार द्वारा संचालित राशन की दुकानों से पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्डों पर गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, नमक आदि मुख्य वस्तुएं कम दरों पर दी जाती हैं। पात्र गृहस्थी श्रेणी को प्रति परिवार प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो व अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल, गेहूँ व मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 व 1 रु0 प्रति किलो उपलब्ध कराया जाता है। औसतन एक व्यक्ति के परिवार में 5 या 6 लोग होते हैं। सरकारी आंकड़ों के तहत इतना राशन दिया जाना पर्याप्त है। लेकिन राशन की दुकानों पर नियमित महीने में राशन का वितरण न किया जाना उनके लिए अपर्याप्तता का कारण होता है। अपर्याप्त बतलाने का कारण नियमित व पूरा राशन न वितरित किया जाना है। कभी-कभी तो घटतौली व गुणवत्ता आदि के बारे में भी राशनकार्ड धारकों द्वारा समय-समय पर प्रश्न उठाये जाते रहे हैं।

यदि किसी कारणवश (गरीबी, बेकारी, क्रय क्षमता का अभाव) ये राशन कार्ड धारक खाद्यान्न नहीं खरीद पाते या कम खरीदते हैं तो उनके परिवार को भुखमरी तथा कुपोषण व अल्प पोषण का सामना करना पड़ता है। राज्यों को अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप इन मुद्दों को अपनी योजनाओं में दृष्टिगत करने की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं के तहत जैसे तो अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न, 10 किलो गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो तथा 25 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो दिए जाने का हर महीने प्रावधान है। इसी तरह पात्र गृहस्थी के कार्डों पर प्रति यूनिट/प्रति सदस्य एक परिवार को 5 किलो खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है। खाद्यान्नों में गेहूँ, चावल व मोटा अनाज

क्रमशः 2, 3 व 1 रु० प्रति किलो ग्राम की दर पर दिए जाने की व्यवस्था भी है। जो खाद्य असुरक्षित लोगों को पूर्णतः खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। जिससे भुखमरी व कुपोषण दूर करने में भी काफी मदद मिलती है।

इसी प्रकार से पूर्व में प्रचलित बी०पी०एल० श्रेणी के राशन कार्डों पर भी पूर्वी उ० प्र० के 9 मण्डलों में 10 किलो गेहूँ व 25 किलो चावल तथा पश्चिमी उ० प्र० के 8 मण्डलों में 15 किलो गेहूँ व 20 किलो चावल राशन की दुकानों पर न्यूनतम कीमत पर क्रमशः 4.65 रुपया गेहूँ व 6.15 रुपया चावल उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह ए०पी०एल० के कार्डों पर भी पूर्वी उ० प्र० में 10 किलो गेहूँ व 25 किलो चावल तथा पश्चिमी उ० प्र० में 15 किलो गेहूँ व 20 किलो चावल बाजार दर अधिक होने पर मांग के अनुसार उपलब्ध कराये जाते रहे हैं। सरकार की ये योजना जरूरतमंद गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी।

राशन कार्ड धारक अपनी खाद्य की जरूरतें इन राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन से पूरी करने में पूरी तरह निर्भर है। ग्रामीण दुबौलिया ब्लाक व शहरी बस्ती सदर ब्लाक दोनों क्षेत्रों में प्रमुख रूप से गेहूँ व चावल तथा नमक व मिट्टी का तेल का वितरण ही पूर्वी उ० प्र० के बस्ती जनपद में किया जा रहा है। जबकि चीनी की आपूर्ति केवल त्योहारी सीजन में ही की जाती है। दालों की आपूर्ति यदि कभी कभार की जाती है वो भी मटर की। जिले की अधिकांश आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की इस व्यवस्था से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करती है।

उत्तर प्रदेश का बस्ती जनपद मूलतः कृषि प्रधान तराई का उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति के कारण यहाँ रबी और खरीफ की फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। जिन किसानों के पास अपना निजी खेत होता है, वे उनमें गेहूँ, धान, सरसों, मसूर, गन्ना आदि मुख्य नकदी फसलों का उत्पादन भी करते हैं। लेकिन खेतों की छोटी जोत के कारण उपजायी गयी ज्यादातर फसलें अपने उपभोग में खर्च कर देते हैं। केवल गन्ना (मिलों द्वारा) तथा गेहूँ, धान, आदि की ही बिक्री किसान सहकारी समितियों द्वारा की जाती है। बस्ती जनपद की अधिकांश जनसंख्या जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वो पूरी तरह कृषि उत्पादन पर ही निर्भर है। छोटी जोत के कारण जिनके खेत भी नहीं हैं, उनमें से कुछ किसान बड़े जमींदारों व कृषकों तथा अन्य ऐसे लोग जो कि भू सम्पदा अधिक होने पर स्वयं अपने से पूरी खेती नहीं करते हैं, वे उनसे बटाई/गल्ले पर उनके खेतों में कृषि कर अपने उपयोग के खाद्यान्न की फसलें उगाते हैं। जिनमें गेहूँ, धान, सरसों, मसूर आदि आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना मुख्य नकदी फसल है, लेकिन गन्ने का उचित दाम व समय पर बिक्री न होने के कारण जिले के अधिकांश किसानों का ध्यान अब गेहूँ की तरफ मुड़ा है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक में गेहूँ, धान, सरसों व गन्ने तथा मसूर को फसल की पैदावार करते हैं। पैदा की गयी फसलों में गेहूँ व धान कृषि सहकारी समितियों तथा गन्ने को मिलों द्वारा लगवाये गये काँटों पर बिक्री कर उचित लाभ अर्जित करते हैं। जिले के अधिकतर किसान अपने द्वारा पैदा किए

गए फसलों को पहले अपने लिए वर्ष भर के उपभोग के लिए रखकर ही बिक्री करते हैं। कुछ लघु व सीमान्त कृषक अपनी फसलों को प्राइवेट मंडियों व आढ़तियों को अपने उपभोग के बाद शेष बचे खाद्यान्न की बिक्री करते हैं।

जनपद के दुबौलिया ब्लाक ग्रामीण क्षेत्र व शहरी ब्लाक बस्ती सदर में अधिकांश परिवार जो कि बी0पी0एल0, ए0पी0एल0, अंत्योदय व नई सूची पात्र गृहस्थी के जो भी परिवार है वे खाद्य सुरक्षा के तहत अपने वर्ष भर के उपभोग के लिए अपनी उत्पादित फसलों को रखते हैं, फिर बचे अनाज की बिक्री करते हैं। यदि जिनके द्वारा उत्पादन के लिए खेत नहीं है तो (शहरी ब्लाक बस्ती सदर की अधिकांश परिवार) वे पूरी तरह राशन की सरकार द्वारा संचालित दुकानों पर निर्भर रहते हैं। शहरी क्षेत्र में भी जो परिवार है, यदि उनका जुड़ाव गाँव से है तो लगभग 20% लोग अपने कृषि उत्पादन से खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करते हैं।

वर्ष के अधिकांश भागों में प्रतिदिन दो बार से कम भोजन या प्रतिदिन एक बार से कम भोजन या प्रतिदिन एक बार से कम भोजन करने वालों के भोजन स्तर पर बात करने पर पता चलता है कि कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो अंत्योदय या पात्र गृहस्थी की सूची में हैं। लेकिन समय पर राशन न मिलना या कोटे के राशन का एक बार वितरण तथा दूसरे महीने में कोटेदार द्वारा बाहर बाजार में बेंच देना या घटतौली आदि प्रमुख कारण हैं।

खाद्य सुरक्षा की समस्या का प्रमुख कारण सरकारी राशन की दुकानों से नियमित व पूरा राशन न मिलना है। अगर शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं राशन मिलता है तो वहाँ गुणवत्ता की समस्या है। चावल और गेहूँ एकदम दोयम दर्जे का ही सरकारी राशन की दुकानों पर वितरण के लिए आता है। पी0डी0एस0 के तहत गेहूँ व चावल के अलावा दाल कभी-कभी मटर की ही देने को आती है। चीनी भी एकदम पतले दाने की आती है। ये बाते साक्षात्कार के दौरान दोनों ब्लाकों बस्ती सदर व दुबौलिया ब्लाक के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जानने को मिलती है। इसी आधार पर सम्पूर्ण जिले में राशन वितरण का अनुमान लगाया जा सकता है। 5 व्यक्ति के औसत परिवार में न्यूनतम लगभग 1800 कैलोरी दोनों ब्लाकों के बी0पी0एल0 व अंत्योदय के पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के 31 लोगों में ज्यादा देखने को मिला। खाद्य सुरक्षा की समस्या के रूप में राशन वितरण, गुणवत्ता, लाभार्थी के चयन व रैण्डम चेकिंग व कार्ड पर पूरा राशन नियमित दिलाने के लिए सरकारों को अपनी नीतियों में प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के दोनों ब्लाकों ग्रामीण दुबौलिया ब्लाक व शहरी बस्ती सदर में जरूरतमंदों व गरीब पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजनायें चलायी जा रही हैं, जो निम्न हैं – मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, महामाया गरीबी अनुदान योजना, हेल्थकार्ड योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, अन्नपूर्णा योजना, पी0डी0एस0 से केरोसिन, दाल, चावल, चीनी, गेहूँ आदि मिलती है। इन योजनाओं का

लाभ उनको मिल रहा है। लेकिन सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के चयन पर ही 80% लोग प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पी0डी0एस0 से राशन कम बिक्री के होने प्रतिशत का मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में दुबौलिया ब्लाक के कोटेदारों द्वारा नियमित हर महीने राशन का वितरण न करना है। कोटे के राशन का एक उठान की बिक्री कोटेदार यदि एक माह में करता है तो दूसरे माह (लेट-लतीफी) राशन लाने में देरी कर, खुले बाजार में ब्लैक कर कोटेदार व ग्राम प्रधान लाभ अर्जित कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सम्पन्न लोगों के राशन कार्ड ऐसे भी बने हैं जिनको ग्राम प्रधान व कोटेदार मिलीभगत कर एक नेक्सस रूप में उनके कार्डों को अपने पास रखते हैं। उन पर मिलने वाले राशन की अवैध बिक्री कर दोनों लाभ कमाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में पी0डी0एस0 से मिलने वाले राशन के मामले में ऐसी स्थिति बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण वहाँ पर अधिकांशतः सभी जातियों के लिए अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरुक दिखते हैं। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में सुविधा शुल्क देने वालों में अधिकांश लोग बी0पी0एल0 व अंत्योदय श्रेणी के पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति/जनजाति के निरक्षर, कम पढ़ें लिखें लोग हैं। जबकि सभी जातियों के कुछ कार्डधारक जो पढ़े लिखें व विकसित लोग हैं, वे बगैर किसी सुविधा शुल्क के सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

योजनाओं में प्रभुत्वशाली व्यक्ति/गुट के हस्तक्षेप की बात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः सर्वाधिक अंत्योदय व बी0पी0एल0 श्रेणी के लोगों को भी अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लोगों में देखने को मिली। ऐसा होने का प्रमुख कारण उन लोगों का ज्यादा संख्या में निरक्षर व अविकसित होना है। सरकारी विकास योजनाओं से पात्रों को लाभ मिलने की बात पर हर कोई जाति वर्ग व अंत्योदय, बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 व पात्र गृहस्थी के लोग हर किसी विकास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। जिन लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता वे सर्वेक्षण में शामिल बूथ लेवल अधिकारी (बी0एल0ओ0) व अन्य अधिकारियों द्वारा घोषित पात्रता सूची पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र दुबौलिया ब्लाक के दोनों ग्राम सभाओं में मनरेगा योजना से लाभान्वितों के कार्ड तो बने हुए हैं, लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य को 100 दिन तक रोजगार की गारण्टी का प्रश्न केवल नियम कानून में ही है, उसका पालन पूर्णतः ग्राम प्रधानों द्वारा नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे प्रभुत्वशाली लोगों के भी कार्ड बने हैं, जिनको काम की आवश्यकता ही नहीं उनके नामों से केवल सरकारी धन की उगाही ग्राम प्रधानों द्वारा कर ली जाती है। ऐसी सूची में सामान्य जाति के लोगों के कार्ड हैं, पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के लोगों में से कुछ लोगों को तो यदि काम मिल जाता है तो कर लेते हैं अन्यथा वे कार्ड धारक दैनिक मजदूरी सम्पन्न वर्ग के यहाँ करते हैं।

स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे संगठन बिल्कुल नगण्य हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र बस्ती सदर ब्लाक में कई ऐसे स्वयं सहायता समूह

गठित हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की मदद भी करते हैं। जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि प्रमुख क्षेत्रों में लोगों की सहायता भी करती है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक भी सहायता समूह (गैर सरकारी) गठित हैं भी तो वे केवल कागजों में ही है। वे सरकारी अनुदान प्राप्त कर स्वयं का ही पेट भर रहे है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों को परिभाषित करती है। अपने जीवन के लिये हर किसी को निर्धारित पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि भोजन की जरूरत नियत समय पर पूरी हो। इसका एक पक्ष यह भी है कि आने वाले समय की अनिश्चितता को देखते हुये हमारे भण्डारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज सुरक्षित हों, जिसे जरूरत पड़ने पर तत्काल जरूरतमंद लोगों तक सुव्यवस्थित तरीके से पहुँचाया जाये। हाल के अनुभवों ने सिखाया है कि राज्य के अनाज गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक सुरक्षा के नजरिये से अनाज आपूर्ति की सुनियोजित व्यवस्था होना चाहिए। यदि समाज की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी तो लोग अन्य रचनात्मक प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभा पायेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार का दायित्व है कि बेहतर उत्पादन का वातावरण बनाये और खाद्यान्न के बाजार मूल्यों को समुदाय के हितों के अनुरूप बनाये रखे। इस स्थिति को हासिल करने के लिये उत्पादन व्यवस्था को बाजार के बजाय समाज के प्रति जवाबदेय बनाने की जरूरत है। इसके बिना भुखमरी से मुक्ति और खाद्य सुरक्षा की स्थिति को पाना संभव नहीं है। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा में मजबूती से सुधार के लिए यह काफी हद तक खाद्यान्न से सम्बंधित नीति नियन्त्राओं द्वारा लागू किए गए सब्सिडी व्यवस्था, मूल्यों, रोजगार कार्यक्रमों व लागू किए गए योजनाओं में भी सुधार आवश्यक है।

भारत में मौजूदा सभी सुरक्षा तंत्र के कल्याणकारी कार्यक्रमों में गरीबों के कवरेज के लिए सब्सिडी युक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है। इस शोध प्रबंध में खाद्य सुरक्षा की एक तुलनात्मक समीक्षा की गई है तथा इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उसके प्रबंधन से सम्बन्धित सभी मुद्दों, विफलताओं तथा सुधारों की गुंजाइशों का भी अध्ययन किया गया है।

भुखमरी व कुपोषण की समस्या का मूल कारण खाद्यान्न की उपलब्धता का न होना और उपलब्ध खाद्यान्न को सस्ती दर पर खरीदने की सामर्थ्य का न होना है। पहले प्रति व्यक्ति लगभग साढ़े चार सौ ग्राम अन्न की उपलब्धता थी, लेकिन अब यह उपलब्धता दो सौ ग्राम प्रति व्यक्ति से भी कम रह गयी है। यह स्थिति तब है जब आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन हो रहा है तथा अनाज के गोदाम भी भरे हैं।

निश्चित रूप से भुखमरी व कुपोषण के लिए प्राथमिक रूप से सरकारी नीतियों और सरकारों की प्राथमिकता को ही जिम्मेदार ठहराया जायेगा। लेकिन इसके लिए प्रशासन और समाज का पूरा ढांचा भी जिम्मेदार है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी थोप कर अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। राज्य सरकार खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के

नियमों के तहत निश्चित मात्रा में अनाज एफ0सी0आई0 के गोदाम से उठाकर जब वितरण केन्द्रों तक पहुँचाकर अपनी जिम्मेदारी समाप्त कर लेती है। लेकिन जनवितरण प्रणाली केन्द्रों से वह अनाज जन-जन तक पहुँचा या नहीं यह देखने की कोशिश कोई नहीं उठाता। सीधे जन के प्रति जिम्मेदार राजनेताओं की प्राथमिकता में भी यह नहीं है कि वे गरीबों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि आम आदमी का इससे पार पाना मुश्किल है।

हर एक राज्य भुखमरी से हो रही मौतों का कारण कुपोषण ही बताते हैं। यद्यपि केन्द्र सरकार ने अति विपन्न व्यक्तियों के लिए सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए **काम के बदले अनाज प्रदान** करने से संबंधी कुछ योजनाएँ बनायी है। लेकिन भुखमरी से हो रही मौतें इन योजनाओं को मुँह चिढ़ा रही है। क्या केन्द्र और राज्य सरकारें इतनी दुर्बल और असहाय है कि वह भुखमरी से जूझ रहे व्यक्तियों तक खाद्यान्न पहुँचाने की कोई कारगर व्यवस्था या योजनाएँ नहीं बना सकती।

हरित क्रांति के बाद ही भारत सरकार ने घोषित किया था कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। इस घोषणा के बाद आज भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में अनाज भरे पड़े है और सड़ भी रहे है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण बी0पी0एल0, अन्त्योदय व ए0पी0एल0 कार्ड पर होता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति एक बार में 20 किलो अनाज खरीदने के लिए पैसे कहां से लायेगा, यह गम्भीर विचारणीय प्रश्न है। भारत में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे है या आस पास है उनमें से ज्यादातर लोग रोज कमाते और रोज जरूरत की चीजें खरीदते है। अतः वे एक साथ 20 किलो अनाज कतई नहीं खरीद सकते। जहां तक राशन की दुकानों का सवाल है वे महीने की एक निश्चित तारीख को दुकानदार अनाज लाता है और एक निश्चित अवधि में उसे बांट कर या फिर बेच कर खत्म कर देता है। इसलिए ज्यादातर गरीब इसका लाभ नहीं ले पाते। गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर रहने वालों के बारे में एक तकनीकी पहलू यह है कि अधिकांश राज्यों में बाढ़ व सूखे की वजह से भारी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। राजस्थान, उड़ीसा, बिहार व उ0 प्र0 के बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल जैसे क्षेत्र इनके उदाहरण हैं।

खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव :-

सभी राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भी खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए राज्यों को प्रतिक्रिया स्वरूप निम्न आवश्यक सुझावों पर अमल जरूरी है। तभी खाद्य सुरक्षा कानून की अवधारणा फलीभूत हो सकती है। -

1. सभी राशन दुकानों पर इलेक्ट्रानिक तराजू लगाए जायें, जिससे घटतौली रोकी जाय।

2. उपभोक्ताओं को अधिक लाभ देने के लिए दुकान बदलने का भी प्रावधान किया जाए, जिससे उपभोक्ता दुकान के न खुलने पर या अपने मनचाही दुकान से राशन ले सकें।
3. आनलाइन व्यवस्था के तहत अधिकारी दुकानों के खुलने व बन्द करने के समय पर पैनी नजर रखें।
4. एटीएम की भांति राशन कार्ड को मास्टर कार्ड बनाया जाए जिससे उनके रख रखाव में परेशानी न हो।
5. घटिया राशन को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए ताकि ऐसा करने वालों के अंदर दहशत हो।

खाद्यान्न सुरक्षा के अन्तर्गत खाद्यान्न भण्डारण हेतु क्रय केन्द्रों पर पी0सी0एफ0 (प्रादेशिक को-ऑपरेटिव फेडरेशन), एन0सी0सी0एफ0 (नेशनल को-ऑपरेटिव कंजूमर फेडरेशन), एफ0एफ0सी0 (राज्य खाद्य निगम) तथा यूपी एग्रो व सहकारी समितियों पर अनाज की खरीद में बोरों का संकट-घटतौली तथा भुगतान में विलंब आदि अनेकों समस्याओं के समाधान आवश्यक है। इसकी सही समय पर खरीद व भुगतान भी लोगों की क्रय क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। अंत्योदय अन्न योजना के तहत गाँवों के अत्यधिक गरीब परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न नाम मात्र की कीमतों (गेहूँ 2 रु0, चावल 3 रु0, मोटा अनाज 1 रु0 किलो) पर दिए जाते हैं। हाशिए पर मौजूद कुछ वर्गों जैसे विभिन्न आदिवासी समूहों को सर्वोच्च न्यायालय **(पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ 2001)** के भोजन के अधिकार संबंधी आदेश के तहत अंत्योदय कार्ड मिला हुआ है। इस योजना से दो करोड़ परिवार लाभान्वित हैं। अनेक विधवाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए यह जीवन रेखा की तरह है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एन0एफ0एस0ए0) अंत्योदय योजना को जारी रखने की वकालत तो करता है पर यह केन्द्र सरकार को इसका दायरा तय करने का अधिकार भी देता है। इसका लाभ उठाते हुए यह प्रावधान किया गया कि किसी लाभार्थी के राज्य से बाहर जाने पर या उसकी स्थिति बेहतर होने पर अथवा मृत्यु होने पर वह अंत्योदय योजना का हिस्सा नहीं रहता तो किसी नए परिवार को इस योजना से नहीं जोड़ा जाएगा।

एक प्रशासक की नजर से यह उचित कदम है कि सभी सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के कार्ड धारक को एक ही वर्ग में शामिल किया जाए और सभी को प्रति माह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 5 किलो रियायती खाद्यान्न दिए जाए। लेकिन यह वास्तविक प्राथमिकता और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बनाई गई श्रेणियों के फर्क को नजरअंदाज करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत **‘प्रति परिवार अधिकार’** को **‘प्रति व्यक्ति अधिकार’** में बदला गया है। इस कानून के पहले अधिकतर राज्यों में परिवार के आधार पर 25 या 35 किलो अनाज का वितरण किया जाता है। लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून में इसे प्रति व्यक्ति के आधार पर परिभाषित किया गया है। अर्थात् प्राथमिकता वाले परिवारों में प्रति व्यक्ति पाँच किलो ही खाद्यान्न मिल रहा है। यह अधिक न्यायसंगत दृष्टिकोण है पर प्रति परिवार प्रावधान को प्रति व्यक्ति में बदलने से छोटे परिवारों को ज्यादा नुकसान है, खासकर विधवाओं या उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले या

सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं। अंत्योदय योजना का अर्थ है अत्यंत गरीब को विशेष सहायता देना। जब वितरण प्रणाली के तहत उन्हें दाल व खाद्य तेल भी मुहैया कराना चाहिए। लेकिन इस योजना को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होगा। झारखण्ड में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बीपीएल) परिवार को अभी एक रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल देने का प्रावधान है। जिस बीपीएल परिवार के सदस्यों की संख्या 7 से कम है, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत घाटा उठाना पड़ेगा। इस नुकसान को पूरा करने का एक तरीका यह होगा कि प्रति व्यक्ति 5 किलो के बदले 7 किलो अनाज दिए जाए जैसा कि छत्तीसगढ़ में किया गया है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अंत्योदय श्रेणी का विस्तार किया जाए ताकि कम से कम बीपीएल श्रेणी के परिवारों में होने वाली कटौती पूरी की जा सके। हालांकि इस विकल्प को जन वितरण प्रणाली आदेश से बाहर कर दिया गया है।

- देश के सभी राज्यों में 'डिजिटल इंडिया' के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी द्वारा लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर राशन दिया जाना, खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम होगा। देश के अभी ज्यादातर इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या है, सुदूर इलाके अभी भी ब्राडबैंड की हद में नहीं आ पाए हैं। अतः इस क्षेत्र में भी सुधार आज नितान्त आवश्यक है।
- देश की खाद्य सुरक्षा के लिए शुरु की गयी हरित क्रान्ति की सफलता काफी हद तक मंडियों में बदलाव पर भी निर्भर करती है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारी कृषि उपज की मंडियों में नियम-कानून बेहद पुरातन नियमों पर चलती है, जिसमें कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। अतः खाद्यान्न के उचित भण्डारण हेतु इस क्षेत्र में भी सुधार आवश्यक है।
- खाद्य सुरक्षा के तहत नए व पुराने बने बीपीएल, अंत्योदय व एपीएल राशन कार्डों की निष्पक्षता से स्वतंत्र एजेंसी से जाँच समय-समय पर करायी जानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा के पात्रों की सूची बनाने वाले व ऑनलाइन फीडिंग करने वाले सभी प्राइवेट व पुराने संस्थानों को इस काम से हटा कर नए सिरे से पूरी सूची को सही करने व सत्यापन के बाद पात्रों व अपात्रों के नाम की फीडिंग का काम आपूर्ति विभाग को निष्पक्ष व स्वतंत्र एजेंसी या डेस्को को सौंपा जाना चाहिए।
- पीत क्रान्ति के तहत दलहन व तिलहन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दलहन की उत्पादकता, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व वाईआईबी की उचित व्यवस्था से कुपोषण में कमी लाकर खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
- खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए अनाज की समर्थन मूल्य कीमत का निर्धारण राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। अतः एमएसपी किसानों की लागत का आकलन करके डेढ़ गुना तय किया जाना चाहिए।
- मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की योजना को कृषि के साथ जोड़ने पर बल दिया जाना चाहिए।

- 2016 में लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी कृषकों को जोड़ा जाय, जिससे लघु व सीमान्त किसानों को भी बीमा का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आत्महत्या, भुखमरी, कुपोषण तथा खाद्य सुरक्षा से लड़ने में काफी मददगार हो सकती है।
- खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाए तथा लाभार्थियों की समय-समय पर जांच व परीक्षण राज्य सरकारों द्वारा कुशल एजेंसी व स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल कराके कराना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा नियमावली में व्यवस्था है कि चुने गए पात्र परिवार को रियायती दर पर राशन देने में यदि खाद्य विभाग विफल रहता है तो राशन की जगह भत्ता दिया जाएगा। अधिकांश लाभान्वित परिवार के सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड पर नहीं चढ़ाए गए हैं। चूंकि अधिनियम के तहत अब परिवार के बजाय प्रत्येक सदस्य के हिसाब से राशन आवंटित किया गया है, इसलिए जिन परिवारों के सदस्य छूट गए हैं उन्हें कम राशन मिला। इससे सभी सदस्यों के हिस्से में अधिनियम द्वारा तय मात्रा के मुकाबले कम राशन आया। योजना में शामिल परिवारों को बाजार से महंगी दर पर अनाज खरीदना पड़ा। लेकिन लोगों की उम्मीदों के अनुरूप उन्हें राशन भत्ता भी नहीं मिला। जिस पर राज्य सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

खाद्य एवं रसद विभाग के पास योजना में शामिल कितने सदस्य छूट गए, इसके कोई आँकड़े नहीं रहते। ऐसी गड़बड़ियों की पहचान कर हर एक राज्य सरकार को समस्या को दूर करने का प्रयास प्रतिक्रिया रूप में करना चाहिए। शीर्ष प्रबन्धन इस गड़बड़ी को भत्ते योग्य मान ही नहीं रहा है। सूखा पड़ने, अकाल, भुखमरी या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से राशन न बाँट पाने की दशा में ही भत्ता अनुमन्य में सुधार किया जाना चाहिए।

गरीबी उन्मूलन पर नीति आयोग के शीर्ष कार्य दल के सुझावों के अनुसार हर एक पंचायत को अति गरीब 5 परिवारों की पहचान कर उनका उन्नयन करने तथा (अमर्त्य सेन का कहना कि लोगों की अनाज क्रय क्षमता का आभाव है।) क्रय क्षमता को सुदृढ़ करने के प्रयासों पर अमल आवश्यक है। हर एक ग्राम पंचायत 5 अति गरीब परिवार की पहचान करके यह भी देखे कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। एक निश्चित अवधि के लिए सरकार उन परिवारों के बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि ट्रांसफर करके उनकी गरीबी दूर कर सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि 5 से 7 वर्ष के भीतर में परिवार अपनी आमदनी का स्तर उठाने और बनाने रखने में सक्षम बन जाये।

सरकार की लोकल गवर्मेन्ट डायरेक्ट्री के अनुसार देशभर में 2,48,306 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत 5 अति गरीब परिवारों की गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी उठाती है, तो 12 लाख से अधिक परिवारों की गरीबी दूर हो सकती है। देश में सर्वाधिक 59,161 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में है। योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में देश में 27 करोड़ गरीब थे। इनमें से करीब 22 करोड़ गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में

थे। ऐसे में ग्राम पंचायतों को अति गरीब परिवारों की गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी सौंपने का कदम बेहद कारगर साबित होगा।

गरीब परिवारों के लिए लागू की गयी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ जमीनी स्तर पर पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इन परिवारों के पास अपने आप को गरीब साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है। अतः आबादी का एक बड़ा वर्ग भोजन के अधिकार से वंचित रह जाएगा। केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 80 फीसदी व शहरी क्षेत्र की 65 फीसदी आबादी को इस योजना में शामिल किया जाना है। इस योजना के पात्रों का राशन कार्ड अब परिवार की महिला मुखिया सदस्य के नाम पर बनाये जा रहे हैं। इस योजना में उन्ही परिवारों को शामिल किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में जिनका मकान 800 वर्ग फुट से अधिक न हो तथा परिवार में पति-पत्नी को मिलाकर वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। अगर परिवार किराए के मकान में रहता है तो भी इससे बड़ा न हो और कार, ए0सी0 व जनरेटर की सुविधा भी न हो। पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को 5 किलो अनाज एक से 3 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा।

खास तौर पर गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने की इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इन परिवारों के पास अपने गरीब होने का कोई प्रमाण ही नहीं है।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने पर गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले ए0पी0एल0 कार्ड की व्यवस्था पूरी तरह से बन्द कर दी गयी है। अब केवल अंत्योदय कार्ड या फिर गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रों के राशन कार्ड होंगे। अब गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों के ए0पी0एल0 कार्ड मान्य नहीं होंगे। सरकार की इस व्यवस्था के लागू होने पर विवाद खड़ा हो गया है कि बहुत से परिवार ए0पी0एल0 कार्ड पर मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड को सरकारी दस्तावेज के तौर पर अपने व अपने परिवार के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस कनेक्शन से लेकर कई ऐसे आवेदन हैं जिनमें राशन कार्ड को अनिवार्य माना जाता है। अतः हर जिलों के क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालयों में ए0पी0एल0 कार्ड बनवाने के हजारों आवेदन पत्र आ रहे हैं और लौटाये जाने पर विवाद भी हो रहा है।

प्रदेश में जरूरतमन्दों को भरपूर भोजन कराने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना शुरू हुई है। लेकिन गड़बड़ियों की लम्बी सूची ने इसे कालाबाजारी की योजना में बदल दिया है। पुरानी व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या फर्जी राशन कार्डों की थी अर्थात् जिन परिवारों के नाम राशनकार्ड जारी हुए वे या तो वास्तव में थे ही नहीं या फिर जिस श्रेणी के लिए वे कार्ड जारी हुए, संबंधित परिवार उसमें फिट नहीं बैठते थे। दोनों ही स्थितियों में कार्डधारक परिवारों को मिलने के बजाय उनके हिस्से का राशन बाजार में पहुँच रहा था। खाद्य सुरक्षा योजना में भी इसी तरह बड़े पैमाने पर अपात्र परिवारों को पात्र के नाम पर शामिल किया गया है। दूसरी समस्या समय पर खाद्यान्न का उठान न हो पाने की थी।

खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद प्रदेश के सभी जिले इस समस्या से जूझ रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन मिलने में जो समस्या पहले थी वह अभी भी है, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है। ये समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। इन सभी क्षेत्रों में सुधार आवश्यक है।

खाद्य सुरक्षा योजना 2013 से ए0पी0एल0 श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को योजना से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। उनका व्यापक स्तर पर सत्यापन कराके ही उन्हें बाहर किया जाय क्योंकि कुछ जरूरतमंद लोगों के लिए (ए0पी0एल0) कम दर पर लिने वाले गेहूँ व चावल न मिलने से उनके लिए खाद्य सुरक्षा और गम्भीर होगी।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा लागू होने के बाद जिस डोर स्टेप डिलीवरी को कालाबाजारी को रोकने का उपाय बतलाया जा रहा था। कोटेदारों द्वारा अब उसे ही भ्रष्टाचार और कालाबाजारी का कारण बताया जाने लगा है। इस व्यवस्था से न तो अब समय से राशन आ रहा है और यदि आ भी रहा है तो कम आ रहा है। अब कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न उठान का जिम्मा एस0एफ0सी0 या आर0एफ0सी0 के ठेकेदारों के बजाए कोटेदारों को सौंपने की माँगें हो रही है। खाद्यान्न वितरण पर पहले कोटेदारों को 70 रु0 प्रति क्विंटल लाभांश मिलता था जबकि केन्द्र सरकार के गोदाम से राज्य सरकार के गोदाम तक लाने और फिर खाद्यान्न को कोटेदारों तक पहुँचाने का भाड़ा एस0एफ0सी0 या आर0एफ0सी0 को भी 70 रु0 भाड़ा मिलता है। कोटेदारों का कहना है कि केन्द्रीय गोदाम से राज्य सरकार के गोदाम तक उठान का काम एस0एफ0सी0 या आर0एफ0सी0 करे, लेकिन राज्य सरकार के गोदाम से राशन दुकान तक खाद्यान्न पहुँचाने का काम वे खुद करेंगे। इसके बदले उनकी माँग एस0एफ0सी0 या आर0एफ0सी0 से 30 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भाड़ा दिलाए जाने की है।

उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में तीन चौथाई से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इसमें से 79 प्रतिशत नागरिकों को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों में शामिल करना है। योजना में शामिल करने का मुख्य आधार परिवार की वार्षिक आय है। हर जिले में आपूर्ति विभाग ने वार्षिक आय और कुछ अन्य पैमानों के अनुसार पिछले वर्षों में पात्र परिवारों का चयन किया। लेकिन जाँच में हर जिले में बहुत से परिवार योजना से बाहर हुए। बाहर होने वाले परिवारों को पक्का मकान, वाहन या एयर कंडीशन लगे होना या वार्षिक आय के कारणों से पहचाना गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों की जांच के लिए ग्राम प्रधान, कोटेदार, लेखपाल और ग्रामीण सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों (26 विभागों में) को खाद्य सुरक्षा योजना के नियम-कानून की विधिवत जानकारी देने की योजना बनायी जाए। इन्हें बताया जाय कि कैसे उन्हें पात्र-अपात्र का चयन करना है? और खाद्यान्न वितरण में कैसे सतर्कता बरती जाए। ऐसी योजना राजधानी लखनऊ में प्रयोग के तौर पर शुरू भी की गयी हैं। ऐसी प्रक्रिया पूरे प्रदेश में भी अपनायी जाए।

खाद्य सुरक्षा कानून या भोजन के अधिकार के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति को 5 किग्रा0 अनाज दिए जाने का प्रावधान इसमें गेहूँ चावल या मोटा अनाज शामिल होगा।

इस हिसाब से उसे प्रतिदिन 167 ग्रा0 गेहूँ, चावल या मोटा अनाज मिलेगा। एक तरफ तो यह मात्रा पेट भरने के लिए ही काफी नहीं हैं। पेट भरने के लिए भी प्रतिदिन के हिसाब से कम से कम इससे अधिक मात्रा में अनाज के साथ दालें या सब्जियों की भी जरूरत होती हैं। ऐसे में संतुलित खुराक की बात करना तो दूर की कौड़ी हैं। एक दिन की संतुलित खुराक में एक व्यक्ति को 285 ग्राम आटा, 285 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल, 50 ग्राम पत्तेदार सब्जियाँ, अन्य सब्जियाँ 100 ग्राम, कंद एवं मूल 60 ग्राम, दूध 200 ग्राम, तेल व वसा 40 ग्राम तथा चीनी 50 ग्राम चाहिए। जिस पर क्रमशः आटा पर 6 रूपया, चावल पर 10.50 रूपया, दाल पर 4 रूपया, पत्तेदार सब्जियों पर 1.50 रूपया, अन्य सब्जियों पर 3 रूपया, कंद एवं मूल पर 1.50 रूपया, दूध पर 8 रूपया, तेल एवं वसा पर 5 रूपया तथा चीनी पर 2 रूपया कुल मिलाकर एक दिन की संतुलित खुराक की कुल लागत 41.50 रूपया आती हैं। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार शरीर के पोषण के लिए जरूरी तत्वों की दैनिक मात्रा और वर्तमान कीमत पर उनका मूल्य कीमतों का अनुमान औसत आधार पर किया गया है।

वर्तमान में गरीबी अनुमान के तरीके में भोजन पर खर्च के अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च भी शामिल हैं। पहले निर्धारित कैलोरी वाली खुराक खरीदने की सामर्थ्य वाली मौद्रिक सीमा से गरीबी रेखा कर निर्धारण किया जाता था। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी वाली खुराक व शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो कैलोरी वाली खुराक नियत की गयी थी। ज्यादा शारीरिक पारिश्रमिक करने वाले गाँव के लोगों के लिए अधिक कैलोरी का मानक बनाया गया था। योजना आयोग के अनुसार इस खुराक को गाँवों में 356.30 रूपये मासिक खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों को उनकी कैलोरी वाली खुराक के लिए 538.60 रूपये खर्च करने होंगे। गरीबी के इस निर्धारण में आवास, स्वास्थ्य और परिवहन पर खर्च को नहीं शामिल किया गया है।

मनरेगा, आई0सी0डी0एस0, मिड डे मील, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, तथा खाद्य सुरक्षा कानून जैसी 150 योजनायें अब सार्वभौमिक हो गयी है। इनके लाभों को लेने के लिए किसी विशेष पैमाने की अब जरूरत नहीं रह गयी है।

खाद्य सुरक्षा कानून में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पोषण यानि सस्ते में दाल, तेल आदि उपलब्ध कराने का जिक्र नहीं है। भारत जैसे देश में मंहगायी और कुपोषितों की संख्या सर्वाधिक हैं। चीजों को खरीदने की क्षमता लोगों की कम हो रही है। इससे औसतन कैलोरी उपभोग अब केवल 1900 रह गया है, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान की खपत से भी कम है। समाज के खाद्य असुरक्षित लोग, बुजुर्ग, निःशक्त जन व बेघरों के लिए भी खाद्य सुरक्षा कानून में विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

एक तरफ से अभी तक जहां केन्द्र सरकार द्वारा देश के 36 प्रतिशत जनता को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा था वही यह अब 67 प्रतिशत लोगों को उपलब्ध

कराया जायेगा। ऐसे में पोषण की दृष्टि से कानून की सफलता को लेकर संदेह करना अनावश्यक नहीं है।

कानून के एक अच्छे पहलू के तहत परिवार की वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया मानते हुए उसके नाम राशन दिए जाने का प्रावधान महिला सशक्तीकरण की दिशा में नया व क्रान्तिकारी कदम है। इससे परिवार की खाद्य सुरक्षा अब औरत के हाथ होगी। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली माँ को प्रसव के 6 माह तक 6 हजार रुपये दिए जाने की व्यवस्था भी है। ताकि इस समयावधि के दौरान माँ को काम पर न जाना पड़े और वह अपने बच्चे के पास रह सके। इसके अलावा भी पोषण के पहलू पर और ज्यादा सोचने की जरूरत है, जिससे यह कानून महज एक दैनिक राशन देने वाला कानून बनकर न रह जाए।

भूख की समस्या का मूल कारण यह है कि नव उदारीकरण की नीतियों के कारण खेती-बाड़ी चौपट हो गई है और शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर काफी घट गए हैं। काम धन्धे के आभाव में देश की बहुलांश आबादी के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वे अपने परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज बाजार से खरीद सकें। अतः लोगों को खाद्य सुरक्षा दिलाने तथा भूख और कुपोषण से बचाने के लिए हमें आत्मनिर्भर विकास का रास्ता अपनाना पड़ेगा तथा व्यापार के उदारीकरण के नाम पर चल रहे अनुचित और अन्यायपूर्ण व्यापार वाले समझौते से अपने देश को मुक्त कराना होगा।

खाद्य सुरक्षा कानून का मकसद उन लोगों को न्यूनतम मात्रा में भोजन देने की गारण्टी है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनु0 25(1) कहता है कि "हर किसी को एक ऐसे जीवन जीने के स्तर का हक है जो उनके स्वास्थ्य और उसके परिवार के कल्याण के लिए उपयुक्त हो। इसमें भोजन, कपड़ा, मकान और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा आवश्यक सामाजिक सेवाओं के साथ बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, वैधव्य, बुढ़ापा और उसके नियंत्रण से बाहर पैदा होने वाली ऐसी स्थितियाँ जो जीविका छीन लें, इन सब के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। यह अनुच्छेद हमारे संविधान के अनु0 21 से अलग नहीं है, जिसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीवन के अधिकार के तहत भोजन का अधिकार मूलभूत आवश्यकता है। पिछले 65 वर्षों में गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैया कराने के लिए व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य कई कदम उठाए गए। इसके बावजूद हमारी सफलता आंशिक ही रही।

खाद्य सुरक्षा कानून की चिंताएँ व समाधान के सुझाव :-

देश में खाद्य सुरक्षा कानून अधिकांश राज्यों में लागू होने के बाद भी निम्न (5) तरह की चिंताएँ दिखती हैं जिनका समाधान केन्द्र व राज्यों को अपनी नीतियों में प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य करना चाहिए -

1. क्या इस कानून का लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को ही मिलना चाहिए या उससे ऊपर वालों को भी। आखिरकार भोजन का अधिकार तो हर एक नागरिक का सार्वदेशिक अधिकार है। लेकिन यह भी सही है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जो भुखमरी के कगार पर हैं उनकी प्राथमिकता ज्यादा होनी चाहिए।
2. वर्तमान नव उदारीकरण दौर में गरीबी की रेखा को कैसे परिभाषित किया जाए? क्या यह महज कैलोरी प्रप्ति पर ही आधारित हो या उसमें पोषण क्षमता का भी ध्यान रखा जायेगा। यह बात हर कोई मानता है कि जब तक खाद्य की परिभाषा में साफ पानी, सफाई और आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन-ए और बी की कमी को मिटाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को शामिल नहीं किया जाएगा। तब तक सभी को खाद्य सुरक्षा देने का दावा अधूरा रहेगा। आखिरकार खाद्य सुरक्षा देने से हम यही हासिल करना चाहते हैं कि भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें हर बच्चा, स्त्री और पुरुष सिर्फ आस्तित्व के लिए ही कैलोरी न पाएं बल्कि एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन का अवसर हासिल करें।
3. जिन पारम्परिक अर्थों में गरीबी की अपर्याप्त परिभाषा की गई है उसके तहत भी गरीबों की संख्या में काफी अन्तर है। अभी तक भारत गरीबी को भोजन की कैलोरी से मापता है। लेकिन **तेंदुलकर समिति** ने इस परिभाषा को थोड़ा विस्तृत बना दिया। उन्होंने इसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़ों पर होने वाले खर्च से मापा। गरीबी को मापने के इस पैमाने को अभी और दुरुस्त करना होगा और बहुआयामी तरीकों को अपनाना होगा। **बाधवा समिति** के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 20 करोड़, राज्य सरकारों के अनुमान के अनुसार 10.50 करोड़, **तेंदुलकर समिति** के अनुसार 9.25 करोड़, विश्व बैंक के अनुसार 7.5 करोड़, **अर्जून सेन गुप्त समिति** के अनुसार 20 करोड़, **एन0 सी0 सक्सेना समिति** के अनुसार 12.5 करोड़ और योजना आयोग के अनुसार 7 करोड़ है। इन अनुमानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा कानून पर आने वाला खर्च भी अलग-अलग है।
4. इन गरीब परिवारों को प्रति माह 25 किलो अनाज मिलना चाहिए या 35 किलो। मतभेद यह भी है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं सिर्फ वे ही 35 किलो अनाज पाएं और ए0पी0एल0 वालों को सिर्फ 25 किलो ही मिले। लेकिन हर कोई चाहता है कि कीमत 3 रुपये किलो ही रहे।
5. खाद्य सुरक्षा कानून के अनाज का वितरण कैसे किया जाए ? क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद अनाज की मात्रा काफी बढ़ जायेगी। इसके वितरण के लिए सिर्फ पी0डी0एस0 प्रणाली पर निर्भर रहना अपर्याप्त होगा। यह बात हर किसी को मालूम है कि किस तरह से मौजूदा पीडीएस प्रणाली में तमाम छेद हैं। लोगों को अच्छे किस्म का अनाज नहीं मिलता, फर्जी राशनकार्ड, जमाखोरी, मुनाफाखोरी की समस्या के साथ और गरीबों व बंचितों को अनाज न देने के लिए तमाम उपाय ढूढ़ लिए जाते हैं। तो क्या हम खाद्य सब्सिडी के लिए और ज्यादा नायाब तरीका नहीं ढूढ़ सकते। अगर मौजूदा व्यवस्था को ही अपनाया जाता है तो अनाज की खरीद, भण्डार और लदान वगैरह की समस्यायें जस की तस बनी रहेगी।

इन उपर्युक्त समस्याओं के हल के लिए एम० एस० स्वामीनाथन, उत्सा पटनायक, देवेन्द्र शर्मा, ज्यॉ द्रेज, अमर्त्य सेन, अरविन्द पनगरिया, एन० के० सिंह, शान्ता कुमार आदि लोग निम्न (2) तरह की योजनाओं को लागू करने पर सहमत दिखते हैं। इन योजनाओं पर अमल किया जा सकता है।

पहली योजना कूपन प्रणाली है। इसके तहत योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को भोजन का एक कूपन मिले। जिसका एक मौद्रिक मूल्य हो। वे इस कूपन के जरिए चाहे जिस दुकान से अपनी पसन्द का अनाज खरीद लें। इससे न सिर्फ अनाज की गुणवत्ता सुधेरगी बल्कि उपभोक्ता के चयन का दायरा बढ़ेगा, दुरुपयोग भी खत्म होगा तथा उत्पादकता बढ़ेगी।

दूसरी योजना लाभकारी के नाम से बैंक खाता खुलवाकर आधार कार्ड लिंकप कराकर उसमें सीधे नकद सब्सिडी राशि हस्तांतरित कर देना, जो लगभग सभी राज्यों द्वारा अपनायी शुरु भी हो चुकी है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई परिवार के गैर जिम्मेदार लोग इस योजना को बेकार कर देंगे। परिवार के पुरुष सदस्य पैसे का दुरुपयोग करेंगे, शराब पीयेंगे और महिला सदस्यों तथा बच्चों को अनाज का फायदा नहीं होने देंगे।

ब्राजील जैसे देश जहाँ पर सशर्त नकदी हस्तांतरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, वहाँ इसे काफी सफलता मिली है। ब्राजील के **जीरो भूख कार्यक्रम** के तहत खाद्य सुरक्षा को सम्पूर्णता से देखा जाता है। इसमें गरीबों की उपयोग क्षमता के अनुसार छोटी ज़ोनों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

खाद्य सुरक्षा का अर्थ आज नव उदारिकरण के दौर में काफी व्यापक हो गया है। इसके अनुसार "जब सभी लोगों को अपनी आहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पोषक आहार के लिए आर्थिक पहुँच के भीतर सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य पदार्थों का सही चयन करने के लिए सुविधा हो जायेगी तभी वास्तविक खाद्य सुरक्षा कही जा सकती है।" आज असली मुद्दा खाद्य उपलब्धता नहीं बल्कि गरीबों तक इसकी पहुँच का है। जरूरतमन्दों तक खाद्य पदार्थों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज भी सर्वोत्तम माध्यम बनी हुई है। पहले इसका मुख्य उद्देश्य लाभकारी कीमतें उपलब्ध कराकर किसानों और उत्पादकों के हितों की रक्षा करना तथा बाढ़ व सूखे जैसी विपदाओं के कारण उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए खाद्यान्न का भण्डारण रखते हुए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना था। लेकिन संशोधित और बेहतर लक्ष्य वाली मौजूदा लक्षित वितरण प्रणाली 1997 जून में अस्तित्व में आयी लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ही अनाज दिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए भिन्न-भिन्न कीमतें ली जाती हैं। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रणाली से आर्थिक दृष्टि से बेहतर वर्ग की अपेक्षा गरीबों की जरूरतों को और अधिक बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके, लेकिन व्यवहार में यह वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गयी है।

देश के राज्य कृषि विकास के लिए स्वतंत्र है। केवल दो मामलों पर केन्द्र का नियंत्रण है। (1) केन्द्र आधारभूत संरचनाओं में सहयोग देता है। (2) केन्द्र समर्थन मूल्य प्रदान कर बाजार को नियंत्रित भी करता है। प्रथम सहयोग की सीमा अल्प है तथा दूसरे केन्द्रीय सहयोग का विषय व्यापक है, इसमें से सारी प्रक्रियायें शामिल हैं –

1. समर्थन मूल्य तय करना।
2. समर्थन मूल्य से प्रभावित बड़े उत्पादन की खरीद करना।
3. भण्डारण क्षमता का निर्माण करना।
4. देश में किसी बड़े आपदा का सामना करने के लिए तय मात्रा में भण्डारण करना।
5. भण्डारण का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करना ताकि समर्थन मूल्य प्रभावित न हो।

केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तय भण्डारण की सीमा में खरीद नहीं करती। घोषित समर्थन मूल्य पर बिक्री योग्य अनाज की खरीद भण्डारण की सीमा से अधिक भी करती है। इसका परिणाम है कि –

1. राज्यों द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि बिक्री योग्य उत्पादन केन्द्र सरकार खरीदें।
2. राज्य के अन्दर अधिक भण्डारण की व्यवस्था की जा रही है ताकि क्रय किए गए अनाज के भण्डारण के लिए अधिक से अधिक स्थान मिलें।
3. भण्डारित अनाज बाजार में आकर उत्पादित अनाज के बाजार को समर्थन मूल्य से नीचे ले जा रहा है।
4. भण्डारित अनाज की बिक्री उत्पादित करने वालों राज्यों में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी की जा रही है। वहां खुले बाजार या जन वितरण प्रणाली की दुकान पर सस्ते रूप से उपभोक्ताओं को वह सस्ता अनाज प्राप्त होने की अपेक्षा स्थानीय उत्पादन की खपत उचित रूप से नहीं हो पाती है।

केन्द्रीय सरकार के दो कार्य एवं दो उपयोगी नीतियाँ हैं –

1. समर्थन मूल्य का सिद्धान्त अर्थात् उत्पादन का स्तर ऊँचा उठाते जाना जिससे केन्द्रीय पूल स्टॉक भरा रहे।
2. देश में खाद्यान्न सुरक्षा एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।

दोनों नीतियाँ संसद द्वारा स्वीकृत हैं। देश के खाद्यान्न बाजार को भारत सरकार नियंत्रित करती है, बाजार में अन्न उपलब्धता में हस्तक्षेप करके। राज्य में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता अनाज बूढ़े-अपंगों को विद्यार्थियों को मजदूरों तथा साधारण उपभोक्ताओं को दिया जाता है। इसके माध्यम से जरूरतमन्दों को जिनकी क्रय शक्ति साधारण एवं नाकाफी है, उनको सहायता दी जाती है। उन्हें ऐसा सहयोग प्रदान कर कल्याणकारी राज्य अपनी वैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करता है। इस कार्यक्रम का दूसरा पहलू भी है कि अन्न की कीमत स्थिर रहे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो।

इस उत्तम नीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर ही प्रभावी बनाया जा सकता है। देश के सभी राज्यों में तथा क्षेत्रीय स्तर पर भी यह आकलन करना पड़ेगा कि जब तक

राज्यों में या क्षेत्रों में अनाज की कमी न हो तब तक वहां दूसरे राज्यों या क्षेत्रों से खाद्यान्न न भेजा जाय। स्थानीय तौर पर बिक्री योग्य अनाज की खरीद तथा भण्डारण हो एवं आवश्यकता होने पर संरक्षित उपभोक्ताओं को वही खाद्यान्न मुफ्त में या अल्प दाम पर मुहैया कराया जाए।

लेकिन इसके विपरीत भी कार्य हो रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में शत-प्रतिशत बिक्री योग्य अनाज की खरीद हो रही है तथा भण्डारण भी हो रहा है। अधिक भण्डारण के लिए इंतजाम और दूसरे राज्यों के भी भण्डारण का उपयोग इसके लिये किया जा रहा है। इसके लिए देश के महंगे परिवहन साधनों का उपयोग हो रहा है। इसका कुप्रभाव पड़ रहा है।

आज खाद्य असुरक्षा गरीबी-पिछड़ापन दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम कृषि एवं खाद्यान्न की गलत नीतियां भी रही हैं। अतः यह भी आवश्यक है कि –

1. केन्द्रीय पूल की स्टॉक सीमा तय की जाय, जिसका आधार सिर्फ उपभोक्ताओं की आवश्यकता नहीं बल्कि देश के दूर के हिस्से का उत्पादन भी हो।
2. बफर स्टॉक के लिए खरीद प्रत्येक राज्य से कुछ प्रतिशत तक हो, जो देश के स्तर पर हुए कुल उत्पादन में राज्य के उत्पादन के औसत योगदान का सूचक हो।
3. जिस राज्य में खाद्यान्न की जो भी खपत राष्ट्रीय नीति के चलते हो, उपलब्ध रहने पर वह उस राज्य विशेष से ही खरीदी जाए।
4. विशेष राज्यों में यदि खरीद के लिए अनाज बच जाए तो उसकी खरीद निर्यात के लिए भी हो।
5. घरेलू खपत के लिए अनाज का आवागमन नियंत्रित किया जाए ताकि किसी भी राज्य या क्षेत्र में कीमत समर्थन मूल्य से नीचे न जाए।
6. क्षेत्रीय आवश्यकता भी पड़ोसी राज्यों से पूरी की जानी चाहिए।
7. निर्यात के लिए भी अनाज की खरीद देश में अवस्थित नजदीक वाले राज्यों को किया जाना चाहिए।
8. राज्यों में अनाज विशेष के उत्पादन की अधिकतम सीमा तय कर खेती की पैदाकर को अन्य आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची (BIBLIOGRAPHY)

BOOKS-

- अचार्या, एस0एस0 (1997), 'एग्रीकल्चर-इण्डस्ट्री लिंकजेज, पब्लिक पॉलिसी एण्ड सम एरियाज आफ कन्सर्न,' एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यू, भाग-10.
- अहलूवालिया, एम0एस0 (1978), 'रुरल पावर्टी इन इण्डिया : 1956-57 टू 1973-74,' वर्ल्ड बैंक स्टाफ वर्किंग पेपर, वाशिंगटन.
- अहमद, ई0, जे0 ड्रेज, जे0 हिल्स एण्ड ए0 सेन (1991), 'स्पेशल सिक्योरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज,' आक्सफोर्ड : क्लेरेण्डन प्रेस.
- एटकिंसन, ए0वी0 (1983), 'पावर्टी एण्ड सोशल सिक्योरिटी,' न्यूयार्क, हार्वेस्टर.
- भाटिया, वी0एम0 (1970), 'इण्डियाज फूड प्रब्लम एण्ड पॉलिसी सिन्स इन्डिपेन्डेंस,' समया पब्लिकेशन, बाम्बे.
- ब्राउन, जे0 वान (1995) 'इम्प्लाइमेंट फार पावर्टी रिडक्सन एण्ड फूड सिक्योरिटी,' वाशिंगटन डी0सी0, इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट.
- चौधरी, परमीत, सम्पादन-1972, 'आस्पेक्ट ऑफ इण्डियन इकोनामिक डेवलेपमेन्ट' (लंदन : एलेन एण्ड अनविन).
- ड्रेज, जीन एण्ड अमर्त्य सेन (सम्पा0 1989), 'हंगर एण्ड पब्लिक एक्सन,' आक्सफोर्ड क्लेरेण्डन प्रेस.
- ड्रेज, जीन एण्ड अमर्त्य सेन, (1995), 'इण्डिया : इकोनॉमिक डेवलेपमेन्ट एण्ड सोशल आपाच्युनिटी,' (दिल्ली एण्ड आक्सफोर्ड : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस).
- ड्रेज, जीन एण्ड अमर्त्य सेन, (1990) 'द पोलिटिकल इकोनॉमी आफ हंगर', 3 वाल्यूम, आक्सफोर्ड क्लेरेण्डन प्रेस.
- ड्रेज, जीन (2003) 'रिफ्लेक्शनस आन फूड सिक्योरिटी एण्ड द राइट टू फूड', इन एस0 महेन्द्र देव, के0पी0 कन्नन, एण्ड नीरा राम चन्द्रन (सम्पा0), 'टूवार्डस ए फूड इन सिक्योर इण्डिया : इ" यूज एन्ड पॉलिटिक्स, नई दिल्ली : इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलेपमेन्ट, एण्ड हैदराबाद : सेन्टर फार इकोनामिक एण्ड सोशल स्टडीज.
- देसाई, एम0 (1984), 'ए जनरल थियरी आफ पावर्टी,' इण्डियन इकोनामिक रिव्यू.
- गिब्सन, आर0 (2005), 'प्रिंसिपल आफ न्यूट्रीशनल एसेसमेन्ट,' आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- हैरिस, बारबरा (1990), 'द इन्ट्रा फेमिली डिस्ट्रीब्यूशन आफ हंगर इन साउथ एशिया', इन जीन ड्रेज एण्ड अमर्त्य सेन "द पोलिटिकल इकोनामी ऑफ हंगर", आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- कोहली, अतुल (1987), 'द स्टेट एंड पावर्टी इन इण्डिया : द पॉलिटिक्स आफ रिफार्म,' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

- महापात्रा, पी०के० (1994), 'फूड क्रायसेस इन कालाहांडी (1960-61 टू 1992-93)', एम० फिल० डिजरेशन, सेन्टर फार इकोनॉमिक स्टडीज एण्ड प्लानिंग, जे०एन०यू०, नई दिल्ली.
- उस्मानी, सिद्दीकी, आर० (1990), 'न्यूट्रीशन एंड द इकोनॉमिक आफ फूड : इम्प्लीकेशन आफ सम रीसेन्ट कन्ट्रावर्सीज' इन ड्रेज, जीन एण्ड सेन (1990), वाल्यूम-1.
- पारिख, किरीट (1994) 'हू गेट्स हाउ मच फ्राम पी०डी०एस० : हाऊ इफेक्टिविली इज इट रीच द पुअर?' इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ डेवलेपमेन्ट रिसर्च, बाम्बे.
- पारिख, के०, एण्ड रावर, एफ (1981), "फूड फार आर इन ए सस्टनेवल वर्ल्ड" लकजेमवर्ग.
- सेन, अमर्त्य, (1981) 'पावर्टी एण्ड फेमिन्स', आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.
- सेन, ए०के० (1981), 'पब्लिक एक्सन एण्ड द क्वालिटी आफ लाइफ इन डेवलेमेन्ट कन्ट्रीज', आक्सफोर्ड बुलेटिन आफ इकोनॉमिक एण्ड स्टेटिक्स.
- सेन, ए०के० (1982), 'द फूड प्रॉब्लम : थियरी एण्ड पॉलिसी', थर्ड वर्ल्ड क्वाटरली
- पटनायक, उत्सा (2007), 'द रिपब्लिक आफ हंगर', श्री एस्से क्लेक्टिव, हरियाणा,
- पटनायक, उत्सा (1991) 'फूड एब्लिविलिटी एण्ड फिमाइन-ए लान्गार व्यू', जनरल आफ पीसन्ट स्टडीज, भाग-19, संख्या-1.
- स्वामीनाथन, एम०एस० (2000), 'वीकनिंग वेलफेयर : द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड इन इण्डिया' न्यू डेल्ही : लेफ्ट वर्ल्ड बुक्स.
- Acharya, K.C.S. (1983), *Food Security System of India*, New Delhi, Concept Publishing Company.
- Ahluwalia, D. (1993), *Public Distribution of Food in India: Coverage*.
- *Targeting and Leakages*, Food Policy, 18, 1st Feb.
- Bandhpadhyay, D. (1996), *Food Security and Liberalization*, Memorial Lecture.
- Bapna, (1988), *PDS and Food Security in India*, C.M.A. Monograph, IIM, Ahmedabad.
- Bapna, (1990), *Issues in Food Security and PDS*, Centre for Management in Agriculture, IIM, Ahmedabad.
- Barun, J.V., Bouis, H., Kumar, S. and Pandyalorch, R. (1992), *Improving food security of the poor: Concept, policy and program*, Washington, D.C., U.S.A: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Bouis, Howarth, (2008) *Rising Food Prices Will Result in Severe Declines in Mineral and Vitamin Intakes of the Poor*, Harvestplus, IFPRI, Washington, D.C.
- Bhagabat, Mishra, (1985), *Economics of PDS in Foodgrains*, Ashish Publishing House, New Delhi.
- Bhagwati, J, and T.N. Srinivasan, (1993), *India's Economic Reforms*,
- *Government of India*, Ministry of Finance.

- Bhalla, G.S.(1994), *Policy for Food Security in India (eds)*, Economic Liberalisation and Indian Agriculture; Institute for Studies in Indian Development, New Delhi.
- Bhalla, G. S. (1989), *Patterns in Indian agricultural development: A district level study*, New Delhi, India: Institute for Studies in Industrial Development.
- Bhatia, B.M. (1983), *Institutions and Incentives in India's Food Security Structure: A Study in India's Food Policy*, Asian and Pacific Development Centre, Malaysia.
- Bhuyan, J.K. and Karmkar, S. (2004), *Private sector's contribution towards hunger free India, In Swaminathan (Eds.)*, National food security summit (2004), Selected papers, M.S. Publication, World Food Programme.
- Brown, L.R., & E.P. Eckholms, (1975), *By Bread Alone*, Pengammon press, Oxford.
- Braun, J. V. (1995), *Employment for poverty reduction and food security: Concept research issues and overview*, In Braun, J. V. (Eds.), *Employment for poverty reduction and food security*, Retrieved from, www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc32.pdf.
- Burke, F. (1989), *Regional imbalances in food crop production in Uttar Pradesh*, In Shafi, M. and Aziz, A. (Eds.), *Food systems of the world Jaipur*, India, Rawat Publication, Jaipur.
- Census of India (2011), *Provisional Population Totals*, Paper 1 of 2011, Uttar Pradesh Series 10, Uttar Pradesh: Directorate of Census Operations.
- Chand, R and Kumar, P. (2006), *Country case study: India. In Harmon, T. (Eds.)*, *Trade reforms and food security*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Chand, R. and Joshi, K. C. (1992), *Agricultural trend in western Uttar Pradesh. In Mohammad, N. (Eds.)*, Dynamics of agricultural development: New dimensions in agricultural Geography (Vol. 7). New Delhi, India, Concept Publishing Company.
- Deepak Nayyar and Abhijit Sen (1994),
- Dev, S.Mahendra (2008), *Inclusive Growth in India: Agriculture, Poverty and Human Development*, Oxford University Press.
- _____, (2003), *Towards A Food Secure India: Issues & Policies (edited)*, Institute for Human Development, New Delhi and Centre for Economic and Social Studies, Hyderabad (Distributed by Manohar), 2003, (Jointly with K.P. Kannan and Nira Ramachandran)
- _____, (2003), *Food Security in India: Performance, Challenges and Policies*, Published by Oxfam and Institute for Human Development, forthcoming (Jointly with Alakh N.Sharma)
- _____, (2010), *Rising Food Prices and Financial Crisis in India: Impact on Women and Children and ways for Tackling the Problem*, Published by UNICEF, New Delhi.

- _____, (2008), *Parastatals and Food Policies: The Indian Case*”, in *From Parastatals to Private Trade: Lessons from Asian agriculture*, Edited by Shahidur Rahman, Ashok Gulati and Ralph 3 Cummings Jr., Oxford University Press.
- _____, (2007), *Antipoverty Programmes in India: Are they Pro-Poor?* (With Kirit Parikh and A. Sharif) in, *The Dragon and the Elephant*, edited by Ashok Gulati and Shenggen Fan, The Johns Hopkins University Press.
- _____, (2006), *Role of Social Protection for the Poor and Vulnerable Sections in India*, in the Book *Protecting the Vulnerable Poor in India: The Role of Social Safety Nets*, Edited by Nisha Srivastava and Pravesh Sharma, published by World Food Programme, New Delhi.
- _____, (2006), *Safety Nets for the Chronic Poor in India: An Overview*, in the book ‘Chronic Poverty and Development Policy in India’ (Editors by Aasha Kapur Mehta and Andrew Shepherd), Sage Publications, New Delhi.
- _____, (2005), *Is Rural India Shining?*, In the book ‘*Rural Transformation in India: The Impact of Globalization*, Edited by A. Vinayak Reddy, G. Bhaskar, Kakatiya University, Published by New Century Publications, New Delhi.
- _____, (2002), *Poverty in India: Trends, Macro-policies and Direct Programmes*, In the Book *Development, Poverty and Fiscal Policy” Decentralization of Institutions*, Edited by M. Govinda Rao, Oxford University Press, New Delhi.
- _____, (2002), *Food Security and Child Work in South India: Determinants and Policies*, In Ramachandran, Nira and Lionel Massun (Eds) *Coming to Grips with Rural Child Work: A Food Security Approach*, Institute for Human Development, United Nations World Food Programme, New Delhi.
- Devi Sridhar, (2008), *The Battle Against Hunger Choice, Circumstance, and the World Bank*, Oxford University Press
- Diakassavas, D. (1989), on *the causes of Food insecurity in less developed countries. An empirical evolution*, World Development.
- Dilip Swamy and Ashok Gulati (1984), *Market Dualism and Policy Specifications: A Case of Wheat in India*, Working Paper No. 1, Dept. Of Business Economics, Uni. Of Delhi.
- Dreze and Amartya Sen, (1990), *The Political Economy of Hunger*, Clarendon press, Oxford.
- Dreze and Amartya Sen, (1989), *Hunger and Public Action*, Oxford University Press, India.
- FAO, (2011), *World livestock 2011 – Livestock in food security*. Rome, FAO. Retrieved from www.fao.org/docrep/014/i2373e/i2373e.pdf, on 17-09-2012.
- ———, (2016), *The State of Food Insecurity in the World 2016*, Rome.
- Food for All Investing in Food Security in Asia and the Pacific—Issues, Innovations, and Practices, (2011), Asian Development Bank.

- George, (1983), *Government Intervention in Food grains Markets: Procurement and Public Distribution of Food grains in India*, Centre for Management in Agriculture, Indian Institute of Management, Monograph No. 100. 28.
- Gupta, A. (1977), *Public Distribution of Food grains in India*, Monograph, No.69; Centre for Management in Agriculture, Indian Institute of Management, Ahmedabad.
- Ghosh, G.N. (2000), *Food insecurity: The greatest challenge of the Millennium*, Indian Farming.
- Girish, G.K. (1997), *Post-harvest technology at farm level: Important for food security*, In Chaturvedi, P. (Eds.), *Panchayati raj and food security*, New Delhi, India, Concept Publishing Company.
- Godfray, H. C. J. Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J.F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S. M. and Toulmin, C. (2010), *Food security: The challenge of feeding 9 billion people*, Retrieved from www.sciencemag.org on 24th September, 2012.
- Gustafson, D.J., (2004), *The importance of agricultural production in reducing hunger: Not sufficient but still necessary*, In Swaminathan, M.S. and Medrano, P. (Eds.), *Towards hunger free India: From vision to action*, New Delhi, India: East West Books Pvt. Ltd.
- Hanumantha, Rao. (1960), *Unstable Agriculture and Droughts: Implications for Policy*, Vikas Pub.Home Pvt Ltd.
- IFPRI, (2008), *High Food Prices: The What, Who and How of Proposed Policy Actions*, Policy Brief, May 2008.
- Jain, L.E. (1997), *Panchayati raj and food security*. In Chaturvedi, P. (Eds.), *Panchayati raj and food security*. New Delhi, India: Concept Publishing Company.
- Jalal, D. S. (1989), *Quantitative and qualitative analysis of food system in Kumaon Himalaya*, In Shafi, M. and Aziz, A. (Eds.), *Food systems of the world*, Jaipur, India: Rawat Publications.
- Jha, M. M. (2003), *Food security: Dynamics and dimension*. New Delhi, India, Northern Book Centre.
- Joachim, V.B, Bouis, H., Kumar, S. and Pandyalorch, R. (1992), *Improving food security of the poor: Concept, policy and program*, Washington, D.C., U.S.A: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Kabra, (1990), *Political Economy of PDS*, Ajanta Publications, New Delhi.
- Kumar, M. and Mittal, S. (2003), *Productivity and supply of food grains in India*. In Dev, S. M., Kannan, K. P. and Ramchandran, N. (Eds.), *Towards a food secure India: Issues and policies*, New Delhi, India: Institute for Human Development.
- Mc Donald, B. (2010), *Food security*, Cambridge, U.K, Polity Press.
- Mellor, J. W. (1988), *Food production, consumption and development strategy*. In R E B Lucas and G P Papanek (Eds.), *The Indian economy: Recent developments and future prospects*, Westview, Boulder, Colorado.
- Miller and Roby, (1971), *Poverty: Changing Social Satisfaction*.

- Migotto, M., Davis, B., Carletto, C. and Beegle, K. (2007), *Measuring food security, using respondent's perception of food consumption adequacy*. In, Guha-Khasnabis, B., Acharya, S.S. and Davis, B. (Eds.), *Food security, indicators, measurement and the impact of trade openness*, Oxford: Oxford University Press.
- Mohammad A. (1977), *Food and nutrition in India*, New Delhi, India: K. B. Publishers.
- Mohammad, A. (1989), *Food production and food problem in India*, New Delhi, India: Concept Publishing Company.
- Mukherjee, A., (2002), *International trade and food security in India*. In Shiva, V. and Bedi, G. (Eds.), *Sustainable agriculture and food security: The impact of globalization*, New Delhi, India: Sage Publication.
- Narasaiah, M. L. (2003), *Food security and irrigation*, New Delhi, India: Discovery Publishing House.
- NFSM, (2009), *Operational guideline*, Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, India. Retrieved from <http://nfsm.gov.in/pulses.aspx> accessed on 10/09/2011.
- Ojha, Ghanashyam, (1987), *Organisation and Management of PDS*, Mittal Publication, New Delhi.
- P. Sainath, (1996), *Everybody loves a good Drought*, Published by Penguin, Delhi.
- Parikh, K and Suryanarayana, (1989), *Food and Agricultural Subsidies: Incidence and Welfare in Alternative Schemes*, Indira Gandhi Institute of Development Research, Bombay.
- Parikh. (2007), *Population vs food: Who is winning the race*, In Prakasam, C. P. and Bhagat, R. B. (Eds.). *Population and environment linkages*, New Delhi, India: Rawat Publications.
- Radha Krishna, R. & Indrakant, S. (1987), *Effects of Rice Market Intervention Policies in India: The case A.P*, CESS, Hyderabad.
- Radharkrishna, R., & Subbarao, K. (Eds.) (1997), *India's Public Distribution System: A National and International Perspective*, (Vol. 380), World Bank Publications.
- Radhakrishna, R. (1990), *Food Demand Projection in India: A Study Undertaken for the West Bengal*, CESS, Hyderabad.
- Radhakrishna, R. and Ray, S. (2005). *Handbook of Poverty in India: Perspective, Policies and Programmes*, Oxford University Press, New Delhi.
- Radhakrishna, R. (1996), *Food Security. Nutrition and Poverty in India*, CESS, Hyderabad.
- Raghavan, M. (1997), *Targeting India's PDS: A National and International Perspective*, (eds) by R.Radhakrishna and Subba Rao, West Bengal, Washington DC, 1997.
- Raj Krishna, (1972), *Government Operation in Food grains*. In Pramit Chaudhuri (Ed) (1972), *Readings in Indian Agricultural Department*. George Allen and Urwin Ltd.

- Rao, C.H.H., (2005), *Agriculture, Food Security, Poverty and Environment*, Oxford University Press, New Delhi.
- Runciman, W.G. (1966), *Relative Deprivation and Social Justice*, London, Routledge and Kegan Paul.
- Seebohm Rowntree, (1901), *Poverty: A study of Town life*, London, Macmillan.
- Sen, Amartya (1990), *Food, Economics, and Entitlements*, In Jean Dréze and Amartya Sen (Eds.), *The Political Economy of Hunger, Volume 1:Entitlement and Well-Being*. Clarendon Press, Oxford.
- _____, (1981), *Poverty and Famines An Essay on Entitlement and Deprivation*, OXFORD UNIVERSITY PRESS.
- Jean Dréze and Amartya Sen (Eds.), *The Political Economy of Hunger, Volume 1: Entitlement and Well-Being*. Clarendon Press, Oxford.
- Sen, Amartya, (1995), *The political Economy of Targeting in van de walle and nead (Eds), Incidence and targeting: An overview of implications for research and policy*.
- Sobhan, Rehman (1990), *The Politics of Hunger and Entitlement*.
- Subbarao, (2003), *Systematic Shocks and Social Protection: Role and Effectiveness of Public Workfare Programmes*, Human Development Discussion Paper, World Bank, Washington D.C.
- Subramaniam Shankar, (1993), *Agricultural Trade Liberalisation and India*, Development Studies Centre.
- Sukhatme, (1965), *Feeding India's Growing Millions*, Asia publishing House, Bombay.
- Sundaram and S.Tendulkar, (1988), *Towards an Explanation of Inter Regional Variations in Poverty and Unemployment' in T.N.Srinivasan P.K.Burdhan*, Oxford press building.
- Suryanarayana, G. (1985), *PDS in India*, Chugh publication, Allahabad.
- Susan George, (1976), *How the other half dies. The real reasons for world hunger*, penguin.
- Swaminathan, M., (2000), *Weakening Welfare: The Public Distribution of Food in India*, Leftword Books, New Delhi.
- Swaminathan, M.S., 2000, *Targeting welfare: Theory and Lessons from Politics of Food Distribution*.
- Townsend, P. (1971), *The Concept of Poverty*, London, Heinemann.
- Tyagi, (1990), *Managing India's Food Economy*, Sage Publications, New Delhi.
- Tyagi and Vyas V.S. (1990), *Increasing Access to Food: The Asian Experience*, Eds, Sage Publications, New Delhi.
- V.M.Dandekar and N.Rath, (1971), *Poverty in India*, Indian School of Political Economy, Poona.
- Venu Gopal, K.R. (1986), *Food Security for Whom? An Indian Question*, (Mimeo) Centre for Policy Research, New Delhi.

- Venu Gopal K.R. (1992), *Deliverance from Hunger: The PDS in India*. Sage Publications, New Delhi.
- Von Braun, Joachim, (2008), *Food and Financial Crisis: Implications for Agriculture and the Poor*, IFPRI, Washington D.C.
- Walton J. & D. Seddon, (1994), *Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustment*, Blackmail, and Oxford.

REPORTS/DOCUMENTS

- ADB, (2008), *Food Prices and Inflation in Developing Asia: Is Poverty Reduction Coming to an End?* Asian Development Bank, Manila.
- Cullet, P. (2003) “*Food Security and Intellectual Property Rights in Developing Countries*”, Geneva: IELRC Working Paper 2003-3.
- Dev, S.Mahendra, (1999-2000), *Persisting Poverty and Social Insecurity: A Selective Assessment*, In Parikh, K. (Ed.,) *India Development Report*, Oxford University Press.
- _____, (1992), *Rural Poverty in India: Incidence, Issues and Policies*, (with M. H. Suryanarayana and Kirit Parikh), *Asian Development Review*, Asian Development Bank, Manila, Vol.10, No.1.
- _____, (2008), *Economic liberalization, Targeted Programmes and Household Food Security: A Case Study of India*, (S. Mahendra Dev, C. Ravi, Brinda Viswanathan, Ashok Gulati and Sangamitra Ramachander), Published a MTID Discussion paper No.68. This paper was published by Markets, Trade and Institutions Division (MTID) of IFPRI, Washington.
- _____, *Safety Nets for Chronic Poor in India: An Overview*, Brought out by Chronic Poverty Research Centre (CPRC), Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi.
- _____, (2012), *Policies for raising agricultural growth and productivity in India*, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai (IGIDR), Proceedings/Project Series, PP-069-SMDI.
- Gaurav Datt, (1994), *Computational Tools for Poverty Measurement and Analysis*, Sarvekshana, Vol.xviii, No.2, pp.1-10
- George, (1979), *P.D.of Foodgrains in Kerala Income Distribution Implication and Effectiveness*, IFPRI (Report No. 7).
- National Sample Survey Organization, (1990), *Utilisation of PDS*. *Sarvekshana*, No.23, Vol. XII.
- Parikh, K.S. (1994), *Who Gets How Much From PDS. How Effectively Does It Reach The Poor?* *Sarvekshana*, Jan-March, Vo. 17, No.3.

- Raj Krishna and Ray Chaudhuri, (1980), *Some Aspects of Wheat and Rice Price Policy in India*, World Bank staff working paper No.381.
- Saxena, N.C. (2011), *Hunger, Under-Nutrition and Food Security in India*, Working Paper 44, Chronic Poverty Research Centre, Indian Institute of Public Administration, New Delhi.

JOURNAL/ARTICLES/PAPERS -

- कुरुक्षेत्र
- योजना
- इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली
- फ्रण्टलाइन
- इण्डिया टुडे
- आउटलुक
- क्रानिकल इयर बुक
- भारत – 2015, 2016
- उत्तर प्रदेश – 2015, 2016
- द हिन्दू
- नव भारत टाइम्स
- द टाइम्स ऑफ इण्डिया
- दैनिक ट्रिव्यून
- दैनिक भास्कर
- हिन्दुस्तान
- जनसत्ता
- दैनिक जागरण
- राष्ट्रीय सहारा
- द स्टेट्स मैन
- इकोनॉमिक टाइम्स
- पंजाब केसरी
- एनन, (1998), 'फूड राइट्स: हंगरी स्टोमोक्स मस्ट हंगर आन', इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, 28 अप्रैल.
- देव, एम0एम0 एण्ड एन0 चन्द्रा शेखरन राव (2005), 'फूड प्रोसेसिंग एण्ड कान्ट्रैक्ट फार्मिंग इन आन्ध्र प्रदेश : ए स्माल फारमर प्रास्पेक्टिव', इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम-40, नं0 26,25 जून.
- ड्रेज, जे0 (2004), 'डेमोक्रेसी एण्ड राइट टू फूड' इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, 24 अप्रैल.

- ड्रेज, जे0 (1990), 'पावर्टी इन इण्डिया एण्ड द आई0आर0डी0पी0 डिल्यूशन' इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, 29 सितम्बर.
- वैद्यनाथन, ए0 (2006) 'फार्मरस सुसाइडेड एण्ड एग्रेरियन क्राइसिस' इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम, 41 नं0 38, 23 सितम्बर.
- जैन, एल0आर0, के0 सुन्दररामन एण्ड एस0डी0 तेन्दुलकर (1988), 'डिमेन्शन्स ऑफ रुरल पावर्टी : एन इण्टर-रीजनल प्रोफाइलो' इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, नवम्बर (स्पेशल इश्यू), री प्रिन्टेड इन कृष्णास्वामी (1990).
- पटनायक, उत्सा, अक्टूबर 8.2011, "भारत में गरीबी: सरकारी और वास्तविक-पोषाहार के मानको को भी शामिल करें" राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप.
- पारिख, किरीट एस0, अप्रैल,15,2012 "इतना अनाज फिर भी खडी है भूखों की जमात", मुददा, दैनिक जागरण.
- घोष,जयाती, जून, 16,2012,"भारत में गरीबी: एक आधार व आकलन-चाहिए वास्तविक अन्दाजा"/राष्ट्रीय सहारा, हस्तक्षेप.
- जनसत्ता, 2011, 'मंहगायी का विकास' (1-15) मार्च भारतीय अर्थव्यवस्था.
- जनसत्ता, 2011 'विकास की राजनीति' (16-30) अप्रैल राज्यव्यवस्था.
- दैनिक जागरण, 2011 'खाद्य सुरक्षा कानून से पहले बढ़ानी होगी उपज' 16-30 अप्रैल, भारतीय अर्थव्यवस्था.
- हिन्दुस्तान, 2011 'गरीबी हटाने का सटीक नुस्खा' 16-30 अप्रैल भारतीय अर्थव्यवस्था.
- नई दुनिया, 2011 'खाद्य सुरक्षा का यथार्थ' 1-15 जून भारतीय अर्थव्यवस्था.
- राजस्थान पत्रिका, 2010 'करोड़ों पेटों का प्रश्न' 1-15 जून भारतीय अर्थव्यवस्था.
- दैनिक ट्रिव्यू, 2011 'सब्सिडी में कटौती नहीं दिशा परिवर्तन की जरूरत' 1-15 जून भारतीय अर्थव्यवस्था.
- राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप) 'भारत में गरीबी : आधार और आकलन' 16 जून 2012.
- दैनिक जागरण (मुददा) 'अन्न का अनादर' 15 अप्रैल 2012.
- कुरुक्षेत्र मार्च 2011 एण्ड मार्च 2012 तथा नवम्बर 2013 आदि प्रमुख खाद्य सुरक्षा विशेषांक.
- फ्रण्टलाइन 13 जनवरी 2012, खाद्य सुरक्षा, विशेषांक, पेज 96 से 107.
- Ahluwalia, D. (1993), *Public Distribution of Food in India: Coverage, targeting and leakages*, Food Policy, 18(1), 33-54.
- K. Verma, (2011), *Farmers' Suicides and Statehood Demand in Bundelkhand*, EPW, July 9, 2011 Vol xlvi no 28
- Ajani, Kumar. *Et al.* (2012), *Food Security in India: Trends, Patterns, and determinants*, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol 67, No. 3, July-Sept 2012.
- Alexandratos, N. (1999), *World food and Agriculture*, Outlook for Medium and Larger Term Colloquium Paper, Rome, Italy, FAO.
- Arora, R. U. (2013), *Food Subsidies for the Poor in India: Are they Working?* Journal of Asian Public Policy, 6(3).

- Banerjee, B. (1997), *Population explosion food security and sustainable development*, Geographical Review of India, 59(1), 1-10.
- Basu, K. (1993), *Structural reform in India: 1991-93 Experience and agenda*, Economic and Political Weekly, 28(48), 2599-2605.
- Balakrishnan, P., & Ramaswami, B. (1997), *Quality of Public Distribution System: Why it Matters*, Economic and Political Weekly, 162-165.
- Bidwai, Praful, (1996), *The Social Deficit: Need for Universal not Targeted PDS*, The Times of India, Bangalore, 2 August.
- Bhalla, G.S., Hazell, P. and Kerr, J. (2001), *Prospects for India's Cereal Supply and Demand to 2020*, Food, Agriculture and the Environment, Discussion Paper 29, International Food Security Institute, Washington D.C.
- Bhat, G. M., & Hussain, B. A. (2012), *Efficiency of Public Distribution System in Kashmir: A Micro Economic Analysis*.
- Bhramanad, P.S. et al. (2013). *Challenges to Food Security in India*, Current Science, Vol 104, No. 7, 10 April 2013.
- Bhattacharya, A. (2008a), *India headed for food Shortages*, The Times of India, New Delhi, April 1.
- Bhattacharya, A. (2008b), *Feed India*, April 1, The Times of India, New Delhi, India.
- Chakravarty, K. (2008), The Financial Express, June 4, New Delhi, India.
- Chand, R. (2005), *Whither India's food policy: From food security to food deprivation*, Economic and Political Weekly, 40(11), 1055-1062.
- Chand, R. (2007), *Demand for food grains*, Economic and Political Weekly, 42(52), 10-13.
- Chandrasekhar, C.P. and Jayati Ghosh, (2008), *India and the Global Financial Crisis*, Macro Scan, Business Line, October.
- Chauhan, S.P. (1999), *Food security and rural development programmes in India*, Journal of Rural Development, Hyderabad, 18(1), 133-149.
- Clinton, H.R. (2009), October 16, *World without hunger*, The Times of India, p. 14.
- Cornia, G.A. & F. Stewart, (1995), *Two errors of Targeting*, Journal of International Department, 5.5
- Dantwala, M.L. (1979), *Rural Unemployment: Facts and Issues*, EPW, 25th June, Vol.14.
- Dev, S.Mahendra, (1996), *Food Security: PDS vs. EGS- The tale of two states*, EPW, 6 July.
- Dev, S.Mahendra, (1998), *Public Distribution System: Impact on Poor and Options for Reform*, EPW 29th August.
- Dev, S.Mahendra and Suryanrayana, (1991), *Is PDS urban biased and prorich: An evaluation*, EPW, Vol.26, and No.4.

- Dev, S.Mahendra, (2008), *Revising Estimates of Poverty*, (Along with C.Ravi), Economic and Political Weekly, Vol. XLIII No.10, March 8-14.
- _____, (2007), *Poverty and Inequality: All-India and States 1983-2005*, (Along with C.Ravi), Economic and Political Weekly, Vol. XLII, No.6, February 10-16.
- _____, (2005), *Food) Processing and Contract Farming in Andhra Pradesh: A Small Farmer Perspective*, (Jointly with N. Chandrasekhara Rao), Economic and Political Weekly, Vol. XL, No.26, June 25 – July 1.
- _____, (2004), *How to make Rural India Shine*, Economic and Political Weekly, Vo. XXXIX No.40, Pages 4415-4422, October 2-8.
- _____, (1999), *An Overview of Social Security in India*, The Indian Journal of Labour Economics, Vol.42, No.3, July-September.
- _____, (1998), *Rising Food Prices and Rural Poverty: Going Beyond Correlations*, Economic and Political Weekly, Vol.33, and No.39.
- _____, (1997), *Public Distribution System: Impact on Poor and Options for Reform*, Economic and Political Weekly, Vol.33, No.5.
- _____, (1996), *Food Security: PDS Vs. EGS, A Tale of Two States*, Economic and Political Weekly, Vol.31, No.27, 1752-1764.
- _____, (1997), *Poverty and Public Policy: A Mixed Record*, in Kirit Parikh (ed.), (With Ajit Ranade), India Development Report, and Oxford University Press.
- _____, (1997), *Agriculture and Rural Development: Stocks, Subsidies and Food Security" in Kirit Parikh (ed.)* (With Ajit Ranade), India Development Report, Oxford University Press.
- _____, (1996), *Social Security for the Poor in India: Insecurity Dimensions, Policies, Financing and Effectiveness, in Towards Social Security for the Poor in the Asia-Pacific Region*, United Nations, New York.
- _____, (1995), *Economic Reforms and Rural Poor*, Economic and Political Weekly, Vol.30, No.33.
- _____, (1995), *Asia: Food Supply and Demand Prospects to 2010* (With Kirit Parikh) in Islam, Nurul (Ed.), *Population and Food in the Early 21st Century: Meeting Future Food Demand of an Increasing Population*, International Food Policy Institute, Washington D.C., U.S.A.
- _____, (1991), *Is PDS Urban Biased and Pro-rich? An Evaluation*, Economic and Political Weekly, Vol.26, No.41.
- _____, (2005), *Calorie, norms and poverty*, Economic and Political Weekly, 40(8), 789-792.
- _____, (1991), *PDS is not Urban Biased*, Financial Express, 4April 4.
- _____, (1991), *Politics of Indian Agriculture*, Economic Times, May 30.

- _____, (1991), *Pressure Groups in Indian Economy*, Financial Express, June 13.
- _____, (1994), *Revamping PDS: Targeting is Key*, Economic Times, and August 16.
- _____, (1999), *Food for thought*, The Times of India, October 22, Page 14.
- Dreze, J. and Goyal, A., (2003), *Future of Mid-Day Meals*, Economic and Political Weekly, Vol.38, no.44, November 1, pp 4673 – 4683.
- Dutta, B., & Ramaswami, B. (2001), *Targeting and Efficiency in the Public Distribution System: Case of Andhra Pradesh and Maharashtra*. Economic and Political Weekly, 1524-1532.
- F. Ram, S. K. Mohanty, Usha Ram, (2009), *Understanding the Distribution of BPL Cards: All-India and Selected States*, EPW, February 14, 2009 Vol xliv no 7.
- Farrington, J., & Slater, R. (2006), *Introduction: Cash Transfers: Panacea for Poverty Reduction or Money down the Drain?* Development Policy Review, 24(5), 499-511.
- George, P. S. (1996), *Public distribution system food subsidy and production incentives*, Economic and Political Weekly, 31(32) 28 Sep.
- Geetha and Suryanarayana, (1993), *Revamping PDS: Some Issues and Implications*, EPW, Vo.28. No.41.
- George, (1984), *Some Aspects of PDS in India*. EPW, Vol.XIX
- Golait, R. and Pradhan, N. C. (2006), *Changing food consumption pattern in rural India: implication on food and nutrition security*. Indian Journal of Agricultural Economics, 61(3).
- Hanafi, Y.S., Ali, M., Siddique, A.M. and Khan J.A. (1999), *Declining trend of food grains availability and food security in Uttar Pradesh*, *The Geographer*.
- Hanumantha, Rao. (1979), *Poverty and Development: Characteristics of Less Developed Regions in India*, EPW, and Vol. 114.
- Hayami Yujiro and Subba Rao, K. (1982), *Efficiency and Equity in the Producer Lew of India*, American Journal of Agricultural Economics, Vol.64, No.4.
- Hazra, A. (2012), *Development demography of rural India*, *Kurukshetra*, 60(9).
- Hendry, Peter, (1988), *Food and population: Beyond five billion*, Population Bulletin, 43(2).
- Hirway, I. (2004), *Providing employment guarantee in India: Some critical issues*, Economic and Political Weekly, 39(8), 5117-5124.
- Hossain, M. and Singh, V. P. (2000), *Fertilizer use in Asian agriculture: Implications for sustaining food security and the environment*, Nutrient Cycling in Agroecosystems, 57, 155-169.
- Jain, S. K. (2004), *Identification of the Poor: Flaws in Government Surveys*, Economic and Political Weekly, 4981-4984.

- Janvry and Subba Rao, K. (1987), *Agricultural Price Policy and Income Distribution in India*, EPW, Vol. XIX, No.52 & 53.
- Jha, R., Gaiha, R., & Pandey, M. (2010), *Food Price Subsidy under Public Distribution System in Andhra Pradesh, Maharashtra and Rajasthan*, The Australia South Asia Research Centre Working Papers (ASARC), 7.
- Jha, S. and Srinivasan, P.V. (2001), *Taking the PDS to the poor: Directions for further reform*, EPW, September 29, 3779-3786.
- Jha, R., Gaiha, R., Pandey, M. K., & Kaicker, N. (2013), *Food subsidy, Income Transfer and the Poor: A Comparative Analysis of the Public Distribution System in India's States*, Journal of Policy Modeling, 35(6), 887-908.
- Jos, E., Mooij (1994), *PDS as Safety Net. Who is Saved*, EPW, and 15 Jan.
- Jos, E., Mooij, (1999), *Dilemmas in Food Policy About Institutional Contradictions and Vested Interests*, Economic and Political Weekly December 25, 1999.
- Khera, R. (2008), *Access to the Targeted Public Distribution System: A Case Study in Rajasthan*. Economic and Political Weekly, 51-56.
- Khera, R. (2011a), *India's Public Distribution System: Utilization and Impact*, Journal of Development Studies, 47(7), 1038-1060.
- Khera, R. (2011b), *Revival of the Public Distribution System: Evidence and Explanations*, Economic & Political Weekly, 46(44), 36-50. 64
- Khera, R. (2011c), *Trends in Diversion of PDS Grain*, Economic and Political Weekly, 46(21), 106-114.
- Khosla, R. (2011), *Caste, Politics and Public Good Distribution in India: Evidence from NREGS in Andhra Pradesh*, Economic & Political Weekly, 46(12), 63.
- Kravdal, O. (2001), *Has Population Growth Restricted Improvement in Food Availability per Head 1970-95*, Population Studies, 55 (2).
- Krishnan, T.N. (1992), *Population. Poverty and Employment in India*, EPW, Nov. 14, 27(46) Vol.27.
- Kumar, P., Mruthyunjaya, Dev, M.M. (2007), *Long term changes in Indian food basket and nutrition*, Economic and Political weekly, 42(35), 3567-3572.
- Kumar, B., & Mohanty, B. (2012), *Public Distribution System in Rural India: Implications for Food Safety and Consumer Protection*, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 232-238.
- Lakdwala, D.T. (1977), *Growth. Unemployment and Poverty*, Presidential address to the All India Labour Economic Conference, Tirupati, and 31 Dec.
- Madhura Swaminathan, (1996), *Structural Adjustment, Food Security and System of Public Distribution of Food*, E. P. W, June 29, 1996.
- Madhura Swaminathan, (1999), *Understanding the Costs of the Food Corporation of India*, EPW, and December 25, 1999.

- Mellor, J.W. (1983), *Food Policy for the Developing Countries*, American Economic Review, Vol.93, No.2.
- MM, M. C., & Narwade, S. S. (2013), *An Evaluation of PDS: In Maharashtra–A Case Study*, Excel Journal of Engineering Technology and Management Science, 1-10.
- Mooij, J. (1998), *Food policy and politics: The Political Economy of the Public Distribution System in India*, The Journal of Peasant Studies, 25(2), 77-101.
- Mooij, J. (2001), *Food and Power in Bihar and Jharkhand: PDS and its Functioning*, Economic and Political Weekly, 3289-3299.
- Mohammad, A. (1995), *Food availability and security in the Middle-East*, The Geographer, 42(2), 50-70.
- Munir A, Rukhsana, Ashraf M. (2005), *Availability and imbalances in the production of pulses in Western Uttar Pradesh*, The Geographer, 52(1),17-28.
- Nagarajan, S. (2005), *Can India produce enough Wheat by 2020?* Current Science, 89(9), 1467-1471.
- Parthasarathy, G. (1996), *Social Security and Structural Adjustment*, The Indian Journal of Labour Economics, Vol.39, No. 1, January to March.
- Pal, B. (2011), *Organization and Working of Public Distribution System in India: A Critical Analysis*, International Journal of Business Economics & Management Research, 1/1, 40-48.
- Patnaik, U. (2004), *The Republic of Hunger*, Public lecture on the occasion of the 50th Birthday of Safdar Hashmi organized by the SAHMAT Safdar Hashmi memorial trust, New Delhi.
- Puri, R. (2012), *Reforming the Public Distribution System: Lessons from Chhattisgarh*, Economic and Political Weekly, 47(5), February 4, 2012 Vol XIVII no 5.
- Ramaswami, B., & Balakrishnan, P. (2002), *Food Prices and the Efficiency of Public Intervention: the Case of the Public Distribution System in India*, Food policy, 27(5), 419-436.
- Ray, S., & Ray, I. A. (2011), *Role and Effectiveness of Public Distribution System in Assuring Food Security in India: An Appraisal*, Journal of Economics and Sustainable Development, 2(4), 238-251.
- Svedberg, P. (2012), *Reforming or Replacing the Public Distribution System with Cash Transfers?* Economic & Political Weekly, 47(7), 53-62.
- Swaminathan, M. (2009), *Neo-liberal policy and food security in India: Impact on the Public Distribution System*, TISS Conference Paper, 13-15.
- Tritah, A. (2003), *The Public Distribution System in India: Counting the poor from making the poor count*, Toulouse, France: University des Sciences Sociales, Groupe de Recherche en Economy Mathématique et Quantitative.

- Radhakrishna, R., & K. Hanumantha Rao, (1994), *Food Security. Public Distribution and Price Policy*, UNDP studies on Human Development in India, Discussion paper session 4, New Delhi.
- Rao, V.M. (1995), *Beyond Surpluses: Food Security in Changing Context*, EPW 28 Jan.
- Rao, V.M. (1997), *How Secure is Food Security?* EPW, 28 Nov.
- Ray, S.K. (1994), *Food Management Revisited*, (Mimeo) Institute of Economic Growth, Delhi.
- Ruddar Dutt, (2000), *Food Security in India*, CESS Seminar Paper.
- Scadizzo, P.L., and Swamy, G. (1982), *Benefits and Costs of Food Distribution Policies: The Indian Case*, West Bengal staff working paper No. 509.
- Sen, A. (2008), *The Rich Get Hungrier*, May 29, The Times of India, New Delhi, India.
- Sen, A. (2009), Economist and Member. Planning Commission, Government of India.
- Sen, Amartya, (1992), *Poverty Alleviation: Universalism vs. Targeting*, Convocation address at IMD Gurgaon, India.
- Sharma, D. (2009), *Food Analyst*, Food Corporation of India, New Delhi.
- Shubh K.Kumar, (1979), *Impact of Subsidised Rice on Food Consumption and Nutrition in Kerala*, Research Report No.5, International Food Policy Research Institute.
- Subba Rao, K. (1985), *Regional Variations in Impact of Antipoverty Programmes – A Review of Evidence*, EPW, Vol. XX, No.43.
- Suryanarayana, M.H. (1995), *PDS: Beyond Implicit Subsidy and urban Bias – The Indian experience*, Food policy, Vol.20 No.4.
- Suryanarayana, M.H. (1995), *Some Experiments with Food Stamps*, Economic and Political Weekly, December 30, 1995.
- Suryanarayana, M.H. (1996), *Economic Reforms. Nature and Poverty*, EPW. March 9.
- Suryanarayana, M.H. (1995), *PDS Reforms and Scope for Commodity Based Targeting*, EPW, 1st April.
- Swaminathan, M.S. (1997), *Dangers of Narrow Targeting*, Frontline, Oct.31, Page 12-16.
- Swaminathan, M.S. (1999), *Understanding the Costs of the Food Corporation of India*, EPW, Vol.34, No.52, and 25 December.
- Swaminathan, M.S. (1996), *Structural Adjustment. Food Security and System of Public Distribution of Food*, EPW, 29 June.
- Timmer, C.P., (2000), *The Macro Dimensions of Food Security: Economic Growth, Equitable Distribution, and Food Price Stability*, Food Policy 25 (2000):283-295.

- Timmer, C.P., (2004), *Food Security and Economic Growth: Asian Perspective*, Asian-Pacific Economic Literature, and November.
- Utsa Patnaik, (1996), *Export-oriented Agriculture and Food Security in Developing Countries and India*, EPW, September 1996.
- Vyas, V.S. (1993), *New Economic Policy and Vulnerable Sections*, EPW, March 6th, Vol.27.
- Yoginder K. Alagh, (1995), *Poverty and Food Security: Towards a Policy System for Food Security*, EPW, and 30th December 1995.

पत्रिकाएँ :-

- योजना — खाद्य सुरक्षा विशेषांक, दिसम्बर : 2013
- Babu, S. C. (2008), *Global food security and India*, Yojana, 52.
- Ghose, A. (1986), with *buffer stocks*, Yojana, 30(3), 8-9.
- Khanna, S. S. and Gupta, M. P. (1988), *Raising production of pulses*, Yojana, 32(17),
- Kumar, D. (2012), *Re discovering the traditional wisdom of nutrition*, Yojana, 56, 20-22.
- Kumar, P. (2010), *Food security: The challenge ahead*, Yojana, 54, 27-31.
- Patel, A. (2011), *Food for all: The only way forward*, Kurukshetra, 59(5), 28-34.
- Patil, V. U. and Chakrabarti, S. K. (2010), *Role of potato in attaining food security*, Yojana, 54, 41-43.

कुरुक्षेत्र —

- कुरुक्षेत्र — खाद्य सुरक्षा विशेषांक, नवम्बर : 2013
- Arabi, U. (2008), *Understanding the micro dimension of food security problems in India*, Kurukshetra, 56(8).
- Gautam, H. R. (2008), *Food security – Need to strengthen the agricultural sector*, Kurukshetra, 56(8), 7-10.
- Gautam, H. R. and Sapehia, R. S. (2011), *Need to augment irrigation capacity in agriculture*, Kurukshetra, 59(4), 6-8.
- Mishra, S, Sadangi, B. N., Pandey, H. and Das, A.B. (2008), *Role of women in family food security*, Kurukshetra, 56(8), 23-29.

वेबसाइट स्रोत:- (Internet Sources)

- See: ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02.pdf
- <http://www.jstor.org/discover/10.2307/4365324?uid=3738256&uid=2&uid=4&sid=21102444952421>

- FAO, 'Financial Crisis Could Deepen the Food Crisis', Available at www.fao.org/newsroom/news/2008/10000937/index.html, 2008a.
- <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/57378/2/1Presidential%20address.pdf>
- Athreya, V.B., Bhavani, R.V., Anuradha, G. and Gopinath, R. and VelanSakthi, A., (2008) *Report on the state of food insecurity in rural India*. Available at: <http://www.mssrf.org/fs/pub/report%20on%20the%20state%20of%20food%20insecurity%20in%20rural%20india.pdf> [Accessed 10 October 2012].
- Athreya, V.B., Bhavani, R.V., Anuradha, G., Rukmani, R. and Gopinath, R. and VelanSakthi, A., (2010), *Report on the state of food security in urban India*. Available at: <http://www.mssrf.org/fs/pub/report%20on%20the%20state%20of%20food%20insecurity.pdf> [Accessed 13 October 2012].
- Birthal, P.S. and Joshi P.K., (2007), *Access to Markets for High-Value Agricultural Commodities in India*, Available at: http://faculty.apec.umn.edu/kolson/documents/4103_cases/case_6-4.pdf [Accessed 19 January 2013].
- Cheriyan, G., (2006), *En forcing the Right to Food in India: Bottlenecks in Delivering the Expected Outcome*, Available at: <http://www.wider.unu.edu/stc/repec/pdfs/rp2006/rp2006-132.pdf> [Accessed 21 December 2012].
- Commission for Agricultural Costs and Prices, (2012), *National Food Security Bill: Challenges and Options*, Available at: <http://cacp.dacnet.nic.in/NFSB.pdf> [Accessed 3 March 2013].
- Curry, P., (2011), *When all the money has been eaten*, Available at: <http://www.theprisma.co.uk/2011/08/28/patrick-curry-ii-then-all-the-money-has-been-eaten/> [Accessed 5 May 2013].
- Dev, M.S. and Ravi, C., (2007), *Poverty and Inequality: All-India and States, 1983-2005*. Available at: <http://www.epw.in/special-articles/poverty-and-inequality-all-india-and-states-1983-2005.html> [Accessed 13 March 2013].
- Deodhar, Y.S., Mahandiratta, S., Ramani, K.V., Mavalankar, D. and Ghosh, S. and Braganza, V., (2010), *An Evaluation of Mid-Day Meal Scheme*. Available at: [http://www.iimahd.ernet.in/~satish/MDMJISPEPaper \(2\).pdf](http://www.iimahd.ernet.in/~satish/MDMJISPEPaper (2).pdf) [Accessed 19 February 2013].
- Dreze, J., (2003), *Where Welfare Works: Plus Points of the TN Model*. Available at: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2003-05-21/edit-page/27264386_1_mid-day-meals-health-centresindian-schools [Accessed 20 March 2013].
- FAO Report, (2012), *The state of food insecurity in the world 2012*, Available at: <http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e00.htm> [Accessed 15 January 2013].

- Juesetta, (2010), *A child dies for hunger every 6 seconds*. Available at: <http://www.juesatta.com/a-child-dies-forhunger-every-6-seconds/>
- [Accessed 16 May 2013].
- Khera, R., (2011), *Trends in diversion of PDS grains*. Available at: <http://www.cdeds.org/pdf/work198.pdf> [Accessed 5 March 2013].
- Khera, R., (2012), *Tamilnadu's striking progress in welfare*. Available at: <http://www.indiatogether.org/2012/sep/gov-tnwelfare.htm> [Accessed 2 April 2013].
- Nayyar, R., (2005). *India's Poverty Alleviation Programmes*, Available at: http://nutritionfoundationofindia.res.in/workshop_symposia/towards-national-nutrition
- Security2005.pdf/Session%20-%20Nutrition%20Orientation%20to%20Food%200production%20policies_India%20Poverty%20Alleviation%20Programmes.pdf [Accessed 12 December 2012].
- Panda, M. and Ganesh-Kumar, A., (2009), *Trade Liberalization, Poverty, and Food Security in India*. Available at: <http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp00930.pdf> [Accessed 21 February 2013].
- Per Pinstrup-Andersen, (2009), *Food Security: Definition and Measurement*, Food Security, (2009) 1:5–7 DOI 10.1007/s12571-008-0002-y.
- Programme Evaluation Organisation, (2005) *Performance Evaluation of Targeted Public Distribution System (TPDS)*, [Pdf] New Delhi: Planning Commission, Government of India. Available at: http://planningcommission.nic.in/reports/peoreport/peo/peo_tpds.pdf [Accessed 7 March 2013].
- Ramasamy, J. and Moorthy, P., (2012), *Managing food insecurity and poverty in India in the era of globalization*, Available at: <http://www.zenithresearch.org.in/images/stories/pdf/2012/Jan/ZIJMR/33%20J%20RAMASAMY.pdf> [Accessed 11 March 2013].
- Saxena, N.C., (2011), *Hunger, Under-Nutrition and Food Security in India*, Available at: http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/ChronicPoverty_RC/CPRCIIPA44.pdf [Accessed 2 March 2013].
- Srivastava, S., (2012). *Public distribution system under the national food security bill: A hit or a miss*. Available at: http://www.ijcl.co.in/uploads/8/7/5/1/8751632/ijcl_vol.1_1__legislative_comment_by_shreya.pdf [Accessed 18 March 2013].
- Swaminathan, M., (2003), *Liberalisation and Policies of Food Security: The Indian experience*, Paper presented at the meeting of the Ethiopian Economic Association, January 3 – 5, Addis Ababa. Available at:

http://www.networkideas.org/events/jan2003/Ethiopia_Conference_Madhura.pdf
[Accessed 17 February 2013].

- Swaminathan, M., (2009), *Neo-Liberal Policy and Food Security in India: Impact on the Public Distribution System*, Available at: <http://www.networkideas.org/ideasact/jan09/PDF/Madhura.pdf> [Accessed 10 January 2013].
- The Guardian, (2010), *India's battle against hunger beset by problems of delivery and corruption*, Available at: <http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/07/india-hunger-malnutrition-ration-shops> [Accessed 1 May 2013].
- The Economic Times, (2012), *Government intends to evacuate 10 MT of wheat; export price of new wheat should be \$220/tonne*, Available at: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-17/news/31749231_1_export-price-indian-wheat-tonne [Accessed 1 May 2013].
- The Lancet, (2010), *The Millennium Development Goals: a cross-sectoral analysis and principles for goal setting after 2015*, Available at: [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736\(10\)61196-8/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(10)61196-8/fulltext) [Accessed 25 February 2013].
- Thorat, S., (2007), *Economic exclusion and poverty: Indian experience of remedies against exclusion*. Available at: http://conferences.ifpri.org/2020Chinaconference/pdf/ManilaC_Thorat.pdf [Accessed 15 March 2013].
- Timmer, C.P., (1997), *How Well Do the Poor Connect to Economic Growth?* CAER Discussion Paper, HIID, Cambridge, MA.

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या 05.05.2016 तक की स्थिति

| क्र० | जिले का नाम | बी०पी०एल० राशनकार्ड लाभार्थी | अन्त्योदय राशनकार्ड लाभार्थी | ए० पी० एल० राशनकार्ड लाभार्थी | कुल राशनकार्ड लाभार्थी |
|-----------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | आगरा | 15850 58994 | 9564 34607 | 735264 3079538 | 760678 3173139 |
| 2 | अलीगढ | 39724 128129 | 24571 79278 | 721094 2547396 | 785389 2754803 |
| 3 | इलाहाबाद | 142146 530163 | 87996 342129 | 819081 3000225 | 1049223 3872517 |
| 4 | अम्बेडकर नगर | 106692 585876 | 65967 369132 | 231310 1167630 | 403969 2122638 |
| 5 | अमेठी | 113289 456474 | 70376 306283 | 166706 610481 | 350371 1373238 |
| 6 | अमरोहा | 33959 145990 | 20731 85767 | 317996 1116701 | 372686 1348458 |
| 7 | औरैया | 80279 319947 | 51504 222583 | 136053 480424 | 267836 1022954 |
| 8 | आजमगढ, | 170704 805282 | 105740 526629 | 467317 1836789 | 743761 3168700 |
| 9 | बागपत | 12959 55511 | 7683 30085 | 224265 1071646 | 244907 1157242 |
| 10 | बहराइच | 203909 629081 | 126831 446341 | 236624 599132 | 567364 1674554 |
| 11 | बलिया | 149764 389910 | 101428 266972 | 343932 837199 | 595124 1494081 |
| 12 | बलरामपुर | 59765 261221 | 36788 176712 | 263534 1151564 | 360087 1589497 |
| 13 | बौदा | 78188 248986 | 48128 142992 | 195055 505033 | 321371 897011 |
| 14 | बाराबंकी | 183593 639012 | 113881 440294 | 342525 970610 | 639999 2049916 |
| 15 | बरेली | 156815 582820 | 99657 384092 | 617993 2469477 | 874465 3436389 |
| 16 | बस्ती | 143829 669188 | 89062 443387 | 206570 869544 | 439461 1982119 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 17 | बिजनौर | 33767 | 151799 | 20624 | 85177 | 783574 | 3123401 | 837965 | 3360377 |
| 18 | बदायूँ | 73483 | 402189 | 45193 | 249095 | 422103 | 2554687 | 540779 | 3205971 |
| 19 | बुलंन्दशहर | 43042 | 195684 | 26402 | 112505 | 819177 | 3294916 | 888621 | 3603105 |
| 20 | चन्दौली | 76025 | 328159 | 52495 | 224945 | 261499 | 989892 | 390019 | 1542996 |
| 21 | चित्रकूट | 37234 | 156533 | 22773 | 98170 | 119744 | 421737 | 179751 | 676440 |
| 22 | देवरिया | 162341 | 703317 | 105006 | 504469 | 282303 | 986382 | 549650 | 2194168 |
| 23 | एटा | 44100 | 195315 | 27159 | 116302 | 303087 | 1098841 | 374346 | 1410458 |
| 24 | इटावा | 74710 | 221918 | 46079 | 143559 | 153941 | 500681 | 274730 | 866158 |
| 25 | फैजाबाद | 99154 | 490678 | 62953 | 318485 | 257462 | 1056131 | 419569 | 1865294 |
| 26 | फरूखाबाद | 60781 | 182175 | 38283 | 114542 | 144452 | 420365 | 243516 | 717082 |
| 27 | फतेहपुर | 59777 | 269545 | 36792 | 156344 | 495522 | 1925157 | 592091 | 2351046 |
| 28 | फिरोजाबाद | 53541 | 239981 | 32512 | 142127 | 356072 | 1499108 | 442125 | 1881216 |
| 29 | गौतम बुद्ध नगर | 12702 | 61565 | 7897 | 36554 | 284111 | 1170340 | 304710 | 1268459 |
| 30 | गाजियाबाद | 14202 | 70521 | 8500 | 37281 | 526620 | 2404129 | 549322 | 2511931 |
| 31 | गाजीपुर | 94649 | 322236 | 59537 | 197095 | 680674 | 1791100 | 834860 | 2310431 |
| 32 | गोन्डा | 103059 | 388712 | 64605 | 273920 | 317673 | 972225 | 485337 | 1634857 |
| 33 | गोरखपुर | 198191 | 818645 | 124129 | 528876 | 403530 | 1672890 | 725850 | 3020411 |
| 34 | हमीरपुर | 58538 | 263447 | 36017 | 165100 | 151386 | 595632 | 245941 | 1024179 |
| 35 | हापुड | 14234 | 72733 | 8805 | 39243 | 225034 | 1044008 | 248073 | 1155984 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 36 | हरदोई | 189080 | 393979 | 117700 | 250309 | 486082 | 987370 | 792862 | 1631658 |
| 37 | हाथरस | 27710 | 121608 | 16851 | 71387 | 301234 | 1120997 | 345795 | 1313992 |
| 38 | जालौन | 60778 | 259974 | 37698 | 178732 | 252394 | 1010670 | 350870 | 1449376 |
| 39 | जौनपुर | 198810 | 809291 | 125468 | 520705 | 580052 | 2349528 | 904330 | 3679524 |
| 40 | झाँसी | 74310 | 312608 | 45831 | 195810 | 390354 | 1492027 | 510495 | 2000445 |
| 41 | कन्नौज | 40759 | 148285 | 29424 | 111807 | 134084 | 504578 | 204267 | 764670 |
| 42 | कानपुर देहात | 78893 | 318170 | 51146 | 222130 | 171250 | 563571 | 301289 | 1103871 |
| 43 | कानपुर नगर | 79222 | 327128 | 55350 | 235542 | 504906 | 2149974 | 639478 | 2712644 |
| 44 | कासगंज | 43786 | 148308 | 27587 | 88572 | 199963 | 671607 | 271336 | 908487 |
| 45 | कौशाम्बी | 61005 | 234141 | 37575 | 151780 | 263820 | 916061 | 362400 | 1301982 |
| 46 | लखीमपुर खीरी | 172162 | 584133 | 109889 | 382697 | 412543 | 1286835 | 694594 | 2253665 |
| 47 | कुशीनगर | 188754 | 643637 | 116726 | 430426 | 300838 | 1033104 | 606318 | 2107167 |
| 48 | ललितपुर | 44280 | 174921 | 27159 | 104251 | 139132 | 515370 | 210571 | 794542 |
| 49 | लखनऊ | 75730 | 287464 | 50106 | 190684 | 738088 | 2953108 | 863924 | 3431256 |
| 50 | महोबा | 26694 | 110450 | 16224 | 67031 | 193450 | 681314 | 236368 | 858795 |
| 51 | महराजगंज | 107728 | 484841 | 66616 | 293910 | 278189 | 993534 | 452533 | 1772285 |
| 52 | मैनपुरी | 74408 | 335619 | 45891 | 210789 | 308836 | 1164366 | 429135 | 1710774 |
| 53 | मथुरा | 67238 | 236998 | 41429 | 131777 | 539061 | 1870057 | 647728 | 2238832 |
| 54 | मरु | 90867 | 362686 | 56587 | 226749 | 329579 | 1196853 | 477033 | 1786288 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 55 | मेरठ | 15442 | 77406 | 9229 | 42896 | 831365 | 3483377 | 856036 | 3603679 |
| 56 | मिरजापुर | 102783 | 405299 | 69665 | 264533 | 336552 | 1082520 | 509000 | 1752352 |
| 57 | मुरादाबाद | 48915 | 181291 | 30088 | 108455 | 362529 | 1246233 | 441532 | 1535979 |
| 58 | मुजफ्फर नगर | 31956 | 134907 | 19605 | 77769 | 574585 | 2390775 | 626146 | 2603451 |
| 59 | पीलीभीति | 59532 | 271902 | 36654 | 169668 | 338161 | 1327210 | 434347 | 1768780 |
| 60 | प्रतापगढ. | 119919 | 484850 | 74189 | 330219 | 349574 | 1391609 | 543682 | 2206678 |
| 61 | रायबरेली | 164492 | 552020 | 101909 | 365992 | 326340 | 1036149 | 592741 | 1954161 |
| 62 | रामपुर | 56335 | 221610 | 34662 | 142602 | 381996 | 1306565 | 472993 | 1670777 |
| 63 | सहारनपुर | 88438 | 413838 | 54618 | 245046 | 676320 | 2623387 | 819376 | 3282271 |
| 64 | सम्भल | 36894 | 109316 | 23055 | 67686 | 321263 | 926036 | 381212 | 1103038 |
| 65 | सन्तकबीर नगर | 86539 | 365213 | 53389 | 238877 | 217675 | 654573 | 357603 | 1258663 |
| 66 | सन्त रबिदास नगर भदोही | 62027 | 208565 | 38258 | 128159 | 201062 | 691485 | 301347 | 1028209 |
| 67 | शाहजहाँपुर | 60934 | 162089 | 37837 | 112298 | 300873 | 893938 | 399644 | 1168325 |
| 68 | शामली | 23947 | 105955 | 14765 | 61929 | 304028 | 1256511 | 342740 | 1424395 |
| 69 | श्रावस्ती | 37829 | 72720 | 23171 | 47294 | 120897 | 329152 | 181897 | 449166 |
| 70 | सिद्धार्थनगर | 133283 | 498897 | 82510 | 321414 | 167942 | 598782 | 383735 | 1419093 |
| 71 | सीतापुर | 166067 | 621191 | 112068 | 413103 | 483215 | 1727968 | 761350 | 2762262 |
| 72 | सोनभद्र | 82475 | 273573 | 60558 | 200543 | 325287 | 986368 | 468320 | 1460484 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 73 | सुल्तानपुर | 128852 | 583539 | 80401 | 381970 | 329881 | 1299516 | 539134 | 2265025 |
| 74 | उन्नाव | 184658 | 576493 | 114448 | 388495 | 357139 | 1124617 | 656245 | 2089605 |
| 75 | वाराणसी | 80068 | 335084 | 49497 | 209009 | 689608 | 2301774 | 819173 | 2845867 |
| | कुल योग | 6478594 | 24991735 | 4081501 | 16224117 | 27533430 | 101974480 | 38093525 | 143190332 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

विगत 10 वर्षों में प्रदेश में गेहूं उत्पादन, क्षेत्रफल तथा उत्पादकता का
विवरण

| क्रमांक | फसल वर्ष | विपणन वर्ष | क्षेत्रफल (लाख/हेक्टेयर) | उत्पादन (लाख मी0टन) | उत्पादकता (कु0/हेक्टेयर) |
|---------|-----------|------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1997-98 | 1998-99 | 87.70 | 221.47 | 25.25 |
| 2 | 1998-99 | 1999-2000 | 89.31 | 227.81 | 25.51 |
| 3 | 1999-2000 | 2000-2001 | 91.14 | 255.51 | 28.03 |
| 4 | 2000-2001 | 2001-2002 | 91.70 | 249.10 | 27.20 |
| 5 | 2001-2002 | 2002-2003 | 90.81 | 250.18 | 27.55 |
| 6 | 2002-2003 | 2003-2004 | 90.94 | 236.12 | 25.96 |
| 7 | 2003-2004 | 2004-2005 | 91.50 | 255.66 | 27.94 |
| 8 | 2004-2005 | 2005-2006 | 89.99 | 275.00 | 25.02 |
| 9 | 2005-2006 | 2006-2007 | 90.93 | 300.50 | 33.39 |
| 10 | 2006-2007 | 2007-2008 | 92.10 | 275.00 | 29.86 |
| 11 | 2007-2008 | 2008-2009 | 91.20 | 256.77 | 28.76 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

विगत 10 वर्षों में प्रदेश की मण्डियों में गेहूं की आवक, खरीद एवं समर्थन मूल्य का विवरण निम्नवत् है :-

| क्रमांक | वर्ष | मण्डी आवक (लाख मी० टन में) | लक्ष्य (लाख मी० टन) | खरीद (लाख मी० टन) | समर्थन मूल्य |
|---------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 1998-99 | 58.47 | 20.00 | 21.21 | रु० 455/-प्रति कु० 55/-बोनस |
| 2 | 1999- 2000 | 52.60 | 20.00 | 12.61 | रु० 550/-प्रति कु० 55/-बोनस |
| 3 | 2000- 2001 | 25.34 | 20.00 | 15.27 | रु० 580/-प्रति कु० |
| 4 | 2001- 2002 | 26.29 | 20.00 | 24.46 | रु० 610/-प्रति कु० |
| 5 | 2002- 2003 | 32.82 | 25.00 | 21.10 | रु० 620/-प्रति कु० |
| 6 | 2003- 2004 | 48.47 | 25.00 | 12.74 | रु० 630/-प्रति कु० |
| 7 | 2004- 2005 | 57.88 | 25.00 | 17.42 | रु० 630/-प्रति कु० |
| 8 | 2005- 2006 | 59.30 | 27.00 | 5.59 | रु० 640/-प्रति कु० |
| 9 | 2006- 2007 | 45.20 | 27.00 | 0.49 | रु० 650/-प्रति कु० 50/-बोनस |
| 10 | 2007-08 | 27.82 | 16.50 | 5.45 | रु० 750/-प्रति कु० 100/-बोनस |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

प्रदेश में विगत 10 वर्षों में गेहूं खरीद के तुलनात्मक आंकड़े

| (आंकड़े लाख मी०टन) क्रमांक | विपणन वर्ष | क्रय लक्ष्य | कुल खरीद (मी० टन) |
|----------------------------|------------|-------------|---------------------|
| 1 | 1998-99 | 20.00 | 21.41 |
| 2 | 1999-2000 | 20.00 | 12.61 |
| 3 | 2000-2001 | 20.00 | 15.27 |
| 4 | 2001-2002 | 20.00 | 24.46 |
| 5 | 2002-2003 | 25.00 | 21.10 |
| 6 | 2003-2004 | 25.00 | 12.74 |
| 7 | 2004-2005 | 25.00 | 17.40 |
| 8 | 2005-2006 | 27.00 | 05.59 |
| 9 | 2006-2007 | 27.00 | 0.49 |
| 10 | 2007-2008 | 15.00 | 5.45 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

प्रदेश में 2007-08 में गेहूं खरीद एवं भण्डारण की स्थिति

| (आंकड़े लाख मी०टन) क्रमांक | क्रय एजेन्सी | खरीद का लक्ष्य | कुल खरीद |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | खाद्य विभाग | 4.75 | 83803 |
| 2 | पी०सी०एफ० | 5.00 | 65796 |
| 3 | यू०पी०एस०एफ०सी० | 0.50 | 37290 |
| 4 | यू०पी० एग्री | 2.25 | 35633 |
| 5 | यू०पी०एस०एस० | 2.00 | 37290 |
| 6 | एस०डब्लू०सी० | 0.50 | 11049 |
| 7 | भा०खा०नि० | 1.50 | 278133 |
| | योग - | 16.50 | 545673 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

भण्डारण (मी० टन)

| | |
|---------------|-----------------|
| केन्द्रीय पूल | 2,78,133 |
| स्टेट पूल | <u>2,67,540</u> |
| योग - | 5,45,673 |

Figure – : Food Distribution According to PDS Entitlement (Per Household)

| Card | Wheat | Rice | Sugar | Salt | Kerosene |
|------|-------|------|-------|------|----------|
| BPL | 16kg | 3kg | 1,5kg | 1kg | 5 Ltr. |
| APL | / | / | / | / | 2 Ltr. |
| AY | 30kg | 5kg | 1,5kg | 1kg | 5 Ltr. |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

Figure Food Distribution According to FSB Entitlement (per individual)


| BPL | AY | | Total |
|-------|-----|------|--|
| Wheat | 4kg | 28kg | 5kg per person |
| Rice | 1kg | 7kg | 35kg (1-7people) + 5 kg per person (7+ people) |


Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

Figure Product- Comparison of FPS Price and Market Price

| FPS Price | | Market Price |
|-----------|--------------|-------------------------|
| Wheat | 1 Rs. /kg | 16 - 18 Rs. /kg |
| Rice | 1 Rs. /kg | 25 - 60 Rs. /kg |
| Sugar | 13,5 Rs. /kg | 36 - 38 Rs. /kg |
| Salt | 1 Rs. /kg | 6 - 10 Rs. /kg |
| Kerosene | 15, 8 Rs. /l | Not sold in open market |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh





Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA) की पात्रता सूची

(09/05/2016 समय: 03:52 AM तक की स्थिति)

| क्र. | जिले का नाम | पात्र गृहस्थी | | अन्त्योदय | | योग | |
|------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | राशनकार्ड | लाभार्थी | राशनकार्ड | लाभार्थी | राशनकार्ड | लाभार्थी |
| 1 | Agra | 693672 | 3134208 | 9567 | 34745 | 703239 | 3168953 |
| 2 | Aligarh | 594923 | 2564482 | 24596 | 82963 | 619519 | 2647445 |
| 3 | Allahabad | 945172 | 3963454 | 88106 | 344528 | 1033278 | 4307982 |
| 4 | Ambedkar Nagar | 273140 | 1477482 | 65967 | 372311 | 339107 | 1849793 |
| 5 | Amethi | 239924 | 1121228 | 70378 | 303221 | 310302 | 1424449 |
| 6 | Amroha | 315211 | 1242563 | 20743 | 86369 | 335954 | 1328932 |
| 7 | Auraiya | 181052 | 814692 | 51506 | 225776 | 232558 | 1040468 |
| 8 | Azamgarh | 539077 | 2793932 | 105779 | 525972 | 644856 | 3319904 |
| 9 | Baghpat | 177180 | 884587 | 7683 | 35707 | 184863 | 920294 |
| 10 | Bahraich | 510259 | 2280252 | 127028 | 412562 | 637287 | 2692814 |
| 11 | Ballia | 458808 | 1933191 | 101701 | 278140 | 560509 | 2211331 |
| 12 | Balrampur | 249576 | 1302417 | 36789 | 180180 | 286365 | 1482597 |
| 13 | Banda | 339052 | 1424214 | 48471 | 145512 | 387523 | 1569726 |
| 14 | Bara Banki | 522834 | 2090672 | 113883 | 439743 | 636717 | 2530415 |
| 15 | Bareilly | 674018 | 2899142 | 99687 | 387929 | 773705 | 3287071 |
| 16 | Basti | 288946 | 1438895 | 89067 | 460029 | 378013 | 1898924 |
| 17 | Bijnor | 573932 | 2576028 | 20625 | 85458 | 594557 | 2661486 |
| 18 | Budaun | 389138 | 1944624 | 45221 | 208865 | 434359 | 2153489 |
| 19 | Bulandshahar | 588020 | 2523671 | 26402 | 112520 | 614422 | 2636191 |
| 20 | Chandauli | 217834 | 1077818 | 52495 | 224689 | 270329 | 1302507 |
| 21 | Chitrakoot | 169236 | 762336 | 22774 | 98803 | 192010 | 861139 |
| 22 | Deoria | 351658 | 1676697 | 105677 | 510324 | 457335 | 2187021 |
| 23 | Etah | 240403 | 1125657 | 27157 | 118453 | 267560 | 1244110 |
| 24 | Etawah | 229975 | 1021383 | 46082 | 149474 | 276057 | 1170857 |
| 25 | Faizabad | 323808 | 1537474 | 62989 | 318004 | 386797 | 1855478 |
| 26 | Farrukhabad | 267362 | 1206627 | 38338 | 118446 | 305700 | 1325073 |
| 27 | Fatehpur | 421934 | 1882323 | 36786 | 156160 | 458720 | 2038483 |
| 28 | Firozabad | 345978 | 1628023 | 32521 | 142101 | 378499 | 1770124 |
| 29 | Gautam Buddha Nagar | 186215 | 826271 | 7897 | 35521 | 194112 | 861792 |
| 30 | Ghaziabad | 400061 | 1881793 | 8500 | 37314 | 408561 | 1919107 |
| 31 | Ghazipur | 480712 | 2391392 | 59537 | 197181 | 540249 | 2588573 |
| 32 | Gonda | 470772 | 2261288 | 65764 | 275467 | 536536 | 2536755 |
| 33 | Gorakhpur | 599679 | 2639515 | 126391 | 595528 | 726070 | 3235043 |
| 34 | Hamirpur | 182895 | 832897 | 36144 | 165662 | 219039 | 998559 |
| 35 | Hapur | 188783 | 899077 | 8805 | 39833 | 197588 | 938910 |
| 36 | Hardoi | 638443 | 2540331 | 117727 | 263939 | 756170 | 2804270 |
| 37 | Hathras | 229942 | 963852 | 16852 | 71537 | 246794 | 1035389 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| 38 | Jalaun | 229591 | 1043435 | 37761 | 178286 | 267352 | 1221721 |
| 39 | Jaunpur | 545093 | 2740890 | 125466 | 524274 | 670559 | 3265164 |
| 40 | Jhansi | 328030 | 1439162 | 45831 | 196292 | 373861 | 1635454 |
| 41 | Kannauj | 258332 | 1086898 | 29431 | 113769 | 287763 | 1200667 |
| 42 | Kanpur Dehat | 242111 | 1082916 | 51160 | 227531 | 293271 | 1310447 |
| 43 | Kanpur Nagar | 709297 | 2910501 | 63154 | 262017 | 772451 | 3172518 |
| 44 | Kasganj | 182680 | 854136 | 27593 | 97979 | 210273 | 952115 |
| 45 | Kaushambi | 223320 | 927871 | 37575 | 154055 | 260895 | 1081926 |
| 46 | Kheri | 686904 | 2641049 | 109888 | 383139 | 796792 | 3024188 |
| 47 | Kushinagar | 543132 | 2232660 | 117136 | 430996 | 660268 | 2663656 |
| 48 | Lalitpur | 191063 | 772519 | 27281 | 105909 | 218344 | 878428 |
| 49 | Lucknow | 520880 | 2273120 | 50110 | 199303 | 570990 | 2472423 |
| 50 | Mahoba | 174040 | 706145 | 16224 | 68162 | 190264 | 774307 |
| 51 | Mahraiganj | 352671 | 1707125 | 66619 | 308552 | 419290 | 2015677 |
| 52 | Mainpuri | 265976 | 1112386 | 45894 | 211032 | 311870 | 1323418 |
| 53 | Mathura | 429528 | 1757913 | 41436 | 140852 | 470964 | 1898765 |
| 54 | Mau | 302746 | 1420429 | 56594 | 226089 | 359340 | 1646518 |
| 55 | Meerut | 498182 | 2346719 | 9229 | 42453 | 507411 | 2389172 |
| 56 | Mirzapur | 344425 | 1534380 | 69665 | 273092 | 414090 | 1807472 |
| 57 | Moradabad | 469559 | 2135763 | 30090 | 110534 | 499649 | 2246297 |
| 58 | Muzaffarnagar | 455467 | 1968779 | 19627 | 78121 | 475094 | 2046900 |
| 59 | Pilibhit | 281967 | 1298833 | 36657 | 169609 | 318624 | 1468442 |
| 60 | Pratapgarh | 416139 | 2037996 | 74194 | 333950 | 490333 | 2371946 |
| 61 | Rae Bareli | 408226 | 1584036 | 101912 | 387764 | 510138 | 1971800 |
| 62 | Rampur | 377377 | 1589305 | 34658 | 142560 | 412035 | 1731865 |
| 63 | Saharanpur | 492077 | 2182702 | 54592 | 244775 | 546669 | 2427477 |
| 64 | Sambhal | 338907 | 1523991 | 23055 | 86781 | 361962 | 1610772 |
| 65 | Sant Kabir Nagar | 254965 | 1097477 | 53439 | 238531 | 308404 | 1336008 |
| 66 | Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) | 186445 | 873445 | 38264 | 131051 | 224709 | 1004496 |
| 67 | Shahjahanpur | 464158 | 1990374 | 37841 | 112563 | 501999 | 2102937 |
| 68 | Shamli | 199553 | 858177 | 14765 | 62122 | 214318 | 920299 |
| 69 | Shrawasti | 185891 | 795099 | 23171 | 47642 | 209062 | 842741 |
| 70 | Siddharthnagar | 341366 | 1685720 | 82510 | 309576 | 423876 | 1995296 |
| 71 | Sitapur | 693534 | 2900646 | 112071 | 418617 | 805605 | 3319263 |
| 72 | Sonbhadra | 261779 | 1055660 | 60558 | 204814 | 322337 | 1260474 |
| 73 | Sultanpur | 312604 | 1500283 | 80401 | 384012 | 393005 | 1884295 |
| 74 | Unnao | 432966 | 1799561 | 114448 | 417814 | 547414 | 2217375 |
| 75 | Varanasi | 567691 | 2439461 | 49498 | 218312 | 617189 | 2657773 |
| | कुल योग | 28668296 | 127472050 | 4095433 | 16483896 | 32763729 | 143955946 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(NFSA) की पात्रता सूची

जिला : Basti

ब्लाक : DUBAULIYA

(10/08/2016 समय: 03:02 AM तक की स्थिति)

| क्र. | ग्राम पंचायत | पात्र गृहस्थी | | अन्वोदय | | योग | |
|------|---|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | राशनकार्ड | साभार्थी | राशनकार्ड | साभार्थी | राशनकार्ड | साभार्थी |
| 1. | ARAJIDUHI DHARMUPUR EHATMALI | 94 | 418 | 100 | 562 | 194 | 980 |
| 2. | ARAJIDUHI DHARMUPUR MUSTAHKAM | 144 | 630 | 74 | 410 | 218 | 1040 |
| 3. | ASHOK PUR | 378 | 2066 | 221 | 1399 | 599 | 3465 |
| 4. | BAIRAGAL | 407 | 2093 | 146 | 731 | 553 | 2824 |
| 5. | BANJARIYA SUBI | 259 | 1185 | 118 | 624 | 377 | 1809 |
| 6. | BARDIYA KUNWAR | 274 | 1412 | 48 | 224 | 322 | 1636 |
| 7. | BARDIYA LOHAR | 427 | 2313 | 116 | 595 | 543 | 2908 |
| 8. | BARSAV | 332 | 1669 | 195 | 784 | 527 | 2453 |
| 9. | BEMHARI | 161 | 866 | 80 | 418 | 241 | 1284 |
| 10. | BHAKRAHI | 239 | 1236 | 115 | 729 | 354 | 1965 |
| 11. | BHARUKAHVA | 191 | 1114 | 120 | 666 | 311 | 1780 |
| 12. | BHIJRA | 187 | 704 | 116 | 607 | 303 | 1311 |
| 13. | CHAAPIYA | 112 | 625 | 81 | 486 | 193 | 1111 |
| 14. | CHAKOHI | 206 | 992 | 73 | 379 | 279 | 1371 |
| 15. | CHILMAPARSAN | 147 | 580 | 131 | 559 | 278 | 1139 |
| 16. | DEHIDIHA BUNJURG | 115 | 622 | 112 | 665 | 227 | 1287 |
| 17. | DEWBAGANGWAR | 104 | 518 | 106 | 324 | 210 | 842 |
| 18. | DHARAMPUR | 335 | 1668 | 81 | 444 | 416 | 2112 |
| 19. | DINGARAPUR MUSTAHKAM | 168 | 786 | 139 | 671 | 307 | 1457 |
| 20. | DUBAULIYA | 278 | 1138 | 75 | 309 | 353 | 1447 |
| 21. | FKDENGWA | 166 | 872 | 98 | 556 | 264 | 1428 |
| 22. | FER SAHAN | 153 | 777 | 57 | 361 | 210 | 1138 |
| 23. | GOVIND PABA | 195 | 913 | 75 | 407 | 270 | 1320 |
| 24. | GULAWARI | 163 | 884 | 58 | 357 | 221 | 1241 |
| 25. | HARIRANSHPUR BUNJURG | 135 | 654 | 122 | 714 | 257 | 1368 |
| 26. | HENGAPUR | 153 | 821 | 35 | 157 | 188 | 978 |
| 27. | JAQGHATA | 200 | 1054 | 88 | 466 | 288 | 1520 |
| 28. | KEVARI MUSTAHKAM | 170 | 792 | 121 | 671 | 291 | 1463 |
| 29. | KHUSHALGANI | 285 | 1464 | 65 | 370 | 350 | 1834 |
| 30. | KISHUNPUR | 163 | 738 | 82 | 354 | 245 | 1092 |

Rationcard Digitization

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 31. | LAXMANPUR | 187 | 973 | 105 | 545 | 292 | 1518 |
| 32. | MAHALIWADAR | 134 | 591 | 127 | 678 | 261 | 1269 |
| 33. | MAHTIYAR | 139 | 614 | 105 | 437 | 244 | 1051 |
| 34. | MARUTI PANDEY | 286 | 1242 | 105 | 516 | 391 | 1758 |
| 35. | NADEKUAN | 269 | 1422 | 85 | 563 | 354 | 1985 |
| 36. | PAKRI CHAUHAAN | 221 | 1126 | 112 | 577 | 333 | 1703 |
| 37. | PAYAK PUR | 110 | 379 | 122 | 530 | 232 | 909 |
| 38. | PITTHIYA LASKARI | 166 | 866 | 116 | 747 | 282 | 1613 |
| 39. | PURE QARI RAI | 126 | 527 | 110 | 636 | 236 | 1163 |
| 40. | RAIYAL | 130 | 539 | 94 | 486 | 224 | 1025 |
| 41. | RAM NAGAR | 226 | 1049 | 76 | 416 | 302 | 1465 |
| 42. | RAMWAPUR RAJA | 185 | 972 | 101 | 554 | 286 | 1526 |
| 43. | RANIPURLAD | 218 | 1207 | 66 | 364 | 284 | 1571 |
| 44. | SANDPUR | 201 | 973 | 68 | 319 | 269 | 1292 |
| 45. | SARAIYA BAKSI | 145 | 814 | 63 | 396 | 208 | 1210 |
| 46. | SARIYA ATIRAL | 137 | 831 | 101 | 541 | 238 | 1372 |
| 47. | SARWANPUR PANDEY | 137 | 640 | 133 | 748 | 270 | 1388 |
| 48. | SEMRA | 262 | 1319 | 91 | 491 | 353 | 1810 |
| 49. | SEMBA MUJTAH | 121 | 672 | 100 | 594 | 221 | 1266 |
| 50. | SHUKULPURA | 192 | 832 | 91 | 408 | 283 | 1240 |
| 51. | SIKTIHAVA | 185 | 926 | 73 | 417 | 258 | 1343 |
| 52. | SIBSIYA | 164 | 687 | 74 | 434 | 238 | 1121 |
| 53. | SUDIPIR | 177 | 770 | 85 | 374 | 262 | 1144 |
| 54. | TIGHRA | 120 | 506 | 136 | 699 | 256 | 1205 |
| 55. | UNI MUJTAHKAM | 411 | 2090 | 211 | 1197 | 622 | 3287 |
| | कुल योग | 10990 | 54171 | 5598 | 29666 | 16588 | 83837 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

राशन कार्ड धारकों की संख्या

जिला : Basti

ब्लाक : DUBAULIYA

(05/05/2016 समय: 12:47 AM तक की स्थिति)

| क्र. | ग्राम पंचायत | बी पी एल | | अन्त्योदय | | ए पी एल | | कुल | |
|------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी |
| 1. | BARSAV | 314 | 1172 | 195 | 677 | 303 | 1319 | 812 | 3168 |
| 2. | BHIJURA | 182 | 523 | 116 | 606 | 164 | 631 | 462 | 1760 |
| 3. | BHAKRAHI | 185 | 812 | 115 | 654 | 0 | 0 | 300 | 1466 |
| 4. | ASHOK PUR | 338 | 2160 | 221 | 1396 | 383 | 1574 | 942 | 5130 |
| 5. | CHAKOHI | 117 | 424 | 73 | 331 | 275 | 930 | 465 | 1685 |
| 6. | CHAAPTYA | 127 | 681 | 81 | 475 | 90 | 347 | 298 | 1503 |
| 7. | BEMHARI | 126 | 609 | 80 | 317 | 0 | 0 | 206 | 926 |
| 8. | BHARUKAHVA | 187 | 973 | 120 | 660 | 69 | 252 | 376 | 1885 |
| 9. | BARDIYA KUNWAR | 76 | 418 | 48 | 228 | 326 | 1332 | 450 | 1978 |
| 10. | BARDIYA LOHAR | 184 | 1035 | 116 | 617 | 0 | 0 | 300 | 1652 |
| 11. | CHILMAPARSAN | 209 | 736 | 131 | 552 | 87 | 275 | 427 | 1563 |
| 12. | DEHIDIHA BUJURG | 179 | 882 | 112 | 660 | 349 | 1223 | 640 | 2765 |
| 13. | DHARAMPUR | 128 | 552 | 81 | 452 | 597 | 2962 | 806 | 3966 |
| 14. | DUBAULIYA | 120 | 316 | 75 | 308 | 385 | 1342 | 580 | 1966 |
| 15. | ARAJIDUHI DHARMUPUR EHATMALI | 159 | 728 | 100 | 546 | 136 | 398 | 395 | 1672 |
| 16. | ARAJIDUHI DHARMUPUR MUSTAHKAM | 118 | 476 | 74 | 411 | 82 | 416 | 274 | 1303 |
| 17. | BAIRAGAL | 231 | 919 | 146 | 719 | 76 | 340 | 453 | 1978 |
| 18. | BANJARTIYA SUBI | 189 | 879 | 118 | 625 | 179 | 630 | 486 | 2134 |
| 19. | DEWRAGANGWAR | 169 | 322 | 106 | 330 | 0 | 0 | 275 | 652 |
| 20. | GOVIND PARA | 119 | 665 | 75 | 418 | 233 | 889 | 427 | 1972 |
| 21. | GULAWARI | 91 | 520 | 58 | 356 | 0 | 0 | 149 | 876 |
| 22. | HARIBANSHPUR BUJURG | 193 | 953 | 122 | 694 | 162 | 489 | 477 | 2136 |
| 23. | DINGARAPUR MUSTAHKAM | 219 | 981 | 139 | 649 | 268 | 694 | 626 | 2324 |
| 24. | EKDENGWA | 154 | 860 | 98 | 556 | 95 | 353 | 347 | 1769 |
| 25. | FER SAHAN | 89 | 509 | 57 | 358 | 69 | 98 | 215 | 965 |
| 26. | HENGAPUR | 56 | 278 | 35 | 157 | 0 | 0 | 91 | 435 |
| 27. | JAOGHATA | 140 | 681 | 88 | 449 | 124 | 499 | 352 | 1629 |
| 28. | KEVARI MUSTAHKAM | 189 | 828 | 121 | 657 | 180 | 523 | 490 | 2008 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 29. | KHUSHALGANJ | 104 | 464 | 65 | 309 | 141 | 541 | 310 | 1314 |
| 30. | KISHUNPUR | 130 | 548 | 82 | 343 | 136 | 494 | 348 | 1385 |
| 31. | LAXMANPUR | 169 | 875 | 105 | 542 | 0 | 0 | 274 | 1417 |
| 32. | MAHAUWADAR | 199 | 864 | 127 | 699 | 1 | 5 | 327 | 1568 |
| 33. | MAJHIYAR | 164 | 578 | 105 | 428 | 173 | 624 | 442 | 1630 |
| 34. | PAYAK PUR | 189 | 517 | 122 | 479 | 226 | 924 | 537 | 1920 |
| 35. | PITHIYA LASKARI | 185 | 1191 | 116 | 748 | 48 | 242 | 349 | 2181 |
| 36. | RATYAL | 147 | 607 | 94 | 482 | 139 | 599 | 380 | 1688 |
| 37. | MARUTI PANDEY | 170 | 723 | 105 | 513 | 185 | 841 | 460 | 2077 |
| 38. | NADEKUAN | 130 | 736 | 85 | 540 | 55 | 256 | 270 | 1532 |
| 39. | PAKRI CHAUHAAN | 176 | 841 | 112 | 575 | 352 | 1625 | 640 | 3041 |
| 40. | RAM NAGAR | 120 | 538 | 76 | 371 | 0 | 0 | 196 | 909 |
| 41. | RAMWAPUR RAJA | 160 | 854 | 101 | 554 | 56 | 235 | 317 | 1643 |
| 42. | RANIPURLAD | 103 | 561 | 66 | 378 | 233 | 1192 | 402 | 2131 |
| 43. | SARAIYA BAKSI | 100 | 578 | 63 | 381 | 1 | 4 | 164 | 963 |
| 44. | SARTYA ATIRAL | 175 | 986 | 101 | 541 | 29 | 146 | 305 | 1673 |
| 45. | SEMRA | 145 | 751 | 91 | 483 | 193 | 783 | 429 | 2017 |
| 46. | SEMRA MUSTAH. | 162 | 877 | 100 | 576 | 87 | 207 | 349 | 1660 |
| 47. | SHUKULPURA | 143 | 321 | 91 | 390 | 235 | 723 | 469 | 1434 |
| 48. | PURE OARI RAI | 178 | 722 | 110 | 632 | 62 | 276 | 350 | 1630 |
| 49. | SANDPUR | 109 | 442 | 68 | 290 | 0 | 0 | 177 | 732 |
| 50. | SARWANPUR PANDEY | 208 | 1005 | 133 | 750 | 372 | 1237 | 713 | 2992 |
| 51. | SIKTIHAVA | 105 | 537 | 73 | 417 | 232 | 651 | 410 | 1605 |
| 52. | TIGHRA | 214 | 761 | 136 | 700 | 348 | 1569 | 698 | 3030 |
| 53. | UNJI MUSTAHKAM | 339 | 1907 | 211 | 1179 | 317 | 933 | 867 | 4019 |
| 54. | SIRSIYA | 117 | 541 | 74 | 435 | 232 | 577 | 423 | 1553 |
| 55. | SUDIPUR | 137 | 560 | 85 | 367 | 166 | 643 | 388 | 1570 |
| | कुल योग | 8866 | 40777 | 5598 | 28960 | 8651 | 32843 | 23115 | 102580 |

The Website is Designed, Developed & Hosted by [National Informatics Centre, U.P. State Unit Lucknow](#)
Disclaimer: Data is Provided by the District Supply Office, Government of UP. NIC (UP) State Unit/District Unit will not be Responsible for any Descrepancy Found in Information Displaying on Website.

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

राशन कार्ड धारकों की संख्या

जिला : Basti

नगरीय क्षेत्र

(05/05/2016 समय: 12:47 AM तक की स्थिति)

| क्र. | टाउन | वी. पी. एल. | | अन्त्योदय | | ए. पी. एल. | | कुल | |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी |
| 1. | Basti (NPP) | 6553 | 29755 | 3853 | 17484 | 22104 | 90369 | 32510 | 137608 |
| 2. | Bhabnan Bazar (NP) | 575 | 2338 | 357 | 1383 | 1924 | 8557 | 2856 | 12278 |
| 3. | Harraiva (NP) | 942 | 4150 | 615 | 2738 | 1610 | 6128 | 3167 | 13016 |
| कुल योग | | 8070 | 36243 | 4825 | 21605 | 25638 | 105054 | 38533 | 162902 |

ग्रामीण क्षेत्र

(05/05/2016 समय: 12:47 AM तक की स्थिति)

| क्र. | ब्लाक | वी. पी. एल. | | अन्त्योदय | | ए. पी. एल. | | कुल | |
|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी |
| 1. | BAHADURPUR | 8084 | 38242 | 4997 | 24367 | 15106 | 65192 | 28187 | 127801 |
| 2. | BANKATI | 14732 | 64930 | 9163 | 44984 | 11069 | 42427 | 34964 | 152341 |
| 3. | BASTI | 12552 | 59559 | 7805 | 40689 | 16158 | 68636 | 36515 | 168884 |
| 4. | DUBAULTYA | 8866 | 40777 | 5598 | 28960 | 8651 | 32843 | 23115 | 102580 |
| 5. | GAUR | 12311 | 56767 | 7635 | 37573 | 12134 | 49266 | 32080 | 143606 |
| 6. | HARRAIVA | 12119 | 57772 | 7557 | 39218 | 8068 | 35476 | 27744 | 132466 |
| 7. | KAPTANGANJ | 8597 | 47637 | 5251 | 31435 | 7361 | 30993 | 21209 | 110065 |
| 8. | KUDARAHA | 11811 | 51501 | 7338 | 33086 | 6389 | 25792 | 25538 | 110379 |
| 9. | PARASRAMPUR | 10437 | 45755 | 6470 | 30911 | 13663 | 55389 | 30570 | 132055 |
| 10. | RAMNAGAR | 6299 | 30124 | 3901 | 19407 | 24730 | 107842 | 34930 | 157373 |
| 11. | RUDHAULI | 6515 | 29432 | 3955 | 18530 | 12258 | 49188 | 22728 | 97150 |
| 12. | SALTAUA GOPALPUR | 6424 | 30792 | 3961 | 19719 | 23960 | 106577 | 34345 | 157088 |
| 13. | SAU GHAT | 7753 | 37708 | 4872 | 25065 | 12467 | 57308 | 25092 | 120081 |
| 14. | VIKRAMJOT | 9259 | 41949 | 5734 | 27838 | 8918 | 37561 | 23911 | 107348 |
| कुल योग | | 135759 | 632945 | 84237 | 421782 | 180932 | 764490 | 400928 | 1819217 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

आप यहां हैं : [मुख्य पृष्ठ](#) > [सांख्यिकी क्षेत्र वार](#) > [सांख्यिकी पंचायत वार](#)
(09/07/2015 समय: 05:44 AM तक की स्थिति)

राशन कार्ड धारकों की संख्या

जिला : Basti

ब्लाक :

DUBAULIYA

| क्र. | ग्राम पंचायत | बी | | ए पी | | योग |
|------|---|-------|-----------|------|----|-----|
| | | पी एल | अन्त्योदय | एल | एल | |
| 1. | BAIRAGAL | 157 | 145 | 76 | | 378 |
| 2. | BANJARIYA SUBI | 206 | 113 | 169 | | 488 |
| 3. | BARDIYA KUNWAR | 74 | 45 | 326 | | 445 |
| 4. | BARDIYA LOHAR | 214 | 111 | 0 | | 325 |
| 5. | ARAJIDUHI DHARMUPUR EHATMALI | 152 | 90 | 51 | | 293 |
| 6. | ARAJIDUHI DHARMUPUR MUSTAHKAM | 111 | 79 | 82 | | 272 |
| 7. | ASHOK PUR | 323 | 210 | 383 | | 916 |
| 8. | BARSAV | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | BEMHARI | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10. | BHIJURA | 147 | 115 | 61 | | 323 |
| 11. | CHAKOHI | 89 | 63 | 274 | | 426 |
| 12. | DHARAMPUR | 100 | 80 | 510 | | 690 |
| 13. | FER SAHAN | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 14. | FER SAHAN | 74 | 50 | 0 | | 124 |
| 15. | GOVIND PARA | 106 | 75 | 24 | | 205 |
| 16. | CHAAPTIYA | 127 | 80 | 90 | | 297 |
| 17. | BHAKRAHI | 121 | 117 | 0 | | 238 |
| 18. | BHARUKAHA | 154 | 96 | 69 | | 319 |
| 19. | CHILMAPARSAN | 205 | 114 | 74 | | 393 |
| 20. | DEHIDIHA BUJURG | 179 | 104 | 95 | | 378 |
| 21. | DEWRAGANGWAR | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 22. | DINGARAPUR MUSTAHKAM | 51 | 111 | 79 | | 241 |

| | | | | | |
|-----|---|------|------|------|-------|
| 23. | DUBAULTYA | 81 | 46 | 102 | 229 |
| 24. | EKDENGWA | 143 | 98 | 27 | 268 |
| 25. | GULAWARI | 80 | 55 | 0 | 135 |
| 26. | HARIBANSHPUR BUJURG | 173 | 119 | 25 | 317 |
| 27. | HENGAPUR | 49 | 36 | 0 | 85 |
| 28. | KHUSHALGANJ | 62 | 48 | 0 | 110 |
| 29. | MAHAUWADAR | 41 | 117 | 17 | 175 |
| 30. | JAOGHATA | 107 | 69 | 0 | 176 |
| 31. | KEVARI MUSTAHKAM | 171 | 115 | 33 | 319 |
| 32. | KISHUNPUR | 125 | 78 | 31 | 234 |
| 33. | LAXMANPUR | 122 | 105 | 2 | 229 |
| 34. | MAJHIYAR | 123 | 99 | 5 | 227 |
| 35. | MARUTI PANDEY | 168 | 114 | 14 | 296 |
| 36. | PURE QARI RAI | 166 | 106 | 8 | 280 |
| 37. | RAMWAPUR RAJA | 156 | 101 | 29 | 286 |
| 38. | RANIPURLAD | 102 | 65 | 3 | 170 |
| 39. | SARAIYA BAKSI | 55 | 46 | 0 | 101 |
| 40. | SARIYA ATIBAL | 143 | 96 | 0 | 239 |
| 41. | SARWANPUR PANDEY | 169 | 133 | 9 | 311 |
| 42. | NADEKUAN | 106 | 88 | 21 | 215 |
| 43. | PAKRI CHAUHAAN | 146 | 118 | 1 | 265 |
| 44. | PAYAK PUR | 105 | 75 | 76 | 256 |
| 45. | PITHIYA LASKARI | 176 | 116 | 0 | 292 |
| 46. | RATVAL | 140 | 94 | 5 | 239 |
| 47. | RAM NAGAR | 69 | 100 | 0 | 169 |
| 48. | SANDPUR | 100 | 57 | 0 | 157 |
| 49. | SEMRA | 130 | 89 | 35 | 254 |
| 50. | SEMRA MUSTAH. | 118 | 85 | 3 | 206 |
| 51. | SIKTIHAVA | 92 | 69 | 23 | 184 |
| 52. | SIRSIYA | 86 | 73 | 60 | 219 |
| 53. | SHUKULPURA | 61 | 79 | 65 | 205 |
| 54. | SUDIPUR | 132 | 76 | 53 | 261 |
| 55. | TIGHRA | 153 | 125 | 46 | 324 |
| 56. | UNJI MUSTAHKAM | 326 | 211 | 248 | 785 |
| | कुल योग | 6766 | 4899 | 3304 | 14969 |

The Website is Designed, Developed & Hosted by [National Informatics Centre, U.P. State Unit Lucknow](#)
Disclaimer: Data is Provided by the District Supply Office, Government of UP. NIC (UP) State Unit/District Unit will not be Responsible for any Discrepancy Found in Information Displaying on Website.

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh



ONLINE RATION CARD MANAGEMENT SYSTEM

आप यहां हैं : [मुख्य पृष्ठ](#) > सांख्यिकी क्षेत्र वार

(09/07/2015 समय: 05:44 AM तक की स्थिति)

राशन कार्ड धारकों की संख्या

जिला : Basti

नगरीय क्षेत्र

| क्र. | टाउन | बी. पी. एन. | अन्त्योदय | ए. पी. एन. | योग |
|----------------|------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 1. | Basti (NPP) | 5001 | 3236 | 17521 | 25758 |
| 2. | Rhabnan Bazar (NP) | 366 | 357 | 1881 | 2604 |
| 3. | Harraiya (NP) | 619 | 603 | 1604 | 2826 |
| कुल योग | | 5986 | 4196 | 21006 | 31188 |

ग्रामीण क्षेत्र

| क्र. | ब्लाक | बी. पी. एन. | अन्त्योदय | ए. पी. एन. | योग |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. | BANKATI | 10931 | 6839 | 11070 | 28840 |
| 2. | BASTI | 8922 | 6276 | 15822 | 31020 |
| 3. | HARRAIYA | 6328 | 5989 | 4334 | 16651 |
| 4. | KUDARAHA | 8510 | 5284 | 6389 | 20183 |
| 5. | PARASRAMPUR | 7257 | 5316 | 5993 | 18566 |
| 6. | RUDHAULI | 5101 | 3199 | 12267 | 20567 |
| 7. | SALTAUA GOPALPUR | 793 | 492 | 16833 | 18118 |
| 8. | SAU GHAT | 4282 | 2638 | 11936 | 18856 |
| 9. | BAHADURPUR | 6192 | 3918 | 15104 | 25214 |
| 10. | VIKRAMIOT | 6738 | 4273 | 4499 | 15510 |
| 11. | DUBAULTYA | 6766 | 4899 | 3304 | 14969 |
| 12. | GAUR | 7586 | 5482 | 3358 | 16426 |
| 13. | KAPTANGANJ | 7097 | 4645 | 5798 | 17540 |
| 14. | RAMNAGAR | 3809 | 2065 | 17721 | 23595 |
| कुल योग | | 90312 | 61315 | 134428 | 286055 |

The Website is Designed, Developed & Hosted by [National Informatics Centre, U.P. State Unit Lucknow](#)
Disclaimer: Data is Provided by the District Supply Office, Government of UP. NIC (UP) State Unit/District

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

राशन कार्ड धारकों की संख्या

जिला : **Basti**

नगरीय क्षेत्र

(05/05/2016 समय: 12:47 AM तक की स्थिति)

| क्र. | टाउन | बी. पी. एल. | | अन्त्योदय | | ए. पी. एल. | | कुल | |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी |
| 1. | Basti (NPP) | 6553 | 29755 | 3853 | 17484 | 22104 | 90369 | 32510 | 137608 |
| 2. | Bhabnan Bazar (NP) | 575 | 2338 | 357 | 1383 | 1924 | 8557 | 2856 | 12278 |
| 3. | Harraiva (NP) | 942 | 4150 | 615 | 2738 | 1610 | 6128 | 3167 | 13016 |
| कुल योग | | 8070 | 36243 | 4825 | 21605 | 25638 | 105054 | 38533 | 162902 |

ग्रामीण क्षेत्र

(05/05/2016 समय: 12:47 AM तक की स्थिति)

| क्र. | ब्लाक | बी. पी. एल. | | अन्त्योदय | | ए. पी. एल. | | कुल | |
|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी | राशनकार्ड | ताभार्थी |
| 1. | BAHADURPUR | 8084 | 38242 | 4997 | 24367 | 15106 | 65192 | 28187 | 127801 |
| 2. | BANKATI | 14732 | 64930 | 9163 | 44984 | 11069 | 42427 | 34964 | 152341 |
| 3. | BASTI | 12552 | 59559 | 7805 | 40689 | 16158 | 68636 | 36515 | 168884 |
| 4. | DURBAULIYA | 8866 | 40777 | 5598 | 28960 | 8651 | 32843 | 23115 | 102580 |
| 5. | GAUR | 12311 | 56767 | 7635 | 37573 | 12134 | 49266 | 32080 | 143606 |
| 6. | HARRATIYA | 12119 | 57772 | 7557 | 39218 | 8068 | 35476 | 27744 | 132466 |
| 7. | KAPTANGANJ | 8597 | 47637 | 5251 | 31435 | 7361 | 30993 | 21209 | 110065 |
| 8. | KUDARAHA | 11811 | 51501 | 7338 | 33086 | 6389 | 25792 | 25538 | 110379 |
| 9. | PARASRAMPUR | 10437 | 45755 | 6470 | 30911 | 13663 | 55389 | 30570 | 132055 |
| 10. | RAMNAGAR | 6299 | 30124 | 3901 | 19407 | 24730 | 107842 | 34930 | 157373 |
| 11. | RUDHAULI | 6515 | 29432 | 3955 | 18530 | 12258 | 49188 | 22728 | 97150 |
| 12. | SALTAUA GOPALPUR | 6424 | 30792 | 3961 | 19719 | 23960 | 106577 | 34345 | 157088 |
| 13. | SAU GHAT | 7753 | 37708 | 4872 | 25065 | 12467 | 57308 | 25092 | 120081 |
| 14. | VIKRAMJOT | 9259 | 41949 | 5734 | 27838 | 8918 | 37561 | 23911 | 107348 |
| कुल योग | | 135759 | 632945 | 84237 | 421782 | 180932 | 764490 | 400928 | 1819217 |

All Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

राशन कार्ड धारकों की संख्या

| जिला : Basti | | ब्लाक : DUBAULIYA | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| (09/08/2016 समय: 11:46 PM तक की स्थिति) | | | | | | | | | |
| क्र. | ग्राम पंचायत | बी पी एल | | अन्त्योदय | | ए पी एल | | कुल | |
| | | राशन कार्ड | लाभा र्थी | राशन कार्ड | लाभा र्थी | राशन कार्ड | लाभा र्थी | राशन कार्ड | लाभा र्थी |
| 1. | ASHOK PUR | 338 | 2160 | 221 | 1396 | 383 | 1574 | 942 | 5130 |
| 2. | BANJARIYA SUBI | 189 | 879 | 118 | 625 | 179 | 630 | 486 | 2134 |
| 3. | ARAJIDUHI DHARMUPUR EHATMALI | 159 | 728 | 100 | 546 | 136 | 398 | 395 | 1672 |
| 4. | ARAJIDUHI DHARMUPUR MUSTAHKAM | 118 | 476 | 74 | 411 | 82 | 416 | 274 | 1303 |
| 5. | BAIRAGAL | 231 | 919 | 146 | 719 | 76 | 340 | 453 | 1978 |
| 6. | BARDIYA KUNWAR | 76 | 418 | 48 | 228 | 326 | 1332 | 450 | 1978 |
| 7. | BARDIYA LOHAR | 184 | 1035 | 116 | 617 | 0 | 0 | 300 | 1652 |
| 8. | BHAKRAHI | 185 | 812 | 115 | 654 | 0 | 0 | 300 | 1466 |
| 9. | BARSAV | 314 | 1172 | 195 | 677 | 303 | 1319 | 812 | 3168 |
| 10. | BEMHARI | 126 | 609 | 80 | 317 | 0 | 0 | 206 | 926 |
| 11. | BHARUKAHVA | 187 | 973 | 120 | 660 | 69 | 252 | 376 | 1885 |
| 12. | CHAAPIYA | 127 | 681 | 81 | 475 | 90 | 347 | 298 | 1503 |
| 13. | DEHIDIHA BUJURG | 179 | 882 | 112 | 660 | 349 | 1223 | 640 | 2765 |
| 14. | DEWRAGANGWAR | 169 | 322 | 106 | 330 | 0 | 0 | 275 | 652 |
| 15. | BHIURA | 182 | 523 | 116 | 606 | 164 | 631 | 462 | 1760 |
| 16. | CHAKOHI | 117 | 424 | 73 | 331 | 275 | 930 | 465 | 1685 |
| 17. | CHILMAPARSAN | 209 | 736 | 131 | 552 | 87 | 275 | 427 | 1563 |
| 18. | DHARAMPUR | 128 | 552 | 81 | 452 | 597 | 2962 | 806 | 3966 |
| 19. | DUBAULIYA | 120 | 316 | 75 | 308 | 385 | 1342 | 580 | 1966 |
| 20. | FER SAHAN | 89 | 509 | 57 | 358 | 69 | 98 | 215 | 965 |
| 21. | DINGARAPUR MUSTAHKAM | 219 | 981 | 139 | 649 | 268 | 694 | 626 | 2324 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 2 2. | EKDENGWA | 154 | 860 | 98 | 556 | 95 | 353 | 347 | 1769 |
| 2 3. | HENGAPUR | 56 | 278 | 35 | 157 | 0 | 0 | 91 | 435 |
| 2 4. | JAOGHATA | 140 | 681 | 88 | 449 | 124 | 499 | 352 | 1629 |
| 2 5. | GOVIND PARA | 119 | 665 | 75 | 418 | 233 | 889 | 427 | 1972 |
| 2 6. | GULAWARI | 91 | 520 | 58 | 356 | 0 | 0 | 149 | 876 |
| 2 7. | HARIBANSH PUR BUJURG | 193 | 953 | 122 | 694 | 162 | 489 | 477 | 2136 |
| 2 8. | KHUSHALGAN J | 104 | 464 | 65 | 309 | 141 | 541 | 310 | 1314 |
| 2 9. | KISHUNPUR | 130 | 548 | 82 | 343 | 136 | 494 | 348 | 1385 |
| 3 0. | LAXMANPUR | 169 | 875 | 105 | 542 | 0 | 0 | 274 | 1417 |
| 3 1. | MAHAUWAD AR | 199 | 864 | 127 | 699 | 1 | 5 | 327 | 1568 |
| 3 2. | KEVARI MUSTAHKAM | 189 | 828 | 121 | 657 | 180 | 523 | 490 | 2008 |
| 3 3. | MAJHIYAR | 164 | 578 | 105 | 428 | 173 | 624 | 442 | 1630 |
| 3 4. | MARUTI PANDEY | 170 | 723 | 105 | 513 | 185 | 841 | 460 | 2077 |
| 3 5. | NADEKUAN | 130 | 736 | 85 | 540 | 55 | 256 | 270 | 1532 |
| 3 6. | PAKRI CHAUHAAN | 176 | 841 | 112 | 575 | 352 | 1625 | 640 | 3041 |
| 3 7. | PAYAK PUR | 189 | 517 | 122 | 479 | 226 | 924 | 537 | 1920 |
| 3 8. | PITHIYA LASKARI | 185 | 1191 | 116 | 748 | 48 | 242 | 349 | 2181 |
| 3 9. | RAIYAL | 147 | 607 | 94 | 482 | 139 | 599 | 380 | 1688 |
| 4 0. | PURE OARI RAI | 178 | 722 | 110 | 632 | 62 | 276 | 350 | 1630 |
| 4 1. | RAM NAGAR | 120 | 538 | 76 | 371 | 0 | 0 | 196 | 909 |
| 4 2. | SANDPUR | 109 | 442 | 68 | 290 | 0 | 0 | 177 | 732 |
| 4 3. | SARIYA ATIBAL | 175 | 986 | 101 | 541 | 29 | 146 | 305 | 1673 |
| 4 4. | SARWANPUR PANDEY | 208 | 1005 | 133 | 750 | 372 | 1237 | 713 | 2992 |
| 4 5. | RAMWAPUR RAJA | 160 | 854 | 101 | 554 | 56 | 235 | 317 | 1643 |
| 4 6. | RANIPURLAD | 103 | 561 | 66 | 378 | 233 | 1192 | 402 | 2131 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 4 | SARAIYA | 100 | 578 | 63 | 381 | 1 | 4 | 164 | 963 |
| 7. | BAKSI | | | | | | | | |
| 4 | SEMRA | 145 | 751 | 91 | 483 | 193 | 783 | 429 | 2017 |
| 8. | | | | | | | | | |
| 4 | SEMRA | 162 | 877 | 100 | 576 | 87 | 207 | 349 | 1660 |
| 9. | MUSTAH. | | | | | | | | |
| 5 | SHUKULPURA | 143 | 321 | 91 | 390 | 235 | 723 | 469 | 1434 |
| 0. | | | | | | | | | |
| 5 | SIRSIYA | 117 | 541 | 74 | 435 | 232 | 577 | 423 | 1553 |
| 1. | | | | | | | | | |
| 5 | SIKTIHAVA | 105 | 537 | 73 | 417 | 232 | 651 | 410 | 1605 |
| 2. | | | | | | | | | |
| 5 | SUDIPUR | 137 | 560 | 85 | 367 | 166 | 643 | 388 | 1570 |
| 3. | | | | | | | | | |
| 5 | TIGHRA | 214 | 761 | 136 | 700 | 348 | 1569 | 698 | 3030 |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5 | UNJI | 339 | 1907 | 211 | 1179 | 317 | 933 | 867 | 4019 |
| 5. | MUSTAHKAM | | | | | | | | |
| | कुल योग | 8866 | 4077 | 5598 | 2896 | 8651 | 3284 | 23115 | 1025 |
| | | | 7 | | 0 | | 3 | | 80 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

राशन कार्ड धारकों की संख्या

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| जिला : Basti | | | | | | | | | |
| नगरीय क्षेत्र | | | | | | | | | |
| (09/08/2016 समय: 11:46 PM तक की स्थिति) | | | | | | | | | |
| | | <u>बी. पी. एल.</u> | | <u>अन्त्योदय</u> | | <u>ए. पी. एल.</u> | | <u>कुल</u> | |
| क्र. | <u>टाउन</u> | राशन कार्ड | नाभाथी | राशन कार्ड | नाभाथी | राशन कार्ड | नाभाथी | राशन कार्ड | नाभाथी |
| 1. | Basti (NPP) | 6553 | 2975 | 3853 | 1748 | 2210 | 9036 | 3251 | 13760 |
| | | | 5 | | 4 | 4 | 9 | 0 | 8 |
| 2. | Bhabnan Bazar (NP) | 575 | 2338 | 357 | 1383 | 1924 | 8557 | 2856 | 12278 |
| 3. | Harraiya (NP) | 942 | 4150 | 615 | 2738 | 1610 | 6128 | 3167 | 13016 |
| | कुल योग | 8070 | 3624 | 482 | 2160 | 2563 | 1050 | 3853 | 1629 |
| | | | 3 | 5 | 5 | 8 | 54 | 3 | 02 |
| ग्रामीण क्षेत्र | | | | | | | | | |
| (09/08/2016 समय: 11:46 PM तक की स्थिति) | | | | | | | | | |

| क्र. सं. | ब्लाक | बी. पी. एल. | | अन्त्योदय | | ए. पी. एल. | | कुल | |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी |
| 1. | BAHADUR PUR | 8084 | 3824 2 | 4997 | 2436 7 | 1510 6 | 6519 2 | 2818 7 | 12780 1 |
| 2. | BANKATI | 1473 2 | 6493 0 | 9163 | 4498 4 | 1106 9 | 4242 7 | 3496 4 | 15234 1 |
| 3. | BASTI | 1255 2 | 5955 9 | 7805 | 4068 9 | 1615 8 | 6863 6 | 3651 5 | 16888 4 |
| 4. | DUBAULI YA | 8866 | 4077 7 | 5598 | 2896 0 | 8651 | 3284 3 | 2311 5 | 10258 0 |
| 5. | GAUR | 1231 1 | 5676 7 | 7635 | 3757 3 | 1213 4 | 4926 6 | 3208 0 | 14360 6 |
| 6. | HARRAIYA | 1211 8 | 5777 2 | 7557 | 3921 8 | 8068 | 3547 6 | 2774 3 | 13246 6 |
| 7. | KAPTANG ANJ | 8597 | 4763 7 | 5251 | 3143 5 | 7361 | 3099 3 | 2120 9 | 11006 5 |
| 8. | KUDARAH A | 1181 1 | 5150 1 | 7338 | 3308 6 | 6389 | 2579 2 | 2553 8 | 11037 9 |
| 9. | PARASRA MPUR | 1043 7 | 4575 5 | 6470 | 3091 1 | 1366 3 | 5538 9 | 3057 0 | 13205 5 |
| 10. | RAMNAG AR | 6299 | 3012 4 | 3901 | 1940 7 | 2473 0 | 1078 42 | 3493 0 | 15737 3 |
| 11. | RUDHAUL I | 6515 | 2943 2 | 3955 | 1853 0 | 1225 8 | 4918 8 | 2272 8 | 97150 |
| 12. | SALTAUA GOPALPUR | 6424 | 3079 2 | 3961 | 1971 9 | 2395 9 | 1065 77 | 3434 4 | 15708 8 |
| 13. | SAU GHAT | 7753 | 3770 8 | 4872 | 2506 5 | 1246 7 | 5730 8 | 2509 2 | 12008 1 |
| 14. | VIKRAMJ OT | 9259 | 4194 9 | 5734 | 2783 8 | 8918 | 3756 1 | 2391 1 | 10734 8 |
| | कुल योग | 1357 58 | 6329 45 | 842 37 | 4217 82 | 1809 31 | 7644 90 | 4009 26 | 1819 217 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

राशन कार्ड धारकों की संख्या

| जिला : Basti | | टाउन : Basti (NPP) | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|
| (09/08/2016 समय: 11:46 PM तक की स्थिति) | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | दुकानदार का नाम | बी पी एल | | अन्त्योदय | | ए पी एल | | कुल | |
| | | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी |
| 1. | ABDUL KUDDOOS | 103 | 488 | 60 | 312 | 616 | 2196 | 779 | 2996 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|------|--------------------|-----|---------------------|------|------|------|
| | ANSARI | | | | | | | | |
| 2. | ABDUL SALAM | 105 | 402 | 62 | 181 | 329 | 1512 | 496 | 2095 |
| 3. | ANIRUD H YADAV | 123 | 682 | 56 | 297 | 603 | 2398 | 782 | 3377 |
| 4. | ANWAR ALI | 198 | 1065 | 87 | 486 | 854 | 3461 | 1139 | 5012 |
| 5. | BASTI KEND UPBHO S NO V SELAR RAMESH PRASAD PANDEY | 89 | 349 | 44 | 193 | 32 | 56 | 165 | 598 |
| 6. | BASTI KENDRA U B SHOP NO I SALER JAISRI CHAUDHR I | 65 | 197 | 22 | 66 | 419 | 1077 | 506 | 1340 |
| 7. | BASTI KENDREYA UPBHOKT A BHANDAR VI MUKESH MOHAN | 81 | 302 | 56 | 297 | 4 | 11 | 141 | 610 |
| 8. | BASTI KENDRIYA UPB SHPO NO II SALER KRISHN KUMAR | 71 | 145 | 35 | 143 | 420 | 1166 | 526 | 1454 |
| 9. | BASTI KENDRIYA UPBHO SHPO NO III SALER PARVEZ AKTH | 49 | 275 | 36 | 161 | 268 | 467 | 353 | 903 |
| 10 | BASTI KENDRIYA UPBHOKT A SHPO NO VII HARI LAL YADAV | 50 | 135 | 26 | 151 | 3 | 20 | 79 | 306 |
| 11 | BASTI KENDRYA UP BHANDAR | 50 | 209 | 35 | 155 | 435 | 1296 | 520 | 1660 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|------|---------------------|-----|---------------------|------|------|------|
| | S NO 4 SAILER SHAILESH | | | | | | | | |
| 12 | DAYA RAM SHASTRI | 134 | 596 | 65 | 193 | 522 | 2173 | 721 | 2962 |
| 13 | GULAB CHANDRA | 76 | 389 | 85 | 448 | 395 | 1828 | 556 | 2665 |
| 14 | GYANDA S | 114 | 577 | 69 | 370 | 100 | 548 | 283 | 1495 |
| 15 | HAJARI LAL | 303 | 911 | 184 | 848 | 329 | 1732 | 816 | 3491 |
| 16 | HARBHAJ AN SIN SINGH | 33 | 133 | 12 | 65 | 650 | 2191 | 695 | 2389 |
| 17 | HARBHAJ AN SINGH | 103 | 366 | 65 | 307 | 635 | 2372 | 803 | 3045 |
| 18 | INDRA DEVI | 115 | 414 | 31 | 166 | 324 | 1635 | 470 | 2215 |
| 19 | IQBAL AHAMAD KHAN SECRETAR Y | 210 | 1169 | 57 | 241 | 856 | 3815 | 1123 | 5225 |
| 20 | IQBAL AHMAD KHAN | 270 | 1541 | 144 | 806 | 616 | 3007 | 1030 | 5354 |
| 21 | JAMIL AHMAD | 124 | 504 | 39 | 169 | 215 | 1104 | 378 | 1777 |
| 22 | JEET NARAYAN PANDAY | 69 | 296 | 60 | 268 | 609 | 2820 | 738 | 3384 |
| 23 | MAHESH CHANDRA | 230 | 1089 | 57 | 302 | 902 | 3476 | 1189 | 4867 |
| 24 | MOHANL AL | 107 | 544 | 35 | 42 | 914 | 2443 | 1056 | 3029 |
| 25 | MOHD SALEEM | 131 | 563 | 57 | 246 | 841 | 4560 | 1029 | 5369 |
| 26 | MUGDHA RANI GUPTA | 86 | 223 | 89 | 164 | 377 | 1331 | 552 | 1718 |
| 27 | NASEEM AKTHAR | 93 | 393 | 80 | 305 | 180 | 940 | 353 | 1638 |
| 28 | OM PRAKASH | 149 | 794 | 90 | 452 | 649 | 1799 | 888 | 3045 |
| 29 | PARMAT MA PRASAD PANDEY | 177 | 834 | 69 | 351 | 991 | 3688 | 1237 | 4873 |
| 30 | PRADEEP KUMAR | 85 | 385 | 166 | 820 | 145 | 764 | 396 | 1969 |
| 31 | PRAMOD KUMAR SURI | 162 | 918 | 84 | 471 | 852 | 2071 | 1098 | 3460 |
| 32 | RAJ KUMAR | 94 | 495 | 49 | 276 | 222 | 965 | 365 | 1736 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | GUPTA | | | | | | | | |
| 33 | RAJESH KUMAR | 231 | 1283 | 155 | 763 | 294 | 1669 | 680 | 3715 |
| 34 | RAM ADHARY | 132 | 565 | 109 | 564 | 547 | 2503 | 788 | 3632 |
| 35 | RAM BAHAL CHAUDHARY | 101 | 433 | 67 | 248 | 704 | 3158 | 872 | 3839 |
| 36 | RAM CHANDRA JAISWAL | 161 | 638 | 83 | 269 | 512 | 2169 | 756 | 3076 |
| 37 | RAM DAYAL YADAV | 148 | 746 | 89 | 427 | 501 | 2533 | 738 | 3706 |
| 38 | RAM DEV | 136 | 929 | 93 | 516 | 619 | 2927 | 848 | 4372 |
| 39 | RAM DHEERAJ YADAV | 88 | 383 | 61 | 279 | 457 | 1995 | 606 | 2657 |
| 40 | RAM UJAGIR | 70 | 162 | 47 | 236 | 608 | 2813 | 725 | 3211 |
| 41 | rikta | 422 | 1825 | 269 | 1050 | 0 | 0 | 691 | 2875 |
| 42 | SATYWAN RAJ SINGH | 250 | 1083 | 156 | 720 | 150 | 852 | 556 | 2655 |
| 43 | SHAMSHAD AHMAD KHAN | 167 | 924 | 105 | 529 | 539 | 2479 | 811 | 3932 |
| 44 | SHOBHA DEVI | 194 | 1006 | 65 | 345 | 303 | 1237 | 562 | 2588 |
| 45 | SHUSHIL SINGH | 133 | 450 | 73 | 192 | 174 | 1003 | 380 | 1645 |
| 46 | SMT JUGNA DEVI | 128 | 303 | 80 | 216 | 196 | 977 | 404 | 1496 |
| 47 | SUBHAGI DEVI | 117 | 572 | 83 | 388 | 282 | 1587 | 482 | 2547 |
| 48 | SUBHASH CHANDRA YADAV | 58 | 265 | 66 | 295 | 220 | 1174 | 344 | 1734 |
| 49 | SUSHIL SINGH SECRETARY | 83 | 468 | 67 | 351 | 30 | 164 | 180 | 983 |
| 50 | YOGENDRA SINGH | 85 | 337 | 79 | 344 | 661 | 2207 | 825 | 2888 |
| | कुल योग | 6553 | 29755 | 3853 | 17484 | 22104 | 90369 | 32510 | 137608 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

राशन कार्ड धारकों की संख्या

| जिला : Basti | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| नगरीय क्षेत्र | | | | | | | | | |
| (09/08/2016 समय: 11:46 PM तक की स्थिति) | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | टाउन | बी. पी. एल. | | अन्त्योदय | | ए. पी. एल. | | कुल | |
| | | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी |
| 1. | Basti (NPP) | 6553 | 2975 5 | 3853 | 1748 4 | 2210 4 | 9036 9 | 3251 0 | 13760 8 |
| 2. | Bhabnan Bazar (NP) | 575 | 2338 | 357 | 1383 | 1924 | 8557 | 2856 | 12278 |
| 3. | Harraiya (NP) | 942 | 4150 | 615 | 2738 | 1610 | 6128 | 3167 | 13016 |
| | कुल योग | 8070 | 3624 3 | 482 5 | 2160 5 | 2563 8 | 1050 54 | 3853 3 | 16290 2 |
| ग्रामीण क्षेत्र | | | | | | | | | |
| (09/08/2016 समय: 11:46 PM तक की स्थिति) | | | | | | | | | |
| क्र. सं. | ब्लाक | बी. पी. एल. | | अन्त्योदय | | ए. पी. एल. | | कुल | |
| | | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी | राशन कार्ड | लाभार्थी |
| 1. | BAHADUR PUR | 8084 | 3824 2 | 4997 | 2436 7 | 1510 6 | 6519 2 | 2818 7 | 12780 1 |
| 2. | BANKATI | 1473 2 | 6493 0 | 9163 | 4498 4 | 1106 9 | 4242 7 | 3496 4 | 15234 1 |
| 3. | BASTI | 1255 2 | 5955 9 | 7805 | 4068 9 | 1615 8 | 6863 6 | 3651 5 | 16888 4 |
| 4. | DUBAULIY A | 8866 | 4077 7 | 5598 | 2896 0 | 8651 | 3284 3 | 2311 5 | 10258 0 |
| 5. | GAUR | 1231 1 | 5676 7 | 7635 | 3757 3 | 1213 4 | 4926 6 | 3208 0 | 14360 6 |
| 6. | HARRAIYA | 1211 8 | 5777 2 | 7557 | 3921 8 | 8068 | 3547 6 | 2774 3 | 13246 6 |
| 7. | KAPTANG ANJ | 8597 | 4763 7 | 5251 | 3143 5 | 7361 | 3099 3 | 2120 9 | 11006 5 |
| 8. | KUDARAH A | 1181 1 | 5150 1 | 7338 | 3308 6 | 6389 | 2579 2 | 2553 8 | 11037 9 |
| 9. | PARASRA MPUR | 1043 7 | 4575 5 | 6470 | 3091 1 | 1366 3 | 5538 9 | 3057 0 | 13205 5 |
| 10. | RAMNAGAR | 6299 | 3012 4 | 3901 | 1940 7 | 2473 0 | 1078 42 | 3493 0 | 15737 3 |
| 11. | RUDHAUL I | 6515 | 2943 2 | 3955 | 1853 0 | 1225 8 | 4918 8 | 2272 8 | 97150 |
| 11. | SALTAUA | 6424 | 3079 | 3961 | 1971 | 2395 | 1065 | 3434 | 15708 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2. | GOPALPUR | | 2 | | 9 | 9 | 77 | 4 | 8 |
| 1 | SAU | 7753 | 3770 | 4872 | 2506 | 1246 | 5730 | 2509 | 12008 |
| 3. | GHAT | | 8 | | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 1 | VIKRAMJ | 9259 | 4194 | 5734 | 2783 | 8918 | 3756 | 2391 | 10734 |
| 4. | OT | | 9 | | 8 | | 1 | 1 | 8 |
| | कुल योग | 1357 | 6329 | 842 | 4217 | 1809 | 7644 | 4009 | 18192 |
| | | 58 | 45 | 37 | 82 | 31 | 90 | 26 | 17 |

Source : Food and Civil Supplies Department, Utter Pradesh

ग्राम:

विकास खंड:

जिला:

उत्तर आर्थिक उदारवाद के बाद भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या और राज्यों की प्रतिक्रिया : उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के विशेष संदर्भ में

साक्षात्कार सूची

1. वैयक्तिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि

- 1.1 उत्तरदाता का नाम
- 1.2 आपके घर का मुखिया कौन है: पिता, माता, बेटा, बेटी, स्वयं, अन्य
- 1.3 जाति: 1. सामान्य, 2. ओ. बी. सी., 3. एस. सी., 4. एस. टी.
- 1.4 उपजाति
- 1.5 आयु
- 1.6 लिंग : पुरुष/महिला
- 1.7 धर्म : हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, सिख
- 1.8 शिक्षा : अशिक्षित, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, व्यवसायिक, अन्य
- 1.9 वर्तमान पेशा: मजदूरी, कृषि, नौकरी, व्यवसाय, दुकान, अन्य
- 1.10 परिवार का स्वरूप : एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार

पारिवारिक विवरण:

| क्र०सं० | नाम | उम्र (वर्षों में) | लिंग | मुखिया से संबंध | शिक्षा | वैवाहिक स्थिति (विवाहिता अविवाहित) | स्वास्थ्य (अच्छा, सामान्य, विकलांग, कुपोषित) | पेशा | कार्य स्थल: गाँव, शहर | राजनीतिक सहभागिता (हाँ/नहीं) | किस रूप में (चुनाव प्रचार, प्रत्याशी, बूथ एजेंट, अन्य) |
|---------|-----|-------------------|------|-----------------|--------|------------------------------------|--|------|-----------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2. निर्धनता : मुद्दे और चिंताएँ

- 1.1 आपके मकान का स्वरूप : झोपड़ी, कच्चा, अर्धपक्का, पक्का
- 1.2 गाँव में मकान की अवस्थिति : गाँव में, गाँव से सटा हुआ, बाहर की ओर
- 1.3 मकान में उपलब्ध सुविधाएँ : शौचालय, स्नानघर, रसोईघर, सभी, कुछ नहीं
- 1.4 घर में पेयजल का स्रोत : कुंआ, नल, हैंडपम्प, सरकारी हैंडपम्प, अन्य
- 1.5 मकान में उपलब्ध संसाधन : साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर, कुछ नहीं
- 1.6 क्या आपके घर में बिजली है: हाँ, नहीं
- 1.7 आपके घर में खाना पकाने के ईंधन क्या-क्या हैं: लकड़ी, स्टोव, गैस, गोबर-कंड़े, अन्य
- 1.8 सभी स्रोतों से आपके परिवार की मासिक आय कितनी है:
- 1.9 कार्य में महिलाएँ और बच्चे किस प्रकार सहयोग करते हैं : केवल घरेलू कार्य में, कृषि कार्य में, 3. मजदूरी में, 4. अन्य
- 1.10 परिवार का मासिक खर्च कितना है: 1. शिक्षा 2. त्यौहार
3. मनोरंजन 4. ईंधन और बिजली 5. ड्रेस और कपड़े
6. शराब/पान/तम्बाकू/सिगरेट/अन्य
- 1.11 क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं : हाँ/नहीं ,
- 1.12 यदि हाँ तो कहाँ जाते हैं: सरकारी स्कूल/निजी स्कूल
- 1.13 यदि नहीं तो इसका क्या कारण है: गरीबी/स्कूल दूर है/बच्चे का मन नहीं है/जातीय भेदभाव
- 1.14 क्या आपकी फसल को कभी नुकसान हुआ है : हाँ/नहीं
- 1.15 यदि हाँ तो किस कारण हुआ है: बाढ़ से/सूखा से/आग से/जानवरों द्वारा/अन्य
- 1.16 क्या आपने कर्ज लिया है: हाँ/नहीं
- 1.17 यदि हाँ तो आपने किससे कर्ज लिया है: पड़ोसी से/रिश्तेदार से/बड़े किसानों से/साहूकारों या महाजन से/बैंक से/सूदखोरों से ब्याज पर /अन्य ,
- 1.18 वर्तमान में आपके ऊपर कितना कर्ज है :
- 1.19 कर्ज लेने के कारण : विवाह/शिक्षा/व्यवसाय/गृह निर्माण/कृषि कार्य/उपचार हेतु/दैनिक उपभोग के लिए/अन्य
- 1.20 क्या आप कर्ज नियमित वापस करते हैं : हाँ/नहीं
- 1.21 यदि नियमित वापस नहीं करते है, तो इसके क्या कारण है:

3. खाद्य सुरक्षा : प्रकृति और आयाम

- 2.1 क्या आप खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में जानते हैं।
- 2.2 यदि हाँ तो क्या आपके पास राशन कार्ड है: – हाँ/नहीं
- 2.3 यदि हाँ तो कौन सा कार्ड है: ए0पी0एल0/बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड
- 2.4 क्या राशन कार्ड से मिलने वाली चीजें आपके परिवार के लिए पर्याप्त है: हाँ/नहीं
- 2.5 यदि पर्याप्त नहीं है तो महीने में लगभग कितनी मात्रा की कमी पड़ती है:
- 2.6 यदि पर्याप्त नहीं है तो आप अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करते हैं: बाजार से/कृषि से/बड़े किसानों या साहूकारों से /अन्य
- 2.7 आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुओं पर खर्च (एक महीने में) :

| क्र० सं० | खाद्य वस्तुएँ | मात्रा (किग्रा में) | खर्च (रु० में) |
|----------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | चावल (पी० डी० एस० से) | | |
| 2 | चावल (बाजार से) | | |
| 3 | गेहूँ/आटा (पी० डी० एस० से) | | |
| 4 | गेहूँ/आटा (बाजार से) | | |
| 5 | चीनी (पी० डी० एस० से) | | |
| 6 | चीनी (बाजार से) | | |
| 7 | दालें | | |
| 8 | सब्जियां | | |
| 9 | तेल | | |
| 10 | दूध | | |
| 11 | फल | | |
| 12 | मांसाहार | | |
| 13 | अन्य | | |

- 2.8 यदि आप खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर हैं तो कृषि योग्य जमीन में कौन-कौन सी फसलें उगाते हैं –

| क्र० सं० | फसलें | उत्पादन (क्विंटल) | मूल्य | स्वयं के उपभोग के लिए मात्रा | बेची गई मात्रा | बेची गई मात्रा का मूल्य |
|----------|---------|-------------------|-------|------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | धान | | | | | |
| 2. | गेहूँ | | | | | |
| 3. | आलू | | | | | |
| 4. | सब्जिया | | | | | |
| 5. | गन्ना | | | | | |
| 6. | सरसों | | | | | |
| 7. | जौ | | | | | |
| 8. | मटर | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|--|--|--|--|--|
| 9. | अरहर | | | | | |
| 10. | चना | | | | | |
| 11. | अन्य | | | | | |

2.9 क्या आपका परिवार एक साथ खाना खाता है: हाँ/नहीं

2.10 यदि नहीं तो पहले कौन खाना खाता है: पुरुष/महिलाएँ

2.11 यदि खाना कम पड़ जाता है, तो क्या आपके परिवार में दुबारा खाना पकाया जाता है: हाँ/नहीं

2.12 आपके परिवार में भोजन का स्तर क्या है: 1. वर्ष के अधिकांश भाग में प्रतिदिन एक बार से कम भोजन 2. प्रतिदिन एक बार भोजन 3. वर्ष के अधिकांश भाग में प्रतिदिन दो बार से कम भोजन 4. पूरे वर्ष प्रतिदिन दो बार भोजन 5. पूरे वर्ष पर्याप्त भोजन

2.13 आपके परिवार में प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुएँ

| क्र० सं० | खाद्य वस्तुएँ | मात्रा (कि० ग्रा०) | प्राप्त कैलोरी |
|------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1. | चावल | | |
| 2. | आंटा | | |
| 3. | चीनी | | |
| 4. | दालें | | |
| 5. | सब्जियां | | |
| 6. | तेल | | |
| 7. | दूध | | |
| 8. | फल | | |
| 9. | मांसाहार | | |
| 10. | अन्य | | |
| योग | | | |

सूत्र : प्रतिदिन औसत प्राप्त कैलोरी = कुल मात्रा/परिवार का आकार

4. सरकारी योजनाएँ और विकास का स्तर

3.1 आपके गाँव में विकास की कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही है

3.2 आप या आपके परिवार को किन-किन योजनाओं का लाभ मिला रहा है: 1. मनरेगा 2. इंदिरा आवास योजना 3. महामाया गरीबी अनुदान योजना 4. मध्याह्न भोजन 5. पी०डी०एस० से केरोसिन, दाल, चावल, गेहूँ, चीनी अन्य 6. अन्नपूर्णा योजना 7. हेल्थ कार्ड योजना 8. अन्य योजना

3.3 किसी योजना की प्रप्ति के लिए सुविधा शुल्क/घूस देना पड़ा है : हाँ/नहीं

3.4 क्या विकास योजनाओं के बँटवारे में गाँव के प्रभुत्वशाली व्यक्ति या गुट का हस्तक्षेप होता है : हाँ/नहीं/पता नहीं

- 3.5 आपके मतानुसार सरकारी विकास योजनाओं से पात्रों को कितना लाभ मिला है: 1. पूर्णतः
2. अधिकांशत 3. आंशिक 4. लाभ नहीं मिल रहा है।
- 3.6 यदि पात्र व्यक्तियों को विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके क्या कारण हैं: 1. भ्रष्टाचार 2. जातिवाद 3. भाई भतीजावाद 4. राजनीतिक प्रभुत्व 5. बीपीएल सूची बनाने में पक्षपात
- 3.7 यदि आपको मनरेगा के तहत काम मिला है, तो क्या आपका जॉब कार्ड बना है :
हाँ/नहीं
- 3.8 यह अधिनियम किसी भी परिवार के एक सदस्य को 100 दिन तक रोजगार की गारंटी देता है, तो क्या आपको 100 दिन काम मिला है: हाँ/नहीं
- 3.9 यदि नहीं तो कितने दिन आपको काम मिला है:
- 3.10 क्या आपके परिवार की किसी महिला को मनरेगा के तहत काम मिला है: हाँ/नहीं
- 3.11 यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं
- 3.12 क्या आपके गाँव में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की मदद के लिए स्वयं सहायता समूह गठित हैं' हाँ/नहीं
- 3.13 क्या आपके गांव में सरकार या एनजीओ द्वारा समय-समय पर हेल्थ कैम्प लगाये जाते हैं: हाँ/नहीं
- 3.14 क्या गैर सरकारी संस्थाएँ (एनजीओ) विकास/जागरुकता के कार्य कर रही है: 1. हाँ 2. नहीं 3. संस्थाएँ हैं ही नहीं 4. जानकारी नहीं
- 3.15 यदि हाँ तो इनकी नीतियां किस रूप में सहायक हैं: 1. शिक्षा 2. चिकित्सा 3. रोजगार 4. व्यवसाय 5. यातायात 6. अन्य
- 3.16 गैर सरकारी संस्थानों के सहायता का स्तर है: 1. अति संतोषजनक 2. संतोषजनक 3. असंतोषजनक 4. पता नहीं